तुर्देश माला, खंड 15, अंक 15

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2005
22 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parl - ... Building
... 55-025
Acc. ... 56
Dated ... 13/2/07

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2005/22 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
संसद भवन पर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 286	3–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 287 से 301	35–58
अतारांकित प्रश्न संख्या 2888 से 3088	58–403
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में	403–404
सभा पटल पर रखे गए पत्र	405–425
राज्य सभा से संदेश	425–426
याचिका समिति	
नौवां प्रतिवेदन	426
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	426
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	427
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन	427
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
108वां और 169वां प्रतिवेदन	427–428
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
177वां प्रतिवेदन	428

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
कुमारी सैलजा	428-429
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच किए जाने की आवश्यकता	432-442
श्री प्रभुनाथ सिंह	432-433, 434-437
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	433-434, 438-442
अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005	449-450
नियम 377 के अधीन मामले	450-461
(एक) दिल्ली-हरियाणा सीमा के निकट अरावली पहाड़ी पर अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री अवतार सिंह भडाना	450-451
(दो) पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समकक्ष लाए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	451-452
(तीन) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के किसानों जिनसे मसूरी में गैस आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	452
(चार) तमिलनाडु के वगैकुलम से हवाई सेवाओं का प्रचालन पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	452-453
(पांच) राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में खाद्य तेल की आयात संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	453-454
(छह) रीवा और जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने तथा रीवा रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	454
(सात) पंजाब में विभिन्न जल परियोजनाओं से पैदा बिजली को राजस्थान के साथ बांटे जाने के बारे में करारों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री कैलाश मेघवाल	454-455
(आठ) राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिन किसानों से भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द	455
(नौ) बोताड़ और अहमदाबाद के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	455-456

विषय		कॉलम
(दस)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में गैस की मांग को पूरा करने के लिए एक गैस ग्रिड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	456
(ग्यारह)	पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान ग्राम कुडे, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री तूफानी सरोज	457
(बारह)	उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रजेश पाठक	457
(तेरह)	तमिलनाडु में रेलवे के तिरूचेन्दूर खंड पर आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती वी. राधिका सेलवी	458
(चौदह)	एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों के पेंशन मामले का निपटान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	458–459
(पन्द्रह)	महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बार-बार आने वाली भयंकर बाढ़ का स्थायी हल ढूंढने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	459–460
(सोलह)	असम में बार-बार आने वाली बाढ़ और भू-क्षरण के कारण दिकरोंग नदी की डाउन स्ट्रीम को हो रही व्यापक पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. अरूण कुमार शर्मा	460
(सत्रह)	मिजोरम में तुइरियाल हाइडेल परियोजना का कार्य पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वनलाल जावमा	461
कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में		461–462
मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005		463–497
विचार करने के लिए प्रस्ताव		463
	श्री प्रबोध पाण्डा	463–464
	श्रीमती कान्ति सिंह	463, 490–496
	श्री कीरेन रिजीजू	464–466
	डा. टोकचोम मैन्या	466–470
	प्रो. बसुदेव बर्मन	470–474
	श्री मोहन सिंह	474–476

विषय		कॉलम
	श्री वरकला राधाकृष्णन	476–480
	श्री बृजकिशोर त्रिपाठी	480–482
	श्री फ्रांसिस फैन्थम	482–484
	श्री तापिर गाव	484–486
	श्री गिरिधर गमांग	486–488
	श्री थावरचन्द गेहलोत	488–490
खंड 2 से 48 और 1		497
पारित करने के लिए प्रस्ताव		497
नियम 193 के अधीन चर्चा		
कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं		497–526
	डा. चिन्ता मोहन	497–503
	श्री अविनाश राय खन्ना	503–506
	श्री महबूब जाहेदी	507–509
	श्री शैलेन्द्र कुमार	509–512
	श्री राम कृपाल यादव	512–515
	श्री ई.जी. सुगावनम	515–518
	श्री अनंत गुढ़े	518–522
	श्री भर्तृहरि महताब	522–525
	चौधरी विजेन्द्र सिंह	525–526
सदस्य द्वारा निवेदन		
"जूपिटर-6" मालवाहक पोत के 6.9.2005 से कथित रूप से गायब होने के बारे में		540–542
अनुबंध I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		547
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		548–554
अनुबंध II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		555–556
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		555–556

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2005/22 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

संसद भवन पर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपको याद होगा कि चार वर्ष पूर्व 13 दिसम्बर को संसद पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ था।

हमले को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और संसद के वाच एण्ड वार्ड के सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से विफल कर दिया गया था। संसद और माननीय सदस्यों की रक्षा करने के प्रयास में दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल और संसद के वाच एण्ड वार्ड के दो सुरक्षा सहायकों, सर्वश्री नानक चंद, रामपाल सिंह, घनश्याम, ओमप्रकाश, बिजयेन्द्र सिंह, श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री जे.पी. यादव और श्री मातबर सिंह नेगी ने अपने प्राणों की आहूति दे दी। माली श्री देशराज ने भी आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाएं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के श्री विक्रम सिंह बिष्ट भी हमले में घायल हो गये थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

इस अवसर पर हम सभी को विश्वव्यापी आतंकवाद से लड़ने के लिए पुरजोर प्रयास करने होंगे। इसलिये हम सभी को आतंरिक और बाहरी खतरों से देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा के लिए अपने आपको पुनः समर्पित करना चाहिए।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय: प्र. सं. 282

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके विचार के लिए एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल के बाद होगा। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, बिहार में पांच अकलियतों की हत्या कर दी गई है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: बिहार में पांच अकलियतों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। क्या आप कृपया अपनी सीट पर बैठेंगे?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): बिहार में पांच अकलियत के लोगों की हत्या हो गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल के बाद होगा। एक घंटे में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री एन.एन. कृष्णदास। प्रश्न संख्या 282

[अनुवाद]

मसालों का आयात

***282. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय मसालों के आयात की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''सार्क'' देशों से मसालों के आयात पर मात्रा संबंधी कोई प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू उत्पादन पर ऐसे आयात के प्रभाव का आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अपने देश के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) से (छ) मसालों का आयात निम्नलिखित मार्गों के जरिए संभव है-

(1) ताजे अदरक और खसखस पाउडर के अतिरिक्त मसालों का आयात आयात शुल्क का भुगतान करके मुक्त रूप से किया जा सकता है।

(2) निर्यातोन्मुख इकाइयां और एसईजेडएस में स्थित इकाइयां पुनर्निर्यात के प्रयोजनों के लिए शुल्क मुक्त आयात कर सकती हैं।

(3) पुनर्निर्यात के प्रयोजनों के लिए अग्रिम लाइसेंस पर शुल्क मुक्त आयात। काली मिर्च के मामले में निर्यात के प्रयोजनों के लिए ओलियोरेजिन उद्योग द्वारा निष्कर्षण के लिए ''हल्की काली मिर्च'' के आयात के लिए ही इस समय अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(4) श्रीलंका से मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत शून्य शुल्क पर आयात, चाहे उसका अंतिम प्रयोग कोई भी हो।

सार्क देशों से मसालों के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करने से घरेलू उत्पादकों के लिए उपलब्ध सभी संरक्षण स्वत: समाप्त नहीं हो जाते हैं। भारत वचनबद्ध दरों के भीतर सीमाशुल्क टैरिफ में समायोजनों के जरिए आयातों को नियमित कर सकता है। इस तंत्र का काली मिर्च के मामले में प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया है। मसालों सहित 300 संवेदनशील मदों के आयात पर सरकार द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है ताकि आयात में होने वाली किसी वृद्धि को रोका जा सके।

किसानों के हित का संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) निर्यातकों के लिए हल्के अवरोधकों को छोड़कर काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस को जारी करना सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है (जून, 2005)।

(2) कृषि और सहकारिता विभाग ने इस वर्ष केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत मसालों को भी शामिल किया जाता है और निम्नलिखित घटकों के लिए मसालों के किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है:-

(अ) क्षेत्र विस्तार: अधिकतम 11,250 रु./-हेक्टेयर के अध्यधीन लागत के 75% तक सब्सिडी जो 4 हेक्टेयर तक सीमित है, मसालों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए प्रदान की जाती है।

(ब) समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम): 4 हेक्टेयर तक अधिकतम 1,000 रु./हेक्टेयर तक आईपीएम पर खर्च की गई लागत के 50% हिस्से को इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को प्रतिपूर्ति की अनुमति है।

(स) फसलोत्तर प्रबंध आदि: फसलोत्तर प्रबंध परियोजनाओं पर राज्य सरकार के जरिए परियोजना के 25% की दर पर क्रेडिट लिंक बैक एंडिड सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, यह एक सच्चाई है कि हमारे देश में मसालों के आयात के कारण देश में मसालों की कीमतों में भारी कमी आई है। किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इस समय सरकार द्वारा देश में मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा हेतु किए गए सुरक्षा उपाय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार मसालों के उत्पादन में लगे हुए देश के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए नए सुरक्षा उपाय करेगी?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, सरकार मसाला बोर्ड के माध्यम से किसानों की हितों की सुरक्षा हेतु काफी कदम उठा रही है। सरकार ने निर्यातकों को हल्के सरस फलों को छोड़कर काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी करना स्थगित कर दिया है।

इस वर्ष कृषि और सहकारिता विभाग ने ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत मसालों को भी शामिल किया गया है और मसाला किसानों के लिए निम्नलिखित संघटक उपलब्ध कराए जा रहे हैं:

मसालों की खेती के क्षेत्र में विस्तार करने हेतु लागत के 75 प्रतिशत तक राजसहायता जोकि अधिकतम 11,250 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 4 हेक्टेयर तक के लिए है।

अध्यक्ष महोदय: यह सब वक्तव्य में दिया हुआ है।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: जी हां, महोदय, यह सब वक्तव्य में है।

अध्यक्ष महोदय: कृष्णदास जी, अब आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: उन्होंने लिखित वक्तव्य पढ़ दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे थोड़ा अलग से बता दें।

श्री एन.एन. कृष्णदास: ठीक है, महोदय।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात, जो हमारे देश में मसाला उत्पादन में लगे हुए किसानों की चिंता का एक कारण है और देश के हमारे मसालों की साख को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, वह यह है कि कुछ कंपनियां विशेष रूप से सार्क देशों से घटिया क्वालिटी के मसालों का आयात कर रही है और उन्हें हमारे देश के मसालों में मिलाकर इनका पुन: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कर रही है। अत: इससे हमारे उत्पादकों की साख बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

अत: सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे मसालों की साख को बनाए रखने तथा उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, यह आरोप लगाया गया है कि घटिया क्वालिटी की आयातित काली मिर्च और इलायची को निर्यात के समय उत्तम क्वालिटी के भारतीय सामान के साथ मिलाया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की साख को नुकसान पहुंचा रही है। महोदय, इस संबंध में हमने मसाला बोर्ड के माध्यम से जांच की गई है लेकिन हमारे सामने ऐसा होने का कोई मामला नहीं आया है। परंतु यदि माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे कुछ विशेष जानकारी दे सकें तो मसाला बोर्ड जरूर इस पर गौर करेगा।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, मसाले और रबर को केरल और तमिलनाडु की प्रसिद्ध नकदी फसल माना जाता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मसालों की कीमत में भारी कमी आई है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इन परिस्थितियों में मसालों का आयात करने की क्या जरूरत है और सरकार की मसालों का आयात करने की क्या नीति है?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, विदेश व्यापार नीति निम्नलिखित प्रकार से मसालों के आयात की अनुमति देती है:- आयात निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (आईटीसी) के अध्याय-नौ के अंतर्गत मसालों के आयात की अनुमति है। सीमा शुल्क के भुगतान के अंतर्गत यह एक मुक्त विषय है। तथापि, ताजा अदरक और पोस्त चूर्ण के आयात पर प्रतिबंध है। मूल्य वृद्धि और पुनर्निर्यात के लिए निर्यातोन्मुखी एकको (ईओयू) और विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) को मसालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। मूल्य वृद्धि और पुनर्निर्यात के प्रयोजनों के लिए अग्रिम लाइसेंसों पर आयात करने की अनुमति है। ये सभी शुल्क मुक्त आयात हैं और काली मिर्च के मामले में इस समय निर्यात प्रयोजन से तेल उद्योग द्वारा अर्क के लिए केवल हल्की काली मिर्च के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि यह प्रसंगानुकूल उत्तर है। अब श्री जसवंत सिंह बिश्नोई बोलेंगे। क्या आप वाकई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, देश के किसान बड़ी मेहनत से फसल तैयार करते हैं, लेकिन हमारे यहां विभिन्न मसालों, जैसे जीरा, धनिया आदि का आयात किया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या आयात करने से पहले इस बात की कोई जानकारी ली जाती है कि देश में उस उत्पाद की कमी है या नहीं? देश में किसानों के द्वारा जिन कृषि जिन्सों का उत्पादन बड़ी मात्रा में पैदा होता है, क्या सरकार आयात शुल्क बढ़ाकर ऐसा करेगी कि उन चीजों का आयात कम से कम हो ताकि इस देश का किसान जीवित रह सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे यह पूछ रहे है कि क्या आप आयात पर नियंत्रण करने जा रहे हैं?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: हम अभी आयात पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हमने यह किया है कि कुछ संवेदनशील मसालों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।

यदि माननीय सदस्य विशेष मसालों के बारे में जानकारी चाहते हैं मैं जानकारी लेकर उन्हें भेज दूंगा।

श्री पी.सी. थामस: ध्यानाकर्षण के दौरान, जिस पर हमने कुछ माह पूर्व चर्चा की थी, माननीय वाणिज्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि काली मिर्च के सभी प्रकार के आयातों पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि काली मिर्च का मूल्य 250 रुपये प्रति कि.ग्रा. से गिरकर 50 रुपये प्रति कि.ग्रा. हो गया है। यह कुछ ही समय पहले की बात है और अब किसान इसे जारी नहीं रख सकते हैं। अन्य मसालों के बारे में भी ऐसा ही है। इसके बाद सभी प्रकार के मसालों के आयात की अनुमति दी गई है-अग्रिम लाइसेंस है, सार्क-मार्ग है, और इस प्रकार घटिया काली मिर्च के आयात की यह कहकर अनुमति दी गई है कि यह औद्योगिक प्रयोजन के लिए है।

यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि मसाला बोर्ड नियंत्रण रख रहा है और इसने इस संबंध में कुछ कार्य किया है। हमें पता चला है कि घटिया किस्म की काली मिर्च के आयात के अलावा इसकी काफी तस्करी भी की जा रही है। सरकार कम से कम इस आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी जो आश्वासन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान वाणिज्य मंत्री ने इस सभा में दिया था ताकि सभी प्रकार के आयातों को बंद किया जा सके। वस्तुत: हम जानते हैं कि यहां कुछ सीमाएं हैं, खामियां हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सूचना देने के बजाय प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: मेरा प्रश्न यही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी ताकि दिए गए इस आश्वासन को क्रियान्वित किया जा सके तथा आयातों और तस्करी को रोका जा सके?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: माननीय सदस्य का कहना है कि इनकी तस्करी नेपाल के जरिए की जा रही है। हमने सीमा-चौकियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए है ताकि इनकी तस्करी न होने पाएं। यदि किसी व्यक्ति को नेपाल के जरिए मसालों की तस्करी करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक काली मिर्च के आयात का प्रश्न है, इस पर कर लगाया जा रहा है; इस पर 70 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही मिलावट के संबंध में की गयी कुछ जांच के आधार पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि ऐसे देश जो सार्क के सदस्य नहीं है और मसालों का उत्पादन कर रहे हैं वे सार्क देशों को दी गयी रियायत का प्रयोग करके कोलम्बो पोर्ट से होकर मसाले भारत में भेज रहे हैं अर्थात वे मसाले श्रीलंका के माध्यम से भारत भेज रहे हैं। इस तथ्य को केरल में समाचार पत्रों में बार-बार छापा गया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सरकार कुछ कार्रवाई करेगी ताकि सार्क से इतर देशों द्वारा सार्क देशों को मिलने वाले लाभ का उपयोग करके मसालों को इस प्रकार से अवैध तरीके से भेजने के कार्य को रोका जा सके?

अध्यक्ष महोदय: वह पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रणाली के दुरूपयोग को रोका जा सकता है।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मसाला बोर्ड ने इन सभी मामलों की छानबीन की है और इसके अनुसार हमने किसी व्यक्ति को इसमें संलिप्त नहीं पाया है। जैसाकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यदि माननीय सदस्य के पास इस संबंध में कोई सूचना है तो वह इसे दे सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, वह वही उत्तर दोहरा रहे हैं। मैं अन्य देशों द्वारा श्रीलंका के जरिए अवैध रूप से मसाले भारत पहुंचाने के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह बात कह दी है। मंत्री महोदय आपसे इस संबंध में उपलब्ध ब्यौरा मांग रहे हैं।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट मामला है और यदि वह इसके बारे में जानकारी देते हैं तो भारत सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि श्री कुरूप के पास पूछने के लिए एक संगत प्रश्न है। भविष्य में मैं असंगत प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेश कुरूप: जैसा कि आपको अच्छी तरह विहित है, केरल देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसाला उत्पादक देश है। यहां अधिकांश उत्पादक छोटे किसान हैं। इसलिए, इस मूल्य गिरावट की वजह से केरल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। किसानों द्वारा मसाला बोर्ड तथा सरकार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आलोचना की गयी है। उदाहरण के लिए इलायची को लें। नेपाल कोलकाता पत्तन के माध्यम से इलायची का आयात करता है। कोलकाता से होकर काफी इलायची का आयात किया जाता है और इस प्रकार इलायची भारतीय बाजारों में पहुंचती है। केरल के इलायची उत्पादकों की यह लगातार शिकायत रही है। इस सभा में इस मुद्दे को बार-बार उठाए जाने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि इस समय इस आयात को रोक दिया जाता है तो केरल बाजार में इलायची की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बाजार में इस प्रकार से किए जा रहे अवैध आयात को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करेगी।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: माननीय सदस्य इलायची की कीमत में गिरावट के बारे में बात कर रहे हैं। इलायची की कीमत गिर रही है क्योंकि ग्वाटेमाला में इलायची का काफी उत्पादन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आ रही गिरावट का यह मुख्य कारण हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: अवैध व्यापार को रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मुझे पता है कि आप सभी मंत्री महोदय की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु उन्हें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: जैसा कि मैंने उल्लेख किया है मसाला बोर्ड ने इलायची उत्पादकों सहित सभी मसाला उत्पादकों को सहायता देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

श्री सुरेश कुरूप: बोर्ड ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इस मुद्दे को इस सभा में बार-बार उठाया गया है परंतु मंत्री महोदय यही उत्तर दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: वनिला की कीमत भी काफी गिरी है। एस.टी.सी. वनिला की खरीद करने का प्रयास कर रहा है। सरकार वे सभी कदम उठा रही है ताकि मसालों की कीमतें न गिरें।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

***283. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय में दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक अनेक आपराधिक घटनाओं के शिकार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा/कल्याण के संबंध में दिल्ली सहित सभी राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (30 नवम्बर तक) के दौरान दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के सूचित मामलों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

अपराध शीर्ष	2002	2003	2004	2005 (30 नवम्बर तक)
डकैती	9	1	2	1
हत्या	20	17	17	17
हत्या का प्रयास	3	5	4	4
लूटपाट	12	11	9	11
जोड़	44	34	32	33

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए जाने वाले अपराधों सहित अपराधों को रोकने के लिए कदम उठायें। तथापि, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह जारी की है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा और कल्याण के लिए उपाय करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1999 में बुजुर्ग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति तैयार की है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बुजुर्ग व्यक्ति परिषद (एनसीओपी) तथा सचिव की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति का कारगार ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें दो विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन्स स्थापित करना; अकेले रह रहे बुजुर्ग व्यक्तियों की पहचान करना; उनके कर्मचारियों, विशेष रूप से उनके घरेलू नौकरों और ड्राइवरों के पूर्ववृत का सत्यापन करना; बीट स्टाफ और स्टेशन हाउस आफिसरों द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के निवास स्थानों का आवधिक दौरा करना; अपर-पुलिस आयुक्त (अपराध) के अधीन अपराध शाखा के वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करना; वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक सहायता प्रदान करने और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा उनके साथ व्यक्तिगत रूप से और टेलीफोन, दोनों माध्यम से संपर्क बनाए रखना; वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में बताना; स्कूली बच्चों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को अपनाना; गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विशेष परियोजनाओं में शामिल करना; और वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि शामिल है।

अध्यक्ष महोदय: हम कुछ समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी दें।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि उससे सदन संतुष्ट नहीं होगा। इन्होंने अपने लिखित जवाब में बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ 2002 में 44, 2003 में 34, 2004 में 32 और 2005 में 33 दुर्घटनाएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी स्मरण होगा और पिछले दिनों हमने अखबारों में पढ़ा और टी.वी. पर देखा कि वरिष्ठ नागरिकों ने सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा न कर पाने के संबंध में एक बड़ा प्रदर्शन किया था। मैं आपके सामने देश के कुछ अखबारों में इस संबंध में आए आंकड़े कोट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: चेन्नई से प्रकाशित "हिन्दू" अखबार ने कहा है कि, आबादी का आठ प्रतिशत। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम चेन्नई नहीं दिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: यह मुद्दा पूरे देश से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न दिल्ली से संबंधित है। अन्य राज्यों की कानून व्यवस्था के बारे में यहां प्रश्न नहीं उठा जा सकते।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: महोदय, यह प्रश्न पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों के बारे में है। वे परेशानी में हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया आप अपने प्रश्न को पढ़ें।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: सारे देश में आठ से साढ़े 11 प्रतिशत तक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा "टाइम्स आफ इंडिया" की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप दिल्ली के संबंध में प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मुझे किसी दूसरे सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए पुकारना पड़ेगा।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित घटनाओं को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या साधन अपनाए हैं? इसमें मुख्य मुद्दा घरेलू नौकर, ड्राइवर, दूध वाले और अन्य, जो लोग उनकी देखरेख करते हैं, वह है। जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर घटित होती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रबंध गृह मंत्रालय करने जा रहा है?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, बहुत से कदम उठाये गये हैं। पहला कदम यह उठाया गया है कि जहां-जहां अकेले वृद्ध रहते हैं उनका रिकार्ड बनाया गया है। जहां वे रहते हैं, उन एरियाज के थानों के लोगों को कहा गया है कि बार-बार जाकर उन वृद्ध लोगों से वे मिलें और उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी तकलीफों के बारे में पूछताछ करें। वृद्ध लोगों के पास जो लोग काम करते हैं उनकी फोटो भी मंगवाई जाती है। उनके साथ जो लोग नौकर के रूप में रहते हैं उनके एंटीसीडेंट्स भी चैक किये जाते हैं। इसके बाद उन वृद्ध लोगों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शन्स भी दी जाती हैं कि वे घर में किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, बाहर किस प्रकार से जाएं और अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो वे मदद कैसे लें। उनके लिए खास तरह के फोन की व्यवस्था भी की गयी है। जो पुलिस वाले उस एरिया की बीट्स पर जाते हैं, उन्हें कहा गया है कि ऐसे वृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए निगरानी रखें। इसी प्रकार के 100 से ज्यादा कदम उठाए गये हैं, जिन्हें मैं इतने कम समय में नहीं बता सकता हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं हिंदू पेपर को पुन: कोट करता हूं। इसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

"60 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक मृत्यु दर है।" इसमें लिखा है कि "दिस इज अ मैटर आफ इलनेस, मैटर आफ साइकोलाजिकल लोनलिनेस एंड इवेन द फिजीकल अब्युज।"

[हिन्दी]

उनके लिए एक बिल का प्रपोजल था, जो टाइम्स आफ इंडिया के 2 जुलाई, 2005 के अंक में आया है। जिसमें लिखा है कि यह बिल बुजुर्गों के लिए है। पेपर आगे लिखता है कि-

[अनुवाद]

"दि गवर्नमेंट आर्गुज दैट द ओल्डर परसन्स मेन्टीनेन्स, केयर एंड प्रोटेक्शन बिल, 2005 बिल कम्पेल चिल्ड्रेन टू केयर आफ देयर, पेरेन्ट्स एंड द ग्रैड पेरेन्ट्स। इट इज इन परसुएन्स आफ आर्टिकल 41 रेड विद एंट्री 23 आफ द कन्सर्नड लिस्ट आफ द कन्स्टीट्युशन।"

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके चिल्ड्रन्स को अगर कम्पैल किया जा सके, तो बहुत अच्छा है। आप भी जानते हैं कि इसमें ओल्ड-ऐज-होम की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय का प्रपोजल है, जो स्टेट्स और इंकम के हिसाब से बने और जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके बच्चे उनका प्रोटैक्शन नहीं कर पाते हैं वहां एनजीओज को लगाकर उनके एक्सपीरिएंस का लाभ लिया जाए। उनके लिए हैल्थ, वैल्थ, शैल्टर और प्रत्येक चीज सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। क्या भारत सरकार के पास, आने वाले समय में वृद्ध लोगों के लिए ऐसा कोई प्रपोजल या योजना है?

श्री शिवराज वि. पाटील: यहां मूल सवाल वृद्ध लोगों को सुरक्षा देने से संबंधित है। बाकी जो प्रश्न पूछे गये हैं, वे इस सवाल से दूसरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से वृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से ही नहीं, मगर सोशल वैलफेयर एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और रूरल डैवलेपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से भी कदम उठाए गये हैं। उन्होंने एक पालिसी बनायी है जिस पर अमल किया जा रहा है। यहां नये कानून को बनाने का जिक्र हुआ, वह सोशल वैलफेयर एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया है और कैबिनेट में पास होने के बाद उसे यहां रखा जाएगा। यह सवाल केन्द्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकारों का है और राज्य सरकारों की तरफ से भी इस संबंध में कदम उठाए जाने वाले हैं। आपकी चिंता के निराकरण हेतु सरकार की तरफ से पहले ही कदम उठाए गये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव-उपस्थित नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और देश का दिल है। यहां सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए जाने वाले अपराधों के संदर्भ में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे लगता है कि 2002 से 2005 तक स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया है। मंत्री महोदय ने पुलिस की सुरक्षा और जागरूकता की बात कही है, लेकिन दिल्ली पुलिस में अधिकारियों और अन्य वर्गों के अनेक स्थान रिक्त हैं। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वह वीआईपीज की रक्षा के लिए उनके बंगलों में तैनात रहती है, वे वीआईपीज चाहे देश के हों या विदेश के हों। इसके अलावा दिल्ली पुलिस रोजाना होने वाले मोर्चों या सत्याग्रहों में इतनी व्यस्त रहती है कि दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की तरफ या मकानों में अकेले रहने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है, जिससे पुलिस के सारे रिक्त स्थान भरे जा सकें और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए अलग से सैल गठित करके उनकी नियमित रूप से बैठकें हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां वी.आई.पी. सुरक्षा की कमी है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन् माननीय सदस्य ने यहां बताया कि पुलिस को कितने काम करने पड़ते हैं- जब कोई आन्दोलन होता है या बड़ी-बड़ी सभाएं होती हैं या बड़े-बड़े त्योहार आते हैं या आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना होता है या कालेज के छात्र-छात्राओं की रक्षा करनी है या संस्थाओं की रक्षा करनी है, जो बिल्कुल सही बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की रिक्त जगहों को भरने की कोशिश की गई है। अब वहां बहुत सी रिक्त जगहें नहीं हैं। हमने केवल रिक्त जगहों पर पुलिस को नियुक्त करने का काम ही नहीं किया है, बल्कि पुलिस की ज्यादा बटालियन्स बढ़ाने की भी परमिशन दी गई है ताकि उनकी संख्या बढ़ायी जा सके और उस बढ़ी हुई संख्या से वे अपना दायित्व अच्छी तरह निभा सकें। यहां पुलिस की मदद करने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेज की भी मदद ली जाती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर काम किया जाता है। यहां जो आंकड़े बताए गए हैं, वे यही बताते हैं कि क्राइम्स की संख्या कम नजर आती है, वह बढ़ी नजर नहीं आती है और उस हालत में नजर आती है जब हर साल दिल्ली में कम से कम 5 से 7 लाख लोगों की वृद्धि होती है। माननीय सदस्य ने वीआईपीज सुरक्षा की बात कही, जो जरूरी है। वह भी उसका एक अंग है। अगर वह नहीं करें तो यहां आतंक बढ़ाने वालों को मौका मिल सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान डालने की इस आदत को छोड़ दें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: वे कुछ वीआईपीज के खिलाफ काम करके आतंक और टैरर बढ़ा सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को हो रही समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और दिल्ली में कानून व्यवस्था से संबंधित है, आम सुरक्षा से नहीं।

श्री शिवराज वि. पाटील: सरकार ने इस संबंध में कुछ सूचना एकत्रित की है। गांवों में रह रहे वृद्ध लोगों की सहायता ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के माध्यम से की जाती है। आवासों का निर्माण अथवा उनकी स्थापना की जाती है जिनमें वृद्ध लोगों को आश्रय एवं सहायता दी जाती है। ऐसे गैर-सरकारी संगठन भी हैं जिन्हें भारत सरकार से इतना धन दिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों की सहायता करने हेतु उनके व्यय का 90 प्रतिशत खर्च का वहन भारत सरकार करती है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे प्रसन्नता है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा किसी भी कीमत पर करनी है।

[हिन्दी]

यह प्रश्न देखकर मुझे बात याद आती है, जब पेरेंटस अपने बच्चों से जुदा होते हैं या अलग होते हैं तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है। हमारा, प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का फर्ज बनता है कि हर सीनियर सिटिजन को और हर पेटेंट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

लगातार ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है।

[हिन्दी]

चाहे डकैती हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो या लूट हो। मैं इस संबंध में पूछना चाहती हूं कि अब तक जितने ऐसे केस रजिस्टर हुए हैं, उनमें कितने कल्प्रिट्स को अरैस्ट किया गया है और कितने केसिस में कन्विक्ट किया गया है?

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारे देश में पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, जिसकी वजह से उम्र में बड़े जो लोग हैं, उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कम होता जा रहा है। यहां पर जिन आंकड़ों के बारे में आपने पूछा है, वे पूरे आंकड़े लिखित रूप में मेरे पास हैं। मैं सारे आंकड़े लिखित रूप में माननीय सदस्य को दे दूंगा कि कितने केसिस दाखिल हुए, कितने केसिस पेंडिंग हैं और कितने केसिस का नतीजा आ गया है।

[अनुवाद]

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

***284. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'मिड-डे-मील प्रोग्राम', सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आदि के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि 26 अगस्त, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की कठिनाइयों के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट अगस्त, 2005 में संसद में प्रस्तुत परिणामी बजट, 2005-06 से संबंधित है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन की योजनाओं के संबंध में उल्लिखित कतिपय जोखिम घटक स्वयं केंद्र सरकार द्वारा अभिचिन्हित किए गए हैं।

(ङ) इन दोनों कार्यक्रमों का गहन मानीटरन किया जाता है, ताकि कठिनाइयों और जोखिम के घटकों को कम किया जा सके।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, सर्व शिक्षा अभियान योजना को सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का अभियान के माध्यम से अनुसरण करने हेतु वर्ष 1998 में राज्य के शिक्षा मंत्रियों की सिफारिशों से विकसित किया गया था। सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001 में इस लक्ष्य से आरंभ की गई थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन किया जाना चाहिए जिससे कि वे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर सकें। परन्तु इस योजना पर करोड़ों रुपए व्यय करने के बावजूद उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी दूर हैं।

आज तक, यह योजना केवल सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक और प्राथमिक विद्यालयों पर ही लागू है। इसके परिणामस्वरूप, निजी संस्थाओं द्वारा संचालित माध्यमिक स्तर के विद्यालय शैक्षणिक मानकों में सुधार संबंधी अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए, इस योजना का विस्तार माध्यमिक स्तर यानि 8वीं से दसवीं कक्षा तक और उन सभी निजी विद्यालयों तक किए जाने

की आवश्यकता है जिन्हें सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, परन्तु मान्यता प्राप्त हैं। इन्हें इस योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। इस योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में कमियां हैं। सरकार मानक वास्तु शास्त्रीय अभिकल्प के अनुसार इस योजना के अंतर्गत विद्यालय भवनों हेतु धन उपलब्ध करा रही है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को यह सब ज्ञात होना अपेक्षित है। इसलिए अपना प्रश्न पूछें।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय एस एस ए योजना को माध्यमिक स्तर तक विस्तार करने पर विचार करेगी और क्या अन्य कार्यों, यथा विद्यालय भवनों के लिए धन दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भौगोलिक स्थितियों के अनुसार विद्यालय भवनों का वास्तुशास्त्रीय अभिकल्प बदलने हेतु अनुमति एवं धन दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर्व शिक्षा अभियान को बनाया जा रहा है, यह पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक छः से चौदह साल के बच्चों के लिए है। अभी तक इसकी लिमिटेशन यहीं तक है। जहां तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मदद न लेकर एन.जी.ओ. की मदद एस.एस.ए. को कामयाब करने के लिए हम लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित है। मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ वर्ष 1995 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देने और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषाहार स्तर में सुधार करने के लक्ष्य से की गई थी। परन्तु, यह योजना बच्चों के पोषाहार स्तरों में सुधार करने के बजाय बच्चों की मौत का कारण बन गई है।

आज, हमें विद्यालयों में बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की घटिया गुणवत्ता के बारे में कई शिकायतें मिल रही हैं। इस योजना के अंतर्गत बच्चे भोजन करने के पश्चात् बीमार हो रहे हैं। विद्यालय अथवा खाद्यान्नों के आपूर्तिकर्त्ता घटिया किस्म का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन के उद्देश्यार्थ खाद्यान्नों की चोरी के अलावा कई पक्षों ने यह पाया है कि आपूर्तिकर्त्ता विद्यालयों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने की बजाय बीच में ही बेच देते हैं। कुछ मामलों में विद्यालयों के शिक्षकों को भी चोरी में संलिप्त पाया गया है। विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु समुचित कदम उठाएंगे?

...(व्यवधान)

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: फिर यह आपका प्रश्न नहीं बल्कि आपका वक्तव्य है। अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह निश्चित ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: इस तथ्य के बावजूद कि करदाताओं को शिक्षा संबंधी उपकर का भुगतान करना होता है- मुझे यह कहते हुए कोई खेद नहीं है कि हम उपकर का भुगतान करते हैं और सरकार इसको बर्बाद करती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपका प्रश्न है?

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास आपूर्ति खाद्यान्नों की गुणवत्ता एवं चोरी पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक निगरानी अथवा पर्यवेक्षण प्रणाली गठित करने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैं आपकी ओर से प्रश्न पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्ष 2004 में सात ऐसे मामले हमारे नोटिस में आये जबकि वर्ष 2005 में अब तक ऐसे तीन मामले आये हैं। इन मामलों पर कार्यवाही होती है। इसके लिये मौनिटरिंग कमेटी बनी हुई हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस योजना की समुचित निगरानी की जाए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जी हां, महोदय। हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसुल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हाल में हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में कतिपय जोखिम में अंतर्ग्रस्त कारकों से जोकि प्राथमिक विद्यालय में 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के नामांकन हेतु लक्षित है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम शिक्षा पंजिका को समुचित ढंग से अद्यतन करने की समस्याओं के कारण बाधित हो सकता है। महोदय, शिक्षकों के पदों हेतु रिक्तियों को भरने के साथ-साथ अनुपस्थित रहने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु वह क्या कदम उठा रहे हैं, जो सचमुच ही गरीबों, ग्रामीणों और जनजातीय बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह रिस्क फैक्टर फाइनैंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है बल्कि हम लोगों ने खुद रिस्क फैक्टर रखे है। इसे हम लोगों को किस तरह से दुरूस्त करना है, उसके अंदर ऐसी सात-आठ चीजें हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि विलेज एजुकेशन रजिस्टर होना चाहिये, टीचर्स की वैकेंसीज बहुत से राज्यों में पूरी नहीं हो रही हैं, टीचर्स स्कूलों से एबसैंट रहते हैं, अनएजुकेटिड अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का मामला है, चाइल्ड लेबर का मामला है, इसके अलावा जो टाइम ओवररन, स्टेट रिलीजिंग इट्स शेयर का मामला है, इसके अलावा कोर्ट केसेज भी हैं-इन सब वजहों से जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके लिये जो कदम उठाने हैं, उन्हें हमने इसके अंदर इंगित किया है। उस पर पूरी कार्यवाही हो रही है, आगे भी काम हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे केवल 25 नाम प्राप्त हुए हैं। मैं आज केवल 3 महिला सदस्यों को अनुमति दूंगा और यदि आप चाहते हैं तो आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, जो हमारा 'मिड-डे-मिल प्रोग्राम' चल रहा है, खासकर बिहार में कोसी प्रमंडल में यह कार्यक्रम हम पिछले डेढ़ साल से चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम लोग बहुत सी जगहों पर चावल की आपूर्ति करते हैं, साथ में खिचड़ी में पड़ने वाली जो सब्जियां या दालें है, यहां तक कि इस कार्य के लिये जो जलावन दिया जाता है, इन सब की पिछले छः महीने से आपूर्ति नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, चावल की आपूर्ति भी हर महीने नहीं हो रही है। फलस्वरूप यह स्कीम चल नहीं पा रही है। यदि कहीं चावल की आपूर्ति होती भी है तो वह घटिया किस्म की है जिससे बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका है। मैं चाहूंगी कि बिहार और विशेषकर कोसी प्रमंडल में जो धांधली चल रही है, क्या सरकार उसकी जांच करायेगी? मेरी माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इस मामले की जांच जरूर करायें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: भारत सरकार का कुकिंग या दूसरी चीजों का जो शेयर है, उसे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन स्टेट को उसे किस तरह से इम्पलीमैन्ट करना है, किस तरह से चलाना है, यह उनकी जिम्मेदारी है। जहां तक इन्होंने कोसी परिमंडल की जो बात कही है, उसे हम लोग दिखवा लेंगे। यदि उसमें कोई कठिनाई है और हम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे निश्चित रूप से करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप को यह मामला विभिन्न राज्य सरकारों के समक्ष उठाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण योजना को समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जाए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: ठीक है, महोदय।

श्रीमती पी. सतीदेवी: सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समुचित प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। अधिकतर राज्यों में, योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय निकायों को कोई भूमिका नहीं दी गई है। मेरे राज्य केरल में, जिला पंचायत क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्रालय इन योजनाओं के क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में स्थानीय निकायों एवं स्थानीय पंचायतों को रखते हुए इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समान प्रक्रिया हेतु कोई कदम उठाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, मिड डे मील के लिए आलरेडी स्कूल में कमेटी बनी हुई है। उसमें लोकल बाडीज, यानी पंचायत के प्रमुख होते हैं, टीचर्स होते हैं और गांव के लोग भी उसमें होते हैं। इन सबको मिला-जुलाकर जो समिति बनती है,

उसके जरिये उसे चलाया जाता है। यदि केरल में कोई खास मुश्किल है तो उसे हम दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुश्किल नहीं हैं, वह फालो करने के लिए बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हर स्टेट में अलग-अलग तरीके से यह स्कीम इम्पलीमैन्ट हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: परन्तु मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इस बात पर सहमत है कि इस महत्वपूर्ण योजना का समुचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** धन्यवाद, महोदय, इस योजना को गांवों में विद्यालयों में गरीब छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि भोजन घटिया स्तर का होता है। भोजन पर फफूंदी लगी होती है। इस संबंध में काफी शिकायतें मिली हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसे घटिया और फफूंदी लगे भोजन को गरीब बच्चों को दिए जाने के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। महोदय, मैं मांग करती हूं कि इस मामले पर इस सभा में एक घंटे की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। सभी राज्यों के सामने यह आम समस्या आ रही है। उन्हें मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए कहा जाता है। हमें ऐसी बातों को समाप्त करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या इस नीति में कोई परिवर्तन किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: दूसरा भाग मेरे लिए है। और पहले भाग का संबंध माननीय मंत्री जी से है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: पंजाबी में कुछ बात समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन जितनी भी समझ में आई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका अन्ततः विश्लेषण उचित कार्यान्वयन है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जहां तक मैंने बताया है कि वर्ष 2004 में सात जगहों से शिकायतें आई थीं और उन पर कार्रवाई की गई। वर्ष 2005 में तीन जगहों से खराब खाने की शिकायतें आई हैं और उन पर एक्शन लिया गया है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत ही अनुशासित सदस्य है। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा हेतु नोटिस आमंत्रित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जहां कहीं से भी खराब खाने की शिकायतें आती हैं, हम लोग उस पर प्रौपर एक्शन लेते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को खाना सही, अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का मिले। आप जानते हैं कि एक दिन में 13 करोड़ बच्चों को खाना तैयार करके दिया जाता है। इसमें कहीं पर कुछ शिकायत जरूर हो सकती है, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि बच्चों को प्रौपर मिड डे मील मिले और उसमें शिकायत का कोई अवसर न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी आपको महसूस होना चाहिए कि पूरी सभा में यह भावना है कि इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

इसलिए, मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

एकीकृत बाल विकास योजना की समीक्षा

***285. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस योजना की समय-समय पर समीक्षा करती है;

(ग) यदि हां, तो पिछली तीन समीक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना की समीक्षा करने पर सरकार के ध्यान में योजना के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता आई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन की गति पर 'यूनिसेफ' की टिप्पणी के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (छ) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के क्रियान्वयन में प्रचालित परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लाभार्थियों की संख्या दोनों ही दृष्टियों से काफी प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट है:

	प्रचालित परियोजनाओं की संख्या	प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या	शाला-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या
31.3.2003	4903	600391	387.84 लाख	188.02 लाख
31.3.2004	5267	649307	415.08 लाख	204.38 लाख
31.3.2005	5422	706872	484.42 लाख	218.41 लाख
31.7.2005	5632	741038	494.80 लाख	230.87 लाख

(ख) और (ग) समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और स्कीम की कार्यकुशलता में सुधार के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। हाल ही में, सरकार ने 456 नई परियोजनाओं तथा 1.88 लाख आगंनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत करने, पूरक पोषण के वित्तीय मानकों में वृद्धि करने तथा इसकी लागत में हिस्सेदारी करने, पूरक पोषण के पात्र लाभार्थियों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के अतिरिक्त अन्य परिवारों को भी शामिल करने जैसे बड़े निर्णय लिए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ भी इस स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। जुलाई, सितंबर तथा दिसंबर, 2005 में आयोजित की गई पिछली तीन समीक्षा बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें गुणवत्ता, सभी लंबित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रचालन, पूरक पोषण सहायता में सुधार सहित समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को सर्वसुलभ बनाना; तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना; स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, मानीटरन, मूल्यांकन तंत्र से संबंधित अन्य सरकारी स्कीमों के साथ संकेन्द्रण आदि शामिल थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यूनीसेफ की ऐसी किसी टिप्पणी की सरकार को जानकारी नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: अध्यक्ष महोदय, देश का भविष्य बनाने वाले लगभग एक करोड़ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर पर काबू पाने वाली योजनाओं पर सौ रुपये में से केवल 3.17 रुपये खर्च होते हैं। यूनिसैफ ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर कड़ी आपत्ति की है। इन योजनाओं के असफल होने के कारण हम बाल मजदूरी को रोकने में असफल हुए हैं, जिससे आवारा बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इन योजनाओं की असफलता का कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। जो रुपया सरकार देती है और जो काम होता है उसकी वास्तविकता में बहुत अंतर है। इसके लिए बच्चों के कल्याण संबंधी जो नकारात्मक तस्वीर सामने है, उसके लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समेकित बाल विकास योजनाओं की असफलता के लिए किसी अधिकारी को आज तक जिम्मेदार ठहराया है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह: जो समेकित बाल विकास परियोजना चल रही है, पूरे देश में उसके 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार से संचालित योजना के अंतर्गत चलते हैं। इसके कंपोनैन्ट हैं-पूरक पोषाहार, जिसमें हम सप्लीमैंट्री न्यूट्रीशन देते हैं, प्रतिरक्षण देते हैं; स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा देते हैं। मैं समझती हूं कि पूरे देश में ऐसे 5652 प्रोजैक्ट चल रहे हैं और 7.41 लाख केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इसमें और सुधार लाने के लिए हम पापुलेशन के आधार पर अतिरिक्त प्रोजैक्ट बढ़ाने जा रहे हैं। जहां तक किसी को सजा देने का सवाल है, अभी तक कहीं से इस तरह का कोई आरोप सामने नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि यूनिसैफ की ओर से इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है।

श्री जीवाभाई ए. पटेल: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि केन्द्र में यूपीए सरकार के गठन के बाद समेकित बाल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कितने सांसदों ने शिकायत की है, उन शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है एवं सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

श्रीमती कान्ति सिंह: कहीं से भी सांसदों ने इस तरह की शिकायत नहीं की है।

एक माननीय सदस्य: बहुत सी शिकायतें की गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। अगर कोई शिकायत है तो उसकी एक प्रति मंत्री जी को भेज दें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल-उपस्थित नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, आईसीडीएस में जो कार्यकर्त्री, सहायक या आया होती हैं, उनको इतना कम मानदेय आप देते हैं कि वे ज्यादातर बच्चों को मिलने वाले पुष्टाहार को बेच देती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चाहे वे कार्यकर्त्री हों, सहायक हों या आया हों, क्या उनको तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मानने और उनके बराबर वेतन देने का कोई प्रावधान आप करेंगे ताकि इसमें फैला भ्रष्टाचार दूर हो सके और उनको भी सम्मान मिल सके।

श्रीमती कान्ति सिंह: जिन आंगनवाड़ी सहायक और सहायिकाओं को काम पर लगाया जाता है, हम उन्हें मानदेय देते हैं और मानदेय में पहले की बनिस्बत हमने बढ़ोत्तरी भी की है। पहले 250 रुपये और 500 रुपये देते थे, अब हमने इसमें 500 और 1000 रुपये तक वृद्धि की है। साथ ही उनके लिए हम लोगों ने एक बीमा योजना भी लागू की है। उसमें साल में 100 रुपये सरकार की तरफ से तथा 80 रुपये आंगनवाड़ी सहायक की तरफ से दिये जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग सरकारी कार्य करते हैं, उनको हम उसी हिसाब से छुट्टियां भी देते हैं और मैटर्निटी लीव भी देते हैं।

इसके साथ ही आंगनबाड़ी में जो सेविकाएं और सहायिका आदि कार्य करते हैं, हर राज्य में अच्छे कार्य के लिए हम उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। पच्चीस हजार रुपए सहायिकाओं और सेविकाओं को देते हैं। राज्यों में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार के रूप में पहले जो ढाई हजार रुपए की राशि देते थे, उसे बढ़ा कर पांच हजार रुपए कर दिया गया है। मैं मानती हूं कि उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, सिर्फ चार घंटे का काम ही नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें सही तरीके से मानदेय दें और अधिक अधिकार देने का काम किया जा सके। *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। श्री हरिभाऊ राठौड़।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिभाऊ राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मुंबई में 10 हजार बच्चे मछली छीलने का काम करते हैं। इस संबंध में सरकार के अनेक कानून होने के बावजूद, इसे रोकने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार उनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है। हालत यहां तक खराब है कि जो बच्चे पेट में हैं, उन्हें जन्म से पहले ही बेचा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी?

श्रीमती कान्ति सिंह: महोदय, यह स्कीम बीपीएल फैमिलीज के लोगों के लिए शुरू की गई है, जिसमें जन्म से लेकर छह साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाएं तथा ग्यारह से अट्ठारह वर्ष तक की बच्चियां शामिल हैं। इन तमाम लोगों को समेकित बाल विकास योजना में शामिल किया गया है। इसमें ज्यादा सुधार लाने के लिए और ज्यादा आंगनवाड़ी खोलने की योजना है। चूंकि वर्ष 2001 की तुलना में हमारी आबादी बढ़ी है, इस आधार पर दसवें प्लान में हमने करीब 467 आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट लिए हैं तथा 1.88 लाख अतिरिक्त केंद्र हम खोलने जा रहे हैं।

इसमें दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि जो पहले हम पूरक पोषाहार के लिए एक रुपए की राशि देते थे, उसे बढ़ा कर दो रुपए कर दिया है। जो कुपोषित बच्चे और महिलाएं हैं, उन्हें जस्ट डबल दिया जाता है। उसके लिए जो सप्लिमेंटरी न्यूट्रीशन प्रोग्राम चलता है, वह राज्य सरकारों को दायित्व है, लेकिन जिन राज्य सरकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए हमने योजना आयोग के द्वारा 50 परसेंट भारत सरकार की ओर से सप्लिमेंटरी न्यूट्रीशन के लिए प्रवाहित की है - जितना राज्यों ने सप्लिमेंटरी न्यूट्रीशन के लिए खर्च किया है। एक अप्रैल से उसे देने का काम किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सेठ: अध्यक्ष महोदय, इस समय एक हजार की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र है। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि अधिक से अधिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और इस योजना में नगरपालिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इस योजना में नगरपालिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: महोदय, हमने पहले भी बताया है कि पापूलेशन नार्म्स के आधार पर हमने एक कोर कमेटी बना कर विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा विचार-विमर्श किया है। पापूलेशन के आधार पर पहले एक हजार की आबादी पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते थे, उसकी जगह अब पांच सौ से पन्द्रह सौ तक की आबादी पर आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। ग्रामीण इलाकों और अनुसूचित जाति और जनजाति इलाकों में सात सौ की आबादी पर आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा रहा है। हमने डेढ़ सौ से तीन सौ की आबादी पर एक मिनी आंगनवाड़ी खोलने की व्यवस्था की है। हर राज्य से हमने कहा है कि अगर आंगनबाड़ी खोलने की और जरूरत है, तो जनसंख्या नार्मस के आधार पर जितनी वे डिमांड करेंगे, उतनी आंगनबाड़ी खोलने की व्यवस्था करेंगे।

महोदय, इसीलिए मैंने कहा कि हम पूरे देश में 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र खोल रहे हैं और संबंधित राज्यों को इस बारे में स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, वह भारत सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से हर वर्ष कुपोषण के कारण बालकों की मृत्यु की शिकायतें आती हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट मुम्बई में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने उस पर अपना निर्णय देते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि जहां ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया जाए और वहां के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे तुरन्त पूरा किया जाए- मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है। महाराष्ट्र की तरह ही देश के अन्य ट्राइबल क्षेत्रों में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण के अधिक मामले सुनने में आते हैं और वहां गरीब तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और उनके बच्चों की कुपोषण के कारण मौत होने के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि उसे रोकने के लिए क्या वहां कोई विशेष आंगनवाड़ी कार्यक्रम प्रारम्भ करने का सरकार इरादा रखती है या नहीं?

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि पिछली बार मैं और माननीय मंत्री, श्री अर्जुन सिंह जी महाराष्ट्र गए थे और हमने राज्य सरकार से इस बारे में बात की है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि केन्द्र के इस कार्यक्रम के साथ-साथ अनेक राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी न्यूट्रीशन प्रोग्राम एड कर रही हैं। हम लोग पूरी कोशिश करके, जो हिली एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं या छोटे-छोटे कस्बे हैं, उन तक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि जहां आबादी 150 से भी कम है और ऐसे एरियाज हैं जिनकी इन्फर्मेशन आपके पास है और जहां आप यह कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, उनसे आप हमें अवगत कराएं। उस पर विचार-विमर्श करके उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ने का हम काम करेंगे।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष जी, आई.सी.डी.एस. योजना हमारे देश में चल रही है, लेकिन हमारे देश में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या भी बहुत बड़ी है और स्लम में रहने वाले बच्चों की हालत भी बहुत खराब है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वे स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए भी कोई विशेष आई.सी.डी.एस. योजना चलाने का विचार रखती हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न अनाथ और मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में स्लम में रहने वाले बच्चों को भी इन्क्लूड किया गया है क्योंकि मैक्सीमम बच्चे वहीं हैं, जो वंचित हैं और जिनको सहायता की जरूरत है। उसमें ऐसी महिलाएं भी हैं जो प्रिगनेंट और कुपोषण की शिकार हैं। वहीं ऐसी किशोर अवस्था की लड़कियां भी हैं जो कुपोषण की शिकार हैं। इसमें हमने बी.पी.एल. फेमिलीज को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को, स्लम में रहने वाले चिल्ड्रन, सभी को शामिल किया है और इस हेतु हमने अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र भी खोले हैं।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार काफी मात्रा में इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि आबंटित कर रही है और उनका विचार है कि अधिक से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र खुलें, लेकिन सच्चाई यह है कि सरजमीं पर आंगनवाड़ी केन्द्र काम नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं जिस प्रदेश, बिहार से आता हूं, वहां की यह स्थिति है और मैं समझता हूं कि आमतौर पर पूरे देश की स्थिति यही होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने स्तर पर इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को जारी की जा रही धनराशि की निगरानी करने की व्यवस्था करेंगी ताकि जो धनराशि केन्द्र सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्गत की जा रही है उससे उन बच्चों को, उन माताओं को सही ढंग से सहायता पहुंच सके और उनकी सेवा हो सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने हेतु समय दें।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम की निगरानी की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और यहां तक कि ब्लाक स्तर पर भी है, ताकि इसकी ठीक प्रकार से मानिटरिंग की जा सके। विशेष रूप से हम लोगों की चिन्ता बनी हुई है कि किस प्रकार से इसका इम्पलीमेंटेशन कराया जाए। चूंकि राज्य सरकारों के माध्यम से इसका इम्पलीमेंटेशन होता है, इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से जिस तरह की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, उसी के आधार पर समय-समय पर हम समीक्षा करते हैं, इवैल्यूएशन एवं मानिटरिंग भी कराते हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा

***286. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले में कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कतिपय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बाधाओं को हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एफ.डी.आई. नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्तमान नीति के तहत, अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100% तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। जिन क्षेत्रों पर एफ.डी.आई. इक्विटी की सीमाएं लागू होती हैं अथवा जिनमें एफ.डी.आई. वर्जित है उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ग) से (च) पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सरकार भारत में एफ.डी.आई. की प्रक्रियाओं को और सरल बना रही है और कुछ नीतिगत उपायों का पुन: अवलोकन कर रही है।

विवरण

I. विभिन्न क्षेत्रों/कार्यकलापों में एफडीआई इक्विटी की सीमाएं

क. प्रिंट मीडिया

1. समाचार तथा वर्तमान मामले से संबंधित समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन-26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी

ख. प्रसारण

2. एफ एम प्रसारण - 20 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी
3. अप-लिंकिंग, एच यू बी (हब), आदि जैसे हार्डवेयर सुविधाओं की स्थापना - 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी
4. केबल नैटवर्क - 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी
5. डायरेक्ट टू होम ब्रोडकास्टिंग - 40 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी। एफडीआई 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।
6. उपग्रहों की स्थापना और संचालन - 74 प्रतिशत तक एफडीआई।

ग. दूरसंचार

7. बेसिक तथा सैलुलरसेवाएं - 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी
8. गेटवेज, रेडियो-पेजिंग-एंड-टू-एंड बैंडविथ के साथ इन्टरनैट सर्विस प्रोवाइडर - 74 प्रतिशत तक एफ डी आई

घ. वित्तीय सेवाएं

9. बीमा - 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी
10. निजी क्षेत्र के बैंक - 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी

ङ. रक्षा क्षेत्र

11. रक्षा उद्योग - 26 प्रतिशत तक एफडीआई

च. एयरलाइंस

12. घरेलू एयरलाइंस - 49 प्रतिशत तक एफडीआई। अनिवासी भारतीयों को 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है। विदेशी एयरलाइंस को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने की अनुमति नहीं है।

छ. परमाणु खनिज

13. परमाणु खनिज - 74 प्रतिशत तक एफडीआई।

ज. खनन

14. विद्युत परियोजनाओं से भिन्न कैप्टिव उपभोग हेतु कोयले तथा लिग्नाइट का अन्वेषण तथा खनन - 74 प्रतिशत तक एफडीआई।
15. हीरों तथा कीमती पत्थरों का खनन - 74 प्रतिशत तक एफडीआई

II. एफडीआई के लिए वर्जित क्षेत्र

1. खुदरा व्यापार
2. परमाणु ऊर्जा
3. लाटरी व्यवसाय
4. जुएबाजी और शर्तबाजी क्षेत्र
5. एकीकृत शहरों के विकास को छोड़कर आवास और स्थावर सम्पदा व्यवसाय।
6. कृषि (पुष्पकृषि बागवानी, बीजों के विकास, पशु-पालन, नियंत्रित स्थितियों में पिसीकल्चर तथा सब्जियों, मशरूम आदि की खेती और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं) और बागान (चाय बागान छोड़कर)।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संक्षिप्त और सटीक बोलिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, जिस क्षेत्र में अभाव है वहां नि:सन्देह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है लेकिन बी.एस.एन.एल. और बुनियादी टेलीफोनों में जहां भारी लाभ हो रहा है वहां भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने के दर्शन के कारण हो रहा है या आप महसूस करते हैं कि ऐसी कोई आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: यह काफी है। उनके पास उत्तर देने का समय नहीं है।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): जहां तक दर्शन का संबंध है मैं प्रश्न काल के दौरान इस दर्शन पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। लोक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता उच्च विकास,

उन्नत प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए होती है। इसकी आवश्यकता सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

***287. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्रत्येक राज्य में बनाए गए मकानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के कार्यान्वयन की प्रगति का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को योजना में संशोधन करने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से *मानीटरिंग* की जाती रही है।

योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण शुरू करने में विलंब के मुख्यतया ये कारण हैं- (1) उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना; (2) निर्धारित भूमि न्यायाधीन होना; (3) लाभार्थियों में परिवर्तन होना।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकार को सुझाव दिए हैं। ''समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक नई योजना, जिसमें वाम्बे तथा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) का विलय किया गया है, तैयार करते समय राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर यथोचित विचार किया गया है। कुछ मुख्य संशोधन, जिन पर विचार करके नई आई एच एस डी पी योजना में शामिल किया गया है, इस प्रकार हैं:-

1. स्लम क्षेत्रों में शहरी निर्धनों के लिए आवास तथा बुनियादी सेवाओं का समन्वित विकास
2. प्रति रिहायशी इकाई की अधिकतम लागत में वृद्धि
3. प्रति रिहायशी इकाई के न्यूनतम फर्शी क्षेत्र में वृद्धि
4. न्यूनतम लाभार्थी अंशदान
5. केन्द्रीय सब्सिडी में वृद्धि
6. विशेष श्रेणी राज्यों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी में अतिरिक्त वृद्धि
7. शहरी स्लम आबादी के सभी वर्गों को योजना के दायरे में शामिल करना।

विवरण

वाम्बे के कार्यान्वयन की स्थिति के ब्यौरों का राज्यवार विवरण (2001-02 से 2005-06 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02 से 2005-06 तक लक्षित रिहायशी इकाईयां	2001-02 से 2005-06 तक शामिल रिहायशी इकाईयां	वास्तविक प्रगति (31.10.2005 की स्थिति के अनुसार) रिहायशी इकाईयां		
				पूर्ण	प्रगति में	अभी आरम्भ की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	39783	72441	42079	19043	11319
2.	अंडमान एवं निकोबार	338	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	5542	80	0	0	80
4.	असम	8414	0	0	0	0
5.	बिहार	17577	50	0	0	50
6.	चंडीगढ़	1410	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	4991	5545	4360	0	1185
8.	दादर एवं नगर हवेली	26	0	0	0	0
9.	दमन एवं दीव	91	0	0	0	0
10.	दिल्ली	21532	167	167	0	0
11.	गोवा	7555	0	0	0	0
12.	गुजरात	22737	20562	20294	0	268
13.	हरियाणा	6656	3263	0	0	3263
14.	हिमाचल प्रदेश	1067	0	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	5146	1389	373	326	690
16.	झारखंड	5859	6986	0	0	6986
17.	कर्नाटक	11745	29252	25824	117	3311
18.	केरल	10879	25921	17372	1451	7098
19.	लक्षद्वीप	23	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	13493	7026	2941	525	2560
21.	महाराष्ट्र	70992	74302	34626	11442	28234
22.	मणिपुर	1634	888	888	0	0
23.	मेघालय	1676	0	0	0	0
24.	मिजोरम	1669	0	0	0	0
25.	नागालैंड	880	926	806	120	0
26.	उड़ीसा	7410	620	276	266	78
27.	पांडिचेरी	1407	1196	822	374	0
28.	पंजाब	12521	0	0	0	0
29.	राजस्थान	21589	7767	3700	1300	2767
30.	सिक्किम	178	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	28818	97522	54714	24341	18467

1	2	3	4	5	6	7
32.	त्रिपुरा	1290	1665	1179	486	0
33.	उत्तर प्रदेश	48430	24926	8116	3078	13732
34.	उत्तरांचल	2549	1979	464	401	1114
35.	पश्चिम बंगाल	43495	8586	2943	2922	2721
	कुल	417602	393059	221944	66192	104923

व्यावसायिक संस्थाओं में आरक्षण

***288. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति का देश के सभी व्यावसायिक, शैक्षिक संस्थाओं में कड़ाई से लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के सामने ऐसी कोई घटना आई है जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार आई आई टी, आई आई एम, आई आई एफ आदि जैसी व्यावसायिक/शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आरक्षण देने का है जैसा कि दिनांक 17 नवम्बर, 2005 के 'द टाइम्प आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा इन संस्थाओं में पढ़ रहे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है/प्रदान किए जाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (छ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 7.5 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की नीति कार्यान्वित की जा रही है। इन संस्थाओं में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि भी शामिल हैं। राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में आरक्षण की प्रतिशतता राज्य सरकार की नीति के अनुसार भिन्न-भिन्न है। पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12.8.2005 के निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि राज्य किसी भी अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था पर न तो अपनी आरक्षण नीति थोप सकता है और न ही दाखिले में ऐसा कोई कोटा अथवा प्रतिशतता निर्धारित कर सकता है जो राज्य द्वारा भरा जाएगा। केन्द्र सरकार इस संबंध में एक नीति तैयार कर रही है।

इस समय सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों आदि में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों हेतु आरक्षण पर विचार नहीं कर रही है।

केन्द्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी व्यक्ति को निर्धन होने के कारण, व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 'योग्यता एवं साधन' आधार पर अपने छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थानों में वे सभी छात्र, जिनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय 2 लाख रु. या इससे कम है, पूर्ण फीस माफी के पात्र हैं।

[हिन्दी]

रबड़ की सड़कें

***289. श्री रामदास आठवले:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रबड़ की सड़कें बनाने से पहले कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रबड़ की सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(च) क्या रबड़ की सड़कों के निर्माण का उद्देश्य पूरा प्राप्त हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (छ) रबड़ की सड़क के तौर पर सड़कों का कोई वर्गीकरण नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा रबड़ शोधित बिटुमन का प्रयोग करके सड़कों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए इलाहाबाद के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर कुछ परीक्षण खंड डालकर सन् 1993 में एक अध्ययन प्रायोजित किया गया था। तत्पश्चात्, इंडियन रोड कांग्रेस ने 1999 में एक विशेष प्रकाशन आई आर सी : एस पी : 53 निकाला था जिसे सन् 2002 में संशोधित किया गया और अब इसे 'सड़क निर्माण में पालीमर और रबड़ शोधित बिटुमन के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश' शीर्षक दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार शोधित बिटुमन के उपयोग से परंपरागत बिटुमन की तुलना में वियरिंग कोर्स की मियाद बढ़ती है और शोधित बिटुमन से सतह बनाने की स्थिति में अगले नवीकरण की समयावधि बढ़ सकती है। प्राप्त फीडबैक के अनुसार शोधित बिटुमन से बने वियरिंग कोर्स का निष्पादन संतोषजनक से अच्छा है किंतु परंपरागत बिटुमन से बने वियरिंग कोर्स के मुकाबले में इसकी मियाद में वृद्धि के आकलन के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वियरिंग कोर्स में शोधित बिटुमन का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अलग से कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। बिटुमन की लागत परियोजना की संपूर्ण लागत में शामिल होती है। इसलिए अतिरिक्त, परंपरागत बिटुमन में शोधक के तौर पर रबड़ की मात्रा से सड़क निर्माण की संपूर्ण लागत में केवल मामूली वृद्धि होती है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

***290. श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह माह के दौरान पाकिस्तान को किए गए चीनी के निर्यात सहित पाकिस्तान के साथ किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या भारत-पाक सीमा खोले जाने के फलस्वरूप पाकिस्तान के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पाकिस्तान को निर्यात में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) द्विपक्षीय व्यापार के अनंतिम आंकड़े इस वर्ष के दौरान अगस्त, 2005 तक उपलब्ध हैं जिनके अनुसार अप्रैल-अगस्त, 2005 की अवधि के दौरान भारत से पाकिस्तान को किया गया कुल निर्यात वर्ष 2004 की इसी अवधि के दौरान किए गए 210.17 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 240.55 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा है, जिसमें 14.45% वृद्धि हुई है। अप्रैल-अगस्त, 2005 के दौरान पाकिस्तान से आयात, वर्ष 2004 की इसी अवधि के दौरान हुए 29.95 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 58.05 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ है, जिसमें 93.83% की वृद्धि हुई है।

अप्रैल-अगस्त, 2005 के दौरान भारत से पाकिस्तान को निर्यातित दस शीर्षस्थ मदें हैं- (1) रंजक/मध्यवर्ती एवं कोलतार रसायन, (2) पेट्रोलियम, अपरिष्कृत एवं उत्पाद, (3) तेल खाद्य, (4) औषधियां, भेषज एवं परिष्कृत रसायन (5) दालें, (6) फुटवियर को छोड़कर रबड़ विनिर्माण उत्पाद, (7) लौह अयस्क, (8) प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, (9) अपशिष्ट सहित कपास और (10) अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन। चीनी का कोई निर्यात नहीं किया गया था।

इस अवधि के दौरान पाकिस्तान से आयातित दस शीर्षस्थ मदें हैं- (1) दालें, (2) सूती धागा व कपड़ा, (3) काजू को छोड़कर फल एवं गिरी, (4) कार्बनिक रसायन, (5) मानव निर्मित फिलामेन्ट/स्पन यार्न, (6) चमड़ा, (7) अलौह धातुएं, (8) अपरिष्कृत ऊन, (9) मसाले और (10) धातु अस्यक एवं धातु स्क्रैप।

वर्ष 2004-05 तक के निर्यातों एवं आयातों के ब्यौरे विभाग की वेबसाइट "www.commerce.nic.in" पर सूचना प्रसार/निगरानी प्रणाली/निर्यात आयात आंक़ड़ा बैंक "शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) मई 2005 में पाकिस्तान ने अटारी-वाघा भू-मार्ग के जरिए सहित भारत से कुछ शुल्क वस्तुओं अर्थात् आलू, टमाटर, प्याजू और लहसुन शामिल हैं।

अगस्त, 2005 ने चीनी को भारत से आयात योग्य मदों की अपनी सकारात्मक सूची में शामिल किया था और उनसे विश्व भर में स्रोतों से इसके आयात पर उद्ग्रहीत शुल्कों और करों पर भू-मार्ग के जरिए समेत सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों द्वारा भारत से अपरिष्कृत एवं परिष्कृत चीनी का आयात करने की अनुमति प्रदान की थी।

पाकिस्तान के साथ भू-सीमाशुल्क केन्द्र (एलसीएस), अट्टारी रोड के जरिए व्यापार (केवल निर्यात) जुलाई, 2005 से शुरू हुआ है और अब तक चीनी का कोई निर्यात नहीं हुआ है। जुलाई, 2005 से इस एलसीएस के जरिए निर्यातित मदों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वस्तु	मात्रा (मी. टन)	एफओबी मूल्य (लाख रुपए में)
1.	लहसुन	938.70	202.18
2.	आलू	526.500	39.75
3.	पशुधन	489	7.66
4.	अदरक	181.426	25.83
5.	प्रशीतित हलाल मांस	28.500	12.92
6.	चीनी	शून्य	शून्य
	कुल मूल्य		288.34 (0.63 मि. अम. डा.)

(घ) भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्यनीति को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु वाणिज्य सचिव स्तर पर एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) का गठन किया है। जेएसजी की पहली बैठक 22-23 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुई थी और इसमें दोनों देशों के पारस्परिक लाभ हेतु व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के संवर्धन पर विस्तृत विचार किया गया था। जेएसजी ने सीमाशुल्क सहयोग तथा व्यापार सुविधाकरण उपायों एवं गैर टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) से संबंधित दो कार्य/उप समूहों का गठन किया है। उप समूहों के विचारार्थ विषय परस्पर सहमति से निर्धारित किए गए।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) जिस पर सार्क सदस्य देशों (भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) द्वारा 4-6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित बारहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा।

संयुक्त अध्ययन दल तथा साफ्टा के कार्यान्वयन के तहत बातचीत की प्रक्रिया से भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत वित्तीय सहायता

*291. **श्री वी.के. थुम्मर:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा योग्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन शर्तों के उल्लंघन की सरकार को कितनी शिकायतें मिली;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या ऐसी वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु निर्धारित शर्तों को लागू करने के लिए केवीआईसी के पास कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के क्या कारण हैं; और

(च) इस तंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों पर विधिवत ध्यान देते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) और (ग) तथापि, गत तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान आरईजीपी के अधीन अपात्र आवेदकों को मार्जिन राशि सहायता जारी करने के 241 मामले पाए गए हैं। इन मामलों में जारी की गई मार्जिन राशि सहायता वसूल करने के लिए केवीआईसी ने कार्रवाई की है।

(घ) से (च) आरईजीपी के तहत देय सहायता पात्र आवेदकों को ही उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय आवेदकों के प्रस्तावों को ऋण की मंजूरी के लिए बैंकों को भेजने से पूर्व उनकी जांच करते हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी द्वारा दिया जाने वाली वित्तीय (मार्जिन राशि) सहायता संबंधित बैंक की फाइनेन्सिग शाखा में दो वर्षों के लिए प्रत्येक लाभार्थी के नाम से फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रखा जाता है। यह राशि इकाई की स्थापना के सत्यापन के बाद ही लाभार्थी के ऋण खाते में जमा की जाती है।

एन.आई.ओ.एस. की स्थापना

***292. श्री अविनाश राय खन्ना:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) अपने परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनआईओएस ने हाल ही में राज्य शिक्षा बोर्डों और मुक्त विद्यालयों की भागीदारी और उनसे सहायता के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गए;

(ङ) क्या देश में विद्यालयी शिक्षा बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों के बीच मुक्त विद्यालय के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा देश के विभिन्न हिस्सों में एनआईओएस के और अधिक केन्द्र/विद्यालयों की स्थापना के बारे में सम्मेलन में कोई निर्णय लिया गया था;

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में एनआईओएस का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन विद्यार्थियों को नियमित विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते के लिए मुक्त और दूरस्थ अध्ययन पद्धति के माध्यम से विद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस समय 13.27 लाख विद्यार्थी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद के सहयोग से दिनांक 20.10.2005 को मुक्त अध्ययन के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की आम परीक्षाओं के आयोजन में विशेषज्ञता और बुनियादी सुविधा की हिस्सेदारी करके, राज्य बोर्डों द्वारा समग्र शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर और राज्यों में मुक्त अध्ययन के संवर्धन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू करके राज्यों में मुक्त विद्यालय पद्धति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के संबंध में थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

***293. श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री राजेन गोहेन:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योगों को बढ़ावा और उनके उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार लघु उद्योगों (एसएसआई) के उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इनमें लघु उद्योग इकाइयों द्वारा आईएसओ 9000/14001 प्रमाणन की प्राप्ति के लिए 75,000 रु. तक की लागत की प्रतिपूर्ति, अपने उत्पादों की बार-कोडिंग का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं लघु उद्योगों की विपणन विकास सहायता योजनाएं, शामिल हैं। जबकि पहली दो योजनाएं लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, आदि के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता करती हैं, तीसरी योजना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निशुल्क प्रदर्शन स्थल एवं इन मेलों में उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले निर्यातकों की प्रत्यक्ष सहायता करती है। केन्द्र सरकार लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं करती है।

(ग) लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश की सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र

सहित देशभर में कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करके इन प्रयासों को अनुपूरित करती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) दो प्रमुख केन्द्रीय योजनाएं हैं, जिनके तहत पूर्वोत्तर सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु/ग्रामीण उद्योग संवर्धित किए जाते हैं। आरईजीपी एवं पीएमआरवाई इन दोनों योजनाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पात्र उद्यमियों को उच्चतर मार्जिन मनी/सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योगों के लिए एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना के तहत, देश में अन्यत्र ऐसे केन्द्रों के लिए 2 करोड़ रु. की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति आईआईडी केन्द्र को 4 करोड़ रु. का उच्चतर केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

हीरों का निर्यात

***294. डा. वल्लभभाई कथीरिया:**
श्री सीताराम सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से हीरा निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हीरा तराशने और पालिशिंग उद्योग में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में हीरा तराशने और पालिशिंग उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और हीरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से हीरों के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

मि. अम. डालर में

2002-03	2003-04	2004-05
7407.75	8301.08	10361.82

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने हीरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ भारत में हीरा तराशने और पालिश करने के उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गयी है और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क 0% है। हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधी खरीद की संभावना का पता लगाना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। विदेश व्यापार नीति 2004-09 (31 मार्च, 2005 को अद्यतन की गई) के प्रावधानों के अंतर्गत रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के हीरा खण्ड को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

(1) कम से कम तीन वर्ष का पूर्ववृत रखने वाले और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान पांच करोड़ रुपए और उससे अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले रत्न एवं आभूषण निर्यातकों तथा अधिसूचित संस्थानों/प्रयोगशालाओं के भारत स्थित प्राधिकृत कार्यालयों/अभिकरणों को पुन: आयात के समय किसी आयात शुल्क के बिना पुन: आयात हेतु प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए 0.25 कैरेट और उससे अधिक भार के तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

(2) तराशे और पालिश किए गए हीरों के किसी दर्जाधारक निर्यातक जो तराशे एवं पालिश किए गए हीरों के पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन के 5% तक तराशे और पालिश किए गए हीरों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(3) तराशे और पालिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात एवं पुन: निर्यात हेतु विशेष आर्थिक जोन/घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजी सार्वजनिक बांडेड भाण्डागार स्थापित करने की अनुमति है जो 5% के न्यूनतम मूल्यवर्द्धन की प्राप्ति के अधीन हैं।

विदेशों में भारत के तराशे गए और पालिश किए गए हीरों का संवर्धन करने के लिए वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों से सहायता प्राप्त कर प्रतिवर्ष प्रचार अभियान चलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी की जाती है, क्रेता और विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

बांग्लादेश सीमा

***295. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बांग्लादेश सीमा पर लगी बाड़ का विद्युतीकरण करने और वहां पर 'फ्लड लाइट' लगाने का है, जैसाकि दिनांक 16 अगस्त, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु सुरक्षा बलों को अनुदेश जारी करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सेक्टर में 277 कि.मी. के क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें से 117 कि.मी. तेज रोशनी करने का काम पूरा हो गया है और बाकी क्षेत्र में काम चल रहा है।

(ग) से (ङ) सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा देश के कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) गश्त लगाकर (पैदल नाव और वाहनों से), नाकेबंदी कर (सीमा पर घात लगा कर) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ निगरानी चौकियां स्थापित कर सीमा की चौबीसों घंटे चौकसी करना।

(2) सीमा सुरक्षा बल के आसूचना नेटवर्क का उन्नयन करना और सहयोगी आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

(3) रात में देखने वाले यंत्रों सहित आधुनिक चौकसी उपकरणों की शुरूआत करना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बाड़ और सड़कों का निर्माण करना।

कृषि आधारित उद्योग

***296. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि आधारित उद्योगों में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से घरेलू कृषि आधारित उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुरूप कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कृषि आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं। इनमें नेस्ले, पेप्सी, हाईन्ज, केलाग्स, आदि कंपनियां शामिल हैं।

(ग) और (घ) इन कंपनियों के आने से कृषि आधारित उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन एवं आधुनिकीकरण के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती है:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(2) जल आपूर्ति, विद्युत, निस्सारी शोधन संयंत्र, प्रयोगशाला जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए वित्तीय अनुदान।

(3) इकाइयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की योजना।

(4) आयकर अधिनियम के अंतर्गत चुनिन्दा नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत लाभ तक कर की छूट।

(5) संसाधित फलों एवं सब्जी उत्पादों आदि पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की माफी।

इसी प्रकार कृषि आधारित एवं अन्य ग्रामोद्योगों की स्थापना एवं संवर्धन के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती है:-

(1) ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)।

(2) ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचना, सहयोग और सेवाएं प्रदान करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना।

(3) ग्रामोद्योग उत्पादों की सुधारित डिजाइन व पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (प्रोडीप) योजना।

(4) बाजार विकास के उद्देश्य से ग्रामोद्योग इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता।

[अनुवाद]

रूस के साथ व्यापार

***297. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और रूस के बीच वस्तु-वार और मूल्य-वार हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल की अवधि में रूस और भारत के बीच व्यापार में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रूस के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)] कोड से चिह्नित भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2002-03	2307.03	2867.94	6274.97
2003-04	3279.80	4409.64	7689.44
2004-05 (अनंतिम)	2720.12	5755.24	8475.36

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

आईटीसी (एचएस) कोड से चिह्नित भारत और रूस के बीच व्यापार के वस्तु-वार और मूल्य-वार अतिरिक्त ब्यौरे "सूचना प्रसार/निगरानी प्रणाली" शीर्षक एवं "निर्यात-आयात डाटा बैंक" उप शीर्ष के अंतर्गत विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रूस के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं- शिखर बैठकों के जरिए सर्वोच्च स्तर पर बातचीत को बढ़ावा देना, संयुक्त आयोग/कार्यदल/उप-समूह तंत्र के जरिए नियमित समीक्षा, शिष्टमंडलों को भेजने-बुलाने, संयुक्त व्यापार परिषद, प्रदर्शनियों के आयोजन, मेलों में भागीदारी के जरिए प्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा अप्रैल, 2004 से रूस को फोकस सीआईएस कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य सीआईएस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के व्यापार में विकास करना एवं इसे बढ़ाना है, के चल रहे चरण में एक फोकस देश के रूप में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के ब्यौरे "व्यापार संवर्धन कार्यक्रम" शीर्षक के अंतर्गत विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर उपलब्ध हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

***298. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ख) क्या इस संबंध में वास्तविक और वित्तीय अनुवीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो योजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के

अंतर्गत 17 राज्यों को आवंटित, जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) बीएडीपी के अंतर्गत स्कीमों का राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रबोधन और समीक्षा की जाती है। सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, सड़क नेटवर्क में अतिमहत्वपूर्ण अंतर को भरने, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जैसे विभिन्न सैक्टरों तथा ऐसी स्कीमों, जो सामाजिक क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाती है, के अंतर्गत किए गए कार्यों के संबंध में राज्यों द्वारा हासिल की गई वास्तविक भौतिक और वित्तीय उपलब्धि का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें मांगी जाती है।

(घ) और (ङ) यद्यपि, भारत सरकार व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करती है, बीएडीपी के अंतर्गत स्कीमों/कार्यों को निचले स्तर के संस्थानों जैसे पीआरआई/जिला स्तरीय/परिषदों/परम्परागत परिषदों/स्थानीय लोगों/लोकतांत्रिक संस्थानों/स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ परामर्श करके राज्य स्तरीय छानबीन समिति (एसएलएससी) द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है और अनुमोदित किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भी निष्पादित किया जाता है।

विवरण

बीएडीपी के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियां

(31.10.2005 की स्थिति के अनुसार)
(लाखों रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन			जारी			उपयोग की गई धनराशि तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अरुणाचल प्रदेश	1351.00	1351.00	1351.00	1351.00	900.00	1351.00	1351.00	900.00	–
2.	असम	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	998.00	748.00	748.00	399.00
3.	बिहार	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	413.60
4.	गुजरात	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	684.00	1313.06	704.15	*988.01	793.07
5.	हिमाचल प्रदेश	416.00	416.00	416.00	1098.00	416.00	1148.96	1098.00	416.00	899.21
6.	जम्मू-कश्मीर	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	8695.00	8500.00	9000.00	8596.00
7.	मणिपुर	416.00	416.00	416.00	416.00	277.00	555.00	416.00	277.00	406.53
8.	मेघालय	470.00	470.00	470.00	800.00	705.00	900.00	800.00	705.00	900.00
9.	मिजोरम	832.00	832.00	832.00	1632.00	1248.00	1556.00	1632.00	1218.00	805.96
10.	नागालैंड	416.00	416.00	416.00	446.00	416.00	416.00	446.00	416.00	–
11.	पंजाब	1008.00	1008.00	1008.00	3008.00	1008.00	992.51	3008.00	1008.00	–
12.	राजस्थान	3032.00	3032.00	3032.00	4032.00	3032.00	3695.29	4032.00	3032.00	1906.00
13.	सिक्किम	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	1256.20	570.78	344.32	84.83
14.	त्रिपुरा	1296.00	1296.00	1296.00	1819.00	1296.00	2109.60	1819.00	1269.72	596.98
15.	उत्तर प्रदेश	832.00	832.00	832.00	832.00	*1745.00	1654.70	797.04	1591.71	510.29
16.	उत्तरांचल	416.00	416.00	416.00	523.00	416.00	1389.94	516.81	393.50	229.06
17.	पश्चिम बंगाल	3956.00	3956.00	3956.00	4556.00	2637.00	3739.95	4556.00	1845.00	903.00
	कुल	27515.00	27515.00	27515.00	33587.00	26828.00	32499.21	31722.78	24880.26	17443.53

*बीएडीपी के अंतर्गत जारी धनराशि से अधिक उपयोग की गई धनराशि, तथा इसमें 2002-03 के दौरान जारी 931.00 लाख रुपए की एक बार की अतिरिक्त एससीए शामिल है तथा इसे 2003-04 में पुन: वैध किया गया है।

[हिन्दी]

ग्राम रक्षा समिति

***299. श्री रशीद मसूद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान में कितनी ग्राम रक्षा समितियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन समितियों के सदस्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक आतंकवादियों ने ग्राम रक्षा समितियों के कितने सदस्यों की हत्या की; और

(ङ) इन ग्राम रक्षा समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य में कार्यरत ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) की संख्या 3770 है। समिति के सदस्यों को शस्त्र/गोलाबारूद जैसे 303 राइफलों/सेल्फ लोडिंग राइफलों और बोल्ट एक्शन राइफलों से सुसज्जित किया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों और नवंबर 2005 तक के दौरान उग्रवादी संबंधी हिंसा में अट्ठावन (58) वीडीसी सदस्य मारे गए हैं। इसका अलग-अलग ब्योरा इस प्रकार है: वर्ष 2002 में 20, 2003 में 16 और 2004 में 4 है। नवंबर 2005 तक मारे गए समिति के सदस्यों की संख्या 18 है।

(ङ) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि जब कभी भी आवश्यकता होती है वीडीसी के सदस्यों को हथियारों और संचार सुविधाओं के साथ सुसज्जित करके सुदृढ़ किया जा रहा है। दूर-दराज के क्षेत्रों में वीडीसी के सदस्यों को वायरलैस सैट मुहैया कराए गए हैं और प्रशिक्षण भी स्थल पर ही दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

निग्रिटो और मोंगोलोयड जनजातियों का पुनर्वास

***300. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी के कारण हुए विनाश के पश्चात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की "निग्रिटो" और "मोंगोलोयड" जनजातियों के पुनर्वास हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों की स्थिति क्या है और अब तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) इन जनजातियों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) 1. चार निग्रिटो जनजातियां हैं, यथा अंडमानीज, ओंग्ज, जारवाज तथा सेंटीनेलीज। दो मंगोलियन जनजातियां है यथा निकोबारीज एवं शोम्पेन्स। अंडमान द्वीपसमूह के निग्रिटो जनजातियों के जीवन की कोई हानि नहीं हुई। तथापि, सुनामी के कारण अंडमानीज एवं ओंग्ज के घर प्रभावित हुए, यद्यपि, जारवाज एवं सेंटीनेलीज के नहीं। सुनामी के कारण निकोबारी जनजाति के 2955 लोगों की तथा शोम्पेन जनजाति के 4 लोगों की मौतें हुईं। सुनामी के कारण कुछ निकोबारीज एवं शोम्पेन्स के घर भी नष्ट हुए। प्रभावित जनजातियों के पुनर्वास के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) प्रभावित एवं शोक संतप्त व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

(2) आश्रय/मकान उपलब्ध कराना

(3) आजीविका के साधन उपलब्ध कराना

(4) आवश्यक सेवाओं की बहाली

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समूहों के पुनर्वास के लिए आवश्यक आवासीय एवं अन्य संबंधित ढांचागत सुविधाओं के लिए आदिम जनजातीय समूहों के विकास के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को 2.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

3. प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल आश्रय उपलब्ध कराए गए। जनजातियों के परामर्श से स्थायी आश्रय भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। परामर्श का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और जनजातियों के आवासों/स्थायी आश्रय का प्रकार और डिजाइन के लिए अपनी पसंद दर्शाने के लिए कुछ समय मांगा है।

4. जनजातियों के लाभार्थ आजीविका के निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:

(1) पौधे लगाने एवं अल्पावधिक खेती के विकास के स्थानों की सफाई

(2) कुक्कुट उपलब्ध कराना

(3) प्रभावित क्षेत्रों से मलबा हटाना, जिसमें प्रभावित जनजातियों को दिहाड़ी पर लगाया गया है।

(4) जनजातियों की आजीविका के लिए कार्यान्वित की जा रही (एसजीआरवाई) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे की दर पर खाद्यान्न (5 कि.ग्रा. चावल) के रूप में और शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है।

5. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप के शोम्पेन आदिम जनजातियों की जनगणना कराने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। 2001 की जनगणना के अनुसार निकोबारीज जनजाति की जनसंख्या 28,653 थी।

सड़क सुरक्षा के लिए आयुक्तालय की स्थापना

***301. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क सुरक्षा के लिए आयुक्तालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा प्रबंधों की देखरेख करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास उपलब्ध मौजूदा एंबुलेंसों और गश्त वाहनों का ब्योरा क्या है;

(घ) देश में सड़क सुरक्षा विषयों के अध्ययन और अत्याधुनिक प्रणालियों का विकास करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले उपकर की कितने प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार ने इन राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सड़क सुरक्षा और यातायात विनियमन के संबंध में एक समर्पित निकाय की स्थापना के बारे में विचार करने और सिफारिश करने के लिए ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के प्रतिष्ठित सदस्य श्री एस. सुन्दर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति को 31 जनवरी, 2006 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सके।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों पर सुरक्षा संबंधी पहलुओं की देखभाल के लिए इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास 67 एंबुलेंस, 62 पेट्रोल वाहन और 5 एंबुलेंस सह पेट्रोल वाहन उपलब्ध हैं।

(घ) देश में सड़क सुरक्षा संबंधी अध्ययन और अनुसंधान तथा अत्याधुनिक प्रणाली के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित उपकर का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के अध्ययन आवश्यकता के आधार पर किए जाते हैं।

(ङ) सरकार सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में श्रव्य, दृश्य और प्रिंट-मीडिया के माध्यम से अभियान चलाती है। सिनेमा स्लाइडों, होर्डिंगों, रेलिंगों इत्यादि के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं। मनोरंजक खेल, कहानी, संग्रहों, पहेलियों, चित्रकला, पुस्तकों, पोस्टरों, पेम्फलेटों, कलेंडरों आदि जैसी प्रचार सामग्री मुद्रित की जाती है तथा राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से सड़क प्रयोक्ताओं, छात्रों, बच्चों में वितरित की जाती है। राजमार्गों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने और असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण हेतु मुआवजा

2888. श्री महावीर भगोरा:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर गलियारे पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा राजस्थान सरकार की वर्तमान नीति का उल्लंघन करता है और भूस्वामियों को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के बाहर गैर-सरकारी संगठनों को सौंपे गए कार्य संतोषजनक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में निष्कर्षण/पुनर्वास और किए गए भुगतान का ब्योरा क्या है;

(च) क्या उक्त राजमार्ग, पालनपुर-उदयपुर खंड के 83 से 95 खंडों के संरेखन हेतु भादविगुडा नया गुड, इसवाल, घरियार और थुर वर्तमान सड़कों को भी शामिल किया गया है;

(छ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों से लोगों को हटाए जाने की संभावना है;

(ज) क्या थुर डांगियों की हुन्डर, मदार और भादविगुडा के वरास्ते एक किफायती वैकल्पिक मार्ग भी है;

(झ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैकल्पिक प्रस्ताव के कार्यान्वयन करने का है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्य के लिए खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति की जाती है। राज्य से बाहर के गैर-सरकारी संगठनों को कार्य सौंपा गया है। तथापि, कार्य का असंतोषजनक रिकार्ड रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों को कोई कार्य नहीं सौंपा गया है।

(ङ) पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा यथानिर्धारित प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। अब तक इस संबंध में कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(च) जी, हां। थुर को छोड़कर।

(छ) नया गुड और इसवाल संभावित स्थान हैं।

(ज) से (ञ) संरेखण को अंतिम रूप देते समय वैकल्पिक रूटों पर विचार किया गया था। चूंकि ये मार्ग खर्चीले हैं और घने वन क्षेत्र से गुजरते हैं। इसलिए इनकी अव्यावहारिकता के कारण इन पर विचार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

मलिन बस्ती उन्मूलन योजना

2889. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में कितनी मलिन बस्ती उन्मूलन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम में इस क्षेत्र में कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) असम में नेशनल कापरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा असम में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान असम सरकार द्वारा समेकित कम लागत स्वच्छता कार्यक्रम (आईएमसीएस) के अंतर्गत कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(छ) असम में इस योजना की निगरानी का तंत्र कौन सा है;

(ज) क्या इस योजना में गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है; और

(झ) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में दो स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है:-

(1) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम

(2) राज्य क्षेत्र के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम (मद सं. 15) के अंतर्गत शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) असम में राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ का कोई केन्द्र नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एकीकृत कम लागत सफाई (आईएलसीएस) योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(छ) राज्य में स्कीम की निगरानी नजर प्रशासन निदेशालय के जरिए की जा रही है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन निगम के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी

2890. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के निदेशक मंडल ने प्रबंधन द्वारा किए गए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन-निगम के निदेशक-मंडल ने निम्नलिखित जलयानों के अभिग्रहण के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं:

(1) 170,000-170,000 कुल टन-भार (डी.डब्ल्यू.टी.) की क्षमता के केप साइज के दो बड़े वाहक जलयान

(2) 65,000-65,000 कुल टन-भार (डी.डब्ल्यू.टी.) की क्षमता के 6 एल.आर.-1 उत्पाद टंकी-पोत

(3) 53,000-53,000-53,000 कुल टन-भार (डी.डब्ल्यू.टी.) की क्षमता के 6 हैंडीमैक्स बड़े वाहक जलयान

(4) 4,3000-4,3000 बीस समान इकाइयों (ट्वेंटी ईक्विलेंट यूनिट्स) की क्षमता के 02 कंटेनर जलयान

(5) 75,000-75,000 कुल टन-भार (डी.डब्ल्यू.टी.) की क्षमता के 4 पैनामैक्स बड़े वाहक जलयान

(6) 110,000-110,000 कुल टन-भार (डी.डब्ल्यू.टी.) की क्षमता के 04 एफ्रामैक्स टंकी-पोत

(7) 5,000-5,000 बीस समान इकाइयों (ट्वेंटी ईक्विलेंट यूनिट्स) की क्षमता के 02 कंटेनर जलयान

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच

2891. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली नगर निगम के मलिनबस्ती और झुग्गी-झोपड़ी स्कंध में सुरक्षा के नाम पर किए गए फर्जी भुगतान के बारे में कोई जांच-पड़ताल करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है, और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली नगर निगम के मलिनबस्ती और झुग्गी-झोपड़ी विभाग के अधिकारियों द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों को फर्जी भुगतान करने से संबंधित एक शिकायत मिली थी। यह शिकायत दिल्ली नगर निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी को जांच और रिपोर्ट हेतु भेज दी गई थी। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मामले से संबंधित रिकार्ड विभाग से जब्त कर लिया गया है और यह मामला संबंधित अधिकारियों के बयानों को रिकार्ड करने की अवस्था में है। मामले की जांच-पड़ताल दो महीने की अवधि में पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कम लागत वाली स्वच्छता परियोजनाएं

2892. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु कम लागत वाली स्वच्छता परियोजनाओं के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने मैला ढोने वालों को मुक्त किया गया है;

(ग) क्या यह परियोजना विशेषकर शहरी मलिन बस्तियों में लोकप्रिय है; और

(घ) इस परियोजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वर्ष 1980-81 में समेकित कम लागत सफाई स्कीम के प्रारम्भ से 31.10.2005 तक 20.78 लाख इकाइयों का निर्माण किया गया है तथा 45447 मैला ढोने वालों को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त किया गया था।

(ग) यह स्कीम विशेष रूप से शहरी स्लमों के लिए नहीं है बल्कि व्यक्तिगत परिवारों के लिए है, जिनमें शुष्क शौचालय हैं अथवा कोई शौचालय सुविधा नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों हेतु पैकेज

2893. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों के विशेषकर मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि आवंटित/ जारी की गई है;

(ग) क्या राज्यों ने आवंटित धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर वित्तीय सहायता के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) देश में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की गई थी जो 1991 से चालू हुई। इसके तहत देश भर में बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं से सम्पन्न 71 विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव था, ताकि वे उद्योगों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकें। मध्य प्रदेश राज्य में 4 विकास केन्द्र स्वीकृत किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं: चैनपुरा (जिला-गुना), घिरोंगी (जिला-भिण्ड), खेड़ा (जिला-धार) और सतलापुर (जिला रायसेन)। विकास केन्द्र योजना के तहत, दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जारी की गई निधियों के कम उपयोग के प्रमुख कारण हैं, भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयां, अपेक्षित औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में लगने वाला लंबा समय, आदि।

(च) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, विकास केन्द्र योजना के तहत 1074 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है जिनमें 36887 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों में विकास केन्द्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम (राज्य-वार)	2002-03	2003-04	2004-05	योग	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	110	100	295	505	उपयोग में लायी गई
2.	अरुणाचल प्रदेश	320	200		520	उपयोग में लायी गई

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	900	566	200	1666	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
4.	बिहार	200			200	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
5.	छत्तीसगढ़	100	107		207	उपयोग में लायी गई
6.	गोवा		176		176	176.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
7.	गुजरात	300			300	300.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
8.	हरियाणा	450			450	उपयोग में लायी गई
9.	हिमाचल प्रदेश	153	500		653	उपयोग में लायी गई
10.	जम्मू और कश्मीर	275	1000		1275	उपयोग में लायी गई
11.	झारखण्ड		200		200	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
12.	कर्नाटक					
13.	केरल					
14.	मध्य प्रदेश	250	365	300	915	125.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
15.	महाराष्ट्र		290		290	उपयोग में लायी गई
16.	मणिपुर					
17.	मेघालय		500		500	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
18.	मिजोरम	180	400		580	उपयोग में लायी गई
19.	नागालैंड					
20.	उड़ीसा	240	228	150	618	उपयोग में लायी गई
21.	पांडिचेरी	250			250	उपयोग में लायी गई
22.	पंजाब					
23.	राजस्थान	850		800	1650	उपयोग में लायी गई
24.	सिक्किम		500		500	उपयोग में लायी गई
25.	तमिलनाडु					
26.	त्रिपुरा	500	430		930	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
27.	उत्तरांचल		1000		1000	500.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
28.	उत्तर प्रदेश	250	150	650	1050	200.00 लाख रुपये हेतु उपयोग प्रतीक्षित
29.	पश्चिम बंगाल	300		400	700	उपयोग में लायी गई
	कुल योग	5628	6712	2795	15135	

[अनुवाद]

अमेरिका को आम का निर्यात

2894. श्री जुएल ओराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को आम का निर्यात करने में कोई समस्या आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) अमरीका को भारतीय आमों के आयात की अनुमति बताए गए इस आधार पर नहीं है कि भारत में फल, मक्खियों से ग्रस्त हैं और इनके गुठली तथा गुद्दे में घुन हैं। वर्तमान प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में उनकी चिंताओं का निराकरण किया जा रहा है और उनके द्वारा समय-समय पर मांगे गए आंकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि भारतीय आम कीट जोखिम विश्लेषण तथा आम के निर्यात के लिए स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता का प्रोटोकाल करना सुविधाजनक हो सके।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

2895. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इन योजनाओं का उचित रूप से कार्यान्वयन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं से लोगों को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर राज्यवार और योजनावार कितना व्यय किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कर्नाटक सरकार द्वारा योजनाओं के उचित रूप से कार्यान्वयन न किए जाने के क्या मुख्य कारण दिए गए हैं; और

(ङ) कर्नाटक में कुल कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय कर्नाटक राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे), मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (एनएसएलआरएस), एकीकृत कम लागत सफाई (आईएलसीएस) तथा शहरी आश्रयहीनों के लिए रैन-बसेरा नामक विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और स्कीमवार वास्तविक व वित्तीय प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिए गए है।

(ङ) योजना आयोग के वर्ष 1999-2000 के अनुमानों के अनुसार कर्नाटक में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 104.40 लाख (शहरी क्षेत्रों में 44.49 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 59.91 लाख) है।

विवरण I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/यूटी द्वारा सूचित व्यय (केन्द्र+राज्य)			स्थापित लघु उद्यमों की संख्या			प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1137.27	4113.45	8.14	16996	33719	29413	8611	5635	4376
2.	अरुणाचल प्रदेश	132.68	209.49	41.79	374	39	40	62	149	0
3.	असम	253.94	669.94	415.94	84	3067	1150	633	548	4638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	575.54	0.00	468.09	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	307.58	73.53	153.39	5515	36	3225	2634	0	4559
6.	गोवा	0.00	0.00	0	35	0	189	0	0	345
7.	गुजरात	447.39	226.73	377.49	7584	2014	5952	6679	4547	7606
8.	हरियाणा	155.99	580.70	576.87	1780	2965	2379	1827	3231	4171
9.	हिमाचल प्रदेश	34.84	80.22	51.47	221	175	382	168	625	1201
10.	जम्मू-कश्मीर	295.41	309.49	326.76	3150	681	1265	3936	838	1748
11.	झारखंड	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1017.10	1676.07	970.3	5898	8386	4685	2658	19200	2709
13.	केरल	451.99	872.75	30.56	3784	2198	2978	1789	5112	4736
14.	मध्य प्रदेश	1250.63	875.43	1455.18	17387	4799	6404	6249	8575	7524
15.	महाराष्ट्र	2493.87	1843.71	2447.52	13908	13605	23314	31737	39357	40866
16.	मणिपुर	151.41	252.50	0	0	0	0	0	0	2506
17.	मेघालय	0.00	0.00	0	1297	0	0	406	939	0
18.	मिजोरम	151.47	536.39	174.06	0	0	0	0	0	379
19.	नागालैंड	54.00	264.27	146.92	1472	1132	0	510	100	0
20.	उड़ीसा	398.67	382.65	180.6	2828	8225	1114	2602	3439	2911
21.	पंजाब	81.60	280.58	121.13	970	724	726	1605	1302	2613
22.	राजस्थान	581.81	392.47	126.97	7579	4008	4083	1408	1696	1957
23.	सिक्किम	64.77	73.59	134.81	109	47	90	210	0	273
24.	तमिलनाडु	1001.62	864.10	252.06	15628	3920	2356	1742	3033	5016
25.	त्रिपुरा	55.18	189.76	444.68	549	347	598	485	765	4783
26.	उत्तरांचल	122.76	99.56	0	829	0	153	202	0	763
27.	उत्तर प्रदेश	1648.18	2576.96	3437.18	11852	6868	8239	3993	14452	39538
28.	पश्चिम बंगाल	763.35	893.53	1114.17	7000	2760	4182	18606	5880	13649
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	77.76	31.97	8	2	1	3	0	0	0
30.	चंडीगढ़	20.75	73.90	49.84	53	45	68	205	242	1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दादर एवं नगर हवेली	90.87	69.29	7.35	20	0	10	86	0	98
32.	दमन एवं दीव	5.34	0.00	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	55.08	26.50	69.82	324	72	267	325	155	200
34.	पांडिचेरी	113.64	197.89	183.45	652	1070	107	43	1774	0
	कुल	13992.49	18737.42	13864.54	127880	100903	103372	99411	121594	160248

विवरण II(क)

वर्ष 2002-03 के लिए वाम्बे के अंतर्गत नियतन और जारी राशि के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	2002-03 के लिए अनंतिम नियतन	2002-03 के दौरान जारी राशि	शामिल रिहायशी मकानों की संख्या	शामिल शौचालय सीटों की कुल सं.	30.9.2005 की वास्तविक स्थिति के अनुसार	
						पूर्ण निर्माणाधीन रिहायशी मकान	पूर्ण निर्माणाधीन शौचालय सीट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2499.55	5132.112	20901	392	20901	138
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.58					
3.	असम	242.04					
4.	बिहार	1104.37					
5.	छत्तीसगढ़	313.58	529.410	2185	462	2185	462
6.	गोवा	47.40					
7.	गुजरात	1428.62	3089.000	18776	1460	18758	1460
8.	हरियाणा	418.22					
9.	हिमाचल प्रदेश	67.05					
10.	जम्मू-कश्मीर	323.34	38.320	170	0	163	0
11.	झारखंड	368.12					
12.	कर्नाटक	737.87	1967.600	6979	2215	6979	2215
13.	केरल	683.48	2389.650	11948	0	11747	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	847.75	934.780	4054	170	1739	20
15.	महाराष्ट्र	4460.47	845.600	328	3900	328	3890
16.	मणिपुर	47.03	7.875	35	0	35	0
17.	मेघालय	48.23					
18.	मिजोरम	48.03					
19.	नागालैंड	25.30	9.000	40	0	40	0
20.	उड़ीसा	465.59	61.200	306	0	306	0
21.	पंजाब	786.68					
22.	राजस्थान	1356.46	760.000	3300	0	3300	0
23.	सिक्किम	5.11					
24.	तमिलनाडु	1810.70	2846.500	27226	11880	27226	11880
25.	त्रिपुरा	37.10	144.978	644	0	644	0
26.	उत्तरांचल	160.15	160.150	701	100	445	10
27.	उत्तर प्रदेश	3042.82	1104.060	5412	0	5412	0
28.	पश्चिम बंगाल	2732.77	754.050	2968	819	2400	819
29.	अंडमान और निकोबार	21.27					
30.	चंडीगढ़	88.61					
31.	दादरा एवं नगर हवेली	1.62					
32.	दमन एवं दीव	5.77					
33.	दिल्ली	1352.93					
34.	पाण्डिचेरी	88.41					
35.	लक्षद्वीप	2.99					
	कुल	25685.00	20774.285	105973	21398		
	कर्नाटक के प्रदर्श परियोजना		75.000	125	0		
	सकल योग		20849.285	106098	21398	120608	20894

विवरण II(ख)

वर्ष 2003-04 के लिए वाम्ब के अंतर्गत नियतन और जारी राशि के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष 2003-04 के लिए अंतिम नियतन	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी राशि	शामिल रिहायशी मकानों की संख्या	शामिल शौचालयों की सं.	30.9.2005 की स्थिति के अनुसार	
						पूर्ण निर्माणाधीन रिहायशी मकान	पूर्ण निर्माणाधीन शौचालय सीट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2320.97	5973.893	27627	0	27627	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.47					
3.	असम	224.74					
4.	बिहार	1025.47	10.00	50	0		
5.	छत्तीसगढ़	291.17	369.99	1850	0	1850	0
6.	गोवा	44.02					
7.	गुजरात	1326.56					
8.	हरियाणा	388.35	652.60	3263	0		
9.	हिमाचल प्रदेश	62.26					
10.	जम्मू-कश्मीर	300.24	99.45	442	0	149	0
11.	झारखंड	341.82					
12.	कर्नाटक	685.15	3944.10	14978	3090	14977	2870
13.	केरल	634.64	1385.20	6926	0	6166	0
14.	मध्य प्रदेश	787.18	255.22	1024	0	855	0
15.	महाराष्ट्र	4141.82	5286.467	22700	0	19859	0
16.	मणिपुर	43.67	191.92	853	0	853	0
17.	मेघालय	44.79					
18.	मिजोरम	44.59					
19.	नागालैंड	23.49	172.35	766	0	766	0
20.	उड़ीसा	432.32	46.40	232	0	232	0
21.	पंजाब	730.48					
22.	राजस्थान	1259.55	40.00	200	0	200	

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	4.74					
24.	तमिलनाडु	1681.34	2073.00	14684	0	14684	0
25.	त्रिपुरा	34.45	219.60	976	0	976	0
26.	उत्तरांचल	148.71	205.20	1098	0	380	
27.	उत्तर प्रदेश	2825.43	1899.00	8462	0	3565	0
28.	पश्चिम बंगाल	2537.54	139.41	697	0	582	0
29.	अंडमान और निकोबार	19.75					
30.	चंडीगढ़	82.28					
31.	दादरा और नगर हवेली	1.50					
32.	दमन एवं दीव	5.36					
33.	दिल्ली	1256.27					
34.	पाण्डिचेरी	82.09	77.20	408	80	408	
	कुल	23850.00	23041.00	107236	3170		
	विभिन्न उप घटक के अंतर्गत प्रदर्श परियोजनाओं एमआईएस सूचना प्रचार प्रसार, कर्मचारी प्रशिक्षण आदि		793.600	1040	0		
	सकल योग		23834.60	108276	3170	94129	2870

विवरण II(ग)

वर्ष 2004-05 के लिए वाम्बे के अंतर्गत नियतन और जारी राशि के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष 2004-05 के लिए अंतिम नियतन	2004-05 के दौरान जारी राशि	शामिल रिहायशी मकान	शामिल शौचालय सीटों की सं.	30.9.2005 की स्थिति के अनुसार	
						पूर्ण निर्माणाधीन रिहायशी मकान	पूर्ण निर्माणाधीन शौचालय सीट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2731.00	3492.490	16148		4829	
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.00	18.000	80			

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	264.00					
4.	बिहार	1207.00					
5.	छत्तीसगढ़	343.00					
6.	गोवा	52.00					
7.	गुजरात	1561.00	451.200	250	2006		
8.	हरियाणा	457.00					
9.	हिमाचल प्रदेश	73.00					
10.	जम्मू-कश्मीर	353.00	64.250	210	85		
11.	झारखंड	402.00	718.800	3504	90		
12.	कर्नाटक	806.00	406.000	0	2030		
13.	केरल	747.00	200.000	1000			
14.	मध्य प्रदेश	926.00	376.000	1500	80	94	
15.	महाराष्ट्र	4873.00	13244.968	40915	21394	21220	8915
16.	मणिपुर	51.00					
17.	मेघालय	53.00					
18.	मिजोरम	52.00					
19.	नागालैंड	28.00	6.200	0	31		31
20.	उड़ीसा	509.00	16.400	82		4	
21.	पंजाब	859.00					
22.	राजस्थान	1482.00	650.000	2700			
23.	सिक्किम	6.00					
24.	तमिलनाडु	1978.00	4705.630	34519	9050	30314	8620
25.	त्रिपुरा	41.00					
26.	उत्तरांचल	175.00					
27.	उत्तर प्रदेश	3324.00	1991.950	8835	155		
28.	पश्चिम बंगाल	2986.00	470.200	1782	165	456	
29.	अंडमान और निकोबार	23.00					
30.	चंडीगढ़	97.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	2.00					
32.	दमन एवं दीव	6.00					
33.	दिल्ली	1478.00					
34.	पाण्डिचेरी	97.00	123.600	618		618	
	कुल	28058.00	26935.688	112143	35086	57535	17566
	विविध प्रयोजनार्थ वाम्बे के सूचना प्रसार प्रसार घटक के अंतर्गत जारी राशि	0	5.473	0	0	0	0
	सकल योग	28058.00	26941.161	112143	35086	57535	17566

विवरण III(क)

मैला ढोने और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/यूटी का नाम	2002-03		2003-04	
		प्रशिक्षण	पुनर्वास	प्रशिक्षण	पुनर्वास
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	660	3243
2.	असम	855	300	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	बिहार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	गुजरात	शून्य	1451	शून्य	844
5.	हरियाणा	48	153	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	807	377	591	518
7.	जम्मू-कश्मीर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	कर्नाटक	678	1809	355	5780
9.	केरल	शून्य	14	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	मध्य प्रदेश	1494	5118	1010	5149
11.	महाराष्ट्र	1994	752	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	उड़ीसा	250	1049	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	राजस्थान	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	624
15.	तमिलनाडु	661	लागू नहीं	33	13
16.	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	834	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	पश्चिम बंगाल	359	207	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	नागालैंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	मेघालय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	पांडिचेरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	छत्तीसगढ़	शून्य	256	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	उत्तरांचल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24.	झारखंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	7146	12320	2649	16171

*राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित

नोट: वर्ष 2004-05 की सूचना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण III(ख)

मैला ढोने और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/यूटी का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29.67	0.00	0.00
2.	असम	0.00	1.63	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	3.74	0.00
5.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	2.40	3.09	0.00
7.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	8.88	0.00	12.19
9.	केरल	0.00	0.00	0.00
10.	मध्य प्रदेश	0.00	1.25	1.37
11.	महाराष्ट्र	0.00	2.86	0.00
12.	उड़ीसा	0.00	2.85	0.00
13.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
14.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
15.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	0.00	5.37	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	1.60	0.00
18.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
19.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
21.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
22.	छत्तीसगढ़	0.00	1.89	0.00
23.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
	कुल	40.95	24.27	13.56

विवरण IV(क)

शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रम और सफाई सुविधाओं की मंजूरियों की स्थिति

राज्य	स्कीम की सं.	प्रयोजना लागत	ऋण राशि	मंजूर सब्सिडी	स्वीकृत यूनिट				जारी ऋण	जारी सब्सिडी
					बिस्तार	डब्ल्यूसी	स्नान घर	मूत्रालय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान व निकोबार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
असम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	190.66	230.02
दिल्ली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
गुजरात	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
गोवा, दमन व दीव	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
हरियाणा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
झारखण्ड	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
कर्नाटक	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
केरल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
मेघालय	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	37.31
मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1	29.40	0.00	11.76	0	45	21	18	0.00	52.64
मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
उड़ीसा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पंजाब	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
राजस्थान	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	1	6.92	0.00	4.20	0	30	12	18	0.00	2.10
	2	36.32	0.00	15.96	0	75	33	36	190.66	345.80

विवरण IV(ख)

शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय एवं सफाई सुविधाओं की स्वीकृति की स्थिति

वर्ष 2003-04 (लाख रु. में) (31.3.2005 की स्थिति अनुसार)

राज्य	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	ऋण	सब्सिडी	अनुमोदित इकाइयां				जारी ऋण	जारी सब्सिडी
			स्वीकृत राशि		बिस्तर	डब्ल्यूसी	स्नान	मूत्रालय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान व निकोबार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
असम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
बिहार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	41.55	1.70
दिल्ली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
गुजरात	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
गोवा, दमन व दीव	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
हरियाणा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
झारखण्ड	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
कर्नाटक	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	8.75
केरल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
मेघालय	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	110.92
मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	64.36	35.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
उड़ीसा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पंजाब	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पॉडिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
राजस्थान	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	27.87
सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	105.91	184.78

विवरण IV(ग)

शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय एवं सफाई सुविधाओं की स्वीकृति की स्थिति

राज्य	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	ऋण	सब्सिडी	अनुमोदित इकाइयां				जारी ऋण	जारी सब्सिडी
			स्वीकृत राशि		बिस्तर	डब्ल्यूसी	स्नान	मूत्रालय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान व निकोबार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	8.90
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
असम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
बिहार	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	181.33	180.51
दिल्ली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
गुजरात	1	9.95	0.00	4.97	50	0	0	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोवा, दमन व दीव	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
हरियाणा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
झारखण्ड	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
कर्नाटक	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
केरल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
मेघालय	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	157.46
मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	12.18
मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
उड़ीसा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पंजाब	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
राजस्थान	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	27.87
सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	9.95	0.00	4.97	50	0	0	0	181.33	358.55

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश

2896. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक जोनों में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों से चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश का देशवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन विशेष आर्थिक जोन स्कीम का एक उद्देश्य है। इसलिए इस स्कीम की मुख्य बातें विभिन्न मंचों/निवेशकों में निवेश के लिए एक संभव क्षेत्र के रूप में परियोजित की गई है।

(ग) वर्ष 2005-06 (अप्रैल-सितंबर, 2005 तक) के दौरान विशेष आर्थिक जोनों में इकाइयों की स्थापना करने के लिए लगभग 95 करोड़ रु. का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया था। विदेशी निवेश के मुख्य स्रोतों में यू.के., जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका शामिल हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों हेतु आदर्श अधिनियम

2897. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विश्वविद्यालयों के प्रशासन और प्रबंधन को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए आदेश अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव है ताकि वे 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला कर सकें;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को शिक्षाविदों के सम्मुख विचारार्थ हेतु रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वैकल्पिक अधिनियम लाने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं, विश्वविद्यालय प्रणाली की स्वायत्तता पर कोई 'माडल एक्ट' लगाने की केंद्र सरकार की मंशा नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों हेतु पुनरुद्धार पैकेज

2898. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र ने सरकार से ब्याज दर कम करने और क्षेत्र हेतु पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे लघु उद्योग (एसएसआई) सेक्टर को ऋण अपने प्राईम लेंडिंग रेट्स (पीएलआर) पर ऊपर और नीचे 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर ब्याज दर पर दें। इसके अलावा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने लघु तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) फंड का प्रचालन शुरू कर दिया है, जिसके तहत लघु उद्योग को ऋण सिडबी की मौजूदा पीएलआर से 2 प्रतिशत नीचे ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुग्णता का शीघ्र पता लगाने और उपचारात्मक उपाय करने तथा संभाव्य जीवनक्षम के रूप में पहचानी गई रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए जनवरी, 2002 में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता का निर्णय करने संबंधी मानदंड, रियायती वित्त, इत्यादि ताकि रुग्णता का शीघ्र पता लगाने में बैंकों को सहायता मिल सके तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2005 को लघु तथा मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई.) हेतु क्रेडिट बढ़ाने के लिए घोषित किए गए नीति पैकेज के अनुरूप, आर.बी.आई. ने सभी पात्र एस.एम.ई. (ल.उ. सहित) के ऋणों के पुनर्गठन को सुगम बनाने के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र के संबंध में 8 सितम्बर, 2005 को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

जबकि लघु उद्योग का विकास करना मुख्यत: राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है, केन्द्र सरकार देश भर में समान रूप से विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य/संघ शासित सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है, जिसके संबंध में निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है बल्कि योजना/कार्यक्रम-वार किया जाता है। सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं ऋण प्रवाह में सुधार बुनियादी संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन तथा उद्यमिता विकास से संबद्ध है।

पूर्वोत्तर में निवेश

2899. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्र के मानव और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हेतु पूर्वोत्तर में नये निवेश हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं योजना के दौरान अब तक क्षेत्र में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है और इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) सरकार ने एक बहु पक्षीय कार्य नीति अपनाई है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ ये शामिल हैं: सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों (विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर) की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से रखना, अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का सृजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का रिवाईटलाईजेशन, एनईसी द्वारा विजन दस्तावेज 2020 की तैयारी, उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति-1997 बनाना और उसकी समीक्षा करना, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परियोजनाओं का क्रियान्वयन और क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

(ग) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों के आधार पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बताया गया है उत्तर पूर्व क्षेत्र को 10वीं योजना के दौरान अगस्त, 2005 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से 417.43 मिलियन रुपये प्राप्त हुए। इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

[हिन्दी]

जोन

2900. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, विदेशी व्यापार जोन और कृषि निर्यात जोन स्थानवार स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन जोनों द्वारा कौन-कौन से कार्यकलाप शुरू किए गए हैं;

(ग) क्या ये जोन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सभी निर्यात संसाधन जोनों को विशेष आर्थिक जोनों में परिवर्तित कर दिया गया है और इस समय कोई निर्यात संसाधन जोन नहीं है।

इस समय 15 विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) प्रचालनरत हैं। ये कांडला और सूरत (गुजरात), मुम्बई (महाराष्ट्र) कोचीन (केरल), नोएडा (उ.प्र.), चेन्नई और आसपास के क्षेत्र में 3 एसईजेड (तमिलनाडु), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), इन्दौर (मध्य प्रदेश), जयपुर और जोधपुर (राजस्थान), फाल्टा, मणिकंचन और साल्टलेक इलेक्ट्रानिक सिटी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

कोई विदेश व्यापार जोन नहीं है।

कृषि निर्यात जोनों (एसईजेड) के राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

एसईजेड की इकाइयां निर्यात करती हैं और पिछले 3 वर्ष के दौरान जोनों का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु.)
2002-03	10,057
2003-04	13,854
2004-05	18,309

कृषि निर्यात जोनों की परिकल्पना खेत से पत्तन तक कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु आपूर्ति की श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। इसे कृषि उत्पादों के उत्पादन पर केन्द्रित कार्यकलापों के जरिए हासिल किया जाता है ताकि पैदावार और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और गुणवत्ता में सुधार हो सके, आपूर्ति श्रृंखला में अवसंरचना का उन्नयन किया जा सके और प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग के जरिए मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान एसईजेड से निर्यात 18,309 करोड़ रु. के हुए थे जबकि लक्ष्य 17,320 करोड़ रु. का था। एसईजेड के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से सम्पूर्ण मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

राज्य	क्षेत्र
1	2
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना (उ) तथा 24 परगना (द), हुगली, बर्द्धवान, मिदनापुर (प), उदय नारायणपुर, नादिया
कर्नाटक	तुमकूर, बंगलौर शहरी, बंगलौर ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रदुर्गा, धारवाड़ तथा बगलकोट, कोडगू तथा बेलगांव, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडूप्पी, शिमोगा, चिकमंगलूर
उत्तरांचल	उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, पंत नगर, उत्तर काशी, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़
पंजाब	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, रोपड़, सिंघपुरा, जिरकपुर, पटियाला, रामपुरा फुल, मुक्तसर, जालंधर, लुधियाना तथा गुरुदासपुर स्थित सेटेलाइट केन्द्र, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर तथा नवां शहर
उत्तर प्रदेश	आगरा, हाथरस, फरूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, जनपद बदायूं, रामपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, ज्योतिफुले नगर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जे बी फुले नगर, गाजियाबाद
महाराष्ट्र	नासिक, सांगरी, शोलापुर, सातारा, अहमदनगर, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, थाणे, औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर, लातूर, पुणे, कोल्हापुर, जलगांव, उस्मानाबाद, धुले, नन्दुरबार, बुल्ढाना, परभानी, हिन्डोली, नांदेड़, वर्धा, नागपुर, अमरावती
आंध्र प्रदेश	चित्तूर, रंगारेड्डी, मेडक, महबूब नगर, कृष्णा, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर, नलगोंडा, गुंटूर
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कठुआ, पुलवामा, बडगाम, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी
त्रिपुरा	कुमारघाट, मनु, मेलागर, माताबाड़ी तथा कक्राबान ब्लाक्स
मध्य प्रदेश	मालवा, उज्जैन, इन्दौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खण्डवा, गुना, राजगढ़, सिहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, भोपाल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बैतूल
तमिलनाडु	धरमपुरी, मदुरै, निलगिरी, थेनी, डिंडिगुल, विरुद्धनगर, तिरूनेलवेली, कुड्डालोर, तंजावुर, पुटुकोट्टई एवं शिवगंगा
बिहार	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण एवं गोपालगंज
गुजरात	अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वड़ोदरा, नवसारी, वलसाड, भरूच, नर्मदा, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, अमरेली
सिक्किम	उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चम्बा एवं किन्नौर
उड़ीसा	कंधामल
झारखंड	रांची, हजारीबाग एवं लोहरदगा
केरल	त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुजा, पेथेनेमथिट्टा, कोल्लम, तिरूवनंतपुरम, इडुक्की एवं पालक्कड़, वायनाड, मल्लापुरम
असम	कामरूप, नलबारी, बरपेटा, दरांग, नागांव, मोरीगांव, करबी एंगलोंग, उत्तरी कछार
राजस्थान	कोटा, बूंदी, बारन, झलवार, चित्तूर, नागौर, बाडमेर, जालौर, पाली, जोधपुर

बदरपुर सीमा पर उपरिपुल का निर्माण

2901. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बदरपुर सीमा पर प्रस्तावित उपरिपुल के निर्माण में कितना समय लगने की संभावना है क्योंकि इसके निर्माण के लिए अप्रैल, 2005 में स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने किसी निजी कंपनी के साथ कोई वित्तीय समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके निर्माण की लागत का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या पुल से गुजरने वाले वाहनों से पथकर लेकर इसकी लागत की वसूली की जाएगी और इसकी समय-सीमा का ब्योरा क्या है;

(च) क्या कोई वैश्विक स्तर की निविदा जारी की जाएगी;

(छ) यदि हां, तो क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के इसमें भाग लेने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 पर बदरपुर बोर्ड पर उपरिपुल के निर्माण में निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण आधार पर सौंपे जाने की तारीख से तीन वर्ष और छह माह लगने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस उपरिपुल के निर्माण की अनुमानित लागत 270.00 करोड़ रुपए है।

(ङ) जी, हां। रियायतग्राही प्रयोक्ताशुल्क लगा कर इसकी लागत वसूल करेगा। रियायत की प्रस्तावित अवधि 20 वर्ष होगी जिसमें निर्माण अवधि भी शामिल है।

(च) से (ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।

[अनुवाद]

चेन्नई से यात्री फेरी सेवा को आरंभ किया जाना

2902. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई से तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण पत्तनों को यात्री फेरी सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति

2903. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति ने यह सिफारिश की है कि देश भर में स्कूलों के मानकीकरण और समानता हेतु स्थापना करने के लिए 10 प्रतिशत से या उससे अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक जिलों की पहचान की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने 8-9% उर्दू बोलने वाले लोगों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की भर्ती का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, बंगलौर और हैदराबाद में उर्दू के प्रोत्साहन हेतु परिषद के क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एनएमटीएमई की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति की स्थाई समिति ने यह सिफारिश की है कि

पूरे देश में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मदरसा विद्यालय स्थापित करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले जिलों को अभिनिर्धारित किया जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद का क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद में है। इस समय नए केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने से पहले सभी संबंधितों के परामर्श से इनकी व्यापक जांच की जानी अपेक्षित है।

बजट प्राक्कलन में कमी

2904. प्रो. एम. रामदास: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के बजट प्राक्कलन की तुलना में मंत्रालय के बजट प्राक्कलन 2005-06 में कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या विभिन्न चालू परियोजनाओं/योजनाओं के अवास्तविक आकलन के कारण बड़े पैमाने पर धनराशि का उपयोग किया गया और बाद में उसे वापस कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान मलिन बस्ती विकास हेतु अर्बन रेन्यूवल सब-मिशन हेतु 1989.62 करोड़ रुपए व्यय करने का है जबकि योजना तैयार नहीं हुई है/मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और इसके दिशा-निर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो रोजगार और गरीबी उपशमन हेतु योजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संसाधन जुटाने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के बजट अनुमान 2005-06 में कमी मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से हुई:-

(1) वर्ष 2004-05 के दौरान आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) को इक्विटी अंशदान के रूप में 225 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था। चूंकि आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) को अगस्त, 2004 में "मिनी रत्न" का दर्जा दिया गया इसलिए वर्ष 2005-06 के बजट में हडको को इक्विटी अंशदान के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं दी गयी।

(2) वर्ष 2004-05 के दौरान धारावी में स्लम विकास के लिए 75 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित थी। योजना स्कीमों के युक्तीकरण/समीक्षा के बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया और वर्ष 2005-06 में इस स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(3) वर्ष 2004-05 में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम के लिए 2005-06 के बजट अनुमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा हाल ही में दिनांक 3 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया गया है और इस मिशन के अधीन शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप-मिशन के दिशानिर्देशों को भी अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया जा चुका है।

उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बनायी गयी नीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ और संसाधन जुटाने सहित शहरी गरीबों के लिए आश्रय एवं बुनियादी सुविधायें संबंधी परियोजनाओं के जरिए स्लमों का समेकित विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों में परियोजनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के लिए भूमि घटक का वित्तपोषण, मिशन के संचालन के लिए मंत्री स्तर पर राष्ट्रीय संचालन दल; मिशन मोड में कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय में समर्पित निदेशालय; मिशन में शामिल करने के लिए परियोजनाओं के संबंध में निर्णय करने एवं प्राथमिकता तय करने के लिए मुख्य मंत्री/शहरी विकास/आवास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में संबंधित सचिव (यूडी) एलएसजी/एमए वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा केन्द्र एवं राज्य स्तर की समितियों के बीच परस्पर सम्पर्क के लिए मंत्रालय स्तर पर तकनीकी परामर्शी दल; मिशन के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में नगर विकास योजनाओं (सीडीपी) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी आदि शामिल हैं।

यातायात पुलिस को स्पीड कैमरे प्रदान करना

2905. श्री नवीन जिन्दल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस के पास स्टाफ की कमी एक बड़ी समस्या है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या स्पीड कैमरों, इंटरसेप्टरों आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश की कोई आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसे आधुनिक यंत्रों पर कितना धनराशि खर्च की जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस की यातायात यूनिट का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली में यातायात यूनिट को मजबूत बनाने तथा यातायात प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में 478 यातायात चौराहों, जो अब तक कर्मीदल-रहित थे, पर ड्यूटी के निश्चित स्थलों और नव-सृजित 62 यातायात अंचलों (जोन) के लिए 1999 में विभिन्न रैंकों के 1255 अतिरिक्त पदों का सृजन शामिल था ताकि सड़कों के खुले स्थानों पर यातायात की आवाजाही को बेहतर ढंग से नियंत्रण और मानीटरिंग की जा सके। यात्रा के समय और दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए यातायात के महत्वपूर्ण स्थलों पर क्षेत्र यातायात नियंत्रण प्रणाली जैसे कई आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं; सिग्नलों पर डिजिटल रिवर्स काउंट-डाउन मीटरों की शुरूआत, यातायात सिग्नलों को सौर ऊर्जा से शुरू करना; एक निश्चित दूरी से सिग्नल रिफ्लेक्टर के दृष्टि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए यातायात सिग्नलों को लाइट-एमिटिंग डियोड (एल ई डी) रिफ्लेक्टिव सिग्नलों में परिवर्तित करना; लाल-बत्ती और गति कैमरे प्राप्त करना; यातायात सिग्नलों को समकालिक बनाना; यातायात वेब-साइट का विकास करना; एस एम एस यातायात सूचना प्रसार प्रणाली शुरू करना; मद्यपान कर ड्राइविंग रोकने के लिए एल्कोमीटर प्राप्त करना; और चैक डिपोजिटरी मशीन स्थापित करना शामिल है।

2005-2006 के दौरान लाल बत्ती और गति उल्लंघन जांच कैमरा प्रणाली, वाहन तस्वीर प्रदर्शन सुविधा के साथ स्पीडर राडार गनों, मोबाइल यातायात कानून प्रवर्तन/शिक्षा यूनिट (इंटरसेप्टर्स), हाई रिजोल्यूशन ट्रैफिक मानीटरिंग कैमरा और क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली प्राप्त करने के लिए 5.50 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

ऐडुसैट

2906. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई इंजीनियरिंग महाविद्यालय ऐडुसैट के माध्यम से शीघ्र ही अन्ना विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नेटवर्किंग से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्ना विश्वविद्यालय का छात्रों के कल्याणार्थ मुंबई और देश के अन्य भागों में रोजगार प्लेसमेंट सेन्टर खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्लेसमेंट सेन्टरों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) ऐडुसैट के राष्ट्रीय कोर समूह द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अन्ना विश्वविद्यालय, जो तमिलनाडु का राज्य विश्वविद्यालय है, में राज्य नेटवर्क के लिए शिक्षा के उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय के प्रसार कक्ष के साथ हब की व्यवस्था किए जाने की संभावना है। यह नेटवर्क तकनीकी शिक्षा सहित विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। तमिलनाडु राज्य में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों और शिक्षकों हेतु जाने माने विशेषज्ञों के लेक्चर उपलब्ध कराने के रूप में एक मुख्य प्रावधान होगा।

(ग) और (घ) अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय इंजीनियरी स्नातकों के रोजगार के अवसरों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए देश के उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में प्रमुख निर्माण उद्योगों के साथ समन्वय करने और अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए परियोजनाओं को अभिनिर्धारित करने के लिए मुम्बई में सम्पर्क केन्द्र स्थापित कर सकता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान

2907. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को विशेषकर हिमाचल प्रदेश को राज्य-वार, वर्ष-वार और योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने यह धनराशि उसी प्रयोजन हेतु व्यय की जिसके लिए यह प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक इसका उपयोग किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को अनुदान

2908. श्री ए.के. मूर्ति: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को भी अनुदान प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके लिए निर्धारित मानक/मानदण्ड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एआईसीटीई और एनसीटीई

2909. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एआईसीटीई और एनसीटीई से ली जाने वाली मान्यता के संबंध में मानदण्डों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और तत्संबंधी स्थिति क्या है; और

(ग) इससे देश में तकनीकी और उच्च शिक्षा के मानकों में किस सीमा तक सुधार आयेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2006-2007 से नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमोदन देने के लिए अपने मानकों में संशोधन किया है। तकनीकी शिक्षा में आगे सुधार करने के उद्देश्य से मानकों को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। किए गए कुछ परिवर्तनों में, संस्थाओं/शहरों की कतिपय श्रेणियों हेतु भूमि आवश्यकताओं में कमी, निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता में वृद्धि, संकाय काडर अनुपात में छूट तथा राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं आदि शामिल है। संशोधित मानकों के ब्यौरे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाईट www.aicte.ernet.in पर उपलब्ध हैं।

विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को आरंभ करने/आयोजित करने हेतु संस्थाओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों तथा स्तरों में अभी कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत दिए गए ठेके

2910. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत मई, 2004 और 30 नवंबर, 2005 के बीच कितने ठेके दिए गए तथा ठेकेवार और माह-वार प्रत्येक ठेके (सिविल वर्क्स) की लंबाई सहित लागत कितनी थी और इसकी समापन तिथि क्या थी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मई, 2004 और 30 नवम्बर, 2005 के बीच की अवधि में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित निम्नलिखित ठेके सौंपे गए हैं।

ठेका पैकेज	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	कार्य सौंपे जाने का माह	पूरा करने के लिए निश्चित माह
इलाहाबाद बाइपास ठेका-II उत्तर प्रदेश	2	38.987	446.99	जून, 2004	जून, 2007
इलाहाबाद बाइपास ठेका-III उत्तर प्रदेश	2	44.708	505.27	नवम्बर, 2004	मई, 2007

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

2911. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी लंबाई की सड़कें चार लेनों और छह लेनों वाली बनाई गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में परियोजना-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में निर्मित 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की वर्ष-वार और राज्य-वार लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर इस संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-II के अनुसार हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों में 4/6 लेन की पूरी की गई राज्य-वार लंबाई

(लंबाई कि.मी. में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (नवंबर, 2005 तक)
आंध्र प्रदेश	113.66	305.41	495.74	38.79
असम		8.00	10.50	
बिहार	0.00	12.00	92.00	72.34
गोवा			13.00	
गुजरात	116.20	168.10	105.79	29.21
हरियाणा	2.70	0.00	2.00	0.00
झारखंड			66.30	42.87
कर्नाटक	5.80	96.92	227.52	86.03
केरल			16.60	
मध्य प्रदेश	9.00		16.80	17.00
महाराष्ट्र	27.00	157.20	137.53	51.45
उड़ीसा	27.80	92.16	87.09	27.85
पंजाब		36.00		
राजस्थान	6.00	318.10	245.46	
तमिलनाडु	45.20	120.40	288.26	15.31
उत्तर प्रदेश	64.50	15.35	291.00	94.76
पश्चिम बंगाल		58.00	254.71	39.95
जोड़	417.86	1351.64	2386.30	515.56

विवरण II

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	एनएचडीपी पर वास्तविक व्यय की स्थिति			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (नवंबर, 2005 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	1437.41	1347.25	790.16	160.30
2.	असम	41.97	35.45	15.82	9.11
3.	बिहार	174.25	196.35	351.90	294.43
4.	गोवा	6.00	17.98	0	25.52
5.	गुजरात	466.41	555.26	305.76	366.48
6.	हरियाणा	78.68	44.95	112.39	53.03
7.	झारखंड	107.19	124.32	169.66	138.57
8.	कर्नाटक	598.70	959.12	586.17	278.53
9.	केरल	30.27	18.91	31.45	7.94
10.	मध्य प्रदेश	61.97	34.42	7.58	32.61
11.	महाराष्ट्र	412.46	546.04	356.34	97.11
12.	उड़ीसा	359.05	319.31	296.82	221.62
13.	पंजाब	37.72	21.82	12.54	4.23
14.	राजस्थान	502.38	1089.57	522.27	115.82
15.	तमिलनाडु	396.52	535.01	745.64	289.73
16.	उत्तर प्रदेश	664.62	810.38	890.81	663.23
17.	पश्चिम बंगाल	613.06	757.11	990.77	404.24
	जोड़	5988.66	7413.25	6186.08	3162.50

परीक्षण सुविधाएं

2912. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नई स्थित क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (आरटीसी) के पास उपलब्ध कच्चे माल, अर्धनिर्मित उत्पाद और निर्मित उत्पादों की परीक्षण सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस आरटीसी का कार्यनिष्पादन कितना रहा और उक्त अवधि के दौरान इस परीक्षण केन्द्र को कितनी सहायता प्रदान की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र (आरटीसी), चेन्नई में निम्नोक्त के लिए सुविधाएं हैं:-

(1) फेरस तथा नान-फेरस सामग्री (जैसे लोहा, स्टील, पीतल, तांबा, एल्युमीनियम, इत्यादि), निर्माण सामग्री (जैसे सीमेन्ट, लाईम, पेन्ट्स, इत्यादि), रसायन तथा रासायनिक उत्पाद, घरेलू बिजली के उपकरणों तथा एसेसरीज का परीक्षण;

(2) वेल्डेड ज्वाइन्टस, फोर्जिंग्स, कास्टिंग तथा मैकेनिकल कम्पोनेन्टस का अहानिकर परीक्षण; तथा

(3) मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वोलूमीट्रिक, थर्मल तथा वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेन्ट्स का कैलिब्रेशन।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस आर.टी.सी. का कार्य-निष्पादन निम्नोक्त सारणी में दर्शाया गया है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख रु. में)	जाब टेस्टिड (संख्या)	निष्पादित परीक्षण (संख्या)	आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
2005-06 (नवम्बर, 2005 तक)	29.17	2415	10151	13.21
2004-05	35.60	2535	10880	7.16
2003-04	39.16	3235	12494	13.21
2002-03	29.00	3031	12688	47.09

पृथक राज्य हेतु अभ्यावेदन

2913. श्री हितेन बर्मन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स आर्गेनाइजेशन का एक शिष्टमंडल गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला था और इसने पृथक राज्य हेतु कोई अभ्यावेदन सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मांगों सहित अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभ्यावेदन पर केन्द्र सरकार का क्या रूख रहा;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की वहां पर एक केन्द्रीय टीम भेजने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन का एक दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 5.10.2005 को गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला था और कूच बिहार में 20.9.2005 को हुई कानून और व्यवस्था संबंधी घटनाओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग द्वारा कराने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन सौंपा।

(ग) चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए वह अभ्यावेदन उचित कार्रवाई हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया गया था।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कारावासों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु धनराशि

2914. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य कारावासों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को बारहवें वित्त आयोग ने राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर मध्य प्रदेश ने केन्द्र सरकार को कारावास सुरक्षा की धनराशि की अदायगी का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ अनुमोदित धनराशि कितनी है और राज्य-वार अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) अभी भी जारी की जाने वाली धनराशि कितनी है और यह धनराशि कब तक मंजूर और जारी की जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) बारहवें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य की जेलों में सुरक्षा प्रबंधनों के लिए किसी भी राज्य को अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है।

(ख) जेल सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। जेल सुरक्षा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के बारे में मध्य प्रदेश सरकार या किसी अन्य राज्य से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एन.ई.सी. में नौवीं प्लान परियोजना को पूरा करना

2915. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान एन.ई.सी. द्वारा यथा अनुमोदित असम में एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़क एन.एल.के.वी. पर लोहित और खाबोलू नदियों पर पुलों के बारे में स्थान संबंधी अंतिम सर्वेक्षण और उपमृदा संबंधी जांच को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोहित और खाबोलू नदियों पर जाने वाली एन.एल.के.बी. सड़क को जोड़ने के कार्य को मजबूती के साथ किये जाने वाले और लखीमपुर पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के कार्य को भी मजबूती के साथ किये जाने वाली तथा लोहित और खाबोलू नदियों पर पुलों के निर्माण वाली परियोजनाएं एन.ई.सी. के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन योजनाओं के कब तक पूरी होने की सम्भावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां असम में लोहित और खाबोलु नदी पर एन.एल.के.बी. अन्तर्राज्यीय सड़क पर पुलों के संबंध में उपमृदा जांच सहित स्थान के संबंध में सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है। पुल का निर्माण कार्य व्यवहार्य पाया गया था और पुल की अनुमानित लागत 216.72 करोड़ रुपये थी।

(ग) से (ङ) चूंकि एन.ई.सी. ने इन प्रस्तावों की जांच पूर्ण नहीं की है, इसलिए इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

फाक्सवैगन कार कंपनी

2916. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री रशीद मसूद:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फाक्सवैगन ने भारत में संयंत्र की स्थापना की अपनी योजना को बदल दिया है जैसा कि दिनांक 18 जुलाई, 2005 के नवभारत टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस कंपनी को इसकी विश्वसनीयता के सत्यापन के बिना भारत में संयंत्र लगाने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अनुमति प्रदान करने के जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) मैसर्स वोल्क्सवेगन ए.जी. जर्मनी आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत में विनिर्माणकारी सुविधाएं स्थापित करने की अपनी योजना के विषय में विचार-विमर्श करता आया है। जनवरी, 2004 में कम्पनी ने राज्य सरकार को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में परियोजना स्थापित करने संबंधी अपने निर्णय से अवगत कराया था। 25 जुलाई, 2005 को वोल्क्सवेगन ए.जी. के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर भारतीय बाजार में प्रवेश करने हेतु कम्पनी की गहरी रुचि को व्यक्त किया। हाल ही में, नवम्बर, 2005 में कम्पनी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने वैकल्पिक स्थानों का अध्ययन करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश का दौरा किया।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

2917. श्री गिरिधारी यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और सचिव ने संसद सदस्यों और माननीय मंत्रियों से प्राप्त पत्रों का न तो उत्तर दिया और न ही उनकी पावती भेजी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एनडीएमसी को कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ग) पत्रों की पावती न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि माननीय संसद सदस्यों और माननीय मंत्रियों से प्राप्त सभी पत्रों की पावती भेजी जाती है और उसमें उल्लिखित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है तथा उपयुक्त उत्तर दिए जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को माननीय संसद सदस्यों, माननीय मंत्रियों और उनके कार्यालयों से लगभग 1376 पत्र प्राप्त हुए।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

प्रवासी जनसंख्या

2918. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री निखिल कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की कुल जनसंख्या की 30 प्रतिशत जनसंख्या प्रवासी हैं जैसा कि दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रवासी जनसंख्या के आगमन पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) जी हां। जन्म स्थान के अनुसार कुल 307.1 मिलियन प्रवासी व्यक्तियों में से 181.7 मिलियन व्यक्ति अन्त: जिला प्रवासी हैं, 76.8 मिलियन व्यक्ति अन्तर जिला प्रवासी हैं और 42.3 मिलियन व्यक्ति अन्तर्राज्यीय प्रवासी हैं। 6.1 मिलियन व्यक्ति विदेश से आए प्रवासी हैं।

अन्त:राज्यीय और अन्तर्राज्यीय, दोनों प्रवासी मुख्यत: विवाह तथा काम/रोजगार के कारण प्रवासी हैं। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वह देश के किसी भाग में स्वतंत्र तौर पर जा सकता है और रह तथा बस सकता है इसलिए अन्तर्राज्यीय प्रवास को रोकने तथा इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

व्यावसायिक नीति भागीदारी को प्रोत्साहन

2919. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यू.के. पुलिस और भारतीय पुलिस सेवा के बीच व्यावसायिक नीतिगत भागीदारी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) यू.के. के साथ सूचना के आदान-प्रदान तथा भारतीय पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी बातचीत की गई है। सरकार, भारतीय पुलिस कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यू.के. सरकार द्वारा प्रस्तावित और समय-समय पर भारत और यू.के. में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का लाभ उठा रही है।

सकल घरेलू उत्पाद

2920. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल तेजी से विकसित होने वाले एक राज्य के रूप में उभर रहा है जैसा कि दिनांक 12 अक्तूबर, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एसोचैम' द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में सेवा उद्योग में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के तेजी से विकसित होने वाले राज्य के रूप में उभरने के लिए योगदान देने वाले अन्य घटकों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। हिन्दी दैनिक, "नवभारत टाइम्स" ने 12 अक्तूबर, 2005 के अपने अंक में "पश्चिम बंगाल सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में" शीर्षक से (हिन्दी में) एक खबर छापी, जिसमें एसोचैम इको पल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण का उद्धरण दिया गया था। इस खबर का सार निम्न प्रकार है:

"चाहे आप इसे विदेशी निवेश का प्रभाव कहें या श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की उदार विचारधारा का चमत्कार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल तेजी से विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। 2001-2002 से 2003-2004 तक जीएसडीपी में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके, यह तीसरा सबसे अधिक विकास कर रहा राज्य बन गया है। पश्चिम बंगाल के सेवा क्षेत्र ने 25 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दिखाई है, जिसके फलस्वरूप इसके जीडीपी अर्थात्, सकल घरेलू उत्पाद ने रिकार्ड बनाया। 2001-2002 के पश्चात् यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सर्वाधिक विकास कर रहा राज्य बन गया। सेवाओं के क्षेत्र में, बीमा और

बैंकिंग ने अधिकतम वृद्धि (56 प्रतिशत) दर्ज की, और उसके बाद स्थावर संपदा और वित्तीय सेवाओं ने। इन्फोसिस जैसी विश्व-स्तरीय कंपनियां अब पश्चिम बंगाल में साफ्टवेयर कारोबार स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। पश्चिम बंगाल का सेवा क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की वृद्धि दर को पछाड़ रहा है। 1991 से 2002 के दौरान, पश्चिम बंगाल के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 8802 करोड़ रुपए रहा।"

(ग) और (घ) जी, हां। एसोचैम के सर्वेक्षण के अनुसार, पश्चिम बंगाल के सेवा क्षेत्र उद्योग ने 25.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तेजी से विकसित हो रहे राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल के उभरने में जिन कारकों का योगदान है, उनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं, इसकी बैंकिंग और बीमा सेवाओं में 56 प्रतिशत की वृद्धि; वित्त, स्थावर संपदा और दूसरी कारोबारी सेवाओं में 43 प्रतिशत की वृद्धि; उद्योगों के अनुकूल कारोबार माहौल तथा सुधरी हुई छवि एवं एफडीआई सहित निवेश को आकर्षित करने हेतु की गई पहलें।

शिक्षा क्षेत्र में भारत-यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता

2921. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में अपने हाल के दौरे के दौरान एक शिक्षा पहल की घोषणा की है जिसके लिए यू.के. सरकार ने 10 मिलियन की वचनबद्धता दी है और उन्होंने यह भी कहा कि वह निजी क्षेत्र की और भागीदारी की अपेक्षा रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी का कितना-कितना हिस्सा होने की आशा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अगले पांच वर्षों में व्यापारिक समुदाय से सहायता की प्रत्याशा में 10 मिलियन डालर के निधियन की घोषणा की है। ब्रिटेन/भारत शिक्षा पहल के रूप में इस स्कीम में छात्रवृत्तियों के लिए सहायता, डाक्टरल अनुसंधान के लिए अवार्ड प्रदान किए जाएंगे और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल प्रारम्भिक चरण में है।

(ग) ब्रिटेन सरकार ने इस संबंध में 10 मिलियन डालर की राशि अभिनिर्धारित की है। यह आशा की जाती है कि व्यापारिक समुदाय भी इस संबंध में अतिरिक्त अंशदान प्रदान करेगा।

(घ) सरकार को आशा है कि ब्रिटेन/भारत शिक्षा पहल में वह प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी।

विश्वविद्यालयों को अनुदान और कार्य-निष्पादन

2922. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कई प्रमुख वित्तीय रूझानों पर जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी कुलपतियों से उनके संबंद्ध विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति का वर्ष 2010 तक मूल्यांकन करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के अनुदान को निष्पादन के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी कुलपतियों के भेजे गए पत्र की विषयवस्तु क्या है;

(ङ) क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी लेने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार वह प्रत्येक योजनावधि के प्रारंभ में विश्वविद्यालयों से आगामी योजना हेतु उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचना मांगता है। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मांगी गई है।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार उन्होंने दसवीं योजना के आरंभ में ही विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया है कि योजनागत अनुदान का एक भाग विश्वविद्यालयों का कार्य निष्पादन देख कर दिया जाएगा।

सेवा और विकास महानिदेशक

2923. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा और विकास महानिदेशक द्वारा सरकारी प्रयोग के लिए आवश्यक सामान की खरीद हेतु नई सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार सप्लायरों का पंजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजीएसएण्डडी के पास ब्राण्डेड कम्प्यूटर स्टेशनरी, फोटोकापी पेपर, डुप्लीकेटिंग टाइपिंग पेपर तथा नोट शीट पैड का कोई सप्लायर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो डीजीएसएण्डडी किस तरीके से सप्लायरों के प्रत्यय पत्र, उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली तथा वित्तीय क्षमता सुनिश्चित करता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के उपबंधों के अनुसार सामान्यत: सरकारी उपयोग के लिए अपेक्षित वस्तुओं की खरीद हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीयन करता है।

(ख) कम्प्यूटर स्टेशनरी, फोटोकापियर पेपर, डुप्लीकेटिंग और टाइपिंग पेपर की खरीद अनन्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र से किए जाने के लिए आरक्षित है। डीजीएसएंडडी नोटशीड पैडों के लिए दर संविदा नहीं करता है। इसके अलावा एकल स्थानीय पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत एनएसआईसी उन आपूर्तिकर्त्ताओं को भी पंजीकृत करता है जिन्हें डीजीएसएंडडी के पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं के समान माना जाता है। आपूर्तिकर्त्ता अपने खुद के ब्रांड रख सकते हैं।

(ग) आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रत्यय पत्र, विनिर्माण क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली एवं वित्तीय पृष्ठभूमि का सत्यापन डीजीएसएंडडी द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं के कारखानों में अधिकारियों के दौरों के जरिए और आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण के समय डीजीएसएंडडी मैन्युअल में निर्धारित मानदंडों एवं सिद्धांतों के अनुसार दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय आवास नीति

2924. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति के संशोधित संस्करण को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के साथ कार्यान्वित किए जाने की संभावना है जो कि देश में नगरों तथा शहरों के सुव्यवस्थित विकास पर केन्द्रित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आवास और शहरी अवसंरचना में अंतर कम करने के लिए पहले वर्ष में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवायेगा जिसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक कर दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नई नीति द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन जैसे विभिन्न भूमि और भवन संबंधी सुधारों की सिफारिश किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण रूप से अनुमोदित तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) एक नई राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (छ) (क) के अलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हडको के पास महाराष्ट्र के लम्बित प्रस्ताव

2925. श्री देविदास पिंगले: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड के पास ऋण/वित्तीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार की लंबित परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित किए जाने वाले शहरों/कस्बों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लंबित परियोजनाओं के कब तक संस्वीकृत हो जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) हडको को ऋण सहायता के लिए महाराष्ट्र की विभिन्न नगर निगम परिषदों से जल आपूर्ति स्कीमों हेतु 11 प्रस्ताव तथा समेकित कम लागत सफाई स्कीम (आई एल

सी एस) के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 32365.99 लाख रुपए है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं को हडको दिशानिर्देशों के अनुसार तथा संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय एजेंसी द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विवरण

हडको (क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्य कार्यालय) में शुरू की जा रही शहरी अवस्थापना स्कीमें

राज्य: महाराष्ट्र

(राशि: लाख रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम और एजेंसी	परियोजना लागत	ऋण राशि
1.	धारनगांव एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	1406.00	180.00
2.	कटोल एम.सी. में जल आपूर्ति का सुधार	464.00	185.00
3.	देवलाली एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	1760.00	436.00
4.	अम्बेजोगई एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	5962.00	967.00
5.	चिपलन एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	832.00	354.00
6.	औसा एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	437.00	180.00
7.	पारली एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	2697.00	1310.00
8.	आस्था एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	581.00	192.00
9.	चन्द्रपुर एम.सी. में जल आपूर्ति का सुधार	1500.00	1453.00
10.	लातूर एम.सी. में जल आपूर्ति स्कीम	12946.00	1777.00
11.	संगमनेर एम.सी. में जल आपूर्ति बढ़ाना	3226.00	499.00
12.	महाबलेश्वर, गंगापुर, शेनदुरजाना, सतना, कुट्टाबाद, अमरावती, इन्दापुर, धानु और वाई नगरों के लिए 10385 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी शौचालयों के निर्माण के लिए आईएलसी के अंतर्गत प्रस्ताव	554.99	194.38
	कुल	32365.99	7727.38

[अनुवाद]

एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन

2926. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजनाओं (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत परिचालन हेतु लक्षित एवं परिचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आई.सी.डी.एस. राज्यों सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। संस्वीकृत परियोजनाओं के परिचालन में कमी के प्रमुख कारण, जैसा कि राज्य सरकारों ने सूचित किया है, कार्मिक प्रबन्धन, कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अपर्याप्त अवसंरचना तथा इस मामले से संबंधित अन्य प्रशासनिक मुद्दे हैं।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से समय-समय पर इन मुद्दों को हल करने तथा तभी संस्वीकृत परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को शीघ्र परिचालित करने के लिए कहा जाता रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप पिछले एकाध वर्ष में काफी प्रगति हुई है, जैसा कि उपरोक्त संदर्भित विवरण से स्पष्ट है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत, परिचालन हेतु लक्षित एवं परिचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05			2005-06		
		आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या			आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या			आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या		
		संस्वीकृत	परिचालन हेतु लक्षित	परिचालित	संस्वीकृत	परिचालन हेतु लक्षित	परिचालित	संस्वीकृत	परिचालन हेतु लक्षित	परिचालित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	363	354	351	363	363	351	363	363	360
2.	अरुणाचल प्रदेश	58	56	57	58	58	58	58	58	58
3.	असम	196	165	195	196	196	195	196	196	195
4.	बिहार	394	239	183	394	394	249	394	394	390
5.	छत्तीसगढ़	152	152	152	152	152	152	152	152	152
6.	गोवा	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7.	गुजरात	227	227	227	227	227	227	227	227	227
8.	हरियाणा	116	116	116	116	116	116	116	116	116
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72	72	72	72	72	72	72	72
10.	जम्मू-कश्मीर	121	120	120	140	121	121	140	121	121
11.	झारखण्ड	204	168	152	204	204	152	204	204	204
12.	कर्नाटक	185	185	185	185	185	185	185	185	185
13.	केरल	163	163	163	163	163	163	163	163	163
14.	मध्य प्रदेश	336	336	336	336	336	336	336	336	336
15.	महाराष्ट्र	370	365	368	372	372	372	372	372	372
16.	मणिपुर	34	34	34	34	34	34	34	34	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	32	32	32	32	32	32	32	32	32
18.	मिजोरम	21	21	21	21	21	21	21	21	21
19.	नागालैंड	54	53	54	54	54	54	54	54	54
20.	उड़ीसा	326	314	326	326	326	326	326	326	326
21.	पंजाब	142	142	142	142	142	142	142	142	142
22.	राजस्थान	257	257	257	257	257	257	257	257	257
23.	सिक्किम	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24.	तमिलनाडु	434	432	434	434	434	434	434	434	434
25.	त्रिपुरा	40	40	39	40	40	39	40	40	39
26.	उत्तर प्रदेश	836	614	742	834	834	819	834	834	827
27.	उत्तरांचल	99	68	96	99	99	99	99	99	99
28.	पश्चिम बंगाल	358	346	352	358	358	355	358	358	355
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30.	चंडीगढ़	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31.	दिल्ली	29	28	28	29	29	28	29	29	28
32.	दादर व नगर हवेली	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33.	दमन व दीव	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34.	लक्षद्वीप	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35.	पाण्डिचेरी	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	अखिल भारत	5652	5132	5267	5671	5652	5422	5671	5652	5632

जम्मू और कश्मीर में भूकंप पीड़ित

2927. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों सहित उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है जहां से सरकार को जम्मू और कश्मीर के भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए अनुदान/सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) अब तक प्राप्त सहायता/अनुदान का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सहायता/अनुदान का पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार तथा वित्त मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद् की परियोजना

2928. श्री सुकदेव पासवान: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए

"राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद्" की परियोजना पर ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार "राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना" कार्यान्वित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यातायात प्रणाली को सस्ता और किफायती बनाने के लिए "राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना" कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) देश में तीन राष्ट्रीय जलमार्ग पहले से ही हैं; अर्थात् (1) हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी-प्रणाली; (2) ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी खंड और चम्पाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों के साथ-साथ पश्चिमी तट नहर का कोल्लम-कोट्टापुरम खंड। ये राष्ट्रीय जलमार्ग, कम लागत से, कारगर परिवहन मुहैया करवाने के लिहाज से, चरणबद्ध ढंग से विकसित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तीन नए जलमार्गों अर्थात् गोदावरी और कृष्ण नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-पांडिचेरी नहरों, ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा के साथ-साथ पूर्वी तट-नहर तथा बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने की कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

हिन्दी भाषा को बढ़ावा देना

2929. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री राकेश सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राजभाषा विभाग कम्प्यूटरों के लिए देवनागरी लिपि पर एक साफ्टवेयर का विकास कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(ङ) इस साफ्टवेयर को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

1. राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टाइपिंग तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करता है।
2. राजभाषा के संबंध में विभिन्न समितियों की बैठकें बुलाना तथा कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करना।
3. राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का प्रकाशन तथा वितरण।
4. वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
5. तिमाही रिपोर्टों के जरिए केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी प्रयोग की मानीटरिंग करना।
6. विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं इत्यादि का कार्यान्वयन

भगोड़े का प्रत्यर्पण

2930. श्री मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्री अबु सलेम के विरुद्ध टाडा के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) उनके खिलाफ लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अबु सलेम के विरुद्ध टाडा के अंतर्गत तीन मामले दर्ज हैं।

(ख) अबु सलेम, जो 1993 से फरार था, को 18.9.2002 को लिस्बन, पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। सरकार हाल में उसका भारत प्रत्यर्पण कराने में सफल रही है।

[अनुवाद]

गोमांस उद्योग

2931. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में गोमांस उद्योग की स्थापना की अनुमति दी है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस उद्योग से प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गोमांस उद्योग के लिए किसी वित्तीय सहयोग का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार

2932. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों की जांच की कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों से संबंधित मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्मेलन को कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने महिलाओं को शोषण एवं अत्याचार से संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अलावा कुछ विशेष कानून अधिनियमित किए हैं। इन कानूनों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, सती (निवारण) अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम शामिल हैं।

सरकार ने 'राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.)' नामक एक सर्वोच्च स्तरीय सांविधिक निकाय की भी स्थापना की है। आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों की जांच करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सरकार को अनुशंसा करने का अधिदेश प्राप्त है। अपने अधिदेश के अनुसार, रा.म.आ. महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की छानबीन करता है और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष ले जाता है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के कृत्यों एवं अधिदेश के साथ राज्य महिला आयोगों की स्थापना की है।

(ग) इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

2933. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया गया है जैसाकि दिनांक 18 नवम्बर, 2005 के "दी टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर इस कार्यक्रम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ङ) ऐसे राज्यों में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में यह विनिर्दिष्ट है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के साथ विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी विकलांगता की मात्रा, किस्म अथवा श्रेणी की ओर ध्यान न देते हुए उचित परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्ष 2005-06 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 7156.00 करोड़ रु. का बजट है।

(घ) सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शिक्षा और मूल्यांकन परिषद

2934. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा और मूल्यांकन परिषद के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) इसके वर्तमान सदस्यों के क्या नाम है; और

(ग) इसका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय शिक्षा और मूल्यांकन परिषद नामक कोई परिषद् नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों का पुनर्वास

2935. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार इस नीति के अंतर्गत पुनर्वास हेतु बलवार कितने अर्ध-सैनिक बलकर्मी पुनर्वास के पात्र हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक सरकार द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलकर्मियों के पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) पुनर्वास की जरूरत केवल उन्हीं कार्मिकों के लिए होती है जो छोटी आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सामान्यत:, केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिक 57 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं और वे सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पाने के पात्र होते हैं। अत: उनकी कोई पुनर्वास आवश्यकता नहीं है।

निजी विद्यालयों में अनियमितताएं

2936. श्री सीता राम यादव:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विद्यालयों में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्राधिकरण के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है और इसकी शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में एक समान पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन हेतु कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के आधार पर अपने से संबद्ध सभी विद्यालयों में एक समान पाठ्यचर्या कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 तैयार की है जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा के नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। राज्यों से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 को ध्यान में रखकर अपनी पाठ्यचर्याएं और पाठ्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा की गई है।

[अनुवाद]

जलमार्गों के विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं

2937. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जलमार्गों के विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां पर कार्य आरंभ हो चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में पूरे होने वाले मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज की तारीख तक विभिन्न राज्य सरकारों को जलमार्गों के विकास हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई और उपयोग की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सर्वेक्षण/अध्ययन, जलमार्ग-विकास, नौचालन से संबंधित सुविधाओं-साधनों, टर्मिनल-सुविधाओं और इन कार्य-कलापों के निष्पादन पर नजर रखने हेतु पर्यवेक्षण और परामर्शी सेवाओं के लिए सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को 100% अनुदान और अन्य राज्यों को 90% अनुदान मुहैया करवाया जाता है। उपर्युक्त परियोजनाएं, संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी होती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सब मिलाकर, 24 परियोजनाएं मंजूर कर दी गई हैं। इन परियोजनाओं का उनसे जुड़े मार्गों से सहित ब्योरा विवरण-I में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों को मुहैया करवाई गई धनराशि और उनके द्वारा इस्तेमाल कर ली गई धनराशि का ब्योरा विवरण-II में है। किसी भी राज्य द्वारा अभी तक किसी भी परियोजना का निष्पादन पूरा नहीं किया गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में चरणों में किए जाने हेतु तय किए गए व्यय और उपर्युक्त परियोजनाएं मंजूर करते समय उनका निष्पादन पूरा किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, 18 परियोजनाओं का निष्पादन पूरा कर लिया जाना नियत है।

विवरण I

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्योरा और उनके मार्ग

क्र.सं.	राज्य		परियोजना का नाम	संस्वीकृत लागत लाख रु. में	संस्वीकृति का वर्ष	मार्ग	टिप्पणियां
1	2		3	4	5	6	7
1.	असम	1.	ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर टर्मिनल सुविधाएं	351.68	2003-04	गुवाहाटी के आस-पास ब्रह्मपुत्र नदी	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		2.	ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर टर्मिनल सुविधाएं	260.40	2003-04	गुवाहाटी के आस-पास ब्रह्मपुत्र नदी	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		3.	ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर स्थित मुख्य घाटों पर 11 प्लवमान जेट्टीयों का विकास	420.40	2004-05	ब्रह्मपुत्र के आर-पार फेरी मार्ग	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
			उपजोड़	1032.48			

1	2		3	4	5	6	7
2.	बिहार	1.	पटना में अं.ज.प. पर आधारित पर्यटन पर लक्षित नदी मुख्य विकास के लिए डीपीआर	25.00	2003-04	-	केवल परियोजना डीपीआर
		2.	गंदक नदी में अं.ज.प. सुविधाओं के विकास के लिए हाइड्रोमोरफोलाजिकल डाटा एकत्र करना और डीपीआर तैयार करना	30.00	2003-04	-	केवल परियोजना डीपीआर
		3.	कोसी नदी में अं.ज.प. सुविधाओं के विकास के लिए हाइड्रोमोरफोलाजिकल डाटा एकत्र करना और डीपीआर तैयार करना	30.00	2003-04	-	केवल परियोजना डीपीआर
		4.	सोन नदी में अं.ज.प. सुविधाओं के विकास के लिए हाइड्रोमोरफोलाजिकल डाटा एकत्र करना और डीपीआर तैयार करना	30.00	2003-04	-	केवल परियोजना डीपीआर
			उपजोड़	115.00			-
3.	गोवा	1.	मापूसा, चापोरा और खाल नदियों में स्थित गोवा के अंतरदेशीय जलमार्गों में ताजा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना	109.00	2005-06	-	परियोजना सर्वेक्षण कार्य के लिए है
			उपजोड़	109.00			-
4.	हिमाचल प्रदेश	1.	गोविंद सागर झील में परिगमन सुविधाओं के लिए अ.ज.प. का विकास	117.40	2004-05	गोविंद सागर झील के आर-पार	
			उपजोड़	117.40			
5.	कर्नाटक	1.	कर्नाटक में अं.ज.प. के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण	56.70	2003-04	-	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना केवल व्यवहार्यता अध्ययन के लिए है
			उपजोड़	56.70			-
6.	केरल	1.	टीएस कनाल के वेली कोक्लम विस्तार का पुनरुत्थान	362.22	2004-05	टीएस कनाल का वेली कोक्लम विस्तार	
			उपजोड़	362.22			
7.	महाराष्ट्र	1.	विष्णुपुरी के पास गोदावरी नदी में अं.ज.प. के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव	272.21	2003-04	विष्णुपुरी के पास गोदावरी नदी	राज्य सरकार से प्राप्त जून 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		2.	करंजा पर दक्षिण मुंबई से अंबा नदी/धर्मतर क्रीक और विलोमत: अं.ज.प. के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव	481.54	2003-04	अंबा नदी/धर्मतर क्रीक	राज्य सरकार से प्राप्त जून 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		3.	मांडवा पर दक्षिण मुंबई से मांडवा तक (अंबा नदी/धर्मतर क्रीक और विलोमत:) अं.ज.प. के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव	410.95	2003-04	अंबा नदी/धर्मतर क्रीक	राज्य सरकार से प्राप्त जून 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		4.	राजपुरी हर म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अं.ज.प. के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव	469.45	2003-04	म्हासला/मंदाद नदी	राज्य सरकार से प्राप्त जून 2005 की रिपोर्ट के अनुसार

1	2		3	4	5	6	7
		5.	महाराष्ट्र में बंधारा किले के पास म्हासल/ मंदाद नदी (रत्नपुरी ब्लॉक) में अं.ज.प. के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव	124.60	2003-04	म्हासल/मंदाद नदी	राज्य सरकार से प्राप्त जून 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		6.	दिगही में म्हासल/मंदाद नदी (रत्नपुरी ब्लॉक) में अं.ज.प. के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव	499.39	2004-05	म्हासल/मंदाद नदी	राज्य सरकार से प्राप्त जून 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
			उपजोड़	2258.14			
8.	मध्य प्रदेश	1.	मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और रानी अवंति बाई सागर जलाशयों में अंतर-जलाशयी परिवहन का विकास	59.74	2004-05	मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और रानी अवंति बाई सागर जलाशयों के आर-पार	
			उपजोड़	59.74			-
9.	उड़ीसा	1.	मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए उड़ीसा राज्य में अं.ज.प. क्षेत्र का विकास	204.00	2003-04	चांदबाली और चिल्का के आस-पास विभिन्न मार्ग	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		2.	जलमार्ग विकास और उड़ीसा राज्य में भविष्य में अं.ज.प. क्षेत्र के विकास के लिए डीपीआर तैयार करना	10.30	2003-04	-	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
			उपजोड़	214.70			-
10.	उत्तर प्रदेश	1.	लखनऊ शहर में गऊ घाट पंपिंग स्टेशन से गोमती नगर बराज तक गोमती नदी में अं.ज.प. प्रारंभ करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	10.00	2005-06	-	परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन के लिए है।
			उपजोड़	10.00			
11.	पश्चिम बंगाल	1.	त्रिवेनी और फरक्का के बीच रा.रा.-1 पर गैंगवे पंटून शैली की 53 प्लवमान बेट्टीयों और 4 आर सी सी स्तंभवे बेट्टीयों का निर्माण	2261.50	2003-04	पश्चिम बंगाल में त्रिवेनी और फरक्का के बीच भगीरथी/हुगली नदी के आर-पार	राज्य सरकार से प्राप्त अक्तूबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		2.	हल्दिया और त्रिवेनी के बीच दक्षिणेश्वर, सेओखेरफुली, मनीरामपुर, संतोषपुर (आकरा) और नंदीग्राम पर गैंगवे पंटून शैली की 4 बेट्टीयों और 1 आर सी सी स्तंभवे बेट्टीयों का निर्माण	372.82	2004-05	पश्चिम बंगाल में हल्दिया और त्रिवेनी के बीच हुगली नदी के आर-पार	राज्य सरकार से प्राप्त नवंबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
		3.	सुंदरवन में सहिबखली नदी पर नेमूखली और दुलदुली पर 2 गैंगवे सह पंटून बेट्टीयों का निर्माण	460.00	2004-05	सुंदरवन में सहिबखली नदी पर नेमूखली से दुलदुली तक	राज्य सरकार से प्राप्त अक्तूबर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
			उपजोड़	3094.32			
			कुल जोड़	7429.70			

विवरण II

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किया गया और प्रयोग में लाया गया धन

(आंकड़े लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी किया गया धन				प्रयोग में लाया गया धन			
		2003-04	2004-05	2005-06	कुल	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1.	असम	122.00	345	–	467.00	122.00	175.00	–	297.00
2.	बिहार	21.00	–	–	21.00	–	–	–	0.00
3.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	–	20.00	–	20.00	–	20.00	10.00	30.00
5.	कर्नाटक	11.34	39.69	–	51.03	–	42.84	–	42.84
6.	केरल	–	65.3	–	65.30	–	–	–	0.00
7.	महाराष्ट्र	336.19	472.72	–	808.91	–	118.07	39.12	157.19
8.	मध्य प्रदेश	–	10.8	–	10.80	–	–	–	0.00
9.	उड़ीसा	42.86	–	–	42.86	–	16.97	–	16.97
10.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	0.00
11.	पश्चिम बंगाल	452	560.00	–	1012.00	–	224.25	253.82	478.07
	कुल जोड़	985.39	1598.24	–	2498.90	122.00	597.13	302.94	1022.07

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

2938. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पहले दो चरणों के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है और कितने राजमार्गों को चौड़ा करने और उनको चार लाइनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में विलंब के लिए ठेकेदारों की गलत चयन प्रक्रिया जिम्मेदार है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पहले दो चरणों के अंतर्गत 13146 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने का लक्ष्य है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 की मरम्मत की घटिया गुणवत्ता

2939. योगी आदित्यनाथ: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 पर गोरखपुर-बड़हालगंज में हाल ही में की गई घटिया मरम्मत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य को मानकों के अनुसार न करने के लिए कौन लोग और प्राधिकरण जिम्मेदार है और उक्त कार्य को मानकों के अनुसार कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 29 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत कार्य मंत्रालय के विनिर्देश और मानकों के अनुसार किए गए हैं।

(ख) अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात आंकड़े

2940. श्री तूफानी सरोज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार संबंधी सांख्यिकी के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा सरकार को गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक ने निर्यात करने वाली ऐसी कंपनियों की सूची बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) निर्यातक निर्यात एवं आयात के वर्गीकरण की आईटीसी सुमेलीकृत प्रणाली के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण सीमाशुल्क दस्तावेजों (नौवहन बिल) में सदैव सही कोड प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) अपने वैधीकरण कार्यक्रम के जरिए ऐसी गलतियों की सूची तैयार करता है और व्यापार आंकड़े जारी करने से पहले इनमें सुधार करता है।

(ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय और डीजीसीआईएण्डएस के सहयोग से सभी निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों द्वारा गुणवत्ता युक्त व्यापार आंकड़े विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और निर्यातकों/आयातकों को प्रसार कार्यक्रम के जरिए जानकारी दी जा रही है।

[अनुवाद]

मुखर्जी आयोग के कार्यकाल का विस्तार

2941. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मौत की जांच करने वाले मुखर्जी आयोग का स्थापना किस तारीख को की गई थी;

(ख) इस आयोग के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया गया है और प्रत्येक मामले में ऐसे विस्तार के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयोग ने किसी अन्य देश की यात्रा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) मुखर्जी आयोग की स्थापना 14 मई, 1999 को की गई थी।

(ख) आयोग को अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नौ बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया।

(ग) और (घ) आयोग ने यू.के., जापान, ताईवान और रूसी संघ (रसियन फेडरेशन) की यात्रा की और प्रत्येक यात्रा पर हुआ व्यय निम्नानुसार है:-

जिस देश की यात्रा की	किया गया व्यय
यू.के.	3,13,760 रुपए
जापान	4,39,635 रुपए
ताईवान	1,47,288 रुपए
रूसी संघ (रसियन फेडरेशन)	2,01,761 रुपए

आंध्र प्रदेश में जनजातीय लोग

2942. डा. बाबूराव मिडियम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के नौ जिलों के 753 गांवों को पांचवीं अनुसूची से बाहर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने जनजातीय उपयोजना एवं अनुसूचित क्षेत्र को को-टर्मिनस बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के नौ जिलों में 805 गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	मौजूदा अनुसूचित गांवों की संख्या	आंध्र प्रदेश में पांचवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित गैर-अनुसूचित उप-योजना गांवों की संख्या
1.	श्रीकाकुलम	108	240
2.	विजयनगरम	298	183
3.	विशाखापट्टनम	3373	91
4.	ईस्ट गोदावरी	559	40
5.	वेस्ट गोदावरी	102	1
6.	खम्माम	889	5
7.	वारंगल	177	77
8.	आदिलाबाद	412	164
9.	महबूबनगर	23	4
	कुल	5941	805

बच्चों और अभिभावकों का साक्षात्कार

2943. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विद्यालय बच्चों और उनके अभिभावकों का साक्षात्कार लेते है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स के अनुसार इसकी अनुमति है;

(ग) यदि नहीं, तो साक्षात्कार लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन विद्यालयों द्वारा प्रवेश के लिए डोनेशन की मांग की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बच्चों को अपनी पसंद के विद्यालयों में बिना डोनेशन प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 145(1) के प्रावधानों के अंतर्गत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास बच्चों को दाखिला देने का अधिकार निहित है। उक्त नियमावली में यह प्रावधान है कि "प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर या विशेष कक्षा या स्कूल में उसके परिणाम के आधार पर मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल या उसकी किसी भी कक्षा में दाखिले विनियमित करेंगे।"

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि जब कभी भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तब उस शिकायत की जांच होती है और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाती है।

तंबाकू उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2944. श्री सुबोध मोहिते: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिगरेट और तम्बाकू उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय सिगरेट कंपनियां देश में लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन)

अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सिगरेटों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मौजूदा नीति के अंतर्गत सिगरेटों तथा सिगारों के विनिर्माण में एफडीआई के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पुनर्गठन पैकेज

2945. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर वित्तीय प्रबंधन, जन प्रबंधन और परियोजना की मंजूरी में होने वाले विलंब के मद्देनजर स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समिति/बोर्ड का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड/समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इंजीनियरिंग-खरीद-निर्माण से संबंधित आन-लाइन सूचना प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश के विभिन्न भागों में विशेषकर तमिलनाडु में कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(झ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालयों को अपने ठेकेदारों और पूरे देश में पथकर संग्रह बूथों से परस्पर जोड़ने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है ताकि इसे एक बहु-विषयक व्यावसायिक निकाय बनाया जा सके। यह अंतर-मंत्रालयी समिति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के लिए विभिन्न फारमेट पर विचार कर रही है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(च) और (छ) खरीद संबंधी सभी प्रक्रियाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाली जाती हैं।

(ज) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(झ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी कार्यालय पहले से ही फैक्स, फोन और ई-मेल से जुड़े हुए हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और टोल-प्लाजा को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित करके इस संपर्क में और सुधार का प्रस्ताव है। इस संपूर्ण प्रणाली की खरीद के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत सौंपे गए ठेकों के ब्योरे

राज्य	2002 सौंपी गई लंबाई (कि.मी.)	2003 सौंपी गई लंबाई (कि.मी.)	2004 सौंपी गई लंबाई (कि.मी.)	2005 (30.11.2005 तक) सौंपी गई लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
असम			34	485.8
आंध्र प्रदेश	188.11			162.16

1	2	3	4	5
बिहार	30			433.09
छत्तीसगढ़				45
गुजरात		52		504.3
हरियाणा				10
जम्मू-कश्मीर	17.2	17.8		98.3
कर्नाटक	430.6			37
महाराष्ट्र	172		14.35	448.2
मध्य प्रदेश				182
पंजाब				93
राजस्थान		90.38		649
तमिलनाडु	93		77.8	744.23
उत्तर प्रदेश	234.18	17.02	84.1	749.59
पश्चिम बंगाल	188.46			83
केरल			10	40
उड़ीसा			77	
बिहार/झारखंड	80			
दिल्ली/हरियाणा	27.7			
उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश				41
उत्तर प्रदेश/बिहार	76			
पंजाब/हरियाणा				36
पंजाब/हिमाचल				40
जोड़	1537.25	177.2	297.25	4881.67

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय भत्ता

2946. श्री डी.बी. पाटिल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता प्रदान करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय कर्मचारियों को ऐसा भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) जहां तक महाराष्ट्र सरकार का संबंध है, उसने (राज्य सरकार द्वारा यथाचिह्नित) नक्सल प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों को मूल वेतन की 15% राशि, जिसकी न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रमशः 200/- रुपए तथा 1500/- रुपए होगी, प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में देने की योजना बनाई है। तद्नुसार नांदेड जिले के नक्सल प्रभावित किनवत तालुक में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है।

(घ) जहां तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें निम्नांकित शर्तों पर अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है:-

"उन राज्यों में जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु ये भत्ते बंद कर दिए गए हों, वहां भत्ते बंद करने की तिथि से ही केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी भत्ते बंद कर दिए जाएंगे तथा जिन राज्यों में ये भत्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाते रहेंगे, वहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों पर भत्ते स्वीकृत किए जाएंगे।"

[अनुवाद]

बागान कामगार

2947. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बागान कामगार संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विशेषकर केरल राज्य में अनेक बागानों में महामारी सहित अन्य बीमारियां, गरीबी आदि विद्यमान हैं;

(घ) क्या ऐसे क्षेत्रों में एड्स का भी पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) यह कहना सही नहीं होगा कि बागान श्रमिक देश में संकट का सामना कर रहे हैं। रबड़ और काफी जैसे कुछ बागानों में हाल के महीनों में स्थितियों में सुधार मालूम हुआ है। चाय के मामले में भी हाल में औसत नीलामी कीमतों में कुछ सुधार हुआ है। काली मिर्च की कीमतों में भी काली मिर्च के निर्यात पर निर्यात सब्सिडी स्कीम की घोषणा के पश्चात् कुछ सुधार मालूम हुआ है। वनीला की कीमतें वर्ष 2001 के स्तर तक जाकर सामान्य हो गई हैं। बागान उद्योग के श्रमिकों की सेवा शर्तें बागान श्रमिक अधिनियम द्वारा विनियमित होती हैं और श्रमिकों को समझौता किया हुआ वेतन अथवा न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहा है।

(ग) से (ङ) सामान्य तौर पर बागान श्रमिकों को कतिपय न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहे हैं। महामारियों और एड्स सहित बीमारियां देश के किसी अन्य भाग की तरह बागान क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। बागान श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा कतिपय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

छात्रों को छात्रवृत्ति

2948. श्री पी. मोहन:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए घोषित की गई छात्रवृत्ति योजना ज्यादा छात्रों को आकर्षित नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार योजना की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार दो स्कीमों नामतः इकलौती बालिका सन्तान के लिए इंदिरागांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति तथा विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति पर छात्रों की अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त अभ्यावेदन/सुझाव

2949. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त अभ्यावेदनों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग की 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सूचनाएं प्राप्त/मंगाकर संकलन किया जा रहा है, ताकि रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। ये सिफारिशें जिन क्षेत्रों से संबंधित हैं, वे इस प्रकार हैं:

(1) सैनिकों की पत्नियों तथा युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं का क्षमता विकास एवं कल्याण।

(2) कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं को तकनीकी जानकारी प्रदान करना।

(3) झुग्गी-बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं की शिक्षा एवं साक्षरता।

(4) बाल विवाह उन्मूलन।

(5) महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।

(6) शासन और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी।

(7) जनजातीय महिलाओं का सामाजार्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण।

आयोग ने 2003-04 की अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को अलग से भेजने का अनुरोध किया गया है, ताकि की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के संकलन हेतु उन सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा जा सके।

आयोग की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

परम्परागत उद्योग

2950. श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार द्वारा राज्य में परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तुत की गई योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) केरल सरकार ने केरल के परंपरागत उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में, 2004-2005 के दौरान केरल में कयर उद्योग के विकास के लिए 17.64 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है। इस प्रस्ताव का मद-वार ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मद	राशि (रुपये लाख में)
1.	2004-2005 के लिए बाजार विकास सहायता	400
2.	कयर सोसाइटियों का आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन	644
3.	कताई कयर सहकारी समितियों का पुनरुद्धार	135
4.	मज्जा प्रसंस्करण	210
5.	रेशा निकालने वाली इकाइयों के लिए एक-बारगी सहायता	75
6.	महिला कयर योजना	300
	योग	1764

वित्त मंत्री ने अपने 2004-2005 के बजट भाषण में परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु एक निधि स्थापित करने की घोषणा की है। इस निधि को चलाने की नीतियां तैयार करने में नोडल भूमिका केन्द्र सरकार के कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को सौंपी गई है। केन्द्र सरकार ने 97.25 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ एक स्कीम अनुमोदित की है जिसका नाम "परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि स्कीम" (एसएफयूआरटीआई) है। इस स्कीम का उद्देश्य, 2005-2006 से शुरू कर पांच वर्षों की अवधि में खादी, कयर और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में (कुम्हारी (पाटरी) सहित) कुल 100 क्लस्टर को विकसित करना है। इस स्कीम के लिए कार्यान्वयन/मानीटरिंग एजेंसियां हैं- कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय तथा उसके संगठन/संस्थाएं, राज्य सरकारें, उनके संबंधित संगठन, गैर-सरकारी संगठन आदि। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के तहत कयर क्लस्टर-अलापुजा को अनुमोदित कर इसके लिए 14.20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। आयुर्वेदिक क्लस्टर त्रिसूर, केरल को भी अनुमोदित किया गया है और योजना आयोग से औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के लिए निधियां बढ़ाने की सहमति मिल जाने के बाद निधियां जारी कर दी जाएंगी। परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि स्कीम (एसएफयूआरटीआई) से संबंधित दिशा-निर्देश, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट http://ari.nic.in पर उपलब्ध हैं।

तटीय सुरक्षा

2951. डा. के.एस. मनोज: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने वाले मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने देश की तटीय रेखा की सुरक्षा हेतु एक बल का गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) इस समय किन-किन राज्यों में तटीय सुरक्षा बल काम कर रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान तटीय सुरक्षा बलों का गठन करने और उसका संवर्धन करने हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) मंत्रियों के ग्रुप ने, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर अपनी रिपोर्ट में सभी तटीय राज्यों और द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त समुद्री पुलिस गठित करने की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के बाद इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है:

गुजरात	5842.60 लाख रुपये
महाराष्ट्र	4092.60 लाख रुपये
गोवा	1653.50 लाख रुपये
कर्नाटक	2711.90 लाख रुपये
केरल	4356 लाख रुपये
तमिलनाडु	4408 लाख रुपये
आंध्र प्रदेश	3267 लाख रुपये
उड़ीसा	2722.50 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल	3353.40 लाख रुपये
पांडिचेरी	544.50 लाख रुपये

[हिन्दी]

काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठन

2952. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजनाओं को वास्तव में लागू करने के बारे में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) गृह मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को लागू करता है जो

निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रमों वाले संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोगिता को नियमित करता है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले संगठनों का निरीक्षण किया जाता है तथा विस्तृत जांच करने के पश्चात् या तो उन्हें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से वर्जित किया जाता है अथवा पूर्व-अनुमति प्राप्त करने वालों के वर्ग में रखा जाता है। इस कानून के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने की कोई अवधारणा नहीं है।

वर्जित/पूर्व अनुमति वर्ग के अंतर्गत रखे गए संगठनों की सूची गृह मंत्रालय की वेब साइट http://www.mha.nic.in/fore.htm. पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सशस्त्र बलों/अर्ध-सैनिक बलों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले

2953. श्री जोवाकिम बखला:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध बल-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन सभी मामलों में कार्यवाही पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे मामलों में कार्यवाही के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों/अर्द्ध सैनिक बलों के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), के पास दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सशस्त्र बल	अर्ध सैनिक बल
2002-03	224	138
2003-04	149	95
2004-05	123	61

(ख) से (ङ) सशस्त्र बलों के संबंध में, वर्ष 2002-03 के दौरान दर्ज 224 मामलों की तुलना में, पिछले वर्षों के बकाया मामलों सहित वर्ष के दौरान 140 मामले निपटाए गए। 2003-04 के दौरान दर्ज किए गए 149 मामलों की तुलना में, वर्ष के दौरान 97 मामले निपटाए गए। वर्ष 2004-05 के दौरान दर्ज 123 मामलों की तुलना में, वर्ष के दौरान 98 मामले निपटाए गए। अर्ध सैनिक बलों के संबंध में, वर्ष 2002-2003 में दर्ज 138 मामलों की तुलना में, पिछले वर्षों के बकाया मामलों सहित वर्ष के दौरान 154 मामले निपटाए गए। वर्ष 2003-04 के दौरान दर्ज 95 मामलों की तुलना में, वर्ष के दौरान 61 मामले निपटाए गए। वर्ष 2004-05 के दौरान दर्ज 61 मामलों की तुलना में, वर्ष के दौरान 59 मामले निपटाए गए।

सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक बलों द्वारा उल्लंघन के मामलों में जांच, उन पर लागू विभिन्न अधिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी है। जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी इस बारे में कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है जिसने एन.एच.आर.सी. अपनी कार्यवाही पूरी कर सके। तथापि, शिकायतों को शीघ्रातिशीघ्र निपटान हेतु हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

अफगानी नागरिकों को नागरिकता देना

2954. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में अराजकता के दौरान और उसके बाद भारतीय मूल के अफगानी नागरिक काफी बड़ी संख्या में भारत आए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में अस्थायी रूप से रह रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी वीजा अवधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उन्हें भारत की नागरिकता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार से निपटने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली, चेन्नै और फरीदाबाद (हरियाणा) में रह रहे भारतीय मूल के अफगान राष्ट्रिकों की संख्या क्रमश: 18,433; 04 और 853 है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें 30.6.2006 तक भारत में रहने की अनुमति दी गई है।

(ग) से (ङ) नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार अफगान राष्ट्रिकों सहित विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। पात्र अफगान राष्ट्रिक इसके लिए अपने निवास स्थान के जिला समाहर्त्ता को आवेदन कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर पुल का निर्माण

2955. श्री ए. साई प्रताप: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोड सेफ्टी फोरम से आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर एक पुल बनाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विस्तार इस सड़क के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ यह बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। कुमारदेवम (पश्चिमी गोदावरी जिला) और ततीलेरू (पूर्वी गोदावरी जिला) के बीच गोदावरी नदी पर पुल के लिए तकनीकी सर्वेक्षण करने हेतु सड़क सुरक्षा मंच से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं है क्योंकि प्रस्तावित पुल रा रा 5 पर नहीं पड़ता। चूंकि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित नहीं है, अत: इस पर राज्य सरकार को उपयुक्त कार्रवाई करनी है।

[हिन्दी]

सोने का आयात

2956. श्री मित्रसेन यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सोने के आयात में वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सोने की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सोने की खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 2005-सितंबर, 2005 के दौरान स्वर्ण के आयात का मूल्य 26905.20 करोड़ रु. (अनंतिम) है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसका मूल्य 19024.77 करोड़ रु. था।

(ग) से (ङ) देश में स्वर्ण की खपत मुख्यत: असंगठित क्षेत्र में होती है। इसलिए देश में स्वर्ण की खपत संबंधी कोई निश्चित अनुमान नहीं है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच

2957. श्री संतोष गंगवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों विशेषकर उत्तरांचल की सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है;

(ख) जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का अनुरोध किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए हैं उनका मामले-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है उनकी संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल सरकार के अनुरोध पर सीबीआई द्वारा केवल एक ऐसा मामला दर्ज किया गया

है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारी श्री पी.डी. रतौरी, आई पी एस (यू.सी. 68) तथा श्री राकेश मित्तल, आई पी एस (यू.सी.: 73) शामिल हैं। सी.बी.आई. ने जांच पूरी कर ली है।

[अनुवाद]

सुनामी द्वारा लघु उद्योगों को नुकसान

2958. श्री सुव्रत बोस: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी की तबाही के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा अंडमान और निकोबार में काफी लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), में सुनामी से प्रभावित लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के बारे में सूचित की गई संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुनामी से प्रभावित लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों की संख्या
तमिलनाडु	168
आंध्र प्रदेश	–
केरल	85
अंडमान एवं निकोबार	176

(ग) प्रभावित उद्योगों सहित प्रभावित व्यक्तियों को राहत के विशेष पैकेज के लिए केन्द्रीय सहायता मांगे जाने तथा उन्हें अपेक्षित राहत प्रदान किए जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कदम उठाए गए हैं। सरकार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की राहतों के लिए क्रमश: 2347.19 करोड़ रुपये, 249.36 करोड़ रुपये, 70.00 करोड़ रुपये और 821.88 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के पैकेज का अनुमोदन किया है।

विशेष कृतिक बल द्वारा ज्यादतियां करना

2959. डा. आर. सेनथिल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीरप्पन को पकड़ने वाले विशेष कृतिक-बल द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच हेतु गठित सदशिवम पैनल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी, हां। सदशिवम पैनल ने अपनी मुख्य टिप्पणियों और सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लेख किया है कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा, विशेष कार्य बल द्वारा पुलिस शक्तियों का पालन करने हेतु उनका क्षेत्राधिकार औपचारिक रूप से अधिसूचित करना चाहिए था, टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार और लम्बी समयावधि तक के लिए जेल में रखे गए व्यक्तियों को समय से राज्य छानबीन समिति द्वारा अपने मामलों की समीक्षा करवा लेनी चाहिए थी, आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) की धारा 32 के अंतर्गत बयानों को सक्षम रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा ही रिकार्ड किया जाना चाहिए जो जांच-पड़ताल अथवा इसके पर्यवेक्षण से सीधे संबंधित न हो, विशेष कार्य बल द्वारा की गई ज्यादतियों से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जिन्हें न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता तथा ऐसी ज्यादतियों के विरुद्ध रोकथाम के लिए स्वत: निर्मित तंत्र होना चाहिए जो विशेष कार्य बल द्वारा की गई थी, मुठभेड़ के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से न्यायिक जांच की जानी चाहिए, विशेष कार्य बल को उपयुक्त संचार उपकरण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ग्रामीणों की सद्भावना प्राप्त करने तथा कानून प्रवर्तन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों से भी पुलिस में भर्ती की जानी चाहिए, कथित ज्यादतियों के पीड़ितों, राज्य समीक्षा समिति द्वारा उनके मामलों की उपयुक्त समीक्षा न किए जाने के कारण लम्बे समय तक जेल में रहे टाडा कैदियों तथा संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान। एन एच आर सी ने न्यायाधीश ऐ.जे. सदशिवम पैनल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई बताने के लिए सदशिवम पैनल रिपोर्ट उन्हें भेज दी। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों की टिप्पणियां आयोग को प्राप्त हो गई हैं जिसने निर्देश दिया है कि इन्हें सदशिवम पैनल की सिफारिशों के प्रति के साथ शिकायतकर्त्ता को भेज दिया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के साथ-साथ चार लेन की सड़क बनाना

2960. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कन्नड़ में सूरतकल को कुंदपुरा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के साथ-साथ चार लेन की सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। रा.रा. 17 के कुन्दापुरा से सूरतकल खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण पर चार लेन का बनाए जाने के लिए शामिल किया गया है। इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इसे दिसम्बर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, चूंकि परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है, परियोजना की लागत के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

आयुर्वेदिक उत्पाद

2961. श्री उदय सिंह:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद आयुर्वेदिक उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या इन उत्पादों के निर्यातकों ने सरकार से उनकी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कुछ देशों ने आयुर्वेदिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर
2003-04	21.83*
2004-05	62.62*

*स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

(वर्ष 2003-04 से पहले डीजीसीआईएण्डएस द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में अलग विवरण नहीं रखा गया था।)

(ख) और (ग) आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यातकों से हाल में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) कनाडा के स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ कनाडा ने कुछ कम्पनियों द्वारा विनिर्मित कतिपय भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयों में भारी धातुओं, जैसी सीसे, पारे एवं/अथवा संखिया की मात्रा अनुमत्य सीमा से कथित रूप से अधिक होने के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(च) भारत-कनाडा संयुक्त आयोग की सितम्बर, 2005 में आयोजित पिछली बैठक में यह मामला उठाया गया था। सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध औषधी निर्माताओं को अपने निर्यात उत्पादों में भारी धातुओं की अनुमत्य सीमाओं में उपस्थिति के बारे में स्वप्रमाणपत्र देने का परामर्श भी दिया है।

नकली उत्पादों का आयात

2962. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बांग्लादेश के कुछ ऐसे उत्पादों विशेषकर फलों से तैयार किये गये ब्रांड वाले पेयों का आयात किया जा रहा है जिनमें विषैले तत्वों को छोड़कर फलों का जरा-सा भी कंटेंट रस नहीं है, उन्हें असम और त्रिपुरा क्षेत्र में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयात करने वाली एजेंसी के विरुद्ध जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसे आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) प्रश्न के उत्तर के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्ति

2963. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.जी.सी. ने विज्ञान के विषयों के लिए अधिक धनराशि, अधिक छात्रवृत्ति और अध्यापक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है और इस विषय में क्या लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विद्यमान विश्वविद्यालय प्रणाली में बुनियादी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक कार्यबल गठित किया था। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान वैज्ञानिकों के 1000 पद सृजित करने, भारतीय विश्वविद्यालयों से पी.एचडी करने वालों की संख्या में पांच गुना वृद्धि करने और डाक्टोरल अनुसंधान इत्यादि करने के लिए बुनियादी विज्ञान में अध्येतावृत्ति के प्रावधान शामिल हैं। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रिम कार्रवाई हेतु दे दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन को घाटा

2964. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** आईटीपीओ के घाटे के बारे में दिनांक 9 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2391 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन ने अभी तक कुल कितने घाटे की भरपाई कर ली है;

(ख) फरवरी, 2003 में मास्को में हुई भारत व्यापार प्रदर्शनी संबंधी कई अनियमितताओं के संबंध में की गई सतर्कता जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) दिनांक 5.12.2005 की स्थिति के अनुसार 233.91 लाख रुपए में से 93.15 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) सात अधिकारियों के विरुद्ध बड़े दण्ड की कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 और 58 को छह लेनों का बनाना

2965. श्री शिशुपाल पटले:
श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-24 और 58 पर भीड़भाड़ कम करने के लिए उन्हें छह लेनों में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन राजमार्गों पर मरम्मत कार्य किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इनके मरम्मत कार्य पर अभी तक वर्षवार कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रा.रा. 58 के दिल्ली से मेरठ खंड को ही 6 लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, हां। उपर्युक्त राजमार्ग की स्थिति पर निगरानी रखी जाती है और आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) रा.रा. 24 और रा.रा. 58 की मरम्मत पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है:-

रा.रा. सं.	गत तीन वर्षों के दौरान किए गए मरम्मत कार्य पर व्यय (लाख रु.)			चालू वर्ष के दौरान किए गए मरम्मत कार्य पर व्यय (लाख रु.)	जोड़ (लाख रु.)
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	
24	435.36	1129.48	1916.59	255.11	3736.54
58	608.47	592.63	898.07	584.92	2684.09

अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेनों में बदलना

2966. श्री काशी राम राणा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेनों से 6 लेनों में बदलने को मंजूरी दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे अभी तक 4 लेनों से 6 लेनों में न बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) सूरत से वडोदरा तक के मार्ग को 4 लेनों से 6 लेनों में कब तक बदले जाने की संभावना है और गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति ने विद्यमान चार लेन के 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें अहमदाबाद से मुंबई और सूरत से वडोदरा खंडों सहित स्वर्णिम चतुर्भुज की संपूर्ण 5846 कि.मी. लंबाई शामिल होगी। इसके ब्योरों के बारे में योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मसालों का मूल्य

2967. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान इलायची और वनीला सहित कई मसालों के मूल्यों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मसालों के मूल्य में लगातार गिरावट आने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। इलायची तथा वैनीला सहित कुछ मसालों के मूल्यों में गिरावट आई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत के प्रमुख बाजारों में मसालों के औसत घरेलू मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मूल्य रुपये प्रति कि. ग्राम)

मसाले	बाजार	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
काली मिर्च	कोचीन	88.32	74.11	69.08
इलायची (छोटी)	नीलामी मूल्य*	561.26	361.03	295.23

1	2	3	4	5
इलायची (बड़ी)	गंगटोक	141.36	114.96	91.88
मिर्च	गुण्टूर	31.98	39.14	28.71
अदरक	कोचीन	40.90	68.56	130.36
हल्दी	कोचीन	41.91	48.22	52.78
धनिया	मुम्बई	25.94	27.88	19.04
जीरा	मुम्बई	81.44	66.30	68.31
अजवाइन	मुम्बई	26.53	26.69	28.12
सौंफ	मुम्बई	51.24	50.02	45.76
मेथीदाना	मुम्बई	16.89	17.19	15.67
लहसुन	मुम्बई	35.12	16.83	19.80
खसखस	मुम्बई	145.09	159.35	151.85
अजवाइन बीज	मुम्बई	43.89	49.53	51.73
सोआ बीज	मुम्बई	27.32	27.80	25.45
सरसों	दिल्ली	15.95	20.43	18.13
इमली	मुम्बई	17.12	17.34	32.81
लौंग	कोचीन	414.30	211.84	249.03
साबुत जायफल	कोचीन	109.55	100.95	106.62
छिलका रहित	कोचीन	192.94	171.84	187.79
जायफल	कोचीन	380.54	322.40	373.35
जावित्री	दिल्ली	61.24	54.99	50.48
कत्था	चेन्नै	61.19	55.58	52.21
केसर	दिल्ली	47237.50	41511.00	31855.00
वैनीला	एफओबी निर्यात कीमत	8842.74	13702.98	6691.78

*अगस्त से जुलाई मौसम के लिए
स्रोत: मसाला बोर्ड

इलायची एवं वैनिला सहित मसालों के मूल्यों में गिरावट आने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:-

* उत्पाद की मांग से उत्पादन/आपूर्ति अधिक होना।
* प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा उत्पाद की सामान्य आपूर्ति को पुन: शुरू करना।
* उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव के कारण उत्पाद की मांग का अभाव।

(ग) मसालों की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में विभिन्न मसालों की मांग बढ़ाने के लिए भारत सरकार सशक्त प्रयास कर रही है। उत्पादकता बढ़ाने; मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करने; गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने; मसालों की जैविकीय खेती आदि के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा भारत सरकार ने कुछ शर्तों के अध्यधीन भारत से काली मिर्च के निर्यात के लिए डब्ल्यूटीओ के सुसंगत सब्सिडी देने संबंधी स्कीम भी घोषित की है। इसके साथ ही शुल्क मुक्त काली मिर्च (हल्की काली मिर्च को छोड़कर) के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने का कार्य स्थगित कर दिया गया है और 100% निर्यातोन्मुखी इकाईयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में काली मिर्च के प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

महिला कल्याण कार्यक्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति

2968. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर केरल में महिलाओं के कल्याण कार्यक्रम संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राज्य-वार विशेषकर गुजरात में महिला कामगारों के कल्याण कार्य में लगे सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अभी तक प्रत्येक को राज्य-वार कुल कितनी सहायता दी गई है;

(च) क्या सरकार ने सामाजिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा कराए गए कार्य और उनके द्वारा सहायता का उपयोग करने के तरीके का मूल्यांकन किया है; और

(छ) सरकार द्वारा सामाजिक संगठनों द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) सरकार ने मार्च 2001 में राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति 2001 अंगीकार की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं सशक्तिकरण करना तथा महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाना और जन जीवन एवं क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। केरल राज्य के लिए कोई विशेष रूप से या विशिष्ट नीति अंगीकार नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार एवं स्कीम-वार विवरण, जिन्हें कामकाजी महिला होस्टलों एवं महिला कल्याण की अन्य स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राशि निर्मुक्त की गई, विभाग की संबंधित वार्षिक रिपोर्टों में तथा विभाग की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(च) जी, हां। सामाजिक संगठनों/संस्थाओं को स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों के कार्यकरण पर कई मूल्यांकन अध्ययन कराये गए हैं।

(छ) कामकाजी महिला होस्टलों के प्रस्तावों की स्वीकृति तथा उत्तरवर्ती जिला की निर्मुक्ति संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं एवं निरीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद ही की जाती है।

[हिन्दी]

चाय उद्योग

2969. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय उद्योग रुग्ण हो रहा है और उसके पुनरुद्धार हेतु सहायता की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उद्योग के पुनरुद्धार और सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान चाय के निर्यात में कमी के कारण चाय उद्योग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान चाय के निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारतीय चाय उद्योग हाल के वर्षों में कीमतों में गिरावट आने के कारण प्रभावित हुआ है। उद्योग अधिक पुराने बागानों जैसी दीर्घावधिक समस्याओं से भी घिरा हुआ है।

(ख) सरकार ने चाय उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं- वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में चाय पर 1 रुपए प्रति किलोग्राम के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को हटाना, दो स्कीमों को मंजूरी प्रदान करना अर्थात् परम्परागत चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन तथा चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली से सृजित विशेष निधि से वित्तपोषित करने हेतु दोनों चाय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता, भारतीय चाय की गुणवत्ता को कायम रखने तथा ब्रंड इक्विटी को कायम रखने के लिए एक नए चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 को जारी करना, विनिर्मित चाय हेतु विनिर्माता द्वारा प्राप्त कीमत का एक यथोचित हिस्सा लघु चाय उपजकर्त्ताओं को मिलना सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल, 2004 से लघु चाय उपजकर्त्ताओं तथा चाय विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फार्मूले का कार्यान्यन, चाय का उत्पादन बढ़ाने तथा गुणवत्ता सुधारने में प्रयुक्त मशीनरी की मदों पर 5% की सर्वसमावेशी दर पर मूल्यवर्धन सहित आयात शुल्क को घटाना आदि कुछेक बकाया ऋणों का पुनर्गठन करने के लिए वर्ष 2004 में एक विशेष चाय आवधिक ऋण (एसटीटीएल) की भी घोषणा की गई थी। देश में पुरानी चाय झाड़ियों के पुनर्रोपण तथा पुनरुद्धार हेतु एक बड़े कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) भारतीय चाय उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का मुख्य कारण कीमतों में गिरावट है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान चाय के निर्यात में, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में गिरावट प्रदर्शित हुई है। तथापि निर्यातित चाय की प्रति इकाई प्राप्ति इस वर्ष थोड़ी सी अधिक रही है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अवधि	मात्रा (मिलियन किग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
अप्रैल से सितम्बर, 2005 (अनंतिम)	82.24	794.20
अप्रैल से सितम्बर, 2004	105.90	989.02
प्रतिशत गिरावट	22.34	19.70

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की खराब होती स्थिति

2970. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की तेजी से खराब होती स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार विशेषकर अवसंरचना विकास हेतु वर्ष 2007 तक 400 करोड़ रु. की राशि प्रति वर्ष आवंटित करने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा आई आई टी में शिक्षक परिसर में कार्य-समय से अधिक रुकते हैं तथा अनुसंधान कार्यों में लगे रहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विद्यमान विश्वविद्यालय प्रणाली में बेसिक विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक कार्यबल गठित किया था। इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेज दिया गया है। कार्यबल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान में सुधार करने हेतु आबंटन निर्धारित करना शामिल है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षक अपनी प्रतिबद्धता और जरूरत के आधार पर अनुसंधान के लिए समय देते हैं।

टाडा/पोटा के अंतर्गत निरुद्ध किया जाना

2971. **श्री एल. गणेशन:**
श्री मोहन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टाडा और पोटा कानूनों के निरसन के बाद भी इन कानूनों के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग निरुद्ध किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त सभी लोगों के विरुद्ध मामलों की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में अब तक टाडा/पोटा के अंतर्गत कुल कितने लोगों को सजा दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन लोगों को दी गई सजा की समीक्षा करने का है;

(च) देश में विशेष पोटा/टाडा अदालतों की संख्या कितनी है तथा उनके क्या-क्या नाम हैं; और

(छ) किन-किन राज्यों ने पोटा को लागू नहीं किया था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) करतार सिंह के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.3.1994 के निर्णय में दिए गए निदेशों के अनुसरण में टाडा मामलों की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय समीक्षा समिति और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य समीक्षा समितियां गठित की गई हैं। पोटा मामलों से संबंधित समीक्षा समितियों ने पोटा के सभी मामलों की समीक्षा पूरी कर ली है।

(घ) टाडा/पोटा के तहत दोष-सिद्ध व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, 21.9.2004, जिस दिन पोटा निरस्त किया गया था, की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध सूचना के अनुसार पोटा के तहत 13 व्यक्तियों को दोषी पाया गया था। सी बी आई ने भी सूचित किया है कि उनके द्वारा निपटाये गए मामलों में टाडा के तहत आज तक 52 व्यक्तियों को और पोटा के मामलों में 2 व्यक्तियों को दोषी पाया गया।

(ङ) पोटा/टाडा के तहत दिए गए दंड की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल 10 राज्य सरकारों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने पोटा के तहत मामले दर्ज किए हैं और उन मामलों का विचारण करने के लिए विशेष पोटा अदालतें गठित की। सी बी आई द्वारा दर्ज टाडा मामलों का विचारण करने के लिए पांच विशेष अदालतें भी गठित की गई हैं।

विवरण

टाडा के तहत अपराधों 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार और सी.बी.आई. द्वारा दर्ज मामलों में निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या		पोटा अपराधों के लिए निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या-राज्य वार	
असम	20	आंध्र प्रदेश	3
गुजरात	14	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1
हरियाणा	1	हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	12	महाराष्ट्र	4
महाराष्ट्र	14	उत्तर प्रदेश	3
पंजाब	15	गुजरात	87
राजस्थान	5	झारखंड	18
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	सीबीआई	17
सीबीआई	59		
जोड़	147	जोड़	135

आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग

2972. श्री एस. अजय कुमार: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का काफी लंबा बैकलाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के कर्मचारियों की विदेशों में तैनाती का ब्यौरा क्या है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों को विदेश में तैनाती के ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) तट-कार्मिकों के पदों की बकाया चली आ रहीं रिक्तियां 66 हैं, और बेड़े के कार्मिकों के पदों की बकाया चली आ रहीं रिक्तियां 309 हैं। तट और बेड़े दोनों के ही कार्मिकों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों हेतु आरक्षित पद जब कभी रिक्त होंगे, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया चली आ रही रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। चूंकि बकाया चली आ रही रिक्तियां बहुत अधिक हैं, इन्हें भरकर इनकी संख्या घटाने में कुछ वर्ष लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष भर्ती अभियान के जरिए भरी जा सकने वालीं रिक्तियां, कुल बकाया चली आ रही रिक्तियों से कम होनी संभावित हैं।

(ग) इस बारे में ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भाग (ग)–भारतीय नौवहन निगम लि. के कर्मचारियों की विदेश में तैनातो से संबंधित विवरण

नाम	पदनाम	से	तक	श्रेणी
1	2	3	4	5
(क) लंदन				
1. कैप्टन ए. चोपड़ा	उप महाप्रबंधक	25.07.03	25.07.06	सामान्य
2. श्री एस.के. माजी	सहा. महाप्रबंधक	21.07.03	21.07.06	अनु.जा.
(ख) शंघाई कार्यालय				
1. कैप्टन के.एस. नायर	उप महाप्रबंधक	15.10.02	29.04.05	सामान्य
2. कैप्टन सुनील थापर	उप महाप्रबंधक	28.04.05	28.04.08	सामान्य
(ग) इरानो-हिन्द शिपिंग कार्पोरेशन, तेहरान कार्यालय				
1. श्री एम.के. गुप्ता	प्रबंधक	24.05.02	24.11.05	सामान्य
2. श्री संदीप मिश्र	प्रबंधक	06.08.04	06.08.07	सामान्य
3. श्री लारेंस सेराव	प्रबंधक	06.08.04	06.08.07	सामान्य
4. श्री एस. मुखोपाध्याय	प्रबंधक	06.08.04	06.08.07	सामान्य
5. श्री जी.बी. चतुर्वेदी	उप महाप्रबंधक	09.09.05	09.09.08	सामान्य
(घ) दक्षिण कोरियाई शिपयार्ड में जहाज-निर्माण की देखरेख				
1. श्री पी.वी. संदीप	उप प्रबंधक	05.07.02	29.05.03	सामान्य
2. श्री ई.सी. राव	उप महाप्रबंधक	27.09.02	21.02.04	अनु.जा.

1	2	3	4	5
3. श्री नवीन कुमार	उप प्रबंधक	27.09.02	21.02.04	सामान्य
4. श्री राजेश सूद	प्रबंधक	01.07.03	07.02.05	सामान्य
5. श्री निखिल राज	उप प्रबंधक	01.07.03	07.02.05	सामान्य
6. श्री के. श्रीधर	सहा. प्रबंधक	06.07.03	10.01.04	सामान्य
7. श्री जे.वी.एस. राव	उप महाप्रबंधक	30.01.05	24.08.05	सामान्य
8. श्री टी.के. राय	सहा. महाप्रबंधक	30.01.05	24.08.05	सामान्य
9. श्री पी.वी. संदीप	उप प्रबंधक	30.01.05	24.08.05	सामान्य

नशीली दवाओं की तस्करी

2973. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री हितेन बर्मन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीली दवाओं के तस्कर विशेषकर विदेशी नागरिक देश में विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं की तस्करी में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विदेशियों ने राजधानी तथा अन्य बड़े शहरों में अपने अड्डे बना लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार कितने विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया तथा विभिन्न नशीली दवाओं की कितनी मात्रा जब्त की गई तथा उन्हें क्या दंड दिया गया;

(घ) कितने भारतीय नागरिक इस धंधे से जुड़े हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में सभी आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य साइकोट्रोपिक ड्रग्स की तस्करी तथा काला धन जुटाना है; और

(छ) देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए विभिन्न नशीले पदार्थों और सरकार को प्राप्त आसूचना जानकारियों से पता चलता है कि देश से बाहर जाने और प्रवेश करने के विभिन्न स्थलों के माध्यम से विदेशी राष्ट्रिक, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार/तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त हैं।

(ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) 2003, 2004 और 2005 (अक्तूबर तक) के दौरान क्रमश: 152, 179 और 130 विदेशी राष्ट्रिक तथा 19127, 11927 और 7668 भारतीय राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए थे। वर्ष 2003, 2004 और 2005 (अक्तूबर तक) के दौरान नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार/तस्करी के सिलसिले में सभी राज्यों और केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों का उपलब्ध ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(मात्रा कि.ग्रा. में)

नशीले पदार्थ	2003	2004	2005 (अक्तूबर तक)
अफीम	1720	2237	778
मोर्फिन	109	97	33
हेरोइन	991	1162	620
गांजा	79653	144055	79258
हशीश	3013	4599	2863
कोकीन	3	6	2
मेथाकुलोन	345	1614	468

केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बुक किए गए मामलों में विदेशी राष्ट्रिकों को दिए गए दंड से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(च) इस संबंध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल हैं:-

1. आयात और निर्यात स्थलों, भू-सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाक घरों आदि पर कड़ी चौकसी रखना और प्रवर्तन करना।
2. नशीले पदार्थों की तस्करी के ज्ञात मार्गों के साथ-साथ गहन निवारात्मक और निषेधात्मक प्रयास करना।
3. विभिन्न नशीले पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि निषेधादेश के लिए अधिक संबद्धता कायम की जा सके।
4. आपरेशनल आसूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और उसके प्रसार में सुधार करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को मजबूत बनाना।
5. पूर्वगामी रसायनों की आवाजाही पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने में सूचना और जांच-पड़ताल संबंधी सहायता का आदान-प्रदान करने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना।
6. अपराधियों का एक इलैक्ट्रानिक डाटा बेस तैयार करना।
7. नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों/तस्करों के ग्रुपों के सदस्यों की पहचान करने के लिए प्रोफाइल तैयार करना।
8. नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के कौशल का उन्नयन करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
9. जिन मुखबिरों और अधिकारियों की सूचना से स्वापक पदार्थों की जब्ती होती हो उसके लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कार देने की एक योजना कार्यान्वित करना।

प्राकृतिक आपदाएं

2974. श्री अनन्त कुमार:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदा राहत कार्य हेतु आपदा राहत कोष के अंतर्गत राहत प्रदान करने के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(घ) समीक्षा कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सरकार ने आपदा राहत निधि (सी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) हेतु मौजूदा मदों और सहायता के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप में वित्त, गृह, कृषि, ग्रामीण विकास, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, सिविल सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधियों तथा कुछेक राज्यों के राहत आयुक्तों को शामिल किया गया है।

मौजूदा मदों और सहायता के मानदंडों की व्यापक समीक्षा को सुकर बनाने हेतु, सभी राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से विशेषज्ञ ग्रुप के विचारण हेतु अपने मत/सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया है।

विशेषज्ञ ग्रुप की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली है। यह ग्रुप, विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मतों/सुझावों के आधार पर ब्यौरे वार चर्चा के पश्चात् अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। सी आर एफ/एन सी सी एफ से मदों और सहायता के मानदंडों की संशोधित सूची अधिसूचित करने से पहले इस ग्रुप की रिपोर्ट अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखी जाएगी। इस कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

लक्षद्वीप में रिक्त पद

2975. डा. पी.पी. कोया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन में आज की स्थिति के अनुसार वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' में कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) क्या लक्षद्वीप के प्रशासक को वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है;

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) लक्षद्वीप प्रशासन में वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' के कितने अधिकारी लक्षद्वीप के निवासी हैं और कुल कितने अधिकारी बाहर के हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) ग्रुप 'क' और 'ख' में खाली पड़े पदों की कुल संख्या क्रमश: 37 और 28 है। 6 रिक्तियां 1989 से 1994 तक की अवधि की हैं और शेष पद 1996 और 2005 के बीच भिन्न-भिन्न तारीखों से खाली हैं।

(ख) ऐसे ग्रुप 'क' पदों, जो सामान्य संगठित संवर्ग में हैं और जिनके संबंध में केन्द्र सरकार नियुक्ति प्राधिकरण है, को छोड़कर लक्षद्वीप के प्रशासक को ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पदों के लिए नियुक्ति करने का अधिकार है।

(ग) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में है।

(घ) ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' में कार्यरत लक्षद्वीप के मूल निवासी और बाहर के निवासियों की कुल संख्या के ब्योरे निम्न प्रकार हैं:

	ग्रुप ''क''	ग्रुप ''ख''
मूल निवासी	62	79
बाहर के निवासी	27	29

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

तकनीकी शिक्षा

2976. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि युवा छात्रों को गैर-मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा अपने-अपने देशों में प्रलोभन से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रासंगिक तथा प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या स्व-वित्तपोषित प्रणाली के अंतर्गत स्थापित अनेक नई संस्थाओं ने पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया है तथा वे छात्रों को न्यूनतम मूल शिक्षा तथा अध्ययन सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) देश में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए माडल (आदर्श) पाठ्यक्रम विकसित करती है तथा कई संस्थागत विकास योजनाएं कार्यान्वित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों की संस्थाओं में प्रवेश को नियमित करने तथा उसे संचालित करने के लिए दिनांक 27 मई, 2005 को विनियमों को भी अधिसूचित किया है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित माडल पाठ्यक्रम में मुख्य बल उद्योग तथा अन्य जरूरतों की प्रासंगिकता तथा अनुसंधान एवं विकास घटकों के समेकन पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, निर्धारित मानदण्डों तथा स्तरों के पूरा होने पर जिसमें अवसंरचनात्मक तथा अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं, नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में अकादमिक स्टाफ कालेज

2977. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय अकादमिक स्टाफ कालेज चला रहे हैं;

(ख) क्या अन्य विश्वविद्यालयों का भी अकादमिक स्टाफ कालेज चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इनके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो शैक्षणिक स्टाफ कालेज चला रहा है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार वह विश्वविद्यालयों में पहले से ही 51 शैक्षणिक स्टाफ कालेज स्थापित कर चुका है।

[अनुवाद]

टेली शिक्षा

2978. श्री परसुराम माझी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए सभी प्रकार की मुक्त शिक्षा पर नियंत्रण तथा निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 20 नवंबर, 2005 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) स्वतंत्र प्राधिकरण कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश में टेली शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दूरस्थ शिक्षा परिषद को स्वायत्तता दिए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, नहीं। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी प्रकार की मुक्त शिक्षा पर नियंत्रण और निगरानी रखने हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से 21.09.2004 को शुरू किए गए शैक्षिक उपग्रह का उपयोग प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, शिक्षक और तकनीकी शिक्षा के लिए किया जाएगा। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ज्ञानवाणी और ज्ञानदर्शन के तहत टेली-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उपग्रह की सहायता से वीडियो तालमेल पद्धति, एफ.एम. रेडियो, विस्तारित सी. बैण्ड सुविधाओं का पहले ही उपयोग कर रहा है। आन लाइन शिक्षा भी प्रदान की जा रही है और 131 तालमेल उपग्रह टर्मिनल की व्यवस्था है जिनके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य दोहरा सम्प्रेषण स्थापित किया गया है।

(छ) और (ज) सरकार ने अभी इस संबंध में निर्णय नहीं लिया है।

निर्यात नियमों का उल्लंघन

2979. श्री रघुनाथ झा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1973 से जनवरी, 2002 के बीच जारी किए गए एडवांस लाइसेंसों के अंतर्गत निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के कारण मार्च 2004 तथा 983 मामलों में 577.22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, परंतु 60 मामलों में केवल 1.44 करोड़ रुपए की वसूली की गई है;

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण धनराशि की वसूली न होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) इन मामलों में दर्शाई गई जुर्माने की राशि का निर्धारण अधिनिर्णयन के स्तर पर किया गया है, जिसमें बहुत से मामलों

में इसे बहुत कम कर दिया गया है और कुछ अन्य मामलों में बाद में अपीलीय निर्णयों में पूर्णत: माफ कर दिया गया है। अत: अधिनिर्णय स्तर पर नियत की गयी जुर्माने की राशि अन्तिम नहीं होती। अनेक फर्में न्यायिक मंच में चली जाती है, जिनमें मामलों के अन्तिम निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। अत: भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्रवाई शुरू करने का दायित्व जिला प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है। तथापि निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसका अनुपालन डीजीएफटी द्वारा किया जा रहा है, जुर्माने की लम्बित राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वसूली की प्रक्रियाओं में विलम्ब के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं पाया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास

2980. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापना स्थल के चयन सहित उद्योग स्थापित करने का निर्णय उद्यमी द्वारा अपने तकनीकी-आर्थिक विवेचन के आधार पर लिया जाता है, जिस पर बाद में मूल आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य प्रोत्साहनों को प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु संघ सरकार को विशेष प्रस्ताव करने संबंधी राज्य सरकार का प्रश्न नहीं उठता।

निजी कंपनियों को लघु सड़क परियोजनाएं

2981. श्री गणेश सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक कितने बाइपास तथा सड़क उपरि पुल जैसी लघु परियोजनाएं निजी कंपनियों को दी गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी धनराशि शामिल है तथा इस समय कितनी परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ग) निजी कंपनियों को ये परियोजनाएं देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक तीन छोटी सड़क परियोजनाएं अर्थात् रा.रा.-7 पर कटनी बाइपास और रीवा बाइपास तथा रा.रा.-3 पर गुना बाइपास निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर (निजी कंपनियों को सौंपी गई) स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं में कुल 142 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इस मंत्रालय में वर्तमान में कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(ग) इन परियोजनाओं को सौंपे जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/मानदंड इस प्रकार हैं:-

1. संभावित ठेकेदारों को सर्वप्रथम निम्नलिखित आधार पर पूर्व अर्हता प्राप्त होती है:-
   (क) उद्यम का अनुभव।
   (ख) ठेकेदारों/परामर्शदाताओं को अनुभव।
   (ग) उद्यम की बाजार से धनराशि जुटाने की क्षमता।
   (घ) उद्यम की वित्तीय क्षमता।
   (ङ) कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित संगठन संबंधी और संस्थागत व्यवस्था की गुणता और पर्याप्तता।
2. तत्पश्चात् पूर्व अर्हता प्राप्त ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
3. प्राप्त निविदाओं का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रयोक्ताओं के लिए न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर कार्य सौंप दिया जाता है।

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता

2982. श्री राहुल गांधी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा निजी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बेंचमार्क के लिए आई एस ओ प्रमाण की तर्ज पर एक संस्थान की स्थापना करने का है ताकि भावी छात्रों के लाभ हेतु संस्था की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से समझा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) एक प्रत्यायन प्रणाली के माध्यम से तकनीकी संस्थानों को बेंचमार्क करने के लिए 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड' पहले से ही विद्यमान है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड किसी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करता है और तीन अथवा पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रत्यायित करता है। छात्रों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों की सुविधा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.aicte.ernet.in पर प्रत्यायित संस्थानों की सूची उपलब्ध है। जिसके तहत तकनीकी संस्थानों को संकाय, अवसंरचना, शुल्क, दाखिला प्रक्रिया आदि से संबंधित सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होती है ताकि छात्र इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय ले सकें।

मोबाइल सेटों का आयात

2983. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान देश-वार कितने मोबाइल सेटों का आयात किया गया; और

(ख) चालू वर्ष में इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकारी क्षेत्र द्वारा आयातित मोबाइल सेटों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान देश में आयातित सैल्यूलर टेलीफोन की संख्या 187.31 लाख है।

(ख) सरकार ने मोबाइल टेलीफोन सेटों के आयात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का सुधार

2984. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत सुधार हेतु राज्य राजमार्गों के चयन का क्या मानदंड है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत निधौरी-गोरमबेकागल को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग-129 की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उस कार्य की कब तक स्वीकृति दिए जाने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों का सुधार किया जा सकता है। केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जाती है और पहचान किए गए कार्यों की प्राथमिकता के साथ प्रशासनिक अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृति के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड इस प्रकार हैं:-

* इस स्कीम के अंतर्गत विचार किए जाने वाले कार्यों की किस्म विनिर्दिष्ट की गई है।
* प्रत्येक कार्य में सड़क की पर्याप्त लंबाई अर्थात् न्यूनतम 10 कि.मी. होने चाहिए जब तक कि दो स्थानों को जोड़ने के लिए 10 कि.मी. से कम की आवश्यकता न हो।
* भूमि सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त होनी चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा अपनी लागत पर भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
* संपूर्ण राज्य में सड़क नेटवर्क के संतुलित विकास को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा कार्य की पहचान की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने रा.रा. 4 और राजकीय राजमार्ग 129 को जोड़ने वाली निधौरी-गोरमबे-कागल सड़क के 2/500 से 28/500 कि.मी. तक निधौरी से कागल खंड के सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदन की सिफारिश की है तथा इस कार्य के लिए 8 दिसम्बर, 2005 को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(घ) इस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना तकनीकी रूप से अनुमोदित और वित्तीय रूप से स्वीकृत है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए जाने की तारीख से चार माह की अवधि में परियोजना सौंप दी जाए।

वेबसाइट पर आंकड़े उपलब्ध कराना

2985. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक स्कूल का ब्योरा वेबसाइट पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है जैसा कि दिनांक 28.11.2005 को 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) के सहयोग से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देशन में शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली की परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक प्रारंभिक स्कूल के लिए स्कूल-विशिष्ट आंकड़े तैयार किए जाते हैं। यह डाटा बेस विशेष रूप से डिजाइन किए गए फार्मेट के माध्यम से संग्रहीत सूचना का उपयोग करते हुए सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों-सरकारी और निजी दोनों-को कवर करता है। इस प्रकार संग्रहीत आंकड़ों को जिला रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए एकीकृत किया गया है। फिलहाल इस परियोजना के अंतर्गत 581 जिले शामिल किए जा चुके हैं। सभी जिला रिपोर्ट कार्डों को परियोजना की वेबसाइट www.dpepmis.org पर डाला गया है। यह एक ऐसी वेबसाइट है जो जनसाधारण के लिए खुली है।

चूंकि इस परियोजना के अंतर्गत शामिल प्रत्येक स्कूल के लिए निश्चित सूचना/संकेतक इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हैं, जनसाधारण की पहुंच के लिए प्रत्येक स्कूल का एक प्रोफाइल आन-लाइन रखने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में ऐसी स्कूल विशिष्ट सूचना नीपा की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित वेबसाइट अभी विकसित की जा रही है और यह प्रत्येक स्कूल से संबंधित सूचना की यथार्थ साइट और सभी संबंधितों के लिए विचार-विमर्श के एक मंच के रूप में तैयार होगी, ऐसी संभावना है। प्रत्येक स्कूल से संबंधित इस प्रकार के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध कराने में कुछ समय और प्रयास की जरूरत होगी।

जनजातीय भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम

2986. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में जनजातीय भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई कार्यक्रम मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास में रत है।

जनजातीय बच्चों की बहुभाषीय शिक्षा के संबंध में 16 सितम्बर, 2004 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला भी हुई। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा विभिन्न राज्यों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अबुज मारिया व्याकरण, दोरली और विसन हार्न मीडिया भाषाओं के लिए भाषाई संग्रहण किए गए और अबुज मारिया व्याकरण प्रकाशित कर दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा जनजातीय भाषाओं के संबंध में विभिन्न राज्यों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं सेमिनार आदि निम्नानुसार हैं:

1. भुवनेश्वर के पूर्वी राज्यों में जनजातीय अनुसंधान विभाग के जनजातीय भाषा अधिकारियों को प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला 23 से 27 फरवरी, 2004 को हुई।
2. सिक्किम में सिक्किम, गंगटोक के भाषा अधिकारियों के लिए पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम 20 जुलाई से 3 अगस्त, 2004 को हुआ।

3. झारखंड में जनजातीय बहुभाषावाद के संदर्भ मे मातृभाषा शिक्षा की स्थिति पर 24 से 26 अक्तूबर को मैसूर में कार्यशाला हुई।

4. माओ शिक्षाशास्त्रीय स्कूल व्याकरण की तैयारी के लिए इम्फाल में 29 मार्च से 9 अप्रैल, 2004 तक कार्यशाला हुई।

5. मणिपुर में भाषाई सोपानी (लैंडस्केपिंग) कार्यशाला कांचीपुर, इम्फाल में अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक हुई।

6. पूर्वोत्तर में भाषा नीति संबंधी घटनाओं का प्रलेखन इम्फाल में 4 से 6 जून, 2004 तक हुआ।

7. नए सामाजिक आदेश के लिए मणिपुर में जनजातीय अल्पसंख्यकों के लिए भाषा नीति संबंधी कार्यक्रम इम्फाल में 4 से 6 जून, 2004 को हुआ।

8. त्रिपुरा के लिए मातृभाषा पाठ्यक्रम तैयार करने संबंधी कार्यशाला अगरतला में 13 जून से 15 जुलाई, 2004 तक हुई।

9. पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं का प्रलेखन मैसूर में 23 जुलाई से 9 अगस्त, 2004 तक किया गया।

10. कोकराझार, असम में बोडो राष्ट्रीय परामर्श बैठक 25 से 26 सितम्बर, 2004 तक हुई।

11. मेघालय में खासी भाषा का एक उपभाषा सर्वेक्षण मेघालय में 2 से 10 नवम्बर, 2004 को हुआ।

12. दिमासा के लिए प्रवेशिकाओं की समीक्षा गुवाहाटी में 3 से 8 नवम्बर, 2004 को हुई।

13. असम के जनजातीय अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में भाषा नीति संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार व कार्यशाला गुवाहाटी में 9 से 10 नवम्बर, 2004 तक हुई।

14. अरुणाचल प्रदेश की टैगिन भाषा में व्याकरण तैयार करने के लिए डाटा संग्रहण क्षेत्रीय दौरा 15 नवम्बर से 16 मार्च, 2005 तक किया गया।

15. भीली, भाषाओं की चित्रात्मक शब्दावली तैयार करने के लिए बड़ौदा में 4 से 15 जनवरी, 2005 तक कार्यशाला हुई।

16. गालो प्रवेशिका चरण-II तैयार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के नहरलागांव में 10 से 17 फरवरी, 2005 तक कार्यशाला हुई।

17. जनजातीय भाषाओं में लेखन पद्धतियों पर शिलांग/ गुवाहाटी में 30 अप्रैल से 25 मई, 2005 तक कार्यशाला हुई।

18. अरुणाचल प्रदेश के लिए मातृभाषा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए ईटानगर में 2 से 11 जून, 2005 तक कार्यशाला हुई।

19. पूर्वोत्तर भाषाओं के प्रलेखन संबंधी कार्यशाला मैसूर में 26 जुलाई से 7 सितम्बर, 2005 तक हुई।

20. बहुभाषी शिक्षा में जनजातीय मातृभाषा के विकास के लिए नीति बनाने संबंधी कार्यशाला मैसूर में 27 से 29 अक्तूबर, 2005 तक हुई।

21. कार निकोबार संबंधी भाषाई आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए क्षेत्रीय कार्य कार निकोबार में 19 मार्च से 4 अगस्त, 2004 तक हुआ।

परीक्षा प्रणाली में सुधार

2987. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी विश्वविद्यालय ने इस बारे में कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय को उनके द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त है और वे विश्वसनीयता, वैधता और उद्देश्परकता लाने तथा शिक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन के अधिक संघटन का अनुरक्षण करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन उपायों के लिए वित्तीय और शैक्षिक दोनों ही सहयोग देता है।

[हिन्दी]

ठेकों का रद्द करना

2988. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु दिए गए ठेकों को चालू वर्ष के दौरान रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रद्द किए गए इन ठेकों के माध्यम से किन-किन राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित था;

(घ) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए किन-किन कंपनियों को ठेके दिए गए हैं तथा ये कंपनियां किन-किन राज्यों से संबंधित थीं, इनका राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त ठेकों के रद्द होने के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि का आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर कुछ ठेके रद्द किए गए हैं। इनके ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) कंपनियों के ब्योरे जिन्हें चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर ठेके सौंपे गए हैं तथा क्षेत्र जिनसे वे संबंधित हैं, विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) शेष ठेके प्रतियोगी निविदा पद्धति के आधार पर सौंपे जाते हैं/सौंपे जाने हैं ताकि लागत में अधिक अंतर न हो।

विवरण I

चालू वर्ष 2005-06 के दौरान रद्द किए गए ठेकों का ब्योरे

क्र.सं.	रद्द किए गए ठेकों के ब्योरे	रद्द करने के कारण	जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित राज्य
1.	रा.रा.-2 पर इटावा बाइपास को चार लेन का बनाना	ठेकेदार (मै. बीईएल-एसीसी) द्वारा कार्य न किया जाना।	उत्तर प्रदेश
2.	रा.रा.-31 पर सिलीगुढ़ी से इस्लामपुर (551 से 526 कि.मी.) तक 25 कि.मी. में चार लेन बनाना	कार्य के योग्यता अनुभव के संबंध में ठेकेदार (मै. कमला कंस्ट्रक्शंस) द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना।	पश्चिम बंगाल
3.	रा.रा.-31 सी पर असम सीमा से गैरकाटा (255 से 223 कि.मी.) तक 27 कि.मी. में चार लेन बनाना	कुछ मदों की दरों के संबंध में मतभेद के कारण एन एच ए आई और ठेकेदार (मै. गेमन इंडिया लि.) के बीच पारस्परिक सहमति से ठेका समाप्त किया गया।	असम और पश्चिम बंगाल

विवरण II

वित्त वर्ष 2005-06 (अप्रैल, 2005 से आगे) के लिए सौंपे गए राज्य-वार ठेके

(सभी लंबाई कि.मी. में)

(30 नवंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार)

खंड	रा.रा. संख्या	लंबाई	ठेकेदार का नाम और राष्ट्रीयता	ठेकेदार राज्य
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1. फास्खनगर से कोटकाटा (एपी-4) 80.050 से 135.469 कि.मी.	7	55.74	लारसन एण्ड टूब्रो लि. भारतीय	तमिलनाडु

	1	2	3	4	5
2.	अरमूर से अटलोर येलारेड्डी 309 से 447 कि.मी.	7	60.26	एमवीआर-एमआरके-जेटीईसी कंसोर्टियम भारतीय-चीनी	गोवा
3.	फारूखनगर से कोटकाटा (एपी-3) 34.140 से 80.50 कि.मी.	7	46.16	जीएमआर इनर्जी लि. व जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंसोर्टियम—भारतीय	कर्नाटक
	आंध्र प्रदेश राज्य का जोड़		182.16		
	असम				
	ई डब्ल्यू				
1.	लंका से डबोका (एएस-16) 22.00 से 2.4 कि.मी.	54	22.50	पुंज लायड लि.—भारतीय	नई दिल्ली
2.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-7) 1040.3 से 1013.00 कि.मी.	31	27.30	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.—भारतीय	आंध्र प्रदेश
3.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-8) 1013.00 से 983.00 कि.मी.	31	30.00	पुंज लायड लि.—भारतीय	नई दिल्ली
4.	नलवाड़ी से बिजनी (एएस-9) 983.00 से 961.5 कि.मी.	31	21.50	पुंज लायड लि.—भारतीय	नई दिल्ली
5.	बिजनी से असम/प.बं. सीमा (एएस-10) 93.00 से 60.00 कि.मी.	31सी	33.00	जीपीएल-ईसीआई (जेवी)—भारतीय	आंध्र प्रदेश
6.	बिजनी से असम/प.बं. सीमा (एएस-11) 60.00 से 30.00 कि.मी.	31सी	30.00	जीपीएल-ईसीआई (जेवी)—भारतीय	आंध्र प्रदेश
7.	बिजनी से असम/प.बं. सीमा (एएस-12) 30.00 से 0.00 कि.मी.	31सी	30.00	प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि.—भारतीय	आंध्र प्रदेश
8.	गुवाहाटी से नलवाड़ी (एएस-4) 1121.00 से 1093.00 कि.मी.	31	28.00	पुंज लायड लि.—भारतीय	नई दिल्ली
9.	गुवाहाटी से नलवाड़ी (एएस-5) 1093.00 से 1065.00 कि.मी.	31	28.00	पुंज लायड लि.—भारतीय	नई दिल्ली
10.	मैबंग से लुम्डिंग (एएस-26) 115.00 से 90.00 कि.मी.	54	23.00	गेमन इंडिया लि.—भारतीय	महाराष्ट्र
11.	मैबंग से लुम्डिंग (एएस-24) 65.00 से 40.00 कि.मी.	54	16.00	गेमन इंडिया लि.—भारतीय	महाराष्ट्र
12.	लुम्डिंग से डबोका (एएस-15) 40.00 से 22.00 कि.मी.	54	18.00	पटेल-केएनआर (जेवी)—भारतीय	महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश
13.	डबोका से नौगांव (एएस-17) 36 से 5.5 कि.मी.	36	30.50	मेटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.—भारतीय	आंध्र प्रदेश

	1	2	3	4	5
14.	धर्मतुल से सोनापुर (एएस-19) 230.5 से 205 कि.मी.	37	24.00	मेटास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
15.	धर्मतुल से सोनापुर (एएस-20) 205.00 से 183 कि.मी.	37	22.00	केएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
16.	नौगांव बाइपास (एएस-19) 5.5 (रा रा 36) से 262.7 कि.मी. (रा रा 37)	37	23.00	पटेल-केएनआर (जेवी) भारतीय	महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश
17.	नौगांव से धर्मतुल (एएस-2) 255 से 230 कि.मी.	37	25.00	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
	अन्य				
1.	गुवाहाटी बाइपास पर 10 कि.मी. सर्विस रोड और दो लेन के एक फ्लाई ओवर का निर्माण 146 से 156 कि.मी.	37	10.00	माहेश्वरी ब्रदर्स लि. भारतीय	
	कुल असम राज्य		441.80		
	बिहार				
	ई डब्ल्यू				
1.	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11) 480 से 440 कि.मी.	28	40.00	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
2.	पूर्णिया से फारबिसगंज (बीआर-1) 268.0 से 230 कि.मी.	57	38.00	प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
3.	पूर्णिया से फारबिसगंज (बीआर-2) 309.0 से 268 कि.मी.	57	41.00	प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
4.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-8) 30 से 0 कि.मी.	57	30.00	बी सिन्हैया एण्ड कं. (प्रोजेक्ट्स) लि. सी एंड सी भारतीय	आंध्र प्रदेश
5.	रिंग बंद्स से झंझारपुर (बीआर-6) 155 से 110 कि.मी.	57	45.00	बीएससीपीएल-सी एण्ड सी (जेवी) भारतीय	
6.	दीवापुर से उ.प्र./बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9) 402 से 360.915 कि.मी.	28	41.09	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
7.	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7) 110 से 70 कि.मी.	57	40.00	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
8.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-9) 70 से 30 कि.मी.	57	40.00	बी सिन्हैया एण्ड कं. (प्रोजेक्ट्स) लि. सी एंड सी भारतीय	आंध्र प्रदेश

	1	2	3	4	5
9.	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी-12) 520 से 480 कि.मी.	28	40.00	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-एमवीआर (जेवी) भारतीय	आंध्र प्रदेश
10.	फारबिसगंज से सिमराही (बीआर-3) 230 से 190 कि.मी.	57	40.00	गेमन इंडिया लि. भारतीय	महाराष्ट्र
11.	कोटवा से दीवापुर (एलएमएनएचपी-10) 440 से 402 कि.मी.	28	38.00	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-एमवीआर (जेवी) भारतीय	आंध्र प्रदेश
	बिहार राज्य का जोड़		433.09		
	हरियाणा				
	एन एस				
1.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग 96.00 से 86.00 कि.मी.	1	10.00	लारसन एण्ड टुब्रो लि. भारतीय	तमिलनाडु
	हरियाणा राज्य का जोड़		10.00		
	हरियाणा (5)/पंजाब (31)				
	एनएचडीपी चरण-3क				
1.	अंबाला-चंडीगढ़ रा रा 22 का 5/735 से 21 व 22 39/961 कि.मी.		36.00	जीएमआर इनर्जी लि. एण्ड जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंसोर्टियम भारतीय	कर्नाटक
	हरियाणा (5)/पंजाब (31) का जोड़		36.00		
	जम्मू-कश्मीर				
	एन एस				
1.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जेएंडके 0.00 से 15 कि.मी.	1ए	15.00	मै. वेकटा राव इंजी. भारतीय	आंध्र प्रदेश
2.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जेएंडके) 110.45 से 117.6 और 4.0 से	1ए	19.65	मै. वेकटा राव इंजी. भारतीय	आंध्र प्रदेश
3.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जेएंडके 50 से 80 कि.मी.	1ए	30.00	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि. भारतीय	महाराष्ट्र
4.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जेएंडके 16.35 से 50.0 कि.मी.	1ए	33.65	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि. भारतीय	महाराष्ट्र
	जम्मू और कश्मीर राज्य का जोड़		98.30		
	केरल				
	एन एस				
1.	त्रिशूर से अंगमाली (केएल-1) 270.00 से 316.70 कि.मी.	47	40.00	के एम सी-एस आर ई आई (जेवी) भारतीय	आंध्र प्रदेश
	केरल राज्य का जोड़		40.00		

	1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश				
	ई डब्ल्यू				
1.	झांसी-शिवपुरी (ईडब्ल्यू-2-एमपी-2) 50 से 15 कि.मी.	25	35.00	आईटीडी सीमेंटेशन (जेवी) लि. भारतीय	थाइलैंड-महाराष्ट्र
2.	शिवपुरी बाइपास और म.प्र./राज. सीमा तक (ईडब्ल्यू-2-एमपी-1) रा रा 25 से 15 से 0 कि.मी. और 610 से	25 वे 76	53.00	थाइलैंड-भारतीय सी एस सी एच के-सोमा (जेवी)चीनी-भारतीय	चीन-आंध्र प्रदेश
	एनएचडीपी चरण-3क				
1.	इंदौर-खलघाट	3	80.00	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि. दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम भारतीय	नई दिल्ली
	मध्य प्रदेश राज्य का जोड़		168.00		
	मध्य प्रदेश (30)/उत्तर प्रदेश (11)				
	ई डब्ल्यू				
1.	झांसी-शिवपुरी (उ.प्र./म.प्र.-1) (उ.प्र.-11 कि.मी. और म.प्र.-30 कि.मी.	25	41.00	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि. दिल्ली भारतीय	नई दिल्ली
	जोड़ मध्य प्रदेश (30)/उत्तर प्रदेश (11)		41.00		
	महाराष्ट्र				
	एनएचडीपी चरण-3क				
1.	गोंदे-वादपे (खाचे) 440/000 से 539/500 कि.मी.	3	100.00	गेमन इंडिया लि.-सदभाव-बिलीमोरिया कंसोर्टियम भारतीय	महाराष्ट्र-गुजरात-महाराष्ट्र
2.	नागपुर-कोंडहाली 9.2 से 50 कि.मी.	6	40.00	अटलांटा-एसआरईआई कंसोर्टियम (जेवी) भारतीय	महाराष्ट्र-पश्चिम बंगाल
3.	कोंडहाली से तेलेगांव 50 से 100 कि.मी.	6	50.00	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनि. प्रा.लि. दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम भारतीय	नई दिल्ली
	एन एस				
1.	नागपुर से हैदराबाद खंड/एमएच/एपी सीमा (एन एस 62) 153 से 175 कि.मी.	7	22.00	देवी इंटरप्राइजेज भारतीय	उत्तर प्रदेश
2.	नागपुर से हैदराबाद खंड (एनएस 60/एमएच) 94 से 123 कि.मी.	7	29.00	एचएससीएल-एसआईपीएल (जेवी) भारतीय	दिल्ली और महाराष्ट्र

	1	2	3	4	5
3.	नागपुर से हैदराबाद खंड (एनएस 59/एमएच) 64 से 94 कि.मी.	7	30.00	आइडियल रोड बिल्डर्स प्रा. लि. भारतीय	महाराष्ट्र
4.	नागपुर से हैदराबाद खंड (एनएस 61/एमएच) 123 से 153 कि.मी.	7	30.00	आइडियल रोड बिल्डर्स प्रा. लि. भारतीय	महाराष्ट्र
	महाराष्ट्र राज्य का जोड़		301.00		
	पंजाब				
	एनएचडीपी चरण-3क				
1.	जालन्धर-अमृतसर 407/100 से 456/100 कि.मी.	1	49.00	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
	एन एस				
1.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीबी) 26 से 70 कि.मी.	1ए	44.00	आई टी डी सीमेंटेशन (आई) लि. भारतीय	महाराष्ट्र
	जोड़ पंजाब राज्य		93.00		
	पंजाब (29)/हिमाचल प्रदेश (11)				
	एन एस				
1.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी) 70 से 110 कि.मी.	1ए	40.00	ब्रिज एंड रूफ भारतीय	नई दिल्ली
	जोड़ राज्य पंजाब (29)/हिमाचल प्रदेश (11)		40.00		
	राजस्थान				
	ई डब्ल्यू				
1.	कोटा बाइपास (आरजे-4) 406 से 381 कि.मी.	76	25.00	आई टी डी-सेम इंडिया (जे वी) थाईलैंड- भारतीय	थाइलैंड-महाराष्ट्र
2.	बकरिया से गोगुंडा (आरजे-2) 74 से 30 कि.मी.	76	44.00	सोमा-बीएससीपीएल (जेवी) भारतीय	आंध्र प्रदेश
3.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-10) 509 से 449.15 कि.मी.	76	59.85	के एम सी कंस्ट्र. लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
4.	डिवाड़ा से बकरिया (आरजे-1) 29 से 0 कि.मी. (रा रा 76) और 264 से	76 व 14	43.00	अग्रवाल जे वी भारतीय	

	1	2	3	4	5
5.	चित्तोड़गढ़ बाइपास (आरजे-6) 253 से 213 कि.मी.	76	40.00	चाइना गेजहुवा वाटर एंड पावर (ग्रुप) कंपनी लि. चीनी	चीन
6.	कोटा से चित्तोड़गढ़ (आरजे-7) 316 से 253 कि.मी.	76	63.00	सीईसी-हिन्दुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. (जेवी) चीनी-भारतीय	चीन-महाराष्ट्र
7.	कोटा से चित्तोड़गढ़ (आरजे-8) 381 से 316 कि.मी.	76	65.00	पुंज लायड लि. भारतीय	नई दिल्ली
8.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-11) 579 से 509 कि.मी.	76	70.00	लार्सन एंड टूब्रो लि. ईसीसी डिवीजन भारतीय	तमिलनाडु
9.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-9) 449.15 से 406 कि.मी.	76	43.15	सनवे कंस्ट्र लि. मलेशियाई	मलेशिया
10.	गोगुंडा से उदयपुर (आरजे-3) 104 से 73 कि.मी.	76	31.00 भारतीय	रणजीत-तरमत (जेवी)	गुजरात
	राजस्थान राज्य का जोड़		484.00		
	तमिलनाडु				
	एन एस				
1.	सलेम से केरल सीमा खंड (टी एन-6) रा रा 7 पर 203.96 से रा रा 47 पर 53.00 कि.मी.	7 व 47	53.53	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
2.	सलेम से करूर (एन एस-2/टीएन-2) 207.050 से 248.625 कि.मी.	7	41.55	मै. एम वी आर-आर आर के- जे टी ई सी (जेवी) भारतीय-चीनी	गोवा
3.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एस एस-42/टीएन) 120 से 160 कि.मी.	7	42.70	शक्ति कुमार एम संचेती लि. भारतीय	महाराष्ट्र
4.	मदुरै का 120 कि.मी.-तिरूनेलवेली खंड से पानागुडी (203 कि.मी.) (एनएस-43) 160 से 203 कि.मी.	7	43.00	पटेल-केएनआर (जेवी) भारतीय	महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश
5.	कृष्णागिरी से तोपोर घाट (एनएस-2/टीएन-1) 94.000 से 156 कि.मी.	7	62.50	लार्सन एंड टूब्रो लि. भारतीय	तमिलनाडु
6.	मदुरै से कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन) 80.00 से 120.00 कि.मी.	7	39.51	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
7.	करूर से मदुरै (टीएन-4) 305.6 से 373.275 कि.मी.	7	68.13	मधुकान प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. एस आर ई आई भारतीय	आंध्र प्रदेश-पश्चिम बंगाल

1		2	3	4	5
8.	मदुरै से कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन) 42.00 से 80.00 कि.मी.	7	38.86	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
9.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7) 53.000 से 100 कि.मी.	47	48.51	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
10.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-3) 258.645 से 292.6 कि.मी.	7	33.48	रिलायंस एनर्जी लि. भारतीय	महाराष्ट्र
11.	मदुरै-तिरूनेलवेली खण्ड का मदुरै से 120 कि.मी. और मदुरै बाइपास (एनएस-39) 0.00 से 42.00 कि.मी.	7	42.00	पटेल-केएनआर (जेवी) भारतीय	महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश
12.	करूर से मदुरै (टीएन-5) 373.275 से 426.6 कि.मी.	7	53.03	मै. रिलायंस एनर्जी लि. भारतीय	महाराष्ट्र
	अन्य				
1.	तोबास्मकुरची से मदुरै 60.95 से 124.84 कि.मी.	45बी	63.89	अग्रवाल जेएमसी (जे वी) भारतीय	
2.	चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए सड़क संपर्क में सुधार और चार ग्रेड सैपरेटरों का निर्माण	205, 4 व 45	4.00	सोमदत्त बिल्डर्स-सिमपलेक्स (जेवी) भारतीय	नई दिल्ली
3.	त्रिची बाइपास के छोर से तोबारमकुरची 0 से 60.95 कि.मी.	45बी	60.95	अग्रवाल जेएमसी (जेवी) भारतीय	
	तमिलनाडु राज्य का जोड़		695.63		
	उत्तर प्रदेश				
	ई डब्ल्यू				
1.	उरई से झांसी (यूपी-4) 170.00-104.0 कि.मी.	25	66.00	सनवे कंस्ट्र. लि. मलेशियाई	मलेशिया
2.	उरई से झांसी (यूपी-5) 220.00-170.00 कि.मी.	25	50.00	इरकान इंटरनेशन लि. भारतीय	नई दिल्ली
3.	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से कसिया (एनएमएनएचपी-8) 360.915-319.8 कि.मी.	28	41.12	सिमपलेक्स भारतीय	
4.	कसिया से गोरखपुर (एनएमएनएचपी-7) 319.8-279.8 कि.मी.	28	40.00	एनसीसी-वीईई (जेवी) भारतीय	आंध्र प्रदेश
5.	गंगापुल से रामादेवी क्रासिंग (यूपी-6) 75.0-80.06 कि.मी.	25	5.60	गेमन इंडिया लि. भारतीय	महाराष्ट्र
6.	झांसी बाइपास (यूपी-3) 104.0-91.0 कि.मी.	25	15.00	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि. भारतीय	नई दिल्ली

	1	2	3	4	5
7.	गोरखपुर से अयोध्या (एनएमएनएचपी-6) 251.70-208.00 कि.मी.	28	43.70	बी सनैया एंड कं. (प्रोजे.) लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
8.	गोरखपुर से अयोध्या (एनएमएनएचपी-5) 208.00-164.00 कि.मी.	28	44.00	नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि. भारतीय	कर्नाटक
9.	गोरखपुर से अयोध्या (एनएमएनएचपी-4) 164.00-135.00 कि.मी.	28	29.00	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. भारतीय	महाराष्ट्र
10.	अयोध्या से लखनऊ (एनएमएनएचपी-3) 135.00-93.075 कि.मी.	28	41.93	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. भारतीय	महाराष्ट्र
11.	अयोध्या से लखनऊ (एनएमएनएचपी-2) 93.075-45 कि.मी.	28	47.00	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. भारतीय	महाराष्ट्र
12.	अयोध्या से लखनऊ (एनएमएनएचपी-1) 45.00-8.250 कि.मी.	28	36.00	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. भारतीय	महाराष्ट्र
	एनएचडीपी चरण 3क				
1.	आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा	11	45.00	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि. दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम भारतीय	नई दिल्ली
2.	सीतापुर-लखनऊ 488.27 से 413.20 कि.मी.	24	75.00	अपोलो (यूके)-जेएलआई (यूके)-डीएससी भारतीय-एलओआर (यूके) कंसोर्टियम यूके-भारतीय (जेवी)	यूके-यूके-दिल्ली-यूके
	उत्तर प्रदेश राज्य का जोड़		579.34		
	पश्चिम बंगाल				
	ई डब्ल्यू				
1.	सिलीगुढी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-7) 526.00 से 500 कि.मी.	31	26.00	इरकान इंटरनेशनल लि. भारतीय	नई दिल्ली
2.	असम/पश्चिम बंगाल सीना से गैरकाटा (डब्ल्यूबी-1) 255.00 से 223.00 कि.मी.	31सी	32.00	गेमन इंडिया लि. भारतीय	महाराष्ट्र
3.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-6 551.00 से 526.00 कि.मी.	31	25.00	बी सनैया एंड कं. (प्रोजे.) लि. भारतीय	आंध्र प्रदेश
	पश्चिम बंगाल राज्य का जोड़		83.00		
	कुल जोड़		3706.31		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर फुटपाथ का निर्माण/विकास

2989. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के बारपेटा में अभयपुरी डिवीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के 8.60 किलोमीटर लंबे फुटपाथ के निर्माण/विकास कार्य को पूरा करने की लक्षित तारीख संबंधित विभाग द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा न कर पाने के कारण 30.9.2005 को समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वीकृति दोबारा देने का है ताकि बोलीदाताओं के उचित चयन के बाद अब निर्माण कार्य किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रा.रा. 31 पर 829.000 से 859.300 किमी. के बीच 8.60 किमी. लंबाई को 11.69 करोड़ रु. की लागत से ऊंचा उठाने और सुदृढ़ बनाने के लिए 31.03.2005 को स्वीकृति दी गई थी। यह कार्य 6 महीने की नियत अवधि में 26.09.2005 को सौंपा गया था और कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 31 मार्च, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.डी.एम.सी. द्वारा गैर-सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता

2990. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनडीएमसी अनेक गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है और एनडीएमसी द्वारा उनके कर्मचारियों को वेतन भी दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों और एन.डी.एम.सी. के बीच अवैध सांठ-गांठ के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में अभी तक कुल कितने अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठनों और वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (आज तक) के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा उन्हें दिए गए सहायता अनुदान के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इन गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत स्टाफ को कोई वेतन नहीं दिया है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और इन गैर-सरकारी संगठनों के बीच सांठ-गांठ की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र.सं.	संस्थान/गैर-सरकारी संगठन का नाम	सहायता अनुदान की राशि (वर्ष-वार) (रुपये में)			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स जवाहर लाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट 31/30 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली	5,00,000	2,50,000	2,50,000	शून्य

1	2	3	4	5	6
2.	मेसर्स अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद नार्दन कम्पलैक्स, आर के आश्रम मार्ग नई दिल्ली	20,000	20,000	20,000	शून्य
3.	मेसर्स अखिल भारतीय महिला संस्थान के-4, चंधेरी बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	25,000	शून्य
4.	मेसर्स चित्र कला संगम, एन-77, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	25,000	1,00,000	25,000	शून्य
5.	मेसर्स दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	50,000	40,000	40,000	शून्य
6.	मेसर्स आर के मिशन फ्री लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	शून्य	शून्य	20,000	शून्य
7.	मेसर्स आल इंडिया फेडरेशन आफ डीफ नार्दर्न कम्पलैक्स, आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	15,000	15,000	15,000	शून्य
8.	मेसर्स ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली	25,000	40,000	50,000	शून्य
9.	मेसर्स भारत सेवक समाज दिल्ली प्रदेश 19 और 20 नार्दर्न कम्पलैक्स, आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	20,000	40,000	शून्य	शून्य
10.	मेसर्स हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, आर के आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	1,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मेसर्स अंध महाविद्यालय (इंस्टिट्यूट फार ब्लाइंड) पी के रोड, नई दिल्ली	50,000	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मेसर्स आर के मिशन टी बी क्लिनिक, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	50,000	25,000	शून्य	शून्य
13.	छत्रपति शिवाजी आल इंडिया हाकी टूर्नामेंट पोलियो उन्मूलन स्पोर्टस सोसाइटी 205, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार, दिल्ली	5,00,000	2,50,000	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु संविदाएं दिया जाना

2991. श्रीमती जयावहन बी. ठक्करः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु दी जा रही संविदाओं के तरीके में बदलाव लाने हेतु केंद्र सरकार को परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग कालेजों के आधुनिकीकरण हेतु अनुदान

2992. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सहित कुछेक राज्यों को उनके इंजीनियरिंग कालेजों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार और कालेज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त उद्देश्य हेतु कुछेक अन्य राज्यों को भी कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) भारत सरकार देश में विश्व बैंक की सहायता से संचालित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू कर रही है जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के निमित्त भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में और अधिक सहयोग करना है। इस कार्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय चक्र के अंतर्गत कर्नाटक सहित 13 राज्यों को शामिल किया गया है। अन्य राज्यों को इसके तहत तभी शामिल किया जा सकता है जब प्रथम चरण में शामिल राज्य इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर लेंगे। संस्थाओं सहित इन राज्यों का ब्योरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाने संबंधी एक स्कीम भी लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं/कम्प्यूटिंग सुविधाओं को आधुनिकीकृत करना तथा पुराने उपस्करों को हटाना है ताकि प्रभावी शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध हेतु मौजूदा सुविधाओं को अद्यतन बनाया जा सके। इस स्कीम के तहत 15 लाख रु. मूल्य तक के उपस्करों का वित्तपोषण किया गया है जिनका उपयोग मौजूदा प्रयोगशालाओं में उपस्करों का उन्नयन करने, मौजूदा उपस्करों के कार्यनिष्पादन पैरामीटर संबंधी विनिर्देशनों को बढ़ाने, इस क्षेत्र में नवीनतम अन्वेषणों को शामिल करते हुए पुराने अनुपयुक्त उपस्करों के स्थान पर आधुनिक उपस्कर लाना हैं।

वर्ष 2005-06 हेतु इस स्कीम के तहत वित्तीय अनुदान के निमित्त कुल 23.75 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2005-06 हेतु आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाने संबंधी स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए अभी तक कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या www.aicte.ernet.in नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाने संबंधी स्कीम देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों हेतु उपलब्ध है।

विवरण I

कार्यक्रमों की अवधि के अनुरूप आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य		संस्था का नाम		रु. करोड़ में
1		2		3
1.	आंध्र प्रदेश	1.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, ओसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	15.892
		2.	ए यू कालेज आफ इंजीनियरिंग, विशाखापटनम	15.336
		3.	जे एन टी यू कालेज आफ इंजीनियरिंग, कुकाटपल्ली, हैदराबाद	14.313
		4.	जे एन टी यू इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, कुकाटपल्ली	12.805

1		2		3
		5.	जे एन टी यू कालेज आफ इंजीनियरिंग, अनंतपुर	12.029
		6.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ टेक्नोलाजी, ओसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	11.870
		7.	राजीव गांधी मेमोरियल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, नंदयाल जिला कुरनूल	11.936
		8.	बापातला इंजीनियरिंग कालेज, बापातला	11.815
		9.	गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स, सिकंदराबाद	7.500
		10.	एस वी यू कालेज आफ इंजीनियरिंग, तिरूपति	14.190
		11.	जे एन टी यू कालेज आफ इंजीनियरिंग, काकीनाडा	11.947
		12.	श्रीनिधि इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, हैदराबाद	11.720
			योग	151.353
2.	गुजरात	1.	एल डी कालेज आफ इंजीनियरिंग, अहमदाबाद	30.000
		2.	डी डी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, नाडियाड	18.562
		3.	गर्वनमेंट इंजीनियरिंग कालेज, गांधी नगर	20.022
		4.	गर्वनमेंट इंजीनियरिंग कालेज, मोदासा	15.036
		5.	गर्वनमेंट पोलिटेक्निक, अहमदाबाद	1.000
		6.	डा. एस एण्ड एस एस गांधी कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, सूरत	1.079
			योग	85.699
3.	हरियाणा	1.	सी.आर. राजकीय इंजीनियरी कालेज, मुर्थल	7.277
		2.	गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	8.364
		3.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	7.648
		4.	वाई.एम.सी.ए. इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद	7.647
		5.	राजकीय पालिटेक्निक नीलोखेरी	2.000
			कुल	32.936

1		2		3
4.	हिमाचल प्रदेश	1.	राजकीय पालिटेक्निक कालेज, सुन्दरनगर	2.500
		2.	राजकीय पालिटेक्निक महिला कालेज, कंडाघाट	2.500
		3.	राजकीय पालिटेक्निक कालेज, हमीरपुर	2.492
			कुल	7.492
5.	झारखण्ड	1.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसरा	20.000
		2.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी	12.370
		3.	राजकीय पालिटेक्निक, रांची	1.000
		4.	राजकीय पालिटेक्निक, दुमका	1.000
			कुल	34.370
6.	कर्नाटक	1.	जयाचमराजेन्द्रा इंजीनियरी कालेज, मैसूर	20.000
		2.	श्री बी. वीवी संघ बशेश्वर इंजीनियरी कालेज, विद्यानगर	15.163
		3.	यूनिवर्सिटी आफ विश्वेश्वरैया इंजीनियरी कालेज, बंगलौर	15.060
		4.	एन.एम.ए.एम. प्रौद्योगिकी संस्थान, नीते	16.100
		5.	राष्ट्रीय इंजीनियरी संस्थान, मैसूर	7.547
		6.	श्री धर्मस्थला मंजमथेश्वरा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, धारवाड	10.000
		7.	पी.डी.ए. इंजीनियरी कालेज, गुलबर्ग, बंगलौर	10.434
		8.	एम.एस. रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	12.977
		9.	डा. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	17.350
		10.	यूनिवर्सिटी बी.डी.टी. कालेज आफ इंजीनियरिंग, देवनगिरी	11.885
		11.	मालन्द इंजीनियरी कालेज, हसन	6.818
		12.	सिद्धगंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर	10.000
		13.	श्री सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर	10.000
		14.	बी.एम.एस. इंजीनियरी कालेज, बंगलौर	10.000
			कुल	173.334
7.	केरल	1.	इंजीनियरी कालेज, त्रिवेन्द्रम	31.999
		2.	इंजीनियरी कालेज, चेन्गन्नूर	5.989

1		2		3
		3.	माडल इंजीनियरी कालेज, कोच्चि	5.894
		4.	श्री चित्रा थीरूनल इंजीनियरी कालेज, त्रिवेन्द्रम	6.000
		5.	एम.ई.एस. इंजीनियरी कालेज, कुट्टीपुरम	5.620
		6.	एल.बी.एस. इंजीनियरी कालेज, कसरगोड	6.000
			कुल	61.509
8.	मध्य प्रदेश	1.	जबलपुर इंजीनियरी कालेज, जबलपुर	13.033
		2.	श्री गोविन्दराम सकसेरिया प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर	11.483
		3.	रीवा इंजीनियरी कालेज, रीवा	6.290
		4.	विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, आर.जी.पी.वी., भोपाल	6.013
		5.	उज्जैन इंजीनियरी कालेज, उज्जैन	6.167
		6.	सरदार वल्लभभाई पालिटेक्निक कालेज, भोपाल	2.500
		7.	कलानिकेतन पालिटेक्निक कालेज, जबलपुर	1.960
			कुल	50.446
9.	महाराष्ट्र	1.	पूणे इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पूणे	25.545
		2.	मुम्बई विश्वविद्यालय केमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	23.330
		3.	वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	22,167
		4.	राजकीय इंजीनियरी कालेज, औरंगाबाद	8.370
		5.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विद्याविहार	7.496
		6.	वालचंद इंजीनियरी कालेज, सांगली	8.540
		7.	श्री गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, नांदेड	9.983
		8.	राजकीय इंजीनियरी कालेज, सुमरावती	8.843
		9.	विश्वकर्मा प्रौद्योगिकी संस्थान, पूणे	6.520
		10.	जी.एच. रायसोनी इंजीनियरी कालेज, नागपुर	10.000
		11.	डी.के.टी.ई. सोसायटी टेक्सटाइल तथा इंजीनियरी संस्थान, राजवाडा	6.972
		12.	राजकीय पालिटेक्निक, मुम्बई	2.103

1		2		3
		13.	राजकीय पालिटेक्निक, पुणे	2.085
		14.	राजकीय पालिटेक्निक, नागपुर	2.000
		15.	के.ई.एस. राजारामबापू प्रौद्योगिकी संस्थान, सांगली	9.299
		16.	यशवंतराव चव्हाण इंजीनियरी कालेज, नागपुर	8.411
		17.	श्री संत गजानन महाराज इंजीनियरी कालेज, शीगांव	7.000
			कुल	168.664
10.	तमिलनाडु	1.	राजकीय प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर	14.600
		2.	ए.सी. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, करायकुडी	15.667
		3.	राजकीय इंजीनियरी कालेज, तिरूनेलवेली	10.110
		4.	थनवाई पेरियार राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लौर	10.267
		5.	राजकीय इंजीनियरी कालेज, सलेम	10.967
		6.	केन्द्रीय पालिटेक्निक कालेज, थारामनी	1.560
		7.	डा. धर्मावल राजकीय महिला पालिटेक्निक, थारामनी	2.00
		8.	तमिलनाडु पालिटेक्निक कालेज, मदुरई	1.153
		9.	इंजीनियरी कालेज, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	13.040
		10.	मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	10.00
		11.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	5.299
			कुल	94.663
11.	उत्तरांचल	1.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	20.000
		2.	देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून	5.984
		3.	कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट	6.750
		4.	जी.बी.पी. इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी, गढ़वाल	6.750
		5.	राजकीय पालीटेक्निक, देहरादून	2.000
			कुल	41.484
12.	उत्तर प्रदेश	1.	हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर	24.777

1		2		3
		2.	बाबू बनारसीदास नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, लखनऊ	8.435
		3.	कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सुल्तानपुर	10.163
		4.	इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ	12.333
		5.	मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर	10.541
		6.	बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, झांसी	8.150
		7.	गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर	8.119
		8.	श्री राम मूर्ति स्मारक कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, बरेली	6.905
		9.	यूनाइटेड कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, इलाहाबाद	4.290
		10.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	9.627
		11.	जे.एस.एस. अकेडमी आफ टेक्निकल एजुकेशन, नोएडा	6.130
		12.	फिरोज गांधी पालिटेक्निक, रायबरेली	1.069
		13.	डा. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी आफ हैण्डीकेप्ड, कानपुर	1.940
			कुल	112.479
13.	पश्चिम बंगाल	1.	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा	24.223
		2.	फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर	23.570
		3.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ टेक्नोलाजी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	30.176
		4.	नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कालेज, दक्षिणी 24 परगना	7.478
		5.	आसनसोल इंजीनियरिंग कालेज, आसनसोल	10.062
		6.	गवर्नमेंट कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलाजी, सिरामपुर, हुगली	8.250
		7.	कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, कल्याणी	12.080
		8.	हल्दिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, हल्दिया	10.000
		9.	जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, जलपाईगुड़ी	11.090

1	2	3
	10. गवर्नमेंट कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड सेरेमिक टेक्नोलाजी, कोलकाता	8.366
	11. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, कोलकाता	8.000
	कुल	153.297

विवरण II

केंद्र से निधियन प्राप्त संस्थाएं

संस्था का नाम			पूरे परियोजना काल का आवंटन (रु. करोड़ में)
		1	2
1.	1.	मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, इलाहाबाद	21.000
	2.	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, नागपुर	20.648
	3.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कालीकट	20.940
	4.	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, भोपाल	20.892
	5.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कुरूक्षेत्र	20.930
	6.	डा. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, जालंधर	20.903
	7.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, जमशेदपुर	20.290
	8.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत	20.939
	9.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, श्रीनगर	20.940
	10.	मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, जयपुर	20.000
	11.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरतकल	20.940
	12.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, हमीरपुर	19.550

	1	2
13.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, वारंगल	21.000
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, दुर्गापुर	21.369
15.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, तिरूचिरापल्ली	20.900
16.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलाजी, रांची	14.560
17.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सिल्चर	10.252
18.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, राउरकेला	10.000
	कुल	346.053

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

2993. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक राज्य-वार और स्थान-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) शेष प्रस्तावों की स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) को दिसंबर, 2003 में आरंभ किया गया था। तब से लेकर अब तक विभिन्न समूहों के लिए 110 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न समूहों के लिए 28 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। प्राप्त समूह प्रस्तावों की सूची और इनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यह मामला औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना हेतु और अधिक परिव्यय के आबंटन के लिए योजना आयोग को भेजा गया है।

(घ) इस समय कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

प्राप्त किये गये समूह (क्लस्टर) प्रस्तावों की सूची तथा उनकी स्थिति

क्र.सं.		वर्गीकृत समूह (क्लस्टर)	स्थापना स्थल	परियोजना लागत	स्थिति
1		2	3	4	5
I	**आंध्र प्रदेश**				
1.	1.	आटो कंपोनेंट इण्डस्ट्री	विजयवाड़ा, जिला कृष्णा	31.08	अनुमोदित
2.	2.	बल्क ड्रग्स एंड फार्मा क्लस्टर	हैदराबाद	79.00	अनुमोदित

1		2	3	4	5
3.	3.	प्रीसिजेन इंजीनियरिंग टूल्स एण्ड कंपोनेंटस	बालानगर, हैदराबाद	72.22	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
4.	4.	रेडीमेड गार्मेंट्स क्लस्टर	रायदुर्ग, जिला अनन्तपुर	7.05	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
5.	5.	लेदर टेनिंग इण्डस्ट्री	वारंगल और पड़ौसी जिला	21.42	अस्वीकृत
6.	6.	लेदर टेनिंग इण्डस्ट्री	जिला-विजयानगरम और पड़ौसी क्षेत्र	15.00	अस्वीकृत
7.	7.	कृत्रिम ज्वैलरी क्लस्टर	मछलीपतनम, जिला कृष्णा	9.70	अस्वीकृत
8.	8.	एक्वा-कल्चर क्लस्टर	भिमवारम-विशाखापतनम क्षेत्र	40.00	अस्वीकृत
9.	9.	कयर क्लस्टर	वेस्ट एंड ईस्ट गोदावरी, हैदराबाद	67.42	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
10.	10.	सरसिला पावरलूम्स	जिला-करीमनगर	32.62	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
II अरुणाचल प्रदेश					
11.	1.	बेम्बू मेट क्लस्टर	एलोंग, वेस्ट सियांग जिला	70.00	अस्वीकृत
III असम					
12.	1.	बांस आधारित क्लस्टर	गुवाहाटी	41.78	अस्वीकृत
IV छत्तीसगढ़					
13.	1.	इस्पात भूमि क्लस्टर	रायपुर	–	अनुमोदित
14.	2.	हेवी स्टील इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	भिलाई	1.23	अस्वीकृत
15.	3.	लाइट स्टील क्लस्टर	भिलाई	14.85	अस्वीकृत
16.	4.	कोसा इण्डस्ट्रीज	जंजगीर-चम्पा	7.0	अस्वीकृत
17.	5.	धान उद्योग क्लस्टर	धामतारी	5.7	अस्वीकृत
18.	6.	ब्लेक स्टोन कटिंग एंड पोलिसिंग	बासिन (रजीम) रायपुर	3.42	अस्वीकृत
19.	7.	धान उद्योग क्लस्टर	टिलडा-नेओरा	4.85	अस्वीकृत
20.	8.	मेटल क्राफ्ट इण्डस्ट्री	नागरनर, बस्तर	4.1	अस्वीकृत
21.	9.	वुड क्राफ्ट इण्डस्ट्री	जगदलपुर, बस्तर	3.46	अस्वीकृत
22.	10.	केगिकल क्लस्टर	भिलाई	10.71	अस्वीकृत
23.	11.	विद्युत क्लस्टर	भिलाई	2.9	अस्वीकृत

1		2	3	4	5
24.	12.	आटोमोबाइल	भिलाई	4.33	अस्वीकृत
25.	13.	कार्पेट इण्डस्ट्री	मैनपट, अमबीकापु	4.00	अस्वीकृत
26.	14.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	नावापारा-रजीम	5.35	अस्वीकृत
27.	15.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	रायगढ़-खरसीया	5.36	अस्वीकृत
28.	16.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	राजनन्द गांव	5.33	अस्वीकृत
29.	17.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	दुर्ग	5.33	अस्वीकृत
30.	18.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	महासामुनद-अरांग	5.32	अस्वीकृत
31.	19.	राइस मिल्स इण्डस्ट्री	भाटपारा-बालोदबाझ	5.36	अस्वीकृत
V	दिल्ली				
32.	1.	ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया	ओखला, नई दिल्ली	49.67	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
33.	2.	बजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया	वजीरपुर, दिल्ली	60.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
VI	गुजरात			1	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
34.	1.	फोर्जिंग पेकेजिंग, प्लास्टिक ग्लास इत्यादि	लोदीका जीआईडीसी इण्डस्ट्रीयल पार्क, राजकोट	65.20	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
35.	2.	केमिकल क्लस्टर	अंकलेश्वर, पानोली एंड झागाड़िया	152.00	अनुमोदित
36.	3.	केमिकल क्लस्टर	वापी	54.31	अनुमोदित
37.	4.	केमिकल क्लस्टर	अहमदाबाद	72.17	अनुमोदित
38.	5.	जेम एंड ज्वैलरी	सूरत	37.00	अनुमोदित
39.	6.	फार्मा, टेक्सटाइल इंजी. केमिकल क्लस्टर	सचिन	47.50	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
40.	7.	केमिकल क्लस्टर	नंदेसारी	18.58	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
41.	8.	मशीन टूल्स एंड फाउण्ड्री इण्डस्ट्रीज	राजकोट	36.00	अस्वीकृत
42.	9.	ज्वैलरी क्लस्टर	राजकोट	17.23	अस्वीकृत
43.	10.	इंजीनियरिंग क्लस्टर	चित्रा, भावनगर	64.75	अस्वीकृत

1		2	3	4	5
44.	11.	इंजीनियरिंग क्लस्टर	मकरपुरा, वडोदरा	36.04	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
45.	12.	सी फूड प्रोसेसिंग	वेरावाल, जूनागढ़	20.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
46.	13.	लेदर क्लस्टर	गुजरात	16.21	अस्वीकृत
VII	**हरियाणा**				
47.	1.	लाइट इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	फरीदाबाद	60.44	अनुमोदित
48.	2.	टेक्सटाइल्स क्लस्टर	पानीपत	28.98	अनुमोदित
49.	3.	आटोमोटिव कंपोनेंटस	गुड़गांव	66.67	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
VIII	**हिमाचल प्रदेश**				
50.	1.	टेक्सटाइल्स क्लस्टर	नालागढ़ बाड्डी बारोटीवाला	48.72	अस्वीकृत
IX	**जम्मू-कश्मीर**				
51.	1.	इलैक्ट्रानिक काम्पलेक्स	रंग्रेथ	10.02	अस्वीकृत
52.	2.	इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स	खुनमोह	8.62	अस्वीकृत
53.	3.	इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स	शालटेंग	1.52	अस्वीकृत
X	**झारखंड**				
54.	1.	आटो क्लस्टर	आदित्यपुर, जमशेदपुर	64.99	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
XI	**कर्नाटक**				
55.	1.	फाउंड्री इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	बेलगांव	16.22	अनुमोदित
56.	2.	मशीन टूल्स	बंगलौर	115.00	अनुमोदित
57.	3.	गार्मेंट क्लस्टर	बेलारी	23.75	अस्वीकृत
58.	4.	केशव क्लस्टर	मंगलौर	24.17	अस्वीकृत
59.	5.	कयर क्लस्टर	हासन	49.65	अस्वीकृत
60.	6.	कयर क्लस्टर	चेन्नापटना	23.27	अस्वीकृत
61.	7.	दाल इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	गुलबर्गा	43.56	अस्वीकृत
62.	8.	वाल्वस क्लस्टर	हुबली	70.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया

1		2	3	4	5
63.	9.	आटो एंड संबद्ध इण्डस्ट्रीज क्लस्टर	सिमोगा	58.36	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
XII	**केरल**				
64.	1.	किंफ्रा हर्बल ड्रग्स क्लस्टर	त्रिसूर	10.19	अनुमोदित
65.	2.	कयर क्लस्टर	अल्लापुजा	16.5	अनुमोदित
66.	3.	केमिकल्स क्लस्टर	कोच्ची	60.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
XIII	**मध्य प्रदेश**				
67.	1.	आटो क्लस्टर	पीतमपुर	72.39	अनुमोदित
68.	2.	इंजी. एवं संबद्ध क्लस्टर	भोपाल	68.77	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
69.	3.	रेडीमेड गार्मेंट्स	जबलपुर	41.71	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
70.	4.	खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग उद्योग	छिंदवाड़ा	32.31	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
XIV	**महाराष्ट्र**				
71.	1.	टेक्सटाइल्स क्लस्टर	इछलकरनजी, कोल्हापुर	59.78	अनुमोदित
72.	2.	आटो कंपोनेंट्स क्लस्टर	पूणे	118.15	अनुमोदित
73.	3.	पोमग्रेनेट क्लस्टर	शोलापुर, सांगली, पुणे	21.43	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
74.	4.	दाल मिलिंग	कापसी, ताल कामपटी, जिला नागपुर	35.42	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
75.	5.	केमिकल क्लस्टर	माहाद, जिला रायगढ़	15.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
76.	6.	केमिकल क्लस्टर	थाणे-बेलापुर, एंड एरिया नवी मुंबई	65.32	अस्वीकृत
77.	7.	केमिकल इंड. इंजी. मदें	रोहा, जिला-रायगढ़	22.85	अस्वीकृत
78.	8.	केमिकल क्लस्टर	लोटे परशुराम इंड. स्टेट	25.52	अस्वीकृत
79.	9.	आटो मोबाइल क्लस्टर	औरंगाबाद	61.20	अस्वीकृत
80.	10.	फाउण्ड्री एंड इंजी. क्लस्टर	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	42.44	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया

1		2	3	4	5
XV	**उड़ीसा**				
81.	1.	स्टील एंड धातुकर्मी	जाजपुर	62.50	अनुमोदित
XVI	**पंजाब**				
82.	1.	टैक्स्टाइल्स क्लस्टर	लुधियाना	67.00	अनुमोदित
83.	2.	रिरोलिंग स्टील गिल्स	गंडी गोबिन्दगढ़	59.26	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
84.	3.	वाइसाइकिल एंड पार्टस	लुधियाना	50.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
85.	4.	मशीन टूल्स	बटाला	50.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
86.	5.	स्टील फोर्जिंग क्लस्टर	लुधियाना	12.12	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
XVII	**राजस्थान**				
87.	1.	गार्बल क्लस्टर	किशनगढ़	58.77	अनुमोदित
88.	2.	कागन वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा	मावली, उदयपुर	105.00	अस्वीकृत
XVIII	**तमिलनाडु**				
89.	1.	एम्बर लेदर क्लस्टर	एम्बर	33.77	अनुमोदित
90.	2.	पम्प/मोटर्स/फाउण्ड्री	कोयम्बटूर	66.00	अनुमोदित
91.	3.	आटो एंसिलरी इण्डस्ट्री	चैन्नई	51.50	अनुमोदित
92.	4.	सीरिलस, पल्सेज तथा स्टेप्ल्स मिलिंग क्लस्टर	मदुरैई	67.18	अनुमोदित
93.	5.	टैक्स्टाइल्स क्लस्टर	त्रिपुरा	143.00	अनुमोदित
94.	6.	प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग क्लस्टर	शिवकाशी (तमिलनाडु)	60.00	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
95.	7.	कायर क्लस्टर	सेलम, नागकाई, धर्मापुरी और बेलौर	49.70	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
96.	8.	मेंगो पल्प प्रोजेक्ट	कृष्णागिरि (धर्मापुरी जिला)	42.91	अस्वीकृत
97.	9.	फार्मास्यूटिकल	चैन्नई	15.00	अस्वीकृत
98.	10.	माचिस और पटाखे उत्पाद	शिवकाशी (तमिलनाडु)	5.42	अस्वीकृत
99.	11.	चाय क्लस्टर	नीलगिरी (तमिलनाडु)	66.77	अस्वीकृत

1	2	3	4	5
100.	12. लेदर क्लस्टर	रानीपेट विश्राम एंड पेराम्बट	54.55	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
IXX	**त्रिपुरा**			
101.	1. बम्बू हेंडीक्राफ्ट	त्रिपुरा	29.30	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
XX	**उत्तर प्रदेश**			
102.	1. चमड़ा क्षेत्र	कानपुर-उन्नाव	52.35	अनुमोदित
103.	2. वूडवेयर इण्डस्ट्रीज क्लस्टर	सहारनपुर	44.97	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
104.	3. सिल्क एंड कार्पेट क्लस्टर	वाराणसी	48.13	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
105.	4. जगदीशपुर इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर	अमेठी	77.47	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया
106.	5. कांच उद्योग	फिरोजाबाद	58.06	अस्वीकृत
XXI	**पश्चिम बंगाल**			
107.	1. फाउण्ड्री पार्क	हावड़ा	130.00	अनुमोदित
108.	2. मल्टी इण्डस्ट्री क्लस्टर	हल्दिया	73.69	अनुमोदित
109.	3. रबड़ क्लस्टर	हावड़ा	33.00	अनुमोदित
110.	4. आयरन एंड स्टील इण्डस्ट्री क्लस्टर	दुर्गापुर	73.05	अभी तक "अनुमोदित अथवा अस्वीकृत" नहीं किया गया

[हिन्दी]

अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु सहायता

2994. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार राज्य में गंगा, कोसी, गंडक और सोन चार प्रमुख नदियों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाएं विकसित करने के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और क्या कार्य किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 में सरकार द्वारा चार प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। संस्वीकृत लागत तथा राज्य-सरकार को मुहैया करवा दी गई धनराशि सहित इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं को उपर्युक्त राज्य-सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। उपर्युक्त राज्य-सरकार से प्राप्त हुई प्रगति-रिपोर्टों के अनुसार इन परियोजनाओं पर कार्य अभी आरम्भ किया जाना है। इसके अलावा, बिहार सरकार से गंगा, कोसी, गंडक तथा सोन नदी में से प्रत्येक नदी के संबंध

एक-एक सहित चार और प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनके बारे में उपर्युक्त राज्य-सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उपर्युक्त स्पष्टीकरण अभी भी प्रतीक्षित है। उपर्युक्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार-सरकार के अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	नदी	आरम्भ किए जाने संभावित कार्य	संस्वीकृत लागत	राज्य को दे दी गई धनराशि
1.	गंगा	पटना में नदी मुहाने के लिए विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट की तैयारी जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय जल-परिवहन पर आधारित पर्यटन है।	25.00	5.00
2.	कोसी	कोसी नदी के जल-सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र करना तथा उपर्युक्त नदी को विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करना।	30.00	6.00
3.	गंडक	गंडक नदी के जल-सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र करना तथा उपर्युक्त नदी को विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करना।	30.00	5.00
4.	सोन	सोन नदी के जल-सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र करना तथा उपर्युक्त नदी को विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करना।	30.00	5.00

विवरण II

उन प्रस्तावों का ब्यौरा जिन के बारे में केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार-सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है

(लाख रु. में)

क्र.सं.	नदी	कार्य का क्षेत्र	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	गंगा	पटना-क्षेत्र में जहाजी माल/यात्रियों के लिए फेरी सेवा के लिए नौगम्य मार्ग का विकास	2871.00
2.	कोसी	अन्तर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित कार्य-संचालन तुरन्त आरम्भ करने के मद्देनजर, कोसी नदी में नौगम्य मार्ग के तुरन्त निकर्षण तथा रख-रखाव के लिए एक सर्वेक्षण और निकर्षण यूनिट की खरीद	700.00

1	2	3	4
3.	गंडक	अन्तर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित कार्य-संचालन तुरन्त आरम्भ करने के मद्देनजर, गंडक नदी में नौगम्य मार्ग के तुरन्त निकर्षण तथा रख-रखाव के लिए एक सर्वेक्षण और निकर्षण यूनिट की खरीद	700.00
4.	सोन	अन्तर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित कार्य-संचालन तुरन्त आरम्भ करने के मद्देनजर, सोन नदी में नौगम्य मार्ग के तुरन्त निकर्षण तथा रख-रखाव के लिए एक सर्वेक्षण और निकर्षण यूनिट की खरीद	700.00

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन

2995. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में आपदा प्रबंधन के लिए पृथक मंत्रालय/विभाग सृजित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की पहचान के लिए कोई मापदंड बनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तरांचल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपने-अपने राहत विभागों को पहले ही परिवर्तित/पुन: नामांकित कर दिया है ताकि वे अपनी नामावली में आपदा प्रबंधन को शामिल कर सकें।

(ख) केन्द्र सरकार ने इन विभागों के सृजन/पुन: नामांकन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी करने और मुकाबला करने के लिए समन्वित कार्रवाई करने हेतु संस्थागत उपायों को कार्यान्वित करने, विशेषज्ञ तलाश और बचाव टीमें गठित करने, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और जागरूकता पैदा करने, बहु-जोखिम कार्रवाई यूनिटों के रूप में अग्नि शमन सेवायें विकसित करने, तैयार (स्टैंड बाई) संचार प्रणालियों के साथ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, जोखिम विशेष आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार करने, सभी विकास परियोजनाओं में आपदा न्यूनीकरण पहलुओं को मुख्य धारा में लाने, भूकंप क्षेत्र III, IV और V में भवन निर्माण के बी आई एस मानकों/संहिताओं का पालन सुनिश्चित करने, तूफान और बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण/निर्धारण करने, संसाधनों की आन-लाइन सूची रखने आदि की सिफारिश की गई है।

(घ) आपदा प्रबंधन में राज्यों की क्षमता बढ़ाने हेतु उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर निगरानी रखने के वास्ते राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर बातचीत की जाती है। 17 राज्यों में सर्वाधिक जोखिम संभावित 169 जिलों की क्षमता निर्माण, जागरूकता बढ़ाने और राज्य/जिला/ब्लाक/ग्राम/वार्ड/शहरी स्थानीय निकायों के स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार करने में भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकारों को विशेषज्ञ तलाश और बचाव टीमों हेतु उपकरणों के लिए उनकी आपदा राहत निधि में किए गए वार्षिक आवंटन का 10% उपयोग करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारों को राज्य/जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सज्जित करने के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों का भी उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कार्रवाई को सुकर बनाने हेतु तदकनीकी और संभारकीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास

2996. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आत्मसमर्पण करने और अपने हथियार डालने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास हेतु अभी तक उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने उग्रवादियों ने अभी तक हथियार डाले हैं और उनमें से कितने उग्रवादियों का राज्य-वार स्व-रोजगार सहित रोजगार के माध्यम से पुनर्वास किया गया है तथा इस संबंध में राज्य-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) राज्य सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की थी जिसे जून, 1997 में संशोधित किया गया था और फिर 31.1.2004 को संशोधित किया गया। संशोधित नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों को आत्मसमर्पण करने के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए 2,000 रुपए प्रति माह की मासिक वृत्तिका दी जाती है और आत्मसमर्पण करने वाले के नाम पर एक बैंक में 1.50 लाख रुपए सावधि जमा रशीद के रूप में तत्काल अनुदान रखनी होती है जिसे वह अच्छे व्यवहार के अध्यधीन तीन वर्ष पूरे होने पर आहरित कर सकता है। समर्पित किए गए हथियारों के लिए भी निर्धारित दरों के अनुसार पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जो लोग स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं उन्हें ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों के लिए एक आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना तैयार की है, जो इन उग्रवादियों पर लागू होती है जिन्होंने 1.4.1998 के बाद आत्मसमर्पण किया है/आत्मसमर्पण करते हैं। इस योजना में, जे एंड के आत्मसमर्पण योजना के आधार पर 1.4.2005 से संशोधन किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों और दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	जम्मू और कश्मीर		पूर्वोत्तर राज्य	
	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या	जारी की गई राशि	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि
2003	119	0.21 करोड़ रु.	3299	12.70 करोड़ रु.
2004	137	0.45 करोड़ रु.	1284	10.00 करोड़ रु.
2005 (30.11.05 तक)	53	0.82 करोड़ रु.	498	7.00 करोड़ रु.

केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर हुए खर्च की 100% प्रतिपूर्ति करती है। राज्य सरकारों, आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई कर रही है।

इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित अधिकांश राज्यों की नक्सलियों, जो हिंसा का मार्ग छोड़ना और मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनायें हैं। जबकि अलग-अलग राज्यों का पुरस्कार पैकेज अलग-अलग है, केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों को एस आर ई योजना के तहत आत्समर्पण करने वाले प्रति उग्रवादी 20,000 रुपए तक व्यय की प्रतिपूर्ति करती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने हथियारों के साथ या हथियारों के बिना आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2003 से 2005 (30.11.05 तक) के बीच की अवधि के दौरान 3576 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उग्रवादियों की आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना पर होने वाले व्यय की संबंधित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

समेकित बाल विकास योजना का विस्तार

2997. श्री एस.के खारवेनधन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुदान की वर्तमान सीमा को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र तथा राज्यों के बीच लागत को किस अनुपात में बांटा जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना का देश के अन्य भागों में विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक सतत् स्कीम है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पूरक पोषण, जिसे गत वर्ष तक राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से प्रदान किया जाता था, को छोड़कर अन्य सभी घटकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, वर्ष 2005-06 से भारत सरकार ने पूरक पोषण की लागत में भी राज्यों के साथ हिस्सेदारी करने का निर्णय लिया है। पूरक पोषण के लिए अनुदान वास्तविक व्यय के 50% अथवा वित्तीय मानकों के 50% जो भी कम हो, के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(घ) और (ङ) सरकार इस स्कीम का विस्तार मौजूदा 5652 परियोजनाओं और 7.54 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों से 6119 परियोजनाओं और 9.42 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों तक करने का प्रस्ताव मंजूर कर चुकी है।

पाठ्यक्रम में जापानी भाषा

2998. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सी बी एस ई पाठ्यक्रम में जापानी भाषा को शामिल करने के लिए जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि दिनांक 28.11.2005 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सी बी एस ई पाठ्यक्रम में जापानी भाषा को शामिल करने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। भारत और जापान ने 29.4.2005 को "इंडिया-जापान पार्टनरशिप इन ए न्यू एशियन ईरा; स्ट्रेटिजिक ओरिएंटेशन आफ इंडिया-जापान ग्लोबल पार्टनरशिप" नामक एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत दोनों देश भारत में जापानी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों में विभिन्न स्तरों पर 30,000 विद्यार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है और भारतीय माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या में वैकल्पिक विदेशी भाषा के रूप में जापानी भाषा पढ़ाने जैसे उपाय किए गए हैं।

(ग) बोर्ड शैक्षिक वर्ष 2006-07 से इस पाठ्यक्रम को कक्षा-6 से और तदुपरांत क्रमबद्ध तरीके से अन्य कक्षाओं में प्रारंभ करना चाहता है।

(घ) जापानी तथा अन्य भाषाओं को पाठ्यचर्या में शामिल करने का उद्देश्य इच्छुक विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु अपेक्षित कौशल हासिल करने के निमित्त सुविधाएं प्रदान करना है।

छह लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण

2999. श्री ए.के. मूर्ति: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरै से चेन्नै और तूतीकोरिन तक एक छह लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू और समाप्त किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्जित भूमि के लिए मुआवजा

3000. प्रो. एम. रामदास: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में बाई पास सड़क (एन एच-17 माहे थालासरी) के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन 150 परिवारों को कितना मुआवजा देने का प्रस्ताव है, जिनकी भूमि की पहचान अर्जित करने के उद्देश्य से की गई है;

(ग) इस मुआवजे का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव को वार्षिक योजना 2005-06 में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बाईपास सड़क को पूर्ण करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने की संभावना है और इसके लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रा.रा. 17 पर थालासेरी-माहे बाइपास की कुल लंबाई 18.031 किलोमीटर है। चैनेज 0/00 से 9742 मीटर तक 9.742 किलोमीटर में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। माहे (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र) में पड़ने वाले सड़क खंडों सहित शेष लंबाई में भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) इस बाइपास का लगभग 2.215 किलोमीटर (चैनेज 11897 से 14112 मीटर तक) सड़क खंड पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में माहे से गुजरता है। चूंकि इस सड़क खंड में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू नहीं किया गया है इसलिए माहे में 150 परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बता पाना अभी संभव नहीं है।

(ग) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद ही इसके मुआवजे और भुगतान की समय-सीमा का निर्णय लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी नहीं। एन एच डी पी चरण-3बी के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर केरल में रा.रा. 17 की संपूर्ण लंबाई को चार लेन का बनाने के लिए पहचान कर ली गई है। एन एच डी पी चरण-3बी के अंतर्गत रा.रा. 17 को चार लेन का बनाने सहित थालासेरी-माहे बाइपास का कार्य भी शुरू किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं। इस बाइपास के पूरा होने के समय के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

यातायात को अन्य मार्गों से ले जाना

3001. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेंसर अथवा स्पीड गने आदि लगाकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को अन्य मार्गों से ले जाने अथवा उसकी गति को नियंत्रित करने पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) नौगांव से डिब्रुगढ़ के बीच रा.रा. 37 की 315 किलोमीटर लंबाई को चार लेन बनाने का कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी-एन ई) के चरण 'क' में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना में संकेतों के सभी प्रावधान शामिल कर लिए गए हैं तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के अन्य उपायों का अनुपालन किया जाएगा। सेंसर अथवा स्पीड गन इत्यादि लगाकर इस समय यातायात को परिवर्तित करने अथवा गति नियंत्रण करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण

3002. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त न करने वाले निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के अधिमत पर पुनर्विचार करने के लिए 23 अगस्त, 2005 को विभिन्न संगठनों/समूहों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न संगठनों/समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की 23 अगस्त, 2005 की बैठक में गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्रभावित किए बिना नामांकन के मामले में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान का ढांचा तैयार करने पर स्पष्ट मतैक्य हुआ। 27 अगस्त, 2005 को राज्यों के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने भी इस मतैक्य का समर्थन किया। सरकार इस संबंध में एक उपयुक्त नीति बना रही है।

सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए निविदा

3003. श्री रशीद मसूद: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ''सेतुसमुद्रम'' पोत चैनल परियोजना के लिए निविदा जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) सेतुसमुद्रम जहाजी नहर-परियोजना से संबंधित निकर्षण-कार्य हेतु वैश्विक रूप से निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी

3004. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाल विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा निधियों में कटौती की है;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाल विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाल विकास के लिए निर्धारित अनुवीक्षण योग्य लक्ष्यों का अंतिम आकलन योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाएगा। तथापि, अनेक सामाजिक-आर्थिक कारणों से योजना के अंत तक लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों हेतु आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ों में)

क्षेत्र	2002-03 (ब.प्रा.)	2003-04 (ब.प्रा.)	2004-05 (ब.प्रा.)
स्वास्थ्य	570.52	727.22	1214.38
शिक्षा	5905.55	6637.20	7780.80

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में निधियां घटायी नहीं गयी हैं।

(च) सरकार द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इन स्कीमों में सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास सेवा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पल्स पोलियो, निराश्रित बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम, किशोर अपराध न्याय हेतु समेकित कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन स्कीम तथा अन्य शामिल हैं।

पुलिस कानून की समीक्षा और इसमें सुधार करना

3005. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग ने सदस्य देशों से पुलिस कानून, नियम और विनियमों, विशेष रूप से 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से पहले के कानून, नियम और विनियम की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग ने सदस्य देशों से भ्रष्टाचार को कम करने और पुलिस के गलत कृत्यों के लिए अभियोग चलाने अथवा पीड़ित को मुआवजा दिलाने और सिविल मुकदमों में आने वाली अड़चनों को दूर करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों की पुन: जांच करने का भी आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (कामनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव) नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने पुलिस जबाबदेही पर 2005 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग ने विशेष रूप से 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से पहले के पुलिस कानूनों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने तथा आंतरिक सुरक्षा कानूनों की पुन: जांच करने की सिफारिश की थी ताकि पुलिस के गलत कृत्यों के लिए दण्ड से मुक्ति की संभावना को कम किया जा सके और अभियोग चलाने या पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और सिविल मुकदमों को चलाने में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके। ये सिफारिशें, एक गैर-सरकारी संगठन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहले ने की हैं और ये सामान्य सिफारिशें सभी राष्ट्रमंडल देशों के लिए हैं। भारत में, देश की स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं जिनमें मानवाधिकारों को उचित सम्मान दिया जाता है। भारत सरकार ने भी पुलिस व्यवस्था के कार्यकरण में, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा समुदाय, विशेष कर समाज के कमजोर और सुभेद्य वर्गों की समस्याओं के लिए इसे जिम्मेदार बनाने की दृष्टि से पुलिस अधिनियम, 1861 के स्थान पर एक नया पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

आई टी बी पी को हथियारों की अनुपलब्धता

3006. श्री जुएल ओराम:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आई टी बी पी के कार्मिकों को गर्म कपड़े, जूते, चश्में (गागल), अन्य उपस्कर, गुणवत्तापूर्ण भोजन आदि नहीं उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों की गुणवत्ता सशस्त्र सेनाओं को दिए जाने वाले हथियारों से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) के कार्मिकों को उनकी आपरेशनल जरूरतों और निर्धारित स्केल के अनुसार अच्छी किस्म का भोजन, आवश्यक कपड़े, सुरक्षा संबंधी साजो-सामान और उपस्कर विधिवत रूप से प्रदान किए गए हैं। 6000 फुट से अधिक उंचाई पर तैनात आई टी बी पी कार्मिकों को अत्यधिक सर्दी में पहनने वाले कपड़े और उपस्कर (ईसीसीई), जिसमें 48 वस्तुएं शामिल हैं, प्रदान किए जाते हैं। ईसीसीई के अतिरिक्त, 12000 फुट से 15,000 फुट के बीच तैनात टुकड़ियों को सियाचिन के वातावरण के अनुकूल कपड़े, जिनमें विशिष्ट प्रकार की 12 वस्तुएं शामिल हैं और 15,000 फुट से अधिक उंचाई पर तैनात टुकड़ियों को सियाचिन के वातावरण के अनुकूल कपड़े प्रदान किए जाते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार की 23 वस्तुएं शामिल हैं। सीमा पर तैनात टुकड़ियां सेना के स्केल पर मुफ्त राशन की पात्र हैं, जो प्रदान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) आई टी बी पी को मुहैया कराए जा रहे शस्त्र, उनकी आपेशनल जरूरतों के अनुसार और अन्य सीमा चौकसी बलों को मुहैया कराए जा रहे साजो-सामान के समुतल्य हैं।

[अनुवाद]

तटीय जिलों में तटीय समुदायों का उत्थान

3007. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "सेतुसमुद्रम" पोत चैनल परियोजना क्षेत्र के तटीय जिलों में तटीय समुदायों का उत्थान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या प्रणाली विकसित की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना के प्रति पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति देते समय, पर्यावरण और वन-मंत्रालय द्वारा अन्य शर्तों के साथ-साथ रखी गई विशेष शर्तों में से एक शर्त, उपर्युक्त परियोजना की लागत के संबंध में, बजट से संबंधित प्रावधान करके, मछुआरों सहित तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों को स्थायी रूप से आजीविका अर्जित करने के अवसर उपलब्ध करवाने की उपयुक्त व्यवस्था किए जाने की है। तद्नुसार, यह फैसला किया गया है कि मैसर्स सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड, रामेश्वरम में, जहाजी माल के साथ-साथ मछली पकड़ने के जलयानों के संभाले जाने के लिए एक बहुउद्देशीय एकीकृत लघु पत्तन-सुविधा और नागपट्टीणम, तंजौर और रामनाथपुरम जिलों में, मछली पकड़ने से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए तीन बंदरगाह विकसित करने में सहायता करे। पर्यावरण और वन-मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुपालन के एक भाग के रूप में, मैसर्स सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड ने, "तटीय समुदाय विकास-कार्यक्रम" नामक एक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के कदम उठाए हैं। इस प्रयोजन से, सेतुसमुद्रम जहाजी नहर-परियोजना के क्षेत्र में आने वाले छः तटीय जिलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के क्रम में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैकल्पिक आजीविका का प्रशिक्षण देने की दृष्टि से, सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत और स्वयं सहायता-दलों से युक्त कुछ गैर-सरकारी संगठन चुने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, उपर्युक्त क्षेत्र में भरोसेमन्द अनुभव से युक्त नेतृत्व करने वाले एक अग्रणी भागीदार चुन लिया गया है, जिससे कि उपर्युक्त कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के क्रम में सेतुसमुद्रम निगम लि. से समन्वय कायम रखा जा सके। शुरूआत में इस कार्यक्रम को परीक्षण के आधार पर 3 महीनों की अवधि तक कार्यान्वित किए जाने की योजना है, जिसके बाद उपर्युक्त कार्यक्रम का दायरा और विस्तार तथा उसकी प्रभावोत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से उसकी (उपर्युक्त कार्यक्रम की) समीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

3008. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान औद्योगिक विकास दर कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 1993-94 के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार पिछले छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर, 2005-06) के दौरान औद्योगिक विकास की दर 8.8 प्रतिशत थी।

(ख) उक्त अवधि के दौरान वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों के नाम हैं: खाद्य उत्पाद; पेय पदार्थ; तम्बाकू एवं संबंधित उत्पाद; सूती कपड़ा; जूट एवं अन्य वनस्पत्ति रेशेयुक्त कपड़े; कपड़ा उत्पाद; कागज एवं कागज उत्पाद तथा छपाई; प्रकाशन एवं संबद्ध उद्योग; चमड़ा तथा फर उत्पाद; आधारभूत रसायन एवं रासायनिक उत्पाद; रबड़; प्लास्टिक; पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद; गैर-धात्विक खनिज उत्पाद; आधारभूत धातु एवं मिश्रधातु उद्योग; मशीनरी एवं उपकरण; परिवहन संबंधी उपकरण एवं पुर्जे तथा अन्य विनिर्माणकारी उद्योग।

(ग) सरकार द्वारा विनिर्माणकारी क्षेत्र उद्योग में विकास दर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पुष्पकृषि संबंधी निर्यात

3009. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् देश में पुष्पकृषि संबंधी निर्यातों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार मात्रा तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यातों को और बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन, कर लाभ देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। वर्ष 2002-03 और वर्ष 2003-04 के दौरान पुष्पोत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान इन उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई थी। ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

(मात्रा: मी. टन, में मूल्य: करोड़ रुपए में)

2002-2003		2003-2004		2004-2005	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
–	165.8	30659.53	249.55	26262.35	210.99

– उपलब्ध नहीं:
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ख) निर्यात की मात्रा एवं मूल्य के साथ भातीय पुष्पोत्पादों के प्रमुख गंतव्य निम्नानुसार हैं।

(मात्रा मी. टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2003-2004		2004-2005	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
संयुक्त राज्य अमरीका	11921.65	73.13	7281.93	48.68
यूनाइटेड किंगडम	3810.64	28.02	3234.60	25.31
नीदरलैण्ड	2513.60	26.97	2400.22	27.82
जापान	1494.30	25.47	1717.50	15.68
जर्मनी	2668.15	21.35	2325.34	20.93
फ्रांस	875.87	8.13	583.42	5.27
इटली	1802.13	11.55	1280.58	9

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) और (घ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं परिवहन हेतु सहायता के लिए विभिन्न योजना स्कीमों के तहत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। पुष्पों के निर्यात हेतु विशेष कृषि उपज योजना के तहत लाभ भी उपलब्ध हैं।

वर्तमान राजमार्गों का विस्तार/रखरखाव

3010. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
योगी आदित्यनाथ:
श्री पी.सी. थामस:
श्री रामसेवक सिंह:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से वर्तमान राजमार्गों के विस्तार/रखरखाव हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग आवश्यक मानकों के अनुकूल हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें आवश्यक मानकों के स्तर तक लाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं;

(च) क्या सरकार का विचार शेष दसवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई-पास का निर्माण करने का है;

(छ) यदि हां, तो निर्माण किए जाने वाले बाई-पासों का ब्योरा क्या है और ऐसे बाई-पासों के निर्माण की अनुमानित लागत सहित इनके निर्माण के लिए राज्यवार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ज) ऐसे बाई-पासों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। विभिन्न राज्य सरकारों से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त और नवम्बर, 2005 तक मंजूर किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण संबंधी प्रस्तावों के राज्यवार ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं। ये कार्य वर्ष भर चलने वाले नेमी मरम्मत कार्यों और बरसात के मौसम के दौरान जरूरत पड़ने पर किए जाने वाले आकस्मिक मरम्मत कार्यों के अतिरिक्त हैं।

(घ) और (ङ) कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और विकास संबंधी अन्य योजना कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य हाथ में लिए हैं।

(च) जी हां।

(छ) और (ज) दसवीं योजना की शेष अवधि अर्थात् वर्ष 2006-07 के दौरान निर्माण के लिए आयोजित बाईपासों के ब्योरे विवरण-II में दिए गए हैं। ये कार्य भूमि-अधिग्रहण, सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा निविदा प्रक्रिया जैसी निर्माण-पूर्व कार्यकलापों के विभिन्न चरणों में हैं। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रत्येक बाइपास की लागत और इन बाइपासों के निर्माण की समय-सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण I

चालू वर्ष 2005-06 के दौरान विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त और मंजूर प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	इनके लिए प्राप्त प्रस्ताव			इनके लिए मंजूर प्रस्ताव			वर्तमान स्थिति
		विकास	अनुरक्षण	जोड़	विकास	अनुरक्षण	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	31	28	59	16	10	26	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	4	2	1	3	
3.	असम	27	6	33	16	5	21	शेष प्रस्ताव जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रस्तावों की मंजूरी जारी करना पारस्परिक, प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता और तकनीकी मानदंडों/आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।
4.	बिहार	12	31	43	17	5	22	
5.	छत्तीसगढ़	29	8	37	19	8	27	
6.	दिल्ली	3	0	3	0	0	0	
7.	गोवा	2	3	5	0	0	0	
8.	गुजरात	23	12	35	16	12	28	
9.	हरियाणा	14	10	24	2	3	5	
10.	हिमाचल प्रदेश	26	11	37	15	11	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड	25	11	36	7	2	9	
12.	कर्नाटक	79	28	107	24	15	39	
13.	केरल	24	12	36	8	0	8	
14.	मध्य प्रदेश	32	31	63	26	31	57	
15.	महाराष्ट्र	17	30	47	7	16	23	
16.	मणिपुर	29	5	34	7	0	7	
17.	मेघालय	5	1	6	0	0	0	
18.	मिजोरम	6	1	7	0	0	0	
19.	नागालैंड	6	6	12	0	1	1	
20.	उड़ीसा	29	14	43	9	0	9	
21.	पंजाब	23	14	37	13	11	24	
22.	राजस्थान	27	24	51	13	24	37	
23.	तमिलनाडु	66	27	93	15	13	28	
24.	उत्तरांचल	22	8	30	10	3	13	
25.	उत्तर प्रदेश	67	29	96	31	22	53	
26.	पश्चिम बंगाल	20	13	33	11	12	23	

विवरण II

दसवीं परियोजना की शेष अवधि अर्थात् 2006-07 के दौरान निर्मित किए जाने वाले नियोजित बाइपास

क्र.सं.	राज्य	रा.रा. सं.	दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान निर्मित किए जाने वाले बाइपासों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	19
2.	असम	36	1
		37	1
		53	1
		54	4
3.	बिहार	57	4
4.	गोवा	4ए	1
5.	हरियाणा/हिमाचल प्रदेश	22	1
6.	कर्नाटक	7	1
7.	केरल	17	1
		47	1
8.	मध्य प्रदेश	3	3
		75	3

1	2	3	4
8.	मध्य प्रदेश	26	15
		7	8
9.	महाराष्ट्र	3	1
		7	2
		6	1
10.	मेघालय	44	1
11.	पंजाब	21	2
12.	राजस्थान	11ए	1
		11	1
13.	उत्तरांचल	58	1
		72	2
		74	1
14.	उत्तर प्रदेश	2	1
		28	4
		58	1
		3	1
		26	10
15.	तमिलनाडु	45	4
		45बी	6
		7	11
		47	9
16.	पश्चिम बंगाल	31	1

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

3011. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु निर्धारित प्रावधानों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सैकेंड हैंड डीजल जेनरेटर सेटों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ड्यूटी-फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम में संशोधन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के इस कदम से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पुरानी पूंजीगत वस्तुओं सहित पूंजीगत वस्तुओं का आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तथापि, ऐसे आयातों के लिए यदि विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तिका के अंतर्गत किसी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति की आवश्यकता हो तो जब तक वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से छूट न दी जाए, उसे केवल वास्तविक प्रयोक्ता आयात कर सकता है। विभिन्न प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों का आयात करने से संबंधित ब्यौरा "आईटीसी (एचएस) आयात और निर्यात मदों का वर्गीकरण" नामक पुस्तक में दिया गया है।

(ख) और (ग) पुराने डीजल जेनरेटिंग सेट के आयातों की अनुमति इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस पर ही दी जाती है। इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि सरकार का व्यापक घरेलू प्रयोग वाले डीजल जेनरेटिंग सेटों जैसे पुराने सामान के अप्रतिबंधित आयातों की अनुमति देने का इरादा नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000 में शुरू की गई शुल्क मुक्त पुन: पूर्ति प्रमाण-पत्र (डीएफआरसी) स्कीम में समय-समय पर संशोधन किया गया है और ऐसे संशोधन जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, डीजीएफटी की वेबसाइट एचटीटीपी:// डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनआईसी.आईएन/ईएक्सआईएमपीओएल पर उपलब्ध हैं। डीएफआरसी स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों (एसआईओएन) के अनुसार अनुमति है।

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3012. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रस्त कतिपय जोखिमों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जोखिमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के कार्यान्वयन को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभिज्ञात प्रमुख जोखिम कारक इस प्रकार हैं:

(1) भूमि अधिग्रहण में विलंब,

(2) पर्यावरण और वन स्वीकृतियों में विलंब,

(3) सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब,

(4) रेलवे उपरिपुलों की स्वीकृति में विलंब,

(5) कानून और व्यवस्था की समस्याएं,

(6) कुछ ठेकेदारों आदि द्वारा घटिया कार्य-निष्पादन,

(7) बी ओ टी परियोजनाओं के लिए यातायात, निर्माण और प्रचालन से संबद्ध प्रमुख जोखिम भी शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल और कारगर बनाने के लिए किए गए सुधारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:

(1) पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं/स्वतंत्र इंजीनियरों, परियोजना निदेशकों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय में विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(2) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई समस्याओं जैसे भूमि-अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(3) भूमि-अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(4) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। मै. इरकान के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विशाखापट्टनम से रांची तक राजमार्ग/ एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण

3013. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दण्डकारण्य क्षेत्र को होते हुए विशाखापटनम से रांची बरास्ता काम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन तक राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा केंद्र सरकार से संपर्क किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु वित्तीय निवेश का आकलन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विजयवाड़ा-रांची सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में और अधिक सड़कों की घोषणा करने के बजाय पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। अत: प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

व्यापार मेला

3014. श्री रामदास आठवले:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005 के दौरान भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने दर्शक आए;

(ख) मेले में कितने देशों, संगठनों ने भाग लिया;

(ग) मेले के सुचारू संचालन हेतु की गयी व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रत्येक व्यापार मेले के आयोजन पर आईटीपीओ द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक व्यापार मेलों से आईटीपीओ को कितनी आय हुई;

(च) क्या आईआईटीएफ का स्थल प्रगति मैदान से हटा कर नए स्थान पर करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इस संबंध में विभिन्न संबंधित विभागों के साथ कोई चर्चा की गई थी;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या प्रगति मैदान के आधुनिकीकरण का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) तीस लाख (लगभग)

(ख) 7243 भारतीय कंपनियों के अतिरिक्त देश स्तर की 13 सहभागिताओं सहित 33 देशों की 257 कम्पनियां।

(ग) सभी आवश्यक प्रबंध जैसे सुरक्षा, परिवहन, टिकटों की आसानी से उपलब्धता, स्टालों की बुकिंग आदि किए गए थे।

(घ) और (ङ):

(लाख रुपए में)

	व्यय	आय
2004-05	508.19	2640.07
2005-06	725.50 (बजटगत)	2737.00

(च) से (झ) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) और (ट) जी हां। अतिरिक्त स्थान, अभिसमय केन्द्र, यातायात और पार्किंग आदि सहित बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने तथा बढ़ाने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3015. श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुपोषण के संबंध में यूनीसेफ के अनुस्मारक के मद्देनजर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से समेकित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को राहत देने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) यूनिसेफ इस समय भारत में भारत सरकार-यूनिसेफ बृहत् कार्य योजना 2003-07 के अंतर्गत कार्य कर रहा है और बाल विकास एवं पोषण कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर रहा है। भारत सरकार को कुपोषण के संबंध में यूनिसेफ का कोई अनुस्मारक प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यूनिसेफ के पास ऐसा कोई अनुस्मारक भेजने का अधिदेश है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को तेजी से और कारगर ढंग से कार्यान्वित करने का अनुरोध करती रही है।

(ख) सभी सामुदायिक विकास ब्लाकों तथा प्रमुख शहरी मलिन बस्तियों को आई.सी.डी.एस. स्कीम में शामिल करने के लिए इस स्कीम का हाल ही में विस्तार किया गया है। सभी राज्यों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थान का चयन करते समय उन गांवों को प्राथमिकता दें, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता हो।

(ग) इस स्कीम के समुचित और कारगर कार्यान्वयन के लिए हाल ही में किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

* इस स्कीम का मौजूदा 5652 परियोजनाओं तथा 7.54 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों से 6119 परियोजनाओं और 9.42 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में विस्तार।
* पूरक पोषण के वित्तीय मानकों को दोगुना करना।
* राज्यों द्वारा वहन की जाने वाली पूरक पोषण की लागत में केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत भागीदारी।
* आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराए में वृद्धि।
* राज्यों पर निम्नलिखित कार्य करने के लिए जोर देना:
  - सभी स्वीकृत परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रचालित करना।
  - आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के सभी रिक्त पदों को भरना।
  - स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  - सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में औषधि तथा शालापूर्व शिक्षा किटें उपलब्ध करना।
  - विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा सुरक्षित पेयजल सेवाओं का कारगर संकेन्द्रण सुनिश्चित करना।

महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी मसौदा विधेयक

3016. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री रविन्दर कुमार राणा:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र सरकार को एक मसौदा विधेयक सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित विधेयक को संसद में कब तक पुर:स्थापित करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) ने कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण एवं समाधान) विधेयक, 2004 का प्रारूप अगस्त, 2004 में महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत किया था। इस विधेयक की विभाग में जाच की गई तथा महिला अधिकारों के लिए कार्य कर रहे प्रमुख संगठनों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् इसे पुन: तैयार किया गया। 'महिला यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक, 2005' नामक नए प्रारूपित विधेयक, जिसे विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डब्ल्यूसीडी.एनआईसी.आईएन पर देखा जा सकता है, पर अक्तूबर, 2005 में रा.म.आ. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में चर्चा की गई। राष्ट्रीय परामर्श बैठक के अनुसरण में, पुन: प्रारूपित विधेयक, रा.म.आ. से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस समय, इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का पाटन

3017. श्री वी.के. थुम्मर:
डा. के. धनराजू:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मात्रा में घटिया कृषि उत्पादों का देश में पाटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पाटन की गयी सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे पाटन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और ऐसी सामग्रियों का पाटन करने वाले देशों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) पाटनरोधी जांच घरेलू उद्योग दायर किए गए आवेदन के आधार पर सामान्य तौर पर पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा शुरू की जाती है

जिसमें पाटन, क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का आरोप लगाया जाता है। डीजीएडी ने अभी तक कृषि उत्पादों के संबंध में कोई पाटनरोधी जांच शुरू नहीं की है। तथापि, वित्त मंत्रालय के अधीन रक्षोपाय महानिदेशालय ने स्टार्च, अशोधित स्टार्च, साबूदाना आधारित कसावा, कसावा स्टार्च और साबूदाने के आयात में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के विरुद्ध रक्षोपाय जांच शुरू की थी।

(घ) और (ङ) रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए कसावा स्टार्च के आयातों पर पहले वर्ष के लिए 33% यथामूल्य आधार की दर पर दूसरे वर्ष के लिए 23% की दर पर और तीसरे वर्ष के लिए 13% यथामूल्य की दर पर दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 40/2005 के तहत उपाय शुल्क लगाया है।

सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों का योगदान

3018. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री राजेश पाठक:
श्री बापू हरि चौरे:
श्री अनन्त कुमार:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु अपने हिस्से का 25 प्रतिशत उपलब्ध करा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) सभी राज्यों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केरल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम और मणिपुर के अलावा शेष सभी राज्य 31.3.2005 तक देय अपने राज्य हिस्से को जारी किए जाने के मामले में अद्यतन हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों से प्राप्त अंशदान का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 के लिए इन राज्यों को निधियों की दूसरी किस्त जारी नहीं की है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2002-03 राज्य का जारी हिस्सा	2003-04 राज्य का जारी हिस्सा	2004-05 राज्य का जारी हिस्सा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2547	4383.57	9076.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	470.67	0	600
3.	असम	750	2238.17	6000
4.	बिहार	2849	6671.99	10586
5.	छत्तीसगढ़	0	49	6896.58
6.	गुजरात	2250	2158	7296
7.	हिमाचल प्रदेश	565.53	985.67	2039.39

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	938.99	2291.66	4293.85
9.	झारखंड	2428.82	3718.96	8038
10.	जम्मू-कश्मीर	0	1969.73	2734.16
11.	कर्नाटक	1512.22	1259	10650
12.	केरल	750	1611.14	721.84
13.	मध्य प्रदेश	2647.09	13352.43	15932
14.	महाराष्ट्र	1989.72	8963.45	8560.82
15.	मणिपुर	–	0	368
16.	मेघालय	391.97	400.33	557.83
17.	मिजोरम	152.66	154.62	810.13
18.	नागालैंड	0	500	579
19.	उड़ीसा	1267.46	1536.16	9581.83
20.	पंजाब	973.17	30083	2677.83
21.	राजस्थान	1316.23	6255	11000
22.	सिक्किम	75	140	200
23.	तमिलनाडु	4508.97	3501.95	8839
24.	त्रिपुरा	555	563.44	1277.75
25.	उत्तरांचल	1203.95	1168.48	3053.77
26.	उत्तर प्रदेश	6722.47	11347.77	29253.75
27.	पश्चिम बंगाल	3429.16	5563.33	13841.45

[अनुवाद]

कार आयात

3019. **श्री हेमलाल मुर्मू**
श्री राजेन गोहेन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार आयात हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का कार आयात पर शत-प्रतिशत कर छूट देने के संबंध में कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जारी लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है कि लाइसेंस में निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) किसी व्यष्टि/कम्पनी द्वारा कारों का आयात अनुसमर्थन प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क के पूर्ण भुगतान पर मुक्त रूप से किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत भाड़े (ईपीसीजी) स्कीम के अंतर्गत कारों का आयात 5% के रियायती शुल्क पर भी किया जा सकता है बशर्ते ईपीसीजी लाइसेंस धारक द्वारा 8 वर्ष के भीतर बचाई गई सीमाशुल्क की राशि के 8 गुने के बराबर निर्यात दायित्व को पूरा करने का वक्त दिया गया है। कार के आयात हेतु ईपीसीजी लाइसेंस यात्रा/परिवहन/टूर आपरेटरों, होटलों/गोल्फ रिसॉर्ट तथा होटलों के मालिकों को जारी किया जाता है, बशर्ते उनकी निर्यात आय पिछले तीन वर्षों 1.5 करोड़ रुपए या इससे अधिक रही हो।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी नहीं। किसी वित्त संवर्धन स्कीम के अन्तर्गत आयातित कारों पर 100% सीमाशुल्क छूट के साथ लाइसेंस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है.

(ङ) और (च) जी हां। लाइसेंस में निर्धारित उपबन्धों की निगरानी करने का तंत्र क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-1) के पैरा 5.9.1 में निर्धारित है। लाइसेंस धारकों के लिए उन्हें जारी किए गए लाइसेंस पर निर्यात दायित्व की पूर्ति में की गई प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इसका अनुपालन न करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को जब्त किया जा सकता है।

शैक्षिक संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

3020. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
डा. सत्यनारायण जटिया:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ग) इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी (निफ्ट) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने हेतु कोई मांग रही है जैसाकि 18 नवम्बर 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) निफ्ट को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बाद आबंटित की जाने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दो

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और अन्य क्षेत्रों से राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने से संबंधित प्रस्ताव समय-समय पर मिलते रहते हैं। विगत में विशेषत: विशाखापत्तनम, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, पटना, सम्बलपुर, जयपुर और जोधपुर में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समय सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर वर्तमान विश्वविद्यालयों की सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मामले के अपवाद को छोड़कर केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसका अपवाद है। यह एक भिन्न श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके पूर्व के केन्द्रीय विश्वविद्यालय दर्जे को बहाल किया गया है। उपलब्ध संसाधनों से वर्तमान विश्वविद्यालयों के 'सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देने के मद्देनजर इस समय और राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना संभव नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवादी संगठन

3021. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में गतिविधियां चलाने वाले विदेश स्थित आतंकवादी संगठनों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि इस समय देश में विदेश स्थित आतंकवादी संगठन गतिविधियां चला रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी), हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन (एच एम) और जैस-ए-मोहम्मद (जे ई एम), हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी (एच यू जे आई), अल-बदर और हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एच यू एम) शामिल हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी के आई) भी पंजाब और दिल्ली में उपद्रव/हिंसा करने के प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर में गतिविधियां चला रहे कुछ आतंकवादी गुटों जैसे यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (यू एल एफ ए), नेशनल लिब्रेशन फंड आफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी), आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) और पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) के कुछके नेताओं के अभी भी देश के बाहर शरण-स्थल हैं।

(ख) और (ग) उपरिलिखित सभी आतंकवादी संगठन वर्ष 2004 में यथा संशोधित विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित हैं।

विश्व व्यापार संगठन वार्ताएं

3022. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वर्ष 1980 तक विकासशील देशों के हितों को विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में रखने में अग्रणी रहा था जिसके परिणामत: विश्व व्यापार संगठन समझौता में कई प्रावधान शामिल हुए जो स्पष्टत: विकासशील देशों के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत के 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के एक संस्थापक सदस्य बनाने सहित भारत के वर्ष 1947 में टैरिफ और व्यापार संबंधी करार में मूल संविदाकारी पक्षकार बनने से अब तक भारत अपने विकासात्मक हितों की आवाज उठाने के लिए लगातार आगे रहा है जिनकी प्रतिध्वनि अन्य विकासशील देशों द्वारा भी की गई है। डब्ल्यूटीओ में चल रही कृषि संबंधी वार्ताओं में भारत विकासशील देशों के लिए विशेष उत्पादों और विशेष रक्षोपाय तंत्र के संबंध में विकासशील देश गठबंधनों अर्थात् जी-20 और जी-33 का संस्थापक सदस्य है। भारत लगातार इस बात पर बल देता रहा है कि विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार वर्ताओं के सभी पहलुओं का अवश्य ही अभिन्न अंग बनाया जाए।

'इग्नू' द्वारा 'डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स' पाठ्यक्रम बंद करना

3023. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इग्नू द्वारा 'डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स इन आफिस मैनेजमेंट' नामक शैक्षणिक पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इग्नू ने उक्त पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक पुस्तिकाओं का बड़ी संख्या में मुद्रण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम को बंद करने से पहले गत तीन शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक के दौरान इग्नू द्वारा मुद्रित पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है;

(घ) पाठ्यक्रम को बंद करते समय इग्नू के पास कितनी अतिरिक्त पुस्तकाएं पड़ी थी और इन पर कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या इग्नू द्वारा द्वारा उक्त सामग्री का निपटान कर दिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसी राजस्व हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार 'डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स इन आफिस मैनेजमेंट' नामक पाठ्यक्रम को जनवरी, 2000 से समाप्त कर दिया गया था। विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में पुस्तिकाएं मुद्रित कराई थीं जो अब बेकार हैं। मुद्रित कराई गई पुस्तिकाओं की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:

1997—803000

1998—शून्य

1999—शून्य

(घ) उपर्युक्त पाठ्यक्रम को समाप्त करते समय बेकार हुई पुस्तिकाओं की संख्या 521228 थी, जिनकी कीमत 54.00 लाख रु. थी।

(ङ) से (छ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सेल के माध्यम से इन अप्रयुक्त पुस्तिकाओं का निपटान किया है जिससे 8,63,380 रु. प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

एनएसटीएफडीसी में भेदभाव की घटनाएं

3024. श्री तूफानी सरोज: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 23 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3980 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों यथा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इत्यादि से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति/जाति के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव किए जाते हैं तथा उनको परेशान किया जाता है। साथ ही निगम के निर्णयों/कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं की जाती हैं। एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वास्तविक रिपोर्ट, जिसमें आरोपों को आधारहीन बताया गया है, लोक सभा सचिवालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अन्य को भेजी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार विधेयक पुर:स्थापित किया जाना

3025. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री रविन्दर कुमार राणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद में शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) क्या छह से चौदह वर्ष के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने हेतु सरकार की जिम्मेदारी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपबंधों को शामिल किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा

3026. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री शिशुपाल पटले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) ऐसे बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन बच्चों के स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रिपोर्टों" के आधार पर 'स्कूली शिक्षा से वंचित' बच्चों (6-14 आयु वर्ग) की अक्तूबर, 05 तक अनुमानित संख्या लगभग 95 लाख हैं। इससे संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को एक मिशन मोड में प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक तथा समेकित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्वशासनों की सहभागिता से प्रारंभ किये गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना है।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य	स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या (6-14 आयु वर्ग)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.569
2.	आन्ध्र प्रदेश	2.554
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.466
4.	असम	3.266
5.	बिहार	20.508
6.	चंडीगढ़	0.308
7.	छत्तीसगढ़	4.186
8.	दादरा और नगर हवेली	0.104
9.	दमन और दीव	0.003
10.	दिल्ली	1.908
11.	गोवा	0.000
12.	गुजरात	2.207
13.	हरियाणा	2.876
14.	हिमाचल प्रदेश	0.029
15.	जम्मू-कश्मीर	1.538
16.	झारखंड	3.888
17.	कर्नाटक	0.108
18.	केरल	0.128
19.	लक्षद्वीप	0.000
20.	मध्य प्रदेश	4.280
21.	महाराष्ट्र	2.346
22.	मणिपुर	1.110
23.	मेघालय	1.499
24.	मिजोरम	0.027
25.	नागालैण्ड	0.538
26.	उड़ीसा	2.146
27.	पांडिचेरी	0.018
28.	पंजाब	0.749
29.	राजस्थान	2.239
30.	सिक्किम	0.098
31.	तमिलनाडु	1.692
32.	त्रिपुरा	0.014
33.	उत्तर प्रदेश	25.176
34.	उत्तरांचल	0.087
35.	पश्चिम बंगाल	8.969
	योग	95.649

[अनुवाद]

नार्थ जोन के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

3027. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2005 माह में शिमला में नार्थ जोन के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई है;

(ग) क्या गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक 6 वर्षों के अंतराल के बाद हुई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 25 अक्तूबर, 2005 को शिमला में आयोजित की गई थी।

(ख) बैठक में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई:

(1) पंचायती राज संस्थान; (2) महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार; (3) अपराध और अपराधियों पर सूचना का आदान-प्रादन; (4) पुलिस दूर-संचार प्रणाली (पोलनेट); (5) जेल सुधार; (6) आपदा प्रबंधन; (7) सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम; (8) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम; (9) राज्य सरकारों द्वारा निधियों का इस्तेमाल; (10) लोक व्यवस्था ड्यूटी के लिए जोन में राज्यों के बीच सशस्त्र पुलिस का आदान-प्रदान; (11) सुशासन; (12) आधारभूत ढांचा; (13) नदी जल बंटवारा तथा (14) कृषि/बागवानी।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। बैठक में अन्यों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

(ङ) बैठक में जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई परिषद ने उन पर सिफारिशें कीं और सुझाव दिए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर निर्माण कार्य

3028. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर किन स्थानों पर किलोमीटर में निर्माण/मरम्मत कार्य किया गया है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर किन स्थानों पर रेल उपरि पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने और शाजापुर, मध्य प्रदेश में बाई-पास का भी निर्माण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में ऐसी कोई विकास योजना नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक योजना तैयार किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) आगरा-मुंबई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर उन सड़क खंडों/चैनेज के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन पर गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण/मरम्मत कार्य मंजूर किए गए हैं। ये कार्य नेमी अनुरक्षण कार्य और उन बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों के अतिरिक्त हैं जो उन स्थानों पर किए गए हैं जहां कहीं ये अपेक्षित थे।

(ख) उत्तर प्रदेश में रा.रा. 3 खंड के 14.41 किलोमीटर पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पिंपलगांव-धुले खंड के 265/800 किलोमीटर पर रेलवे उपरि पुल, वडापे-गोंडे खंड के 445/250, 451/200, 459/200, 486/660, 494/600 और 515/690 किलोमीटर पर रेलवे उपरि पुलों, गुना बाइपास पर चैनेज 8/893 पर एक रेलवे उपरिपुल और इंदौर-खालघाट खंड के चैनेज 2.43 पर रेलवे उपरि पुल के निर्माण कार्य को संबंधित सड़क खंडों के सुधार कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के 398 किलोमीटर को चार लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों जैसे कि चरण-2 और 3क के अंतर्गत शुरू कर दिया गया है/किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, एन एच डी पी चरण-3 के शेष कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 247 किलोमीटर लंबाई की पहचान की गई है। एनएचडीपी-2 और एन एच डी पी 3क के सभी कार्यों को क्रमश: दिसंबर, 2008 और दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की शेष लंबाई को चार लेन का बनाने का कार्य निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा और इस प्रकार इस समय आगे चार लेन बनाने के कार्य के लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। शाजापुर बाइपास का निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर निर्मित करने के लिए पहचान कर ली गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आगरा से मुंबई तक रा.रा.-3 पर पड़ने वाले वे सड़क खड/चैनेज जहां पर निर्माण/मरम्मत कार्य मंजूर किए गए हैं

क्र.सं.	राज्य	खंड/चैनेज (किलोमीटर)
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	168/500-180, 186-193, 197-213, 233-255, 250-265, 268-270, 270-291, 291-340, 347-350, 354-355, 365-427, 427-451, 455-479, 493-510, 520-529, 533-535

1	2	3
2.	मध्य प्रदेश	इंदौर खंड के दक्षिण में—21-30 कि.मी. 72, 74-121 एवं 132, मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा से मुरैना तक इंदौर के उत्तर में—104, 109, 110, 112-115/8, 120, 129-138, 155, 159, 163-170, 171-173/3, 182-215, 243-261, 276-281, 283, 307, 318, 320, 321-327, 348, 362-363, 364-377, 388/2, 389/6-10 494/8, 521-527, 538-542, 548, 550, 552-555, 560-573 में पुलों की मरम्मत।
3.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश-राजस्थान सीमा तक आगरा का सड़क खंड (8 किमी. से 24 किलोमीटर तक) जहां पर 2001 में चार लेन बनाई गई थीं।
4.	राजस्थान	राजस्थान-उत्तर प्रदेश सीमा 24 से 41 कि.मी.

[अनुवाद]

मनोविनोदी बंदरगाह-मरीना परियोजना

3029. डा. के.एस. मनोज: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने अलप्पूझा में मरीना बंदरगाह संबंधी मनोविनोदी परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आई आई टी में अनियमितताएं

3030. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी में) कोई वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आई आई टी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) की-गई-कार्रवाई के क्या निष्कर्ष निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 2003-04 की रिपोर्ट जो संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है, में कुछ टिप्पणियां सहायक प्रोफेसरों के गलत वेतन निर्धारण, पात्रता न रखने वाले कर्मचारियों को बोनस के अनियमित भुगतान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के कर्मचारियों को आवंटित आवासों के सम्बन्ध में लाइसेंस शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धी संशोधित दर को कार्यान्वित न करने के कारण लाइसेंस शुल्क की कम प्राप्ति और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में लेक्चर हाल के निर्माण के लिए पूर्व-अर्हक निविदाकर्ता के सबसे कम राशि के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा अनुचित लाभ प्रदान करने के कारण अत्यधिक भुगतान के संबंध में की है।

मंत्रालय को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से इस सम्बन्ध में अनिवार्य टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार के मामलों में इस उद्देश्यार्थ स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय का सृजन

3031. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय सृजित किया गया है और गुवाहाटी में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसकी कार्यप्रणाली की स्थिति क्या है;

(ग) क्या गुवाहाटी से मुख्य इंजीनियर, एनईआर का पद अस्थायी तौर पर वापस ले लिया गया और दिल्ली में कार्य करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मुख्य इंजीनियर को पुन: तैनात कर इस कार्यालय के कब तक काम करने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय 1 सितम्बर, 1976 से कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) पिछले मुख्य अभियंता को प्रशासनिक कारणों से दिसंबर, 1992 में गुवाहाटी से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय सभी क्षेत्रीय कार्यालय अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र विशेष के लिए ही नई दिल्ली के मुख्यालय में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक जोन का गठन किया गया है।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस समय मुख्य अभियंता की तैनाती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अवैध प्रवासी

3032. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रह रहे विभिन्न देशों के अवैध प्रवासियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वापस भेजे गए अवैध प्रवासियों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य-वार कितने मामलों में दोषियों पर मुकदमा चलाया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रत्यायोजित की गई हैं। अभियोजन और दोषसिद्धि के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण I

अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार)
(2002-2004)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002	2003	2004
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	552	0	389
आंध्र प्रदेश	37	36	36
अरुणाचल प्रदेश	117	0	0
असम	26,490	26,669	27,104
बिहार	187	38	38
छत्तीसगढ़	1,360	1	0

1	2	3	4
दिल्ली	76	74	74
गोवा	13	0	0
गुजरात	223	180	190
हरियाणा	41	0	0
हिमाचल प्रदेश	9	2	2
जम्मू-कश्मीर	68	86	83
झारखंड	2	0	0
कर्नाटक	45	211	82
केरल	308	303	967
मध्य प्रदेश	367	265	105
महाराष्ट्र	1,626	1,763	1,465
मेघालय	1	0	0
नागालैंड	1	0	0
उड़ीसा	398	390	398
पंजाब	129	244	311
राजस्थान	2,405	1,579	2,677
तमिलनाडु	48	34	35
उत्तर प्रदेश	1,190	578	819
उत्तरांचल	3	3	1
पश्चिम बंगाल	11,122	14,131	11,726
कुल	46,818	46,587	46,502

विवरण II

भारत से उनके देश वापिस भेजे गए विदेशी राष्ट्रिकों के देश-वार ब्योरे
(2002-2004)

देश	2002	2003	2004
1	2	3	4
अफगानिस्तान	13	17	29
अर्मेनिया	0	0	1

1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	0	14	3
आस्ट्रिया	0	0	1
अजरबेजान	0	0	1
बहरीन	0	1	0
बांग्लादेश	5,652	18,801	38,005
बेलारूस	3	0	0
बेल्जियम	0	4	0
बोत्सवाना	0	1	0
कैमरून	0	0	2
कनाडा	2	6	3
चीन	7	16	31
कोंगो	0	0	1
चेकोस्लोवाकिया	1	0	0
कोलंबिया	0	0	1
डेनमार्क	0	1	1
डिजिबौटी	0	1	0
एस्टोनिया	0	1	0
इथोपिया	4	7	1
फिनलैंड	0	5	0
फ्रांस	2	14	6
जार्जिया	1	0	0
जर्मनी	0	23	5
ग्रीस	0	1	0
हंगरी	0	4	8
आइसलैंड	0	5	0
इंडोनेशिया	20	31	29
ईरान	6	9	7
आयरलैंड	0	0	1

1	2	3	4
इस्राईल	0	4	5
इराक	2	0	0
इटली	1	4	6
आइवरी कोस्ट	3	0	1
जापान	1	11	3
जार्डन	2	0	2
कजाकिस्तान	1	0	0
केन्या	18	23	14
दक्षिण कोरिया	2	94	2
लातविया	0	0	1
लिबेरिया	0	1	1
मलेशिया	0	27	6
मालदीव	0	1	0
मेक्सिको	0	0	1
म्यांमार	478	918	760
नेपाल	8	17	17
नीदरलैंड्स	1	6	2
न्यूजीलैंड	0	2	0
नाइजीरिया	10	37	33
नार्वे	1	1	0
ओमान	3	1	0
पाकिस्तान	67	64	60
फिलिस्तीन	1	1	0
फिलीपीन्स	0	1	0
पुर्तगाल	1	2	1
कतार	0	0	1
रोमानिया	0	0	4
रूस	0	10	2

1	2	3	4
सऊदी अरब	2	7	0
सेशल्स	0	13	0
सिंगापुर	1	140	1
सोमालिया	22	0	2
दक्षिण अफ्रीका	0	10	0
स्पेन	0	1	1
श्रीलंका	13	148	56
नागरिकताविहीन (तिब्बत)	8	1	10
सूडान	5	59	3
स्वीडन	0	4	1
स्विटजरलैंड	2	2	0
तंजानिया	0	11	0
थाइलैंड	12	14	4
त्रिनिडाड एवं टोबेगो	0	1	0
तुर्की	1	0	13
यू.ए.ई.	2	0	0
यू.एस.ए.	1	125	8
यूगांडा	3	2	2
यूक्रेन	1	0	2
यूनाईटिड किंगडम	2	37	12
उजबेकिस्तान	1	2	12
वियतनाम	0	0	1
यमन	7	2	2
जिम्बाब्वे	0	2	1
कुल	6,394	20,768	39,189

साफ्टा के अंतर्गत माचिस उद्योग

3033. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) के अंतर्गत दक्षिण-एशियाई देशों के लिए भारतीय बाजारों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने माचिस उद्योग को साफ्टा से बाहर रखा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रम आधारित माचिस उद्योग में मुक्त व्यापार देश के विशेष रूप से केरल के व्यापारियों और किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्योग के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) जिस पर 4-6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क सदस्य देशों अर्थात् भारत, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा।

संवेदनशील सूची में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर करार में एक चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टी एल पी) की व्यवस्था है।

(ख) से (ङ) घरेलू उद्योग से यह आशंकाएं व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि केवल लघु उद्योग क्षेत्र विनिर्माण के लिए आरक्षित माचिसों के साफ्टा टैरिफ रियायत के अंतर्गत आयात से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले पर यथोचित विचार करने के पश्चात माचिसों को साफ्टा के अंतर्गत भारत की अंतिम संवेदनशील सूची (एच एस कोड सं. 360 500) में रखते हुए घरेलू उद्योग की चिंताओं का समाधान कर दिया गया है।

नि:शक्त छात्रों के लिए आरक्षण

3034. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुख्यधारा के शैक्षिक संस्थानों में नि:शक्त बच्चों तथा युवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में नि:शक्त छात्रों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नई कार्ययोजना के अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सरकार ने नि:शक्त बच्चों एवं युवाओं की शिक्षा में समावेशन के लिए एक कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया है जिसके लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

1. सभी नि:शक्त बच्चों का शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में नामांकन एवं अवधारण।
2. नि:शक्त बच्चों एवं युवाओं को उनके अधिगम और योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या, संगठनात्मक व्यवस्थाओं, शिक्षण-कार्यनीतियों, संसाधनों के उपयोग तथा अपने समुदायों के साथ भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना।
3. सभी शैक्षिक संस्थाओं में मौजूदा आरक्षण कोटा के उचित कार्यान्वयन के माध्यम से उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा को समर्थन देना तथा निर्बाध अधिगम का वातावरण बनाना।
4. विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में नि:शक्तता केंद्रित अनुसंधान एवं कार्यक्रम।

(ग) से (ङ) नि:शक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा 39 में सरकारी शैक्षिक संस्थाओं और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में प्रवेश के लिए नि:शक्त जनों को 3% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

आई टी के लिए विशेष आर्थिक जोन

3035. **श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मैंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार का किसी नये विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार की नीति राज्य सरकारों के सहयोग से निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र में या राज्य सरकारों द्वारा स्वयं एस ई जेड की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा इसे सुविधाजनक बनाने की है। तदनुसार, प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा मंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु दिनांक 31.8.2005 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

विज्ञान की शिक्षा

3036. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान के छात्रों की वार्षिक वृद्धि 1.6 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कालेज स्तर पर विज्ञान के अध्ययन के लिए रुझान बढ़ाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक शोध परिषद द्वारा वर्ष 2005 में प्रकाशित भारतीय विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000-03 के दौरान उच्चतर शिक्षा (स्नातक+) में कुछ दाखिले में वार्षिक वृद्धि दर 1.6% है।

निर्यात के अंतर्गत रोजगार अवसर

3037. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) के एक भाग के रूप में निर्यात और रोजगार का संवर्धन करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा क्षेत्र के लिए विशेष फोकस उपायों को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) निर्यातों के जरिए सृजित रोजगार का कोई अंतिम वार्षिक अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, गुट निरपेक्ष देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर आई एस) परियोजना द्वारा किए गए एक अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यातों के माध्यम से कुल रोजगार सृजन लगभग 16 मिलियन रहा है।

[हिन्दी]

जनजातियों के लिए बीमा योजना

3038. श्री महावीर भगोरा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातियों के लिए बीमा योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित हुए कुल परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) 2004-05 से मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 16 राज्यों एवं एक संघ शासित प्रदेश में पांच लाख आदिम जनजातीय समूह के परिवारों को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उसकी ''जनश्री बीमा योजना'' के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया और योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए और कवर करने के लिए प्रस्तावित परिवारों के राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05 के दौरान कवर किए गए परिवार*	2005-06 के दौरान कवर किए जाने वाले परिवार*	2006-07 के दौरान कवर किए जाने वाले परिवार*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12000	24000	22000
2.	बिहार	1000	2000	2920

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	8000	18000	19500
4.	गुजरात	5000	10000	11000
5.	झारखंड	14000	29000	29000
6.	कर्नाटक	2000	4000	2500
7.	केरल	500	1000	3000
8.	मध्य प्रदेश	20000	40000	30000
9.	महाराष्ट्र	14000	28000	28000
10.	मणिपुर	2000	500	0
11.	उड़ीसा	2500	5000	8500
12.	राजस्थान	2500	5000	6500
13.	तमिलनाडु	8000	16000	16000
14.	त्रिपुरा	5000	10000	10000
15.	उत्तरांचल	500	1420	4580
16.	पश्चिम बंगाल	3000	6000	6500
17.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	80	0
	कुल	100000	200000	200000

*परिवारों की संख्या को 1991 की जनगणना के आधार पर, एक परिवार में 5 सदस्य मानकर, लिया गया है।

विद्यालयों का उन्नयन

3039. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में विद्यालयों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 21 नवम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) अधिकांश विद्यालय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ऐसे विद्यालयों को स्तरोन्नत करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। जहां तक केन्द्र सरकार के विद्यालयों का संबंध है, इनका स्तरोन्नयन/सुधार सतत प्रक्रिया है और जब भी जहां आवश्यकता होती है ऐसा किया जाता है। बेहतर गुणवत्तामूलक आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्रत्येक जिले में केन्द्रक के रूप में कार्य करने के वास्ते देश के 500 से भी अधिक जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना

3040. श्री एस. अजय कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की जनजातीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-4 के अनुरूप जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन किया गया है। राज्यों की जनजातीय सलाहकार परिषदों के विचार संबंधित राज्यों के राज्यपालों की रिपोर्ट में शामिल किए जाते हैं और उन पर जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुरूप किए गए उपाय दर्शाते हुए कार्रवाई की जाती है।

'सी-मेन' का कल्याण

3041. डा. पी.पी. कोया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्ष्यद्वीप प्रशासन से संबंधित 200 जी आर टी से अधिक के सभी समुद्री पोत वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत प्रचालित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासन ने 'सी-मेन' के कल्याण से संबंधित अधिनियम के पैरा 7 को कार्यान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लक्षद्वीप प्रशासन ने कोई 'क्लेक्टिव बारगेनिंग' करार किया है;

(च) यदि हां, तो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 100 के तहत 'सी मेन' के साथ किए गए करार के अनुच्छेदों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या लक्षद्वीप प्रशासन ने पाल एंटोनी पंचाट और सुश्री कुमुद बंसल पंचाट के निर्णय को कार्यान्वित किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन के जलयानों का मानव प्रबंधन तीन विभिन्न मानव प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से निम्नानुसार किया जाता है:

(1) भारतीय नौवहन-निगम लिमिटेड (भा.नौ.नि.) द्वारा मानव प्रबंधन

658 यात्रियों की क्षमता से युक्त एम वी टीपू सल्तान का मानव प्रबंधन पूर्ण रूप से भारतीय नौवहन निगम लि. द्वारा किया जाता है।

(2) संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप द्वारा कर्मीदल संपूरक के साथ भा.नौ.नि. के अधिकारियों द्वारा जलयानों का मानव प्रबंधन किया जाता है।

(i) 140 यात्रियों की क्षमता से युक्त एम वी दीपसेतु

(ii) 60 एम टी तेल, बार्ज

(iii) अंतरद्वीप फेरी जलयान।

(3) लक्षद्वीप विकास निगम लि. द्वारा पूर्ण रूप से मानव प्रबंधन

(i) 386 यात्रियों और 160 एम टी जहाजी माल ढोने की क्षमता से युक्त एम बी बारात सीमा;

(ii) 150 यात्रियों और 25 एम टी जहाजी माल ढोने की क्षमता से युक्त एम वी अमीनीदिवी;

(iii) 150 यात्रियों और 25 एम टी जहाजी माल ढोने की क्षमता से युक्त एम वी मिनिकाय; और

(iv) 600-600 एम टी की क्षमता से जहाजी माल के 4 बजरे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, जैसा कि ऊपर श्रेणी सं. (2) के सामने लिखा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रशासन के जलयानों पर कार्य करने वाले संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप के कर्मीदल के सदस्य केन्द्रीय सिविल सेवा नियम के अंतर्गत नियुक्त किए गए केन्द्र-सरकार के नियमित कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी नौकरी के सभी हितलाभ सुलभ हैं। उन्हें केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों की भांति मूल वेतन और समय-समय पर दिए जाने वाले भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, नगर प्रतीकारात्मक भत्ता, यात्रा भत्ता, एस सी ए, मकान किराया भत्ता आदि के हकदार हैं। इसके अलावा वे पेंशन हितलाभ सहित केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत सभी अन्य हितलाभों के हकदार हैं। रोस्टर आधार पर अनुबंधित कर्मीदल के विपरीत; जिसमें कर्मीदल को अपने अनुबंध

की प्रत्येक अवधि के लिए कार्य प्रारंभ और समाप्त करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप के कर्मीदल उपर्युक्त प्रशासन के नियमित कर्मचारी होने के नाते अपने पूरे सेवाकाल के दौरान वेतन तथा भत्तों के हकदार होते हैं। उनके मामले में काम पर लगने या काम छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की ही तरह अपने पूरे सेवाकाल के दौरान वेतन तथा भत्ते मिलना जारी रहता है, चाहे वे प्रशासन के पोत पर कार्य कर रहे हैं अथवा किनारे पर अवस्थित किसी कार्य में लगे हों। नाविकों के कल्याण से संबंधित उपर्युक्त अधिनियम के भाग 7 के कार्यान्वित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब कभी वे जहाज पर कार्यरत होते हैं उन्हें आवास की सुविधाएं सुलभ करवाई जाती हैं और जहां जहाज पर आवास उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें किराया मुक्त आवास अथवा नियमों के अनुसार उन्हें दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता दिया जाता है। तथापि, कोई रसद भत्ता नहीं दिया जाता है। इस बारे में, कृपया यह नोट किया जाए कि संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप के कर्मीदल सरकारी कर्मचारी हैं और वे केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों तथा वाणिज्यिक पोत-परिवहन अधिनियम दोनों के अंतर्गत एक साथ हित लाभ का दावा नहीं कर सकते। फिर भी, जहां तक कर्मीदलों की नियुक्ति और उससे संबंधित मुद्दों का सवाल है, भारतीय नौवहन निगम और लक्षद्वीप विकास निगम लि., द्वारा प्रचालित किए जा रहे जहाजों में उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मीदलों के मामले में, उपर्युक्त प्रशासन का कहीं कोई हाथ नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। चूंकि संघ-क्षेत्र के कर्मीदल केन्द्रीय-सरकार के कर्मचारी हैं, अत: केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संगत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए उनके वेतन और भत्तों के बारे में किसी यूनियन से बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) से (झ) लक्षद्वीप प्रशासन ने पाल एंटोनी ट्राइब्यूनल, के निम्नलिखित प्रावधानों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। जिसका गठन अनन्य रूप से संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप के नाविकों के लिए किया गया था।

संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप के कर्मीदल को सरकारी नियमों में ढील देकर निम्नानुसार समयोपरि भत्ता, दैनिक भत्ता और समुद्री यात्रा भत्ता दिया जाता है:

समयोपरि भत्ता: (1) 12 घंटों से अधिक यात्रा करने वाले पोतों के मामले में अधिकतम 240 घंटे प्रतिमाह तक, 12 घंटे प्रतिदिन से कम यात्रा करने वाले पोतों के लिए अधिकतम 150 घंटे प्रतिमाह तक।

दैनिक भत्ता: नगरों की अगली उच्चतर श्रेणी पर लागू दर पर।

समुद्री यात्रा भत्ता: (क) 12 घंटों से अधिक समुद्री यात्रा के लिए रु. 40/-प्रतिदिन, (ख) 12 घंटों से कम यात्रा के लिए रु. 30/-प्रतिदिन।

जहां तक सुश्री कुमुद बंसल ट्राइब्यूनल का प्रश्न है यह संघ-क्षेत्र लक्षद्वीप के नाविकों से संबंधित नहीं है।

शैक्षणिक संस्थानों को संबद्ध करना

3042. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को संबद्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बना दिया है जैसा कि दिनांक 19.11.2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबद्ध करने के लिए नियत प्रतिमानक क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थानों सम्बन्धी अपनी अनुमोदन प्रक्रिया और मानदंडों को संशोधित किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की गई नई पहल में संस्थानों द्वारा 'मैन्डेटरी डिस्कलोजर, 'समयबद्ध पूरे वर्ष किसी भी समय' कार्यवाही करना, राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होना इत्यादि शामिल है। इन संशोधित मानदंडों में संस्थाओं/शहरी की कुछ श्रेणियों के लिए अपेक्षित जमीन को कम करना, निर्मित क्षेत्र की अपेक्षा में वृद्धि, संकाय-कैडर अनुपात में छूट इत्यादि शामिल है। संशोधित मानदण्डों का ब्यौरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू/एआईसीटीई.ईआरएनईटी.आईएन पर उपलब्ध है।

विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को शुरू करने/आयोजित करने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मानदण्डों और मानकों को अभी संशोधित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को ऊंचा करना

3043. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी वर्षा और बाढ़ के कारण रत्नागिरि और कोल्हापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क यातायात बाधित रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस राजमार्ग पर यातायात बाधित होने से रोकने के लिए इस सड़क को 3 मीटर एवं अधिक ऊंचा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कार्रवाई क्या है और यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 के रत्नागिरि-कोल्हापुर सड़क पर सड़क यातायात जुलाई, 2005 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बाधित रहा।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस सड़क की स्थायी मरम्मत के लिए सुझाव प्राप्त हुआ है। तथापि, इसे ऊंचा करने के लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपमिश्रित मिर्च का निर्यात

3044. श्री ए. साई. प्रताप: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपमिश्रित मिर्च के निर्यात के कारण पिछले वर्ष कुछ निर्यातकों के मसाला निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत द्वारा निर्यातित मिर्च के परेषण में, निषिद्ध रंजक, सूडान-1 की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए यूरोपीय संघ द्वारा तत्काल चेतावनी अधिसूचनाएं जारी किए जाने के पश्चात मसाला बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित निर्यातकों के निर्यातकों के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सी आर ई एस) को रद्द कर दिया है;

- मै. गौतम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, मुंबई
- मै. पैटन्स एक्सपोर्ट्स, मुंबई
- मै. एस जी स्पाइस एंड सीड ट्रेडिंग, कंपनी प्रा. लि., मुंबई।

मै. वोल्गा स्पाइसेस एंड मसाला मिल्स प्रा. लि., मुंबई का सी आर ई एस भी रद्द कर दिया गया था क्योंकि उपर्युक्त तीनों निर्यातकों द्वारा निर्यातित सामग्री मै. वोल्गा स्पाईसेज से प्राप्त की गई थी।

राज्यों से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव

3045. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार से शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्त कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है;

(ङ) मंत्रालय के इन दोनों विभागों की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी राशि की मांग की गई है; और

(च) अभी तक मंजूरी योजनाओं और मंजूरी के लिए लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तनों का समन्वित विकास

3046. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री परसुराम माझी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े व छोटे पत्तनों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र तथा तटवर्ती राज्यों के बीच बेहतर सहयोग की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर तटवर्ती राज्य विकास परिषद् की हाल ही की बैठक के दौरान चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बैठक में स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न बड़े पत्तनों के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं;

(च) यदि हां, तो प्रत्येक तटवर्ती राज्य के पत्तनों के विकास, चैनलों और पश्चजल के किसी कितनी राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(छ) उक्त राशि को किस वर्ष तक खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ज) शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री की अध्यक्षता में गठित समुद्री राज्य-विकास-परिषद् की 10-11-2005 को भुवनेश्वर में हुई बैठक, में समुद्री राज्यों और संघ-राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित, उपर्युक्त बैठक के प्रतिभागियों द्वारा सामान्य हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित मुद्दों पर 33 सिफारिशें की गईं:

(1) समुद्री राज्य-विकास-परिषद् की बैठकें बारम्बार आयोजित किए जाने की आवश्यकता।

(2) मछुआरों के समुदाय के छोटे बच्चों को नाविकों के प्रशिक्षण में रियायतें दिया जाना।

(3) गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा किए गए जन सर्वेक्षण का स्वीकार किया जाना।

(4) दीप-स्तम्भ और दीपपोत-महानिदेशालय तथा नौवहन-महानिदेशालय को भूमि मुहैया करवाया जाना।

(5) बजरा-नीति।

(6) समुद्री क्षेत्र के बारे में समुद्री नीति का प्रारूप।

(7) व्यवहार्यता-अन्तराल-निधि-योजना।

(8) भारतीय पत्तन-अधिनियम, 1908 के उपबन्धों में संशोधन और सम्बद्ध मुद्दे।

(9) नया राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 5 घोषित किए जाने का प्रस्ताव।

(10) पत्तन-परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति।

(11) अवरुद्ध विदेशी मत्स्य-जलयान।

(12) बेतार-सम्प्रेषण।

(13) छुट्टियों के दिनों पत्तन-चिकित्सा-अधिकारी और वनस्पत्ति-संगरोध-संगठन द्वारा अपने-अपने काम-काज का संचालन।

(14) राज्य-समुद्री बोर्डों का गठन और उनमें नौसेना तथा तट-रक्षक के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना।

(15) पत्तनों के कप्तानों की नियुक्ति के संबंध में तरजीह।

(16) लक्षद्वीप और विझिंजम-बन्दरगाह पर संदर्श-योजनाएं और पत्तन-सुविधाओं का विकास।

(17) रियायती कर-प्रणाली।

(18) तटीय पोत-परिवहन।

(19) तेल-उत्प्लव आकस्मिकता-योजना।

(20) तट-आयान (ठहराव)-सुविधाएं।

(21) लघुपत्तनों के जल-सर्वेक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता।

(22) दो अन्तरराष्ट्रीय शिपयार्डों को स्थापित किया जाना।

(23) भारतीय जलयानों (आई.वी.) की परिसीमाओं का तय किया जाना।

(24) लघुपत्तनों को विकसित किए जाने हेतु सहायता।

(25) विदेशी सुरक्षा-कार्मिकों द्वारा पत्तनों के दौरे किए जाने के बारे में रक्षा-मंत्रालय और विदेश-मंत्रालय से परामर्श।

(26) नौचालनात्मक सुरक्षा के बारे में पत्तन-समिति में समुद्री राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना।

(27) भारतीय जलयान-अधिनियम को संशोधित किया जाना और उसके अधीन नियमों का बनाया जाना।

(28) पोत-भंजन-उद्योग के संबंध में सीमा-शुल्क की छूट।

(29) जलीय मानचित्रों में प्रकाश, बोयों और पोतों के अवशेषों को दर्शाया जाना।

(30) आश्रय-पत्तन और संकट-प्रबन्धन।

(31) अवसंरचनात्मक सुविधाओं में लघुपत्तनों से भागीदारी।

(32) सुरक्षा और आपदा-प्रबन्धन से संबंधित उपायों का अध्ययन।

(33) महापत्तनों और समुद्री बोर्डों को आयकर के भुगतान से छूट।

(ङ) से (ज) सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास-कार्यक्रम तैयार करना आरम्भ कर दिया है, जिसमें वर्ष, 2011-2012 तक की अवधि में निष्पादित की जानी आरंभ की जाने वाली विशिष्ट योजनाएं और परियोजनाएं शामिल होंगी। उपर्युक्त कार्यक्रम में महापत्तनों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन पर लगभग 55,804 करोड़ रु. का कुल निवेश किए जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त कार्यक्रम, सरकारी/गैर-सरकारी भागीदारी से, दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सरकारी निवेश, प्राथमिक रूप से, सामान्य प्रयोक्ताओं से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था पर किए जाने की योजना है। गैर-सरकारी निवेश उन क्षेत्रों में किए जाने की उम्मीद है, जिनमें प्राथमिक रूप से वाणिज्यिक प्रकृति के काम-काज का संचालन किया जाता है। मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाएं उपर्युक्त कार्यक्रम में निष्पादित किए जाने हेतु चुनी गई हैं:

(1) पत्तनों के विकास से संबंधित परियोजनाएं (जेटी, घाटों आदि के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं)-76 परियोजनाएं।

(2) पत्तनों से संबंधित उपस्करों की खरीद, उन्हें बदले जाने अथवा उनका उन्नयन किए जाने से संबंधित परियोजनाएं—52 परियोजनाएं

(3) डुबाव में सुधार के लिए जलमार्गों को और अधिक गहरा किए जाने से संबंधित परियोजनाएं—25 परियोजनाएं

(4) पत्तनों से संपर्क से संबंधित परियोजनाएं—45 परियोजनाएं।

(5) अन्य सम्बद्ध योजनाएं—78 परियोजनाएं।

पत्तन-वार परियोजनाओं की संख्या और उनके निष्पादन के संबंध में परिकल्पित निवेश का ब्योरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम में महापत्तनों से संबंधित परियोजनाओं की पत्तन-वार संख्या और उनके निष्पादन के संबंध में परिकल्पित निवेश का ब्योरा

क्र.सं.	महापत्तन का नाम	परियोजनाओं की संख्या	प्रत्याशित निवेश (करोड़ रु.)
1.	कोलकाता	40	6494.00
2.	पारादीप	28	2402.83
3.	विशाखापट्टणम	38	2621.00
4.	इन्नौर	14	6466.00
5.	चेन्नई	14	2247.14
6.	तूतीकोरिन	24	4571.25
7.	कोचीन	14	7920.00
8.	न्यू मंगलूर	20	7148.00
9.	मूरगांव	12	808.00
10.	मुम्बई	14	2766.00
11.	जवाहरलाल नेहरू	32	7278.00
12.	कांडला	26	5081.00
	जोड़	276	55803.73

अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी आयोग

3047. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री इकलाब अहमद सरडगी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के मामलों पर ध्यान देने तथा कतिपय जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखने के लिए एक आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तता इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) अनुसूचित जनजाति के केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियों की राज्य-वार तथा समुदाय-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश तथा कनार्टक से अनुसूचित जनजातियों की केन्द्रीय सूची में जातियों को शामिल करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन अनुरोधों को कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है; और

(च) आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायता हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) दिनांक 19.02.2004 से 89वां संविधान संशोधन प्रभाव में आने के फलस्वरूप पूर्वस्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का द्विभाजन हो जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 338(क) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

(ग) अनुसूचित जनजाति की राज्यवार एवं समुदाय-वार सूची से संबंधित सूचना इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004-05 में दी गई है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने/निकालने हेतु स्वीकृत मानदंड के अनुसार विभिन्न एजेंसियों, यथा राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें समय लगता है तथा इसके लिए निश्चितम समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

(च) गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नांकित रूप से है:

राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
आंध्र प्रदेश	4.82	4.75	6.05
कर्नाटक	2.98	1.73	3.16

पांडुलिपि का खोना

3048. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन सी ई आर टी के प्रकाशन विभाग को अभी तक एक भी नई पांडुलिपि नहीं मिली है और नियत तिथि तीन बार निकल चुकी है जैसा कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में विलम्ब की पुनरावृत्ति को रोकने और नियत समय में नई पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने नया शैक्षिक सत्र 2006-07 शुरू होने से पहले नियत तारीख तक नई पाठ्यपुस्तकों को आपूर्ति करने के उपाय किए हैं। इसने इस आशय का प्रत्युत्तर भी भेजा है और दिनांक 7 दिसम्बर, 2005 के इसी समाचार-पत्र में यह प्रकाशित किया गया है।

सड़क परियोजनाओं हेतु अर्थक्षमता अंतर्वित्त-पोषण

3049. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'बिल्ड, आपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस' पर प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं हेतु अर्थक्षमता अंतर्वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ विचार-विमर्श कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर सड़क परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अंतर्वित्तपोषण प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है।

(ख) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ विचार-विमर्श अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं और इस संबंध में कोई भी ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम

3050. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरआई) के तहत विकास किए जाने वाले ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टरों की संख्या का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एनपीआरआई के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अलग-अलग राज्यों में इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तावों का अनुमोदन, कार्यक्रम दिशानिर्देशों तथा निधियों की वार्षिक उपलब्धता के अनुरूप प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। गुजरात के भावनगर जिले में सिहोर में री-रोलिंग मिलों पर नैदानिक अध्ययन के लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण जारी नहीं की जा सकी हैं।

विवरण

ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टरों की संख्या
1	2	3
1.	असम	4
2.	बिहार	1
3.	हरियाणा	4
4.	हिमाचल प्रदेश	2
5.	महाराष्ट्र	1
6.	उड़ीसा	3
7.	राजस्थान	2
8.	उत्तर प्रदेश	2

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाना

3051. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने हेतु बी ओ टी (बिल्ड, आपरेट एंड ट्रांसफर) संविदा के अंतर्गत राज्यवार किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए बी ओ टी ठेकों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि सहित राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई बी ओ टी (पथकर आधारित/वार्षिकी आधारित) परियोजनाओं के ब्योरे

क्र.सं.	स्टेशन से तक	श्रेणी	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	राज्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
			पथकर आधारित परियोजनाएं				
एन एच डी पी चरण-1							
1.	विवेकानंद पुल एवं पहुंच मार्ग	जीक्यू	2	6	641	कार्यान्वयनाधीन	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	महापुरा (जयपुर के निकट)-किशनगढ़ (6 लेन)	जीक्यू	8	90.38	644	4 लेन	राजस्थान
3.	किशनगढ़ में आर ओ बी	जीक्यू	8	1	18	4 लेन	राजस्थान
4.	नेल्लोर-टाडा	जीक्यू	5	110.517	621.35	4 लेन	आंध्र प्रदेश
5.	सतारा-कागल	जीक्यू	4	133	600	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
6.	तुमकुर-नीलमंगला	जीक्यू	4	32.5	155	4 लेन	कर्नाटक
7.	दुर्ग बाइपास	अन्य	6	18	70	2 लेन	छत्तीसगढ़
8.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	अन्य	8	27.7	555	कार्यान्वयनाधीन	दिल्ली (9.7)/ हरियाणा (18)
9.	नंदीगाम-विजयवाड़ा	अन्य	9	35	138.65	4 लेन	आंध्र प्रदेश
	जोड़			454.10	3443.00		
एन एच डी पी चरण-2							
1.	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर	ईडब्ल्यू	8बी	36	265	कार्यान्वयनाधीन	गुजरात
2.	सलेम से केरल सीमा खंड 203.96-53.00 कि.मी.	एनएस	47	53.525	469.8	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
3.	सलेम से केरल सीमा खंड 53.00-100.00 कि.मी.	एनएस	47	48.51	379.8	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
4.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	एनएस	1	10	270	कार्यान्वयनाधीन	हरियाणा
5.	फरुखनगर से कोट्टाकाटा 34.14-80.05 कि.मी.	एनएस	7	46.162	267.2	कार्यान्वयनाधीन	आंध्र प्रदेश
6.	फरुखनगर से कोट्टाकाटा 80.05-135.469 कि.मी.	एनएस	7	55.74	313.7	कार्यान्वयनाधीन	आंध्र प्रदेश
7.	कृष्णागिरि से थोपुरघाट	एनएस	7	62.5	372.7	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
8.	सलेम से करूर 207.05-248.625 कि.मी.	एनएस	7	41.55	253.5	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
9.	सलेम से करूर 248.625-292.60 कि.मी.	एनएस	7	33.48	205.6	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
10.	करूर से मदुरै 305.60-373.275 कि.मी.	एनएस	7	68.125	327.2	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	करूर से मदुरै 373.275-426.60 कि.मी.	एनएस	7	53.025	283.5	कार्यान्वयनाधीन	तमिलनाडु
12.	त्रिसूर से अंगमाली	एनएस	47	40	312.5	कार्यान्वयनाधीन	केरल
	जोड़			548.62	3720.50		
एन एच डी पी चरण-3क							
1.	मुहआ-जयपुर 120-228 कि.मी.		11	108	483	कार्यान्वयनाधीन	राजस्थान
2.	भरतपुर-महुआ 63-120 कि.मी.		11	57	250	कार्यान्वयनाधीन	राजस्थान
3.	वडापे-गोंडे 440/009-539/500 कि.मी.		3	100	579	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
4.	पिंपलगांव-धूले 380/0-265/0 कि.मी.		3	118	556	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
5.	गुना बाइपास 319/700-332/100 कि.मी.		3	14	46	कार्यान्वयनाधीन	मध्य प्रदेश
6.	पुणे-खेड़ 12/190-42/00 कि.मी.		50	30	127.6	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
7.	रायपुर-औरंग 232-281 कि.मी.		6	45	190	कार्यान्वयनाधीन	छत्तीसगढ़
8.	अंबाला-चंडीगढ़ रा.रा. 22 के 5/735-39/961 कि.मी का रा.रा. 21 के 0/0-0/871 कि.मी.		21 व 22	36	298	कार्यान्वयनाधीन	पंजाब/ हरियाणा
9.	जालंधर-अमृतसर 407/100-456/100 कि.मी.		1	49	263	कार्यान्वयनाधीन	पंजाब
10.	मेरठ-मुजफ्फरनगर 52.250-131.00 कि.मी.		58	79	359	कार्यान्वयनाधीन	उत्तर प्रदेश
11.	आगरा-भरतपुर		11	45	195	कार्यान्वयनाधीन	उत्तर प्रदेश/ राजस्थान
12.	इंदौर-खालघाट		3	80	472	कार्यान्वयनाधीन	मध्य प्रदेश
13	कोंधाली-तेलगांव		6	50	212	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
14.	सीतापुर-लखनऊ		24	75	322	कार्यान्वयनाधीन	उत्तर प्रदेश
15.	नागपुर-कोंधाली		6	40	168	कार्यान्वयनाधीन	महाराष्ट्र
	जोड़			926	4521		

1	2	3	4	5	6	7	8
			वार्षिक आधारित परियोजनाएं				
1.	पानागढ़-पलसित	जीक्यू	2	64.457	350	4 लेन	पश्चिम बंगाल
2.	पलसित-दनकुनी	जीक्यू	2	65	432.4	4 लेन	पश्चिम बंगाल
3.	अंकापल्ली-तुनी	जीक्यू	5	58.947	283.2	4 लेन	आंध्र प्रदेश
4.	तुनी-धर्मावरम (ए पी-16)	जीक्यू	5	47	231.9	4 लेन	आंध्र प्रदेश
5.	धर्मावरम-राजमुंदरी (ए पी-15)	जीक्यू	5	53	206	4 लेन	आंध्र प्रदेश
6.	नेल्लोर बाइपास	जीक्यू	5	17.166	143.2	4 लेन	आंध्र प्रदेश
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	जीक्यू	4	77	332	4 लेन	कर्नाटक
8.	ताम्बरम-टिंडीवनम	अन्य	45	93	375	4 लेन	तमिलनाडु
	जोड़			475.57	2353.70		

नोट: जी क्यू—स्वर्णिम चतुर्भुज
ई डब्ल्यू—पूर्व-पश्चिम महामार्ग
एन एस—उत्तर-दक्षिण महामार्ग

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

3052. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन पाकिस्तान और बर्तमान बांग्लादेश के शरणार्थियों को अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत देश में सम्मिलित करके शरणार्थी का दर्जा दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में पुनर्वितरण सहित देश में पुनर्वास देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्तियों/अप्रवासियों पर विचार करते समय ''शरणार्थियों'' और ''विस्थापित व्यक्तियों'' शब्दों को इसी परिभाषा और अर्थ का प्रयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में गृह मंत्री के विवेकाधीन कोष का ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग के लिए क्या मानदंड हैं;

(च) क्या गत तीन वर्षों में असम में उक्त कोष का उपयोग किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) छोड़ने के लिए विवश किया गया और 25.3.1971 से पहले भारत आ गए थे को बांग्लादेश वापिस नहीं भेजा जाएगा।

(घ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में विस्थापित व्यक्तियों को परिभाषित किया गया था। ये दोनों ही अधिनियम 6.9.2005 से निरस्त हो गये हैं। इन दोनों अधिनियमों में शरणार्थी शब्द परिभाषित नहीं किया गया है।

(ङ) गृह मंत्री के पास ऐसे व्यक्तियों हेतु कोई विवेकाधीन कोष नहीं है जिन्होंने 25.3.1971 से पूर्व बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया है।

(च) और (छ) उक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डब्ल्यू.सी.डी. और के.वी.आई.सी. के बीच सहयोग

3053. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए लघु उद्योग स्थापित

करने और उनके उत्पाद के लिए बाजार बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार "स्व-शक्ति परियोजना" राज्यवार कितने खंडों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का इस परियोजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अब तक राज्यवार कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत गठित स्व-सहायता दलों के उत्पादों के निर्माण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर 28 सितंबर, 2005 को हस्ताक्षर किए थे। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जन-मानस में स्व-सहायता दलों के उत्पादों की छवि विकसित करने, उन उत्पादों को अपनी दुकानों एवं भंडारों में जगह उपलब्ध करवाकर उनके विपणन में सहायता प्रदान करेगा और स्व-सहायता दलों की सदस्याओं को विपणन का प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा उन्हें अपने संसाधन केंद्रों की सेवाएं सुलभ कराएगा।

(घ) स्व-शक्ति परियोजना 30 जून, 2005 को समाप्त हो गई थी।

(ङ) और (च) अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(छ) स्व-शक्ति के अंतर्गत अब तक प्राप्त की गई राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

स्व-शक्ति स्कीम के अंतर्गत प्राप्त राज्य-वार उपलब्धियां

	विवरण	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाणा	झारखण्ड	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	स्व-सहायता दलों की स्थिति										
	(क) गठित स्व-सहायता	441	560	2706	1550	1678	2149	2462	5530	571	17647
	(ख) कुल सदस्य संख्या	5121	8091	44848	22009	22242	38522	31533	63907	7689	243962
	(ग) दलों की बचत राशि (रुपये लाखों में)	49.70	38.51	345.74	229.00	128.23	618.35	282.48	830.87	52.50	2575.38
	(घ) ऋणों का परस्पर लेन-देन करने वाले दलों की संख्या	441	560	2593	1410	1522	2149	2462	5149	560	16846
	(ङ) दलों द्वारा एक-दूसरे को दिए गए ऋण की राशि (रुपये लाखों में)	47.49	65.86	392.51	232.00	266.52	1968.58	361.40	2727.20	84.19	6145.75
	(च) बैंकों से जुड़े दल	322	319	1094	1319	1210	1756	1616	4383	237	12256
2.	प्रशिक्षण										
	(क) स्व-सहायता दलों की उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण (समूह विकास, आयोजना, संकेंद्रण आदि) प्राप्त करने वाली सदस्याओं की संख्या	3488	4355	44848	2611	6894	32624	28144	29745	4675	157384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सदस्याओं की संख्या	2532	4800	18528	5764	5295	22775	23730	26912	4354	114690
3. समूह की स्थिति										
(क) गठित समूहों की संख्या	57	52	122	114	145	201	218	229	75	1213
(ख) पंजीकृत समूहों की संख्या*	19	48	120	102	142	41	169	203	32	876
4. व्यवसाय परामर्श केंद्रों की स्थिति										
(क) स्थापित किए गए व्यवसाय परामर्श केंद्रों की संख्या	4	14	55	69	18	42	47	64	20	333
(ख) स्व-सहायता दलों की वे सदस्याएं, जो व्यवसाय परामर्श केन्द्रों की सेवाएं प्राप्त कर रही हैं।	2314	2217	26895	789	4402	3762	12535	368	940	54222
5. आय-अर्जन कार्यकलाप/लघु उद्यम विकास कार्यकलाप										
(क) आय अर्जन कार्यकलापों में संलग्न महिलाओं की संख्या	4828	3018	16215	6259	19138	30202	15681	65261	2809	163411
-कृषि कार्य	2956	1684	7546	2255	13591	18464	9189	45537	2024	103246
-कृषि इतर कार्य	1872	1334	8669	4004	5547	11738	6492	19724	785	60165
6. संकेन्द्रण										
(क) सरकारी स्कीमों से जुड़े दलों की संख्या	419	427	2242	780	1047	2149	2024	5366	289	14743
(ख) स्व-सहायता दल की सरकारी स्कीमों से संबद्ध सदस्याएं	3192	3667	18432	4176	3993	36141	18088	42347	1817	131853
(ग) स्व-सहायता दलों की कार्यसाधक साक्षरता प्राप्त करने वाली सदस्याओं की संख्या	3734	3207	6242	1140	2816	7322	8832	11040	2161	46494
7. सामुदायिक परिसंपत्ति										
(क) सृजित सामुदायिक परिसंपत्तियों की संख्या	215	130	582	3	112	173	434	203	82	1934

* समूहों की स्थिति शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए कर्नाटक के आंकड़े सी.जी.ए. तथा बिहार के आंकड़े सहकारी समितियों से संबंधित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन

3054. श्री जुएल ओराम:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमाओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन के सीमावार कितने मामले हैं; और

(ख) भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) वर्ष 2000 से 2005 (आज तक) के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा के उल्लंघन की 9 घटनाएं तथा भारत-पाकिस्तान, भारत-नेपाल और भारत-म्यांमार सीमाओं, प्रत्येक पर एक-एक घटना हुई है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं/एल ए सी के उल्लंघन से संबंधित मामले, पड़ोसी देशों के साथ सीमा कार्मिक की बैठकों के साथ-साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाए जाते हैं। भारत सरकार, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पवित्रता को सुरक्षित रखने और सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति दृढ़ संकल्प है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका उल्लंघन न हो।

[अनुवाद]

पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव

3055. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री संतोष गंगवार:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कोई नई परियोजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित, जारी और उपयोग की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय धनराशि के उपयोग की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश भर के सभी थानों को सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए आपस में जोड़ा जाएगा;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ज) थानों को आपस में कब तक जोड़ा जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम 2005-06 में संशोधित की गई है। संशोधित स्कीम के अन्तर्गत, राज्यों को क्रमश: 100% और 75% केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ वर्ग ''क'' और ''ख'' में पुन: वर्गीकृत किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य तथा पूर्वोत्तर के सात राज्यों को 100% केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ वर्ग ''क'' में शामिल किया गया है तथा बाकी राज्यों को एम पी एफ स्कीम के लिए 75% केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ वर्ग ''ख'' में शामिल किया गया है। इसके फलस्वरूप इस स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक केन्द्रीय आवंटन 1645 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान जारी और इस्तेमाल की गई केन्द्रीय निधियों के राज्य-वार ब्योरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों के इस्तेमाल की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा और प्रबोधन किया जा रहा है। अपर्याप्त मात्रा में निधियों का इस्तेमाल करने वाले राज्यों को समय-समय पर उपयुक्त सलाह दी जाती है।

(च) से (ज) पुलिस स्टेशनों, जिला मुख्यालयों तथा राज्य मुख्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए ''पोलनेट'' नामक एक उपग्रह आधारित स्कीम की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत, ध्वनि, फैक्स और डाटा कैनैक्टिविटी हेतु राष्ट्रीय राजधानी, सभी राज्य राजधानियों और 576 जिला मुख्यालयों में बहुत छोटे-छोटे एपर्च्योर टर्मिनल अर्थात वी-सैट स्थापित किए गए हैं। जहां कहीं भी दृश्य व्यवहार्यता की लाइन (लाइन आफ साइट फिजिबिलिटी) उपलब्ध है, जिला मुख्यालयों से पुलिस स्टेशनों तक बहु पहुंच रेडियो टेलीफोन (एम ए आर टी) लिंक भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम-2000-01 से 2004-05 से जारी/इस्तेमाल की गई धनराशि की स्थिति (23.11.2005 की स्थिति के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	इस्तेमाल की गई निधियां	खर्च न की गई बकाया राशि	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	इस्तेमाल की गई निधियां	खर्च न की गई बकाया राशि	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	इस्तेमाल की गई निधियां	खर्च न की गई बकाया राशि	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	इस्तेमाल की गई निधियां	खर्च न की गई बकाया राशि	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	इस्तेमाल की गई निधियां	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	72.02	72.02	00.00	77.20	77.20	00.00	81.32	80.64	00.68	69.46	65.38	04.08	79.73	34.21	45.52
अरुणाचल प्रदेश	01.15	00.69	00.46	04.45	03.94	00.51	5.20	01.40	03.80	7.24	1.72	05.52	9.13	6.15	2.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
असम	36.58	18.29	18.29	38.59	19.60	18.99	16.50	07.57	08.93	36.52	34.21	02.31	41.17	41.17	00.00
बिहार	57.58	50.40	07.18	54.00	20.70	33.30	11.50	11.50	00.00	0.43$	0.43	00.00	45.00	45.00	00.00
छत्तीसगढ़	20.58	20.58	00.00	21.97	21.13	00.84	16.70	15.77	00.93	17.47	13.58	03.89	32.72	12.75	19.97
गोवा	02.02	1.77	00.25	02.00	01.25	00.75	2.00	01.10	00.90	1.40	01.25	00.15	0.28	0.28	00.00
गुजरात	59.76	55.78	03.98	50.00	48.15	01.85	50.00	49.09	00.91	42.21	42.21	00.00	39.04	23.30	15.74
हरियाणा	28.32	28.32	00.00	24.46	24.46	00.00	22.10	22.10	00.00	20.00	20.00	00.00	22.13	22.13	00.00
हिमाचल प्रदेश	01.34	01.34	00.00	06.38	03.16	03.22	6.20	01.01	05.19	0.69	0.69	00.00	2.57	2.57	00.00
जम्मू-कश्मीर	30.82	30.82	00.00	28.50	28.50	00.00	28.50	28.50	00.00	25.00	24.00	01.00	110.69	110.67	00.02
झारखंड	40.15	33.43	06.72	28.93	27.74	01.19	12.73	12.42	00.31	8.50	5.72	02.78	22.23	1.63	20.60
कर्नाटक	82.85	82.85	00.00	76.90	76.89	00.01	75.00	69.02	05.98	69.31	67.45	01.86	58.87	53.61	05.26
केरल	29.28	28.24	01.04	31.16	29.96	01.20	25.13	25.13	00.00	22.00	22.00	00.00	26.45	17.74	08.71
मध्य प्रदेश	54.49	54.49	00.00	53.00	52.64	00.36	51.33	46.79	04.54	48.24	44.73	03.51	42.07	25.78	16.29
महाराष्ट्र	83.10	73.38	09.72	92.10	92.10	00.00	67.94	67.41	00.53	62.84	56.13	06.71	71.00	56.90	14.10
मणिपुर	04.10	2.05	02.05	04.95	02.45	02.50	0.73	0.80	00.43	11.50	4.84	06.66	15.24	12.25	02.99
मेघालय	01.54	01.09	00.45	05.19	03.55	01.64	0.55	00.55	00.00	5.29	2.63	02.69	7.58	2.62	04.96
मिजोरम	04.95	4.95	00.00	05.50	05.50	00.00	5.50	2.75	02.75	8.47	1.76	06.71	7.45	1.49	05.96
नागालैंड	02.84	2.84	00.00	13.46	13.46	00.00	9.95	9.95	00.00	21.00	19.34	01.66	13.09	9.03	04.06
उड़ीसा	30.58	29.94	00.64	30.50	28.40	02.10	16.76	15.37	01.39	21.91	16.03	05.88	27.66	15.43	12.23
पंजाब	35.76	35.31	00.45	32.10	15.01	17.09	32.10	9.99	22.11	19.34	08.04	11.30	22.89	11.06	11.83
राजस्थान	45.52	45.52	00.00	61.10	57.37	3.73	16.17	16.17	00.00	43.10	40.12	02.98	42.42	11.62	30.80
सिक्किम	01.83	00.11	01.72	2.87	00.89	01.98	0.09*	00.09	00.00	00.94	0.69	00.25	5.90	4.90	01.00
तमिलनाडु	76.50	76.47	00.03	68.10	68.10	00.00	68.10	54.98	68.10	54.98	00.00	04.48	56.78	30.88	25.90
त्रिपुरा	06.39	6.39	00.00	05.60	5.60	00.00	5.60	5.60	00.00	12.83	9.74	3.09	12.44	8.13	04.31
उत्तर प्रदेश	123.97	117.49	06.48	116.05	105.96	10.09	60.39	53.38	07.01	65.02	65.02	00.00	108.33	97.36	10.97
उत्तरांचल	05.50	5.46	00.04	08.44	08.44	00.00	6.58	6.58	00.00	7.41	5.77	01.64	7.99	3.55	04.44
पश्चिम बंगाल	60.48	33.79	26.69	56.50	21.03	35.47	0.33*	00.33	00.00	2.17	1.99	00.18	29.15	27.15	02.00
कुल	1000.00	913.81	86.19	1000.00	863.18	136.82	695.00@	628.61	66.39	705.27	625.97	79.30	960.00	689.36	270.64

*सिक्किम तथा प. बंगाल के संबंध में दर्शाई गई राशि केवल पोलनेट परियोजना के लिए है।

@सभी राज्यों में पोलनेट परियोजना के लिए 8.78 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है।

विवाह का पंजीकरण

3056. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनिवार्य विवाह पंजीकरण के संबंध में प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.सी.डब्ल्यू. (राष्ट्रीय महिला आयोग) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) आयोग द्वारा विधेयक के प्रारूप को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देते समय राष्ट्रीय महिला आयोग ने अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग के विचारों को भी ध्यान में रखा।

(ङ) इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बंगलादेश के साथ व्यापार

3057. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बंगलादेश से आयातित/निर्यातित मदों का मदवार ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च और अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार बंगलादेश के साथ हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या विश्व बैंक ने भारत और बंगलादेश के बीच व्यापार की संभावना का कोई अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान बंगलादेश से आयातित-निर्यातित मदों के मदवार ब्यौरों के साथ-साथ उनसे अर्जित और उन पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा दो अलग-अलग तालिकाओं में निम्नलिखित है:

बंगलादेश के साथ व्यापार को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	बंगलादेश को भारत से निर्यात	बंगलादेश से भारत को आयात	कुल व्यापार
2003-04	1646.08	62.24	1708.32
2004-05	1586.18	54.88	1641.06
2005-06 (अप्रैल-अगस्त)	587.69	29.45	617.14

आंकड़ों का स्रोत: डी जी सी आई एंड एस (एन आई सी, वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए)

बंगलादेश को कुछेक महत्वपूर्ण मदों के वर्ष-वार निर्यात को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

वस्तु	वर्ष		
	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-अगस्त)
गेहूं	87.35	96.29	75.73
काटन यार्न, फ्रेब्रिक्स विनिर्मितियां आदि	52.44	79.16	70.01
ताजी सब्जियां	8.80	32.56	11.71
धातु के विनिर्माण	35.59	32.21	15.57
मशीनरी तथा उपकरण	45.92	25.98	32.73
परिवहन उपस्कर	41.84	24.20	25.82
अपरिष्कृत पेट्रोलियम तथा उत्पाद	1.18	22.77	37.70
दालें	15.01	20.74	26.96
दवा, भेषज तथा परिष्कृत रसायन	17.02	20.73	19.52
प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद	13.11	13.87	36.83
मानव निर्मित यार्न फ्रेब्रिक्स तथा विनिर्मितियां	12.09	12.97	18.47
कोयला	17.15	11.74	10.39
ग्लास/ग्लासवेयर/सिरेमिक/रिफ्रेक्ट्रीज/सीमेंट	6.44	11.58	10.79
प्राथमिक तथा अर्ध-परिष्कृत लोहा तथा इस्पात	31.34	11.23	30.58
चावल (बासमती को छोड़कर)	109.11	10.42	35.94

आंकड़ों का स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

बंगलादेश से कुछेक महत्वपूर्ण मदों के वर्ष-वार आयात को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

वस्तु	वर्ष		
	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-अगस्त)
1	2	3	4
अकार्बनिक रसायन	10.91	5.93	14.79
अन्य वस्तुएं	2.29	4.21	4.36

1	2	3	4
विनिर्मित उर्वरक	–	3.54	0.47
चर्म	0.71	0.90	1.01
काटन रा काम्ब/अनकाम्ब/अपशिष्ट	0.19	0.29	0.45
अन्य वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, विनिर्मित वस्तुएं	1.35	0.26	1.76
विनिर्मित वस्त्र (बुने तथा काते गए)	2.24	0.20	0.11
धात्विक अयस्क तथा धातु स्क्रैप	0.00	0.20	0.27
कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	0.05	0.15	0.13
विनिर्मित वस्त्र सामग्री	0.01	0.02	4.12
काजू गिरी को छोड़कर फल तथा गिरी	0.89	0.01	0.56
जमा हुआ वनस्पति तेल (खाद्य)	–	0.01	0.34

आंकड़ों का स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

(ख) से (घ) जी, हां। भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार करार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए 4 अक्तूबर, 1980 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसे परस्पर सहमति द्वारा 3 वर्ष आगे बढ़ाने का प्रावधान है जो सहमत संशोधनों के अध्यधीन है। इसकी वैधता समय-समय पर आगे बढ़ायी जा रही है और इस समय यह 31 मार्च, 2006 तक वैध है। इस करार की अवधि को बढ़ाते समय हम सम्बन्धित मंत्रालयों के विचारों तथा बंगलादेश सरकार के विचारों को शामिल करते हुए संशोधित करार के पाठ के मसौदे को तैयार करने की कार्रवाई कर रहे हैं। दिनांक 23-24 मार्च, 2004 को नई दिल्ली में भारत-बंगलादेश व्यापार संबंधी संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने संशोधित करार का दोनों ओर से सहमत पाठ तैयार कर लिया था और तदनुसार इस संशोधित पाठ के करार के मसौदे की एक प्रति ढाका स्थित हमारे उच्चायोग के जरिए बंगलादेश सरकार को सहमति के लिए भेज दी गई थी। बंगलादेश की ओर से करार के मसौदे में कुछ मामूली संशोधनों का सुझाव दिया गया है उनमें से एक संशोधन अनुच्छेद 9 से संबंधित है जहां वे "पोत परिवहन अधिमान के आधार पर" को हटाकर "प्रतिस्पर्धी भाड़ा दर पर इस करार के अंतर्गत आयातित अथवा निर्यातित कार्गों के पोत परिवहन के लिए दोनों संबंधित देशों के पोत परिवहन संगठनों द्वारा भाड़े पर लिए गए/उनके स्वामित्वाधीन जलयानों का अधिकतम संभव सीमा तक प्रयोग करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं" पढ़ना चाहते थे। इस मुद्दे का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और इसलिए संशोधित द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह मुद्दा 1-2 अगस्त, 2005 को ढाका में आयोजित भारत-बंगलादेश व्यापार संबंधी संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक के दौरान भी विचार-विमर्श के लिए आया था, जिसमें दोनों पक्ष शीघ्रता से इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सहमत हो गए थे।

(ङ) से (छ) भारत सरकार को भारत और बंगलादेश के बीच व्यापार की संभावना के सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा किए गए किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार

3058. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भ्रष्ट अधिकारियों के मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने अधिकारी दोषी सिद्ध हुए हैं;

(ङ) क्या इनमें से कुछ दोषी अधिकारी अब भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

(ग) से (च) जी, हां। शिकायतों की विभागीय जांच की जाती है। जहां कहीं सतर्कता के लिहाज से प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप प्राप्त होते हैं तो 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए जाते हैं और जवाब प्राप्त होने पर समूह 'क' के अधिकारियों से संबंधित मामलों की फाइलें प्रथम चरण के परामर्श के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजी जाती हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श प्राप्त होने पर आरोप-पत्र तैयार किया जाता है और सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऐसे मामले, जिनमें केवल प्रशासनिक अथवा शैक्षणिक अनियमितताओं का पता चलता है, उन पर सीधे केंद्रीय विद्यालय संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार समूह 'ख' और 'ग' के कर्मचारियों के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 1965 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है। दोषी कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

पथ कर की वसूली

3059. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री रविन्दर कुमार राणा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूले जाने वाले पथ कर में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संगठनों ने पूर्व संसद सदस्यों/पूर्व विधायकों को पथकर में छूट देने हेतु अभ्यावेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सिग्नलों की स्थापना

3060. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपेक्षित संख्या में यातायात सिग्नल स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और वहां पर सिग्नलों का कार्य करते रहने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा यातायात सिग्नलों की जगह अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर स्थापित सिग्नलों के जैसे सिग्नल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) समुचित रूप से चौराहे (इंटरसेक्शन) बनाकर सिगनल रहित सुविधाओं के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाया जाता है। शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सिग्नल कभी-कभी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सिग्नल बदलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

भारत-अमरीका केंद्र

3061. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित भारत-अमरीका केंद्रों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये केंद्र वांछित उद्देशों को प्राप्त कर पाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का विचार हार्डवेयर विनिर्माण में अमरीकियों के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) भारत प्रौद्योगिकी संस्थानों में कोई भारत-अमरीका केंद्र नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को ''इंडो-यू.एस. सेन्टर फार एडवांस्ड एण्ड फ्यूचरिस्टिक मैनुफैक्चरिंग'' के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अभी यह प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई के दो संकाय सदस्यों ने आई.सी. के विनिर्माण के लिए प्रणाली सुधार (विश्वसनीय पहलू) और भविष्य के आई.सी. के डिजाइन के लिए कैपेसिटेंस एक्सट्रैक्शन की परियोजनाएं आई.एन.टी.ई.एल. कार्पोरेशन के सहयोग से आरंभ की हैं।

माध्यमिक शिक्षा पर खर्च

3062. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में वार्षिक योजना 2003-04 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र हेतु परिव्यय में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परिव्यय का ब्यौरा क्या है और उसके बाद उसमें क्या संशोधन किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान 639.08 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 हेतु परिव्यय में संशोधन और कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-2004 हेतु संस्वीकृत परिव्यय 669 करोड़ रु. था और संशोधित परिव्य 659.43 करोड़ रु. था।

(ग) वार्षिक योजना 2003-04 के तहत माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में 637.99 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई।

(घ) धनराशि का कम उपयोग किए जाने संबंधी कारणों में व्यवहार्य प्रस्तावों की अपर्याप्त संख्या, पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों का प्राप्त न होना, कार्य की धीमी प्रगति आदि शामिल हैं।

(ङ) निधियों के उपयोग हेतु स्कीमों को प्रभावी ढंग से लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है।

श्रिंप पर पाटन-रोधी शुल्क

3063. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत से श्रिंप पर पाटन-रोधी शुल्क को रद्द न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे भारत के श्रिंप निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) स्वदेशी श्रिंप उद्योग निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) इस समय अमरीका द्वारा भारत से आयात किए गए श्रिम्प पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक मूल्यांकन के अध्यधीन है जो अभी उनके द्वारा किया जाना है। सुनामी विपदा को ध्यान में रखते हुए अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा की गई

परिवर्तित परिस्थितियों पश्चात की समीक्षा के बाद पाटनरोधी शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) अमरीका सीमाशुल्क विभाग द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क और संबंधित सीमाशुल्क सुरक्षा बांड की आवश्यकता के कारण अमरीका को श्रिम्प निर्यात करने की लागत बढ़ गई है।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन भारतीय श्रिम्प उद्योग के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना

3064. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं को मैट्रिक/माध्यमिक/मिडल और प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने और बदलते माहौल की मागों को पूरा करने हेतु महिलाओं के कौशलों के उन्नयन के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रम लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खर्च की गई धनराशि की तुलना में कुल कितने पाठ्यक्रम लागू किए गए;

(घ) इस योजना को लागू करने हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) इस योजना को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु की उन लड़कियों/महिलाओं को तीनों स्तरों, अर्थात् प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं और जो प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अथवा अपरिहार्य कारणों से शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पातीं। कौशल उन्नयन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इस स्कीम का एक घटक है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 600 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

(ङ) संक्षिप्त पाठ्यक्रम स्कीम में सुधार करने के लिए इसका समय-समय पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाता है और प्राप्त सुझावों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसमें उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की संख्या और किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	एक वर्ष की अवधि वाले		दो वर्षों की अवधि वाले	
		पाठ्यक्रमों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	पाठ्यक्रमों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1.	2002-03	48	20.31	89	179.65
2.	2003-04	77	52.89	315	347.11
3.	2004-05	116	71.97	469	509.30

मशरूम निर्यातक

3065. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारतीय मशरूम निर्यातकों पर पाटन-रोधी कार्रवाई रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय मशरूम निर्यातकों को किस सीमा तक सहायता मिली है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यात में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 तक के दौरान मशरूम के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा: मीट्रिक टन; मूल्य: करोड़ रुपए में)

उत्पाद	2003-04		2004-05		2005-06* (अप्रैल-जून, 2005)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजा मशरूम	6202.09	23.52	3540.79	13	153.64	4.91
तैयार/परिरक्षित मशरूम	17104.61	66.18	23661.09	82.23	1764.58	5.04
सूखे मशरूम	140.40	18.56	102.00	20.63	21.53	5.97
कुल	23447.10	108.26	27303.88	115.86	1939.75	15.92

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस) (*अनंतिम आंकड़े)

[हिन्दी]

मेरठ-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर सड़क को चार लेन का बनाना

3066. श्री रशीद मसूद: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेरठ-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर सड़क को चार लेन का बनाने के कार्य को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त राजमार्ग अर्थात् मेरठ-मुजफ्फरनगर की सहारनपुर सड़क को अंबाला तक चार लेन वाला बनाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत रा.रा.-58 के केवल मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड को ही चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया गया है और यह निर्माण कार्य संभवत: मार्च, 2006 तक शुरू हो जाएगा और इसे दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

मुजफ्फरनगर-सहारनपुर एक राज्यीय सड़क है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग और इसलिए इस सड़क को चार लेन का बनाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

यातायात की इन्टेंसिटी को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर-अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति

3067. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने विशेष पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति में सुधार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या काफी समय से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर क्षेत्र में चल रहे वर्तमान उद्योग इस नीति के अंतर्गत लाभों का फायदा उठाने के हकदार नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्योगों के बने रहने और उनके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (घ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीरण को बढ़ावा देने के लिए 24 दिसंबर, 1997 को पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की घोषणा की थी। इस नीति के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक एककों के लिए विभिन्न रियायतों की अनुमति दी गई है जिसमें औद्योगिक अवसंरचना का विकास, उत्पाद-शुल्क और आयकर में छूट तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन राजसहायता शामिल है। उक्त लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्रों के नये औद्योगिक एककों अथवा इनके पर्याप्त विस्तार के लिए उपलब्ध हैं। उक्त लाभ कुछ 'विनिर्दिष्ट उद्योगों' के लिए भी उपलब्ध है, जो चाहे ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर भी स्थिति हों।

बाद में, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति को ज्यादा आकर्षक बनाने हेतु इसमें संशोधन करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा विभिन्न पणधारकों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रभाव अध्ययन और विभिन्न पणधारकों से की गई चर्चाओं के आधार पर पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

सऊदी अरब के साथ व्यापार

3068. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यू टी ओ सऊदी अरब को अपने ग्लोबल ग्रुप के 149वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू टी ओ से सऊदी अरब के शामिल होने के बाद इसके साथ व्यापार की संभावनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। 11 नवंबर, 2005 को डब्ल्यू टी ओ की महापरिषद ने सऊदी अरब की पहुंच की शर्तें अनुमोदित की थी। सऊदी अरब 11 दिसंबर, 2005 को 30 दिन के बाद डब्ल्यू टी ओ का 149वां सदस्य बन जाएगा।

(ख) और (ग) डब्ल्यू टी ओ में विधेयक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की व्यवस्था है जिससे अन्य व्यापारिक भागीदारों के द्विपक्षीय दबाव से किसी देश को संरक्षण प्राप्त होता है। डब्ल्यू टी ओ का सदस्य बनने के कारण सदस्य देश अन्य सभी देशों से अपने निर्यातों के लिए परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) और राष्ट्रीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए स्वत: हकदार हो जाता है। भारत गणराज्य ने वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ के क्षेत्र में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार में भारत के साथ सहमत 201 टैरिफ लाइनों के लिए प्रारंभिक वार्ताकारी अधिकार (आई एन आर एस) प्रदान करना शामिल है। इसके अनुसरण में भारत को आने वाली 341 टैरिफ लाइनों के लिए एक समझौता किया गया है। सेवाओं में सऊदी अरब अनेक सेवा श्रेणियों में पद्धति 4 वचनबद्धताएं प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। इन उपायों से दोनों देशों के बीच व्यापार विशेषकर तेल, गैस, पेट्रोरसायन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध

3069. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार तथा आर्थिक संबंधों संबंधी समिति (टी ई आर सी) ने हाल ही में अक्तूबर 2005 में हुई अपनी बैठक में पड़ोसी देशों विशेषकर कम विकसित देशों के साथ अन्तर क्रिया बढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय होने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद ऐसे प्रत्येक देश के साथ देश-वार कितना निर्यात, आयात तथा भुगतान संतुलन रहा है; और

(ग) इन प्रत्येक कम विकसित देशों के संबंध में व्यापार तथा रणनीति के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति (टी ई आर सी) ने हाल ही में अक्तूबर, 2005 में आयोजित अपनी बैठक में बंगलादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ख) उपर्युक्त तीनों देशों के साथ निर्यात-आयात एवं व्यापार संतुलन का ब्यौरा निनलिखित है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	बंगलादेश			म्यांमार			पाकिस्तान		
	आयात	निर्यात संतुलन	व्यापार संतुलन	आयात	निर्यात संतुलन	व्यापार	आयात	निर्यात संतुलन	व्यापार संतुलन
2002-03	62.05	1176	1113.95	336.04	75.07	-260.97	44.85	206.16	161.31
2003-04	62.24	1646.08	1583.84	409.01	89.64	-319.37	57.74	286.55	228.81
2004-05	54.88	1586.18	1531.30	398.04	109.73	-288.81	95.33	505.44	410.11

(ग) प्रस्तावित पहलों का आशय उपर्युक्त तीन देशों से वस्तुओं के बाजार पहुंच मुद्दे का समाधान करना है। बंगलादेश तथा पाकिस्तान से संबंधित पहलों को दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के कार्यढांचे के अंतर्गत अंतिम रूप दे दिया गया है। साफ्टा का कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2006 से किया जाएगा। म्यांमार से संबंधित पहलों पर बहुक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक) समूहन के तहत बंगाल की खाड़ी पहल के अंतर्गत विचार-विमर्श किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इन पहलों से हमारे अल्प विकसित पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में निर्माणाधीन पोत

3070. डा. पी.पी. कोया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप प्रशासन के 700 पी ए एक्स यात्री पोत के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है जो अभी हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में निर्माणाधीन है;

(ख) संविदा की शर्तों के अनुसार यात्री पोत को मूलत: किस तिथि तक निर्मित किए जाने की योजना थी;

(ग) इस यात्री पोत के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यात्री पोत के निर्माण में गति लाने के लिए कोई कार्रवाई किये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यात्री पोत का निर्माण कार्य पूरा न होने का कारण धनराशि की कमी होना है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन, लक्षद्वीप प्रशासन के 700 यात्रियों की क्षमता के जहाज के संबंध में वास्तविक हल, मशीनरी, फिटमैंट तथा उपस्करों से संबंधित समग्र पूर्णता 60% है। उपर्युक्त जहाज के निर्माण को पूर्ण करने के लिए बाकी मुख्य कार्य-कलाप, डैक मशीनरी, विद्युत, पाइपिंग, आउट फिटिंग, यात्रियों के लिए स्थान, वातानुकूलन, नौचालन तथा संचार-उपस्करों से संबंधित हैं।

(ख) करार की शर्तों के अनुसार, आरंभ में, उपर्युक्त जहाज का निर्माण फरवरी, 2003 तक कर लिए जाने की योजना थी।

(ग) जहाज का निर्माण पूर्ण होने में हुए विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) नियमों और मानकों का निर्वाह करने की दृष्टि से डिजाइन और दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने में देर

(2) दूसरे चरण के इस्पात की खरीद में देर

(3) निर्माण डाक के, पहले से विशाखापट्टणम-पत्तन-न्यास के 500 घन मीटर की क्षमता के ग्रैब हॉपर ड्रेजर और भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, आई एन एस वागली से संबंधित कार्य में लगे रहने के कारण पैनलों को खड़ा किए जाने का कार्य आरंभ किए जाने के लिए बिल्डिंग डॉक की अनुपलब्धता।

(4) मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हुई कार्यसाधक पूंजी से संबंधित समस्याएं।

(घ) से (ज) जी, हां। जहाज का निर्माण तेजी से करने के लिए इस विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) उपर्युक्त जलयान का निर्माण पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 34.07 करोड़ रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता मुहैया करवाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(2) उपर्युक्त निर्माण-कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाने, करार में, प्रारंभ में हुई सहमति से निश्चित आवश्यकता से अतिरिक्त हो गई आवश्यकता के कारण 9.88 करोड़ रु. की बढ़ी हुई लागत पर संघ-राज्य-क्षेत्र-लक्षद्वीप-प्रशासन से विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(3) इस मंत्रालय की सलाह पर संघ-राज्य-क्षेत्र-लक्षद्वीप-प्रशासन ने जलयान की सुपुर्दगी के बाद संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासन द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दी जाने वाली 14.03 करोड़ रु. की धनराशि में से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 8.00 करोड़ रु. की धनराशि भी अग्रिम रूप से दे दी गई है। यह हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को आगे और समय गवांये बिना जलयान का निर्माण जारी रखने में समर्थ बनाने की दृष्टि से किया गया है।

[हिन्दी]

भारत-इण्डोनेशिया व्यापार

3071. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री शिशुपाल पटले:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है तथा गत वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच हाल ही में कोई व्यापार सम्मेलन हुआ है जैसा कि दिनांक 24 नवम्बर, 2005 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई एवं इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इण्डोनेशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2004-05 (अप्रैल-अगस्त)	448.75	1006.71	1455.46
2005-06 (अप्रैल-अगस्त)	432.37	1006.19	1438.56
प्रतिशत वृद्धि	(-)3.65	(-)0.05	(-)1.16

(स्रोत: डी जी सी सी आई एंड एस, कोलकाता)

(ख) से (घ) जी, हां। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई भारत की यात्रा के दौरान एसोचैम द्वारा दिनांक 23.11.2005 को नई दिल्ली में एक व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए संयुक्त अध्ययन दल (जे एस जी) के गठन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

[अनुवाद]

सड़क बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निवेश

3072. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सड़क बुनियादी संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत अधिक निवेश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा का पानी काइली-कोइनझार-राजमुण्डा राष्ट्रीय राजमार्ग-215 खस्ता हाल स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो सड़क को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए आबंटित निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए आबंटन परियोजना-वार किए जाते हैं न कि राज्यवार। वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को किए आबंटन इस प्रकार हैं:

	धनराशि (करोड़ रु.)
(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	16,169.74
(2) सीमा सड़क संगठन	377.00

(ग) और (घ) चालू मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 215 की लगभग 135 कि.मी. सड़क बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई। इस राजमार्ग के लगभग 119 कि.मी. में विभिन्न सुधार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य 7 कि.मी. पर कार्यों के लिए प्राक्कलन को वर्ष 2005-06 के वार्षिक योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-215 के 249 कि.मी. को चार लेन का बनाने और सुदृढ़ करने के कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

विवरण

2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए आबंटित निधियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86.23
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	7.00
4.	असम	61.50
5.	बिहार	79.00
6.	चंडीगढ़	2.00
7.	छत्तीसगढ़	53.70
8.	दिल्ली	5.50
9.	गोवा	5.50
10.	गुजरात	69.77
11.	हरियाणा	47.00
12.	हिमाचल प्रदेश	42.00
13.	जम्मू-कश्मीर	0.00
14.	झारखंड	35.00
15.	कर्नाटक	74.61
16.	केरल	55.96
17.	मध्य प्रदेश	99.03
18.	महाराष्ट्र	100.65
19.	मणिपुर	16.07
20.	मेघालय	26.21
21.	मिजोरम	21.50
22.	नागालैंड	11.00
23.	उड़ीसा	67.63
24.	पंजाब	49.01
25.	पांडिचेरी	5.00
26.	राजस्थान	75.36
27.	तमिलनाडु	180.91
28.	उत्तरांचल	25.06
29.	उत्तर प्रदेश	139.30
30.	पश्चिम बंगाल	266.00

दिल्ली-विश्वविद्यालय में आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम

3073. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-विश्वविद्यालय का विचार आपदा प्रबन्धन संबंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है जैसाकि दिनांक 28.11.2005 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन महाविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां ऐसा पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, उसने विभिन्न कालेजों से लिए गए छात्रों के लिए मैत्रेयी कालेज और श्री वेंकटेश्वर कालेज में आपदा प्रबंधन संबंधी लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

3074. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चार मार्गों जेवारगी-लिंगासगुर-सिंधनुर-बेल्लारी सड़क, धारवाड़-रामानगरम सड़क-दोडाबालापुर-कोलार सड़क तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-218 को राष्ट्रीय राजमार्ग-63 (बागलकोट-धानापुर) को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (नेलामंगल से मैंगलौर तक चार लेन वाला बनाने) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (के.आर. पुरम से

कोलार सीमा तक चार लेन वाला बनाने) का दर्जा बढ़ाने के संबंध में अनुमोदन हेतु कुछ सड़क परियोजनाओं को प्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) अब तक अनुमोदित की गई परियोजनाओं तथा अनुमोदन के लिए लंबित परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने जेवारगी-लिंगासगुर-सिंधनूर-बेल्लारी, धारवाड़-रामानगरम, दोडाबालापुर-कोलार और बागलकोट-बादामी-येलबुरगा-कुनकुर सड़कों के राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इस समय और सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा की बजाय पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए इन प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया है।

रा.रा.-48 के केवल नीलमंगला-हासन खंड और रा.रा.-4 के के.आर. पुरम-कोलार खंड का ही उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर चार लेन का बनाने के लिए शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जन्म प्रमाण-पत्र संबंधी राष्ट्रीय अभियान

3075. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत 10 वर्षों के दौरान जन्में सभी बच्चों को जन्म प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र संबंधी राष्ट्रीय अभियान का दूसरा चरण आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अभियान के प्रथम चरण के क्या परिणाम निकले;

(घ) प्रथम चरण के दौरान कुल कितने जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए;

(ङ) क्या सरकार 2000 तक 100 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी जैसा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2010 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) अब तक लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां; जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित राष्ट्रीय अभियान के द्वितीय चरण का लक्ष्य 10 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों जिनके जन्म को पंजीकृत तो किया गया था लेकिन अभियान के प्रथम चरण में कवर नहीं किया जा सका था, कवर करना और साथ ही साथ उन बच्चों को कवर करना है जिन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अभियान के प्रथम चरण के दौरान लगभग 3.44 करोड़ बच्चों को जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।

(ङ) से (छ) इस समय देश में जन्मों के पंजीकरण का स्तर लगभग 58.0 प्रतिशत है तथा मृत्यु का स्तर लगभग 54.5 प्रतिशत है। मुख्य राज्यों में जिनमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कम हुआ है वे हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान। सरकार इन राज्यों की स्थिति से अवगत है और उनके साथ नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करती है। सरकार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने, जनता में जागरूकता पैदा करने तथा साथ ही साथ पंजीकरण का स्तर सुधारने के लिए कम्प्यूटरीकरण हेतु उनको सहायता प्रदान कर रही है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है जिसके लिए पहले से ही एक समिति गठित की गई है। सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अन्तर्गत रखे गए लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार समझौता

3076. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम निकले;

(ख) श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद/उससे कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात/आयात किया गया;

(ग) क्या श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप काली मिर्च, रबड़, नारियल/नारियल गिरी, चाय तथा काफी की घरेलू कीमतें प्रभावित हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन तथा निर्यात/आयात में आए अन्तर से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत ने अब तक श्रीलंका, सिंगापुर और भूटान के साथ मुक्त व्यापार करारों (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार, जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्त्ता है, पर जनवरी, 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सार्क के सभी सदस्य देश अर्थात् भारत, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं और यह करार 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा। इन सभी करारों के पाठ विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर उपलब्ध हैं।

भारत-श्रीलंका एफ टी ए पर दिसम्बर, 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह मार्च, 2000 से लागू हुआ था। भारत-श्रीलंका एफ टी ए में टैरिफ को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करके मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की अपेक्षा की गई। इस एफटीए के अंतर्गत नकारात्मक सूची में शामिल 429 मदों और 15 मिलियन अमरीकी डालर के चाय संबंधी टैरिफ दर कोटे तथा परिधानों के 8 मिलियन नगों को छोड़कर भारत 18 मार्च, 2003 को शुल्क घटाकर शून्य करने की अपनी वचनबद्धता पूरी कर चुका है। दूसरी ओर श्रीलंका 1180 टैरिफ लाइनों की नकारात्मक सूची को छोड़कर शून्य प्रतिशत शुल्क की अपनी वचनबद्धता वर्ष 2008 में पूरी करेगा। भारत-श्रीलंका एफ टी ए पर हस्ताक्षर होने के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) निम्नलिखित विवरण से यह पता चलता है कि वर्ष 2000-01 से एफ टी ए के लागू होने के बाद की अवधि के दौरान श्रीलंका के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है:

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1999-2000	499.27	44.23	543.50
2000-01	629.46	44.77	674.23
2001-02	630.89	67.38	698.27
2002-03	920.98	90.83	1011.81
2003-04	1320.39	194.45	1514.84
2004-05	1353.75	364.25	1718.00
2005-06 (अप्रैल-अगस्त)	795.83	191.41	987.24

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

(ग) (1) भारत-श्रीलंका एफ टी ए से काली मिर्च का घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि श्रीलंका से हुआ आयात भारत में काली मिर्च के कुल उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत रहा है।

(2) भारत-श्रीलंका एफ टी ए में प्राकृतिक रबड़ के सभी स्वरूपों को भारत की नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीलंका से भारत में हुए आयातों को प्रदत्त शुल्क रियायतें प्राकृतिक रबड़ के मामले में लागू नहीं होती है। अत: इस करार से प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतें प्रभावित नहीं हुई हैं।

(3) निर्जलित नारियल/कोपरा भी भारत की नकारात्मक सूची में है और इस प्रकार श्रीलंका से भारत में होने वाला निर्जलित नारियल के आयातों पर शुल्क रियायतें प्रदान नहीं की गई हैं। अत: इस करार से निर्जलित नारियल/कोपरा की घरेलू कीमतें भी प्रभावित नहीं हुई हैं।

(4) भारत-श्रीलंका एफ टी ए के अंतर्गत श्रीलंका से प्रतिवर्ष 15 मिलियन किग्रा. तक चाय का आयात करने का प्रावधान है। इस करार के अंतर्गत वास्तव में आयात की गई चाय की मात्रा एक वर्ष में 0.61 मिलियन किग्रा. से अधिक नहीं रही थी और इसलिए चाय की घरेलू कीमतें प्रभावित नहीं हुई हैं।

(5) जहां तक कॉफी का संबंध है श्रीलंका कॉफी का मामूली उत्पादन करने वाले देश है। पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान भारत में कॉफी का कोई आयात नहीं किया गया था और इस प्रकार इससे घरेलू कीमतें प्रभावित नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नर्मदा नदी में जल-परिवहन के संबंध में अध्ययन

3077. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी में जल-परिवहन की संभावनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसियों द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई कब तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स हसनकोनिंग (रोयल डच कंसलटिंग इंजीनीयर्स एण्ड आर्किटैक्ट निजमेगन) और मैसर्स कंसलटिंग इंजीनीयरिंग सर्विसिज, नई दिल्ली ने होशंगाबाद से समुद्र (खम्बात की खाड़ी) तक नर्मदा नदी पर नौचालन के बारे में चरण-1 की व्यवहार्यता का अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट, अगस्त, 1985 में प्रस्तुत कर दी थी। उपर्युक्त परामर्शदाताओं ने चरण-2 में उर्युक्त नदी के कठिन खण्डों को समाहित करके, संपूर्ण व्यवहार्यता का अध्ययन और चरण-2 में वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण पूरा किए जाने की सिफारिश की। फिर भी, इन दो चरणों अर्थात् चरण-2 और 3 का अध्ययन नहीं किया गया। चूंकि, उपर्युक्त विषयक अध्ययन अधूरा था, इस बारे में सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी।

लघु उद्यमियों को पुरस्कार

3078. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों/उद्यमियों हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय पुरस्कार योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में कई लघु उद्योगों/उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) केन्द्र सरकार लघु उद्योगों के लिए तीन योजनाएं परिचालित कर रही है, अर्थात लघु उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार, लघु उद्योगों में अनुसंधान और विकास के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा गुणवत्ता उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

(ख) हां, हां।

(ग) लघु उद्योगों/उद्यमियों को अक्तूबर, 2005 में वर्ष 2003 के लिए 42 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिनका राज्य-वार ब्योरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लघु उद्यमियों को पुरस्कारों की संख्या	लघु उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों के लिए पुरस्कारों की संख्या	गुणवत्ता उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	–	1
2.	असम	1	–	–
3.	छत्तीसगढ़	1	–	–
4.	दिल्ली	1	–	1
5.	गुजरात	4	1	5
6.	हरियाणा	1	–	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1	–	1
8.	जम्मू-कश्मीर	1	–	–
9.	झारखंड	1	–	–
10.	कर्नाटक	1	–	–
11.	केरल	1	–	–
12.	मध्य प्रदेश	1	–	1
13.	महाराष्ट्र	1	–	1
14.	उड़ीसा	1	–	–
15.	पंजाब	1	–	2
16.	राजस्थान	1	–	1
17.	तमिलनाडु	2	–	–
18.	पश्चिम बंगाल	2	1	–
19.	उत्तर प्रदेश	1	1	–
	कुल	24	3	15

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा व्यापक ब्याज राज सहायता योजना

3079. श्री सुग्रीव सिंह: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम के संस्थागत वित्त-पोषण के लिए व्यापक ब्याज राजसहायता योजना के अन्तर्गत ब्याज राजसहायता अनुज्ञेय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान ब्याज राजसहायता संबंधी पात्रता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऐसी विभिन्न संस्थाओं को अतिरिक्त ब्याज राजसहायता दी गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा ब्याज राजसहायता योजना के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना के तहत, बैंकों द्वारा खादी तथा पोलीवस्त्र उत्पादों का उत्पादन करने वाले पंजीकृत संस्थानों को पूंजी व्यय तथा कार्यशील पूंजी की आकलित आवश्यकता के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक के वास्तविक ब्याज दर और 4 प्रतिशत के बीच के अंतर की राशि का केंद्र सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से लेंडिंग बैंक को भुगतान किया जाता है। 1 अप्रैल 1995 से पहले स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों को आईएसईसी योजना के तहत सहायता उपलब्ध थी। इसके बाद स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों की सहायता ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत की जाती थी।

(ग) खादी तथा ग्रामीण उद्योग संस्थानों/इकाइयों को ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई अन्य योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

3080. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने स्वर्णिम चतुर्भुज की गति को तेज करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) चालू परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं संबंधी समस्याओं के निराकरण और केंद्र-राज्य तथा अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) समिति की मुख्य सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अंतर-विभागीय समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृतियों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अपनी कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, सड़क उपरि पुलों की शीघ्र स्वीकृतियों के लिए रेल मंत्रालय से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय सहमत हो गया है, विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक फार्मेटों पर अधिसूचनाएं जारी करने के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को शक्तियां प्रदान करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

निर्यात विकास निधि

3081. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात विकास निधि की स्थिति क्या है तथा देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या उपलब्धियां अर्जित की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाओं से लगे देशों के साथ किए गए निर्यात-आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) ने कोई विनिर्दिष्ट अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पुरानी स्टिल-वेल रोड को पुन: खोलने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यातों के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से राज्यों को निर्यात अवसंरचना तथा संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम के अंतर्गत एक निर्यात विकास निधि (ई डी एफ) की स्थापना की गई है। अब तक 41 निर्यातोन्मुक परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए निर्यात विकास निधि के अंतर्गत 29.66 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के सीमावर्ती देशों के साथ व्यापार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

देश का नाम	वर्ष-वार सकल निर्यात (करोड़ रुपए)*			वर्ष-वार सकल आयात (करोड़ रुपए)*		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
बंगलादेश	5691.28	7998.97	7218.52	300.29	356.70	266.24
म्यांमार	363.31	411.92	493.01	1626.28	1879.40	1790.72
चीन	9560.39	13579.05	24015.34	13512.15	18625.13	30413.79

(*स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(ग) और (घ) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास और निर्यात संभावना के संबंध में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा एक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट का यह निष्कर्ष है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से व्यापार संवर्धन के लिए काफी संभावना है। अध्ययन में निर्यातों की वृद्धि की संभावना वाली व्यापार मदों विशेष तौर पर बागवानी, बागान फसलें और रेशम उत्पादन के संबंध में उत्पादन प्रोन्नत करने के लिए उद्यमों की स्थापना करने की सिफारिश की गई है। अध्ययन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नदीय मार्गों की पुर्नस्थापना तथा रेल और सड़क परिवहन प्रणाली के विकास की भी सिफारिश की गई है। निर्यातोन्मुख परियोजनाओं/कार्यकलापों को शुरू करने के लिए ई डी एफ के अंतर्गत दी जाने वाली निधियों के अतिरिक्त व्यापार का संवर्धन के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास हेतु ए एस आई डी ई स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) पुरानी स्टिल-वैल सड़क को दोबारा खोलने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आधारभूत (बेसिक) विज्ञान शिक्षा

3082. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आधारभूत (बेसिक) विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) विद्यमान विश्वविद्यालय प्रणाली में बुनियादी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक कार्यबल गठित किया गया था। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान वैज्ञानिकों के 1000 पद सृजित करने, भारतीय विश्वविद्यालयों से पी.एच.डी. करने वालों की संख्या में पांच गुना वृद्धि करने और डाक्टोरल अनुसंधान इत्यादि करने के लिए बुनियादी विज्ञान में अध्येतावृत्ति के प्रावधान शामिल हैं। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रिम कार्रवाई हेतु दे दी गई है।

प्रचालन अवधि समाप्त कर चुका जलपोत

3083. डा. पी.पी. कोया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप प्रशासन के लिए द्वीपों तथा मुख्यभूमि के बीच यात्रियों को लाने ले जाने के लिए भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा एम वी टीपू सुल्तान नामक यात्री जलपोत प्रचालित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस जलपोत की सामान्य प्रचालन अवधि समाप्त हो चुकी है तथा पुन: प्रचालन (रिफिटमेंट) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद यह प्रचालन में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान इस जलपोत की कितनी बार बड़े एवं छोटे पैमाने पर मरम्मत की गई जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित यात्रा रद्द हुई; और

(च) उक्त अवधि के दौरान जलपोत कितने दिन मरम्मताधीन रहा तथा कितने दिन यात्री सेवा के लिए उपलब्ध रहा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) यूनान में सन् 1982 में बनाया गया, 658 यात्रियों की क्षमता से युक्त एम वी टीपू सुल्तान सभी मौसम में चलने वाला जलयान है उसमें बदलाव करके उसे 23.09.1998 को फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त जलयान, वर्ष, 1982 में यूनान में एक जलयान वाहक के रूप में बनाया गया। उपर्युक्त जलयान भारत-सरकार द्वारा वर्ष, 1988 में खरीदा गया और उसमें उपयुक्त बदलाव करके तथा यात्रियों को बैठाने की जगह बनाने हेतु उसकी बनावट को फिर से दुरूस्त करके, उसे लक्षद्वीप संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासन द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया और सितम्बर, 1988 में उसे फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा। इस जलयान ने अपनी आर्थिक आयु की सेवाएं पहले ही पूरी कर ली हैं और तद्नुसार उपर्युक्त जलयान को वर्ष 2003-2004 तक अनुपयोगी ठहरा कर इसका इस्तेमाल बन्द कर दिया जाना था। फिर भी, लक्षद्वीप-संघ-राज्य क्षेत्र-प्रशासन, उपयुक्त जलयान नहीं मिल पाने के कारण, उसका इस्तेमाल करना बन्द नहीं कर सका। इस समय, उपर्युक्त जलयान, वार्षिक रूप से मरम्मत और प्रत्येक वर्ष रख-रखाव करके चलाया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त जलयान की वार्षिक ड्राई डाकिंग-मरम्मत की समय-सारणी (अनुसूची) के अनुसार, वर्ष 2003-2004 और वर्ष 2004-2005 के दौरान मरम्मत की गई तथा वर्ष, 2005-2006 के दौरान आज की तारीख तक उसकी (उपर्युक्त जलयान की) दो बार मरम्मत की जा चुकी है।

(च) वर्ष 2003-2004 के दौरान, उपर्युक्त जलयान को 101 दिनों के लिए ड्राई डाक में रखा गया और वह 264 दिनों हेतु सेवा के लिए उपलब्ध हुआ, जबकि वर्ष 2004-2005 के दौरान वह 85 दिनों के लिए मरम्मत हेतु ड्राई डाक में रखा गया तथा 288 दिनों के लिए सेवा हेतु उपलब्ध हुआ। वर्ष 2005-2006 के दौरान, आज की तारीख तक उपर्युक्त जलयान 168 दिनों के लिए मरम्मत हेतु ड्राई डाक में रखा गया और केवल 82 दिनों के लिए ही सेवा हेतु उपलब्ध हुआ।

बालिकाओं को शिक्षा

3084. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी ई जी ई एल) नामक एक नया कार्यक्रम अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो एन पी ई जी ई एल के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार यह योजना कितने ब्लाकों में क्रियान्वित की गई है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिला साक्षरता के संबंध में व्यापक प्रगति रिपोर्ट मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) भारत सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की मौजूदा योजना के तहत जुलाई, 2003 में प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पात्र राज्यों को अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता और शामिल किए गए ब्लाकों को दर्शाने वाला एक ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केंद्र सरकार प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की प्रगति का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के घटक प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा दी गई निधियों तथा शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या	भारत सरकार द्वारा दी गई निधियां (2003-04 से (2005-06 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	570	5305.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	9.00
3.	बिहार	469	3607.54
4.	छत्तीसगढ़	99	2494.52
5.	गुजरात	91	1761.72
6.	हरियाणा	27	413.65
7.	हिमाचल प्रदेश	7	91.82
8.	जम्मू-कश्मीर	104	673.54
9.	झारखंड	193	2222.41
10.	कर्नाटक	58	1196.30
11.	मध्य प्रदेश	284	14763.75
12.	महाराष्ट्र	49	1125.25
13.	मेघालय	1	10.67
14.	मिजोरम	1	3.74
15.	उड़ीसा	142	3951.13
16.	पंजाब	12	61.53
17.	राजस्थान	180	2408.45
18.	तमिलनाडु	29	917.99
19.	त्रिपुरा	2	5.69
20.	उत्तर प्रदेश	746	10592.00
21.	उत्तरांचल	36	728.38
22.	पश्चिम बंगाल	57	1181.59
	कुल	3164	53526.11

वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार

3085. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी उपशमन के लिए कोई योजना/कार्यक्रम बनाया है तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं में सड़कों को जोड़ा जाना, पुलों का निर्माण, पेयजल, कृषि भूमि को जोतना तथा जल संसाधन कार्य शामिल है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें इन गांवों में विद्युत का प्रावधान किया जाना भी शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो इन लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने गरीबी उपशमन और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के प्रावधान के लिए कोई स्कीम/कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

तथापि, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक रोजगार मूलक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम में शहरी गरीबी बेरोजगारों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को, प्रथमत: नौवीं कक्षा तक पढ़े-लिखों को स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहन के जरिए और द्वितीयत: सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं तथा व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कीम के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30% से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों को भी कम से कम स्थानीय आबादी में उनके अनुपात के बराबर लाभ अवश्य मिलना चाहिए।

बड़े पत्तनों को रेल-मार्ग से जोड़ा जाना

3086. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य की आवश्यकताओं के आकलन के लिए बड़े पत्तनों को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यमान यातायात तथा आने वाले वर्षों में परियोजना वृद्धि के बारे में क्या आकलन है;

(घ) चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या पत्तनों को अधिक रेलमार्गों से जोड़ने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इन पत्तनों के विकास के लिए इन पत्तनों तक वस्तुओं के परिवहन को भी सुधारने के लिए, पत्तनों के लिए रेलमार्ग लिंक सुधारने के लिए क्या उपाय क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने महापत्तनों के रेल और सड़क से संपर्क से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए योजना-आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है। सचिव (पोत-परिवहन), सचिव (सड़क-परिवहन और राजमार्ग), सचिव (पर्यावरण और वन) तथा सदस्य (यातायात), रेल-बोर्ड, उपर्युक्त समिति के सदस्य हैं। उपर्युक्त समिति को सभी महापत्तनों के मौजूदा रेल और सड़क से संपर्क से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा करने और मौजूदा यातायात तथा भविष्य में उसमें संभावित वृद्धि के मद्देनजर अपनी सिफारिशें करने का अधिदेश दिया गया है उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

3087. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में विकास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की परियोजना-वार, राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भविष्य में विकास के लिए कोई संदर्शी-योजना तथा दृष्टिकोण-पत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए ध्यान केन्द्रित करने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है एवं क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन (पूल) एन एल सी पी आर) से विकास परियोजनाएं स्वीकृत करता है। इस स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में 30.11.2005 तक प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	2002-03 से 30.11.2005 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	11	1	3	10	25
असम	8	10	43	22	83
मणिपुर	15	0	19	1	35
मेघालय	6	1	3	4	14

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	5	11	0	1	17
नागालैंड	6	6	2	4	18
सिक्किम	5	3	13	0	21
त्रिपुरा	3	0	4	4	11
कुल	59	32	87	46	224

पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) भी असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करती है। एन ई सी स्कीमों के संबंध में ब्यौरे एन ई सी सचिवालय, शिलांग से एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए एन एल सी पी आर के तहत स्वीकृत की गई परियोजना-वार राशि विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) एन ई सी को विजन एन ई आर-2020 नामक परिदृश्य योजना तैयार करने की अधिदेश है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अंतिम विजन दस्तावेज को 2006-07 की प्रथम तिमाही में अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) ये परियोजनाएं आम तौर से राज्य सरकार द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। सम्बन्धित राज्य के योजना और विकास विभाग को इन परियोजनाओं की मौके पर जांच करने का कार्य सौंपा गया है। प्रत्येक नई परियोजना के लिए राज्य को एक नोडल अधिकारी की पहचान करनी होती है। वह समय पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होता है। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव को प्रत्येक परियोजना की तिमाही समीक्षा करने और तिमाही समीक्षा की कार्रवाई भेजने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ प्रत्येक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अलावा मंत्रालय के अधिकारी भी इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय कुछ चुनी हुई परियोजनाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भी विशेष लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षा करवाने जैसे उपाय भी करता है जिससे कि सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा उनके द्वारा पहचान की गई एजेन्सियों द्वारा इनका उपयुक्त कार्यान्वयन किया जाता है। कुछ मामलों में स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन का बाह्य मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

2002-03 से 30.11.2005 तक एन एल सी पी आर के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	अरुणाचल पाली विद्या पीठ चौखम का निर्माण चरण-1	0.59
2.	लोअर सुबान सिरी जिले के तहत क्ले नदी का क्षरण रोधी कार्य	7.31
3.	दिबांग जिले में ओल्ड अबाली गांव अबा नदी बेसन का उपचार	2.98
4.	उप संचारण एवं वितरण-संग्राम 2×1 एमवीए सब स्टेशन	0.55

1	2	3
5.	उप संचारण एवं वितरण-बोमिडल पर 2×5 एम वी ए सब स्टेशन	1.72
6.	उप संचारण एवं वितरण-ओल्ड जिरो पर 2×5 एम वी ए सब स्टेशन	2.64
7.	उप संचारण एवं वितरण-33 केवी डी सी लाइन गेकु अलांग पासीघाट	16.53
8.	उप संचारण एवं वितरण-33 के वी एक्सप्रैस लाइन तागों से ओल्ड जीरो	0.68
9.	झांग से सुलुगुथी तक पोर्टन ट्रैक का सुधार और ठीक-ठाक करना (95 किमी)	2.55
10.	दोपाजियो जल आपूर्ति स्कीम	3.97
11.	नाहारलगत जल आपूर्ति स्कीम	11.73
12.	नुरंग से मागों तक पोर्टर ट्रैक का निर्माण	2.59
13.	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चोखम के शैक्षणिक खंड का निर्माण, चरण-2	0.81
14.	हवाई से किबित तक 11 केवी संचारण लाईन का निर्माण	2.34
15.	बामडिला नगर जल आपूर्ति परियोजना	16.59
16.	अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में जे एन कालेज में 200 लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	5.15
17.	रामकृष्ण अस्पताल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में नये ओ पी डी ब्लाक का निर्माण	3.88
18.	अलाग में पासीघाट 132 के वी एस/सी संचारण लाईन	29.02
19.	दिपुलामगु पुल से पिपु तक (14 कि.मी.) सड़क का निर्माण	3.03
20.	बोमेग से लाडा तक सड़क का निर्माण (70 कि.मी.)	6
21.	टगरी से मागो तक पोर्टर का सुधार	2.58
22.	मोचल सर्किल मुख्यालय को जोड़ने के लिए लोहित नदी पर मोटर लायक संस्पेशन पुल का निर्माण	9.66
23.	टूटिंग के पास कोडक पर सियाग नदी का स्टील संस्पेशन पुल का निर्माण	13.04
24.	लोहु नल्ला से मुक्टो (कं मु) द्वारा गोमकेलिंग तक 15 किमी सड़क का निर्माण	14.13
25.	एन एच-52क निर्जुली से सागली तक (एस एच दोईमुख से टौरू 45 कि.मी.)	15.54
	कुल	175.61

2002-03 से 30.11.2005 तक एन एल सी पी आर के तहत असम के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय पसिर, कोकराझार	5.00
2.	असम मेडिकल कालेज (होप)	20.00

1	2	3
3.	शंकर देव नेत्रालय (उपकरण)	0.82
4.	शंकर देव नेत्रालय (ओटी)	1.53
5.	उत्तरी कछार जिले में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण और मौजूदा भवनों के सुधार और नवीकरण सहित 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल को 200 बिस्तर के अस्पताल में बदलना	11.20
6.	असम के बी टी सी क्षेत्र में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	41.91
7.	कोकराझार में आर एन बी सिविल अस्पताल का नवीकरण/पुनर्निर्माण	7.43
8.	अम्गुरी आर्मे नाला बंद करने सहित दिजमोरे से सोनारी गांव तक ब्रह्मपुत्र डाईक बनाना और सुदृढ़ करना	11.51
9.	असम में बोर्जन संयुक्त सिंचाई स्कीम	22.29
10.	चम्पामती सिंचाई परियोजना	43.85
11.	सुकला सिंचाई परियोजना	8.13
12.	दिफु कार्बी-अंगलांग जिले में दिफुरेबल परिसर	5.01
13.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए गुवाहाटी में बहुउद्देशीय इनडोर हाल सहित मुख्य खेल स्टेडियम परिसर का निर्माण	75.10
14.	बी टी पी एस अगिया सोरूसजई पावर लाइन	28.38
15.	बालीपाड़ा औद्योगिक विकास केन्द्र सोनितपुर तक पावर लाइन	8.73
16.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय के समीप लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जालुकबारी तक सड़कों पर रोशन की व्यवस्था करना	2.39
17.	जगुन खारसंग रोड (11 कि.मी.)	3.04
18.	हाटीगांव बेटापाड़ा पर आर सी सी पुल 4/1 (एक)	1.54
19.	मदकांटा उत्तरी गुवाहाटी मार्ग पर आर सी सी पुल (दो)	2.40
20.	हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर आर सी सी पुल	1.73
21.	पुल सं. 2/2 का निर्माण नालबाड़ी जिले में हरिपुर संसारघाट रोड	2.26
22.	पुल सं. 20/1 का निर्माण नालबाड़ी जिले में नालबाड़ी पल्ला रोड	1.44
23.	पहुंच मार्ग के साथ तिनसुकिया जिले में पेंगेरी फिलोबरी रोड पर पुल सं. 4/3 10/2 और 14/1 का निर्माण	2.34
24.	पहुंच मार्ग के साथ दांरग जिले में उदाल गिरी बारबेगरा रोड पर आर सी सी पुल सं. 6/1 का निर्माण	1.04

1	2	3
25.	कामरूप जिले में बगल्ज रोड पर आर सी सी पुल सं. 40/1 का निर्माण	1.29
26.	कार्बी अंगलांग असम में समर अली दास मार्ग पर आर सी सी पुल सं. 26/3 का निर्माण	1.68
27.	कार्बी अंगलांग जिले में बालकुलिया राज पत्थर रोड पर आर सी सी पुल सं. 12/3 का निर्माण	1.74
28.	कार्बी अंगलांग जिले में मंजा से हिदिम टेरेन रोड पर आर सी सी पुल सं. 1/2 का निर्माण	1.78
29.	कार्बी अंगलांग जिले में बार पत्थर बोकार्जन डेथर चोखी होला (बी बी डी सी) पर आर सी सी पुल सं. 24/1 का निर्माण	0.55
30.	कार्बी अंगलांग जिले में सी पी डी एम डी के रोड पर आर सी सी पुल सं. 40/2 का निर्माण	1.32
31.	कछार जिले में सिल्चर कुम्भीग्राम रोड पर आर सी सी पुल सं. 13/1, 14/1, 15/1, 20/3 और 22/1 का निर्माण	5.68
32.	डिब्रुगढ़ जिले में मोरान नाहालकाटिया रोड पर आर सी सी पुल सं. 35/2 और 53/2 का निर्माण	1.14
33.	नालबाड़ी जिले में बंगान जागरा रोड पर आर सी सी पुल सं. 12/1 और 12/2 का निर्माण	1.75
34.	दारंग जिले में मंगल दोई भूटिया चांग रोड पर आर सी सी पुल सं. 8/2, 20/1, 21/1, 23/3, 29/2, 32/1, 36/1 और 40/1 का निर्माण	6.85
35.	जिला जोरहाट में बार्डर रोड पर (गरअली) आर सी सी पुल सं. 3/1, 3/2, 6/3, 6/4, 6/6, 10/5, 12/1, 13/1, 21/2 और 23/2 का निर्माण	3.98
36.	जिला धीमजी में जोनई सिला पत्थर रोड पर आर सी सी पुल सं. 1/1, 2/1 और 2/2 का निर्माण	1.90
37.	कार्बी अंगलाग जिले में डी एल एच एस रोड पर आर सी सी पुल सं. 42/5 और 74/1 का निर्माण	1.43
38.	शिवसागर जिले में ढोडर अली रोड पर आर सी सी पुल. सं. 156/2, 159/1, 163/2, 165/3, 172/2, 174/2, 177/1 और 182/2 का निर्माण	3.53
39.	जिला जोरहाट में मेटनाअली जोरहाट रोड पर आर सी सी पुल सं. 4/2, 9/2, 10/2 और 17/1 का निर्माण	1.43
40.	जिला शिवसागर में नामटी अली रोड पर आर सी सी पुल सं. 1/3, 2/1 और 3/1 का निर्माण	0.90
41.	बारपेटा जिले में सरुयुपेटा भयापारा पर आर सी सी पुल सं. 1/2 और 3/1 का निर्माण	1.77

1	2	3
42.	भांगागढ़ का सुधार राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए भारालमुख वी आई पी रोड	9.83
43.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए हटीगांव बारपेटा रोड के बीच सड़क सुधार	4.56
44.	नालाबाड़ी जिले में पहुंच मार्ग के सात आर सी सी पुल सं. 16/1, 19/1 और 19/3 का निर्माण	4.05
45.	कोकराझार जिले में पहुंच मार्ग के सात कोकराझार मोना कोचा रोड पर गोरंग नदी पर आर सी सी पुल सं. 2/1 का निर्माण	9.91
46.	छुबरी जिले में पहुंच मार्ग के साथ फकीरग्राम सप्तग्राम रोड पर आर सी सी पुल सं. 1/1, 4/1, 8/1 और 9/2 का निर्माण	5.15
47.	उत्तरी लखीमपुर कमलाबाडी रोड पर आर सी सी पुल सं. 4/1, 6/1 और 14/1 का निर्माण	4.55
48.	मोरी गांब जिले में बोरभोगिया मिकीभाटा रोड पर आर सी सी पुल सं. 9/2 का निर्माण	2.39
49.	शिवसागर (असम) जिले में पहुंच मार्ग के साथ माऊंट सेपोन सनपुरा रोड पर आर सी सी पुल सं. 17/4, 19/4, 20/2 और 26/1 का निर्माण	3.78
50.	सोनित पुर (असम जिले में पहुंच मार्ग के साथ इटाखोला पवई रोड पर आर सी सी पुल सं. 2/3, 5/1, 9/1, 11/1, 15/3, 16/1, 18/1 और 19/4 का निर्माण	8.75
51.	सोनितपुर जिले में चारियाली पवई रोड पर पहुंच मार्ग के सुरक्षा कार्य और सब-वे के साथ आर सी सी पुल सं. 6/1 का निर्माण	0.89
52.	सोनितपुर जिले में चारदुवार रोड पर पहुंच मार्ग के साथ मानसिरी नदी पर आर सी सी पुल सं. 3/2 का निर्माण	1.66
53.	विद्यमान मेटल्ड सर्फेस सहित धमदमा तुपालिया सुबरखाटा (डी टी एस) रोड (मेटलिंग और ब्लैक टापिंग शेष भाग का) का सुधार	5.89
54.	बी टी सी ए डी के विशेष पैकेज के तहत एस पी टी पुलों को आर सी सी लघु पुलों में बदलने सहित मेटलिंग और ब्लैक टापिंग द्वारा कोरबाहा नागर्जुली रोड का सुधार	5.71
55.	नाराबारी डाफीबारी रोड (नाराबारी से फ्लोरीकन गार्डन द्वारा मालागांव) की मेटलिंग और ब्लैक टापिंग	15.95

1	2	3
56.	उत्तर डगटोल रोड का सुधार	5.98
57.	कोकराझार में भोरागुरी कछुगांव रोड का सुधार	23.91
58.	काशीकोटग से बासुगांव रोड का सुधार और उन्नयन	5.56
59.	सुन्दरी विद्यापुर द्वारा काकरागांव रोड का सुधार	9.31
60.	विद्यमान हार्डक्रस्ट में सुधार और एस टी पी पुलों को आर सी सी पुलों में बदलने सहित गोसाईगांव से सराई बिल रोड कामेटलिंग और ब्लैक टापिंग	20.82
61.	एस टी पी पुलों को आर सी सी पुलों में बदलने सहित फकीरग्राम सेरफंगुरी रोड को चौड़ा करना और मजबूत बनाना	20.64
62.	उत्तर काजोल गांव बेंगटोल सोनितपुर रोड चिंरग का सुधार	8.10
63.	रा रा-31 सेबाराम से भासालपुर बस्का तक सड़क का निर्माण	10.86
64.	जाला रूपाही सोदारभिता गोबर धाना रोड बस्का सुधार	10.00
65.	उदालगिरी भक्तपारा रोड वाया बायरागुड़ी उदालगुडी का सुधार	4.44
66.	बमगांग पाकरीबाड़ी रोड उदालगुडी का सुधार	1.50
67.	कालिया गांग कुन्दरबिल रोड उदालगुडी का सुधार	1.32
68.	गोरश्वर से खोईराबाड़ी रोड	6.57
69.	भेरगांव चोनी खागरबाड़ी दिमाकुची रोड	1.32
70.	लेलांगपाड़ा कोपाटी रोड (द्वारा बोरो बाजार)	1.32
71.	खोरंग महानपुर रोड	2.50
72.	छपगुरी खागराबाड़ा रोड	6.30
73.	तुलसी जयोरा केलामेटा रोड वाया अम्गुरी	9.00
74.	बिजनी पन्वरी रोड	15.58
75.	गोसाईगांव से काजी गांव द्वारा मक्का टिपकई रोड	11.00
76.	ग्रेटर सिल्चर जल आपूर्ति स्कीम	12.30
77.	हाफलांग जल आपूर्ति स्कीम	1.42
78.	सिल्चर जल आपूर्ति स्कीम को स्टेबल बनाना	3.86
79.	कोकराझार जल आपूर्ति स्कीम	24.02
80.	सुबानखाटा जल आपूर्ति स्कीम	3.64
81.	बहुमंजिला सचिवालय भवन का निर्माण	69.00

1	2	3
82.	कामाख्या मंदिर विकास	4.89
83.	बोडो का सांस्कृतिक परिसर कोकराझार का निर्माण	10.00
	कुल	736.02

2002-03 से 30.11.2005 तक एन एल सी पी आर के तहत मणिपुर के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	राजकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण	10.00
2.	मणिपुर विश्वविद्यालय की अवस्थापना विकास चरण-2	3.88
3.	रेगकई राजकीय उच्च विद्यालय रेगकई चूड़ाचन्द्र पुर का निर्माण	0.60
4.	थोरुबल जिला अस्पताल का निर्माण	1.86
5.	सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरणों में वृद्धि	8.27
6.	तोसेम में 33 के वी सब स्टेशन का निर्माण	2.54
7.	नोनी में 33/11 के वी सब स्टेशन का निर्माण	3.82
8.	तमई में 33/11 के वी सब स्टेशन का निर्माण	2.91
9.	मारम (सेनापति जिला) में 33/11 केवी, 2×5 एम वी ए का निर्माण	2.81
10.	सिघाट में 33/11 केवी, 2×5 एम वी ए सब-स्टेशन का निर्माण	4.10
11.	रेगंपांग (जिला तेमलांग) में 132/33 के वी सब-स्टेशन की स्थापना	6.44
12.	एस टी और डी शिवापुरी खान में 2×1 एम वी ए सब-स्टेशन	1.32
13.	एस टी और डी मांगसगई से खुमान लम्पक वाया कोगपा तक 33 के वी डी सी लाईन	4.52
14.	धनिया में उप स्टेशन की स्थापना	5.44
15.	थिनक्यू में उप स्टेशन की स्थापना	3.15
16.	नामोर में उप स्टेशन की स्थापना	3.75
17.	लाखामाई में उप स्टेशन की स्थापना	2.87
18.	सिंजमई पुल का निर्माण	3.69
19.	चन्देल मुख्यालय और आस-पड़ौस की जल आपूर्ति में वृद्धि	5.64

1	2	3
20.	चूड़ा चन्द्रपुर शहर के लिए खुगाडैम (खुगा नदी स्रोत) से जल आपूर्ति में वृद्धि जोन-3	8.15
21.	कोईट और लोकिया से चूडाचन्दरपुर को जल आपूर्ति में वृद्धि जोन-1	14.17
22.	ऊखरूल जिला मुख्यालय के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	5.29
23.	सेनापति जिला मुख्यालय के लिए संयुक्त जल आपूर्ति	4.68
24.	तामेनलांग जिला मुख्यालय के लिए संयुक्त जल आपूर्ति	4.70
25.	बुगंमुआल से लानवा नदी स्रोत पर विद्यमान उपचार संयंत्र का उन्नयन	1.08
26.	माओ में जल आपूर्ति संवर्धन	5.65
27.	मारम में जल आपूर्ति संवर्धन	3.06
28.	नोनी में जल आपूर्ति संवर्धन	1.42
29.	तडुबी में जल आपूर्ति संवर्धन	4.30
30.	कांगपोपकी में जल आपूर्ति संवर्धन	2.12
31.	साईकुल में जल आपूर्ति संवर्धन	1.68
32.	वेथुपाल जल आपूर्ति स्कीम	59.71
33.	तमई में जल आपूर्ति में वृद्धि	1.00
34.	खोउपम में जल आपूर्ति में वृद्धि	1.49
35.	चफपकीरांग में जल आपूर्ति में वृद्धि	1.15
	कुल	197.26

2002-03 से 31.11.05 तक एल एल सी पी आर के तहत मेघालय के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	उप संचारण और वितरण लाइन-मेघालय में विद्युत वितरण के लिए मास्टर प्लान	24.00
2.	उप संचारण और वितरण लाइन-टी और डी स्कीम खलीहत में ट्रांसफारमर चालू करना	1.64
3.	उप संचारण और वितरण लाइन-टी और डी स्कीम एन ई एच यू में ट्रांसफारमर चालू करना	2.00

1	2	3
4.	जवई जल आपूर्ति परियोजना	15.41
5.	तुरा चरण-3 जल आपूर्ति स्कीम	21.58
6.	मोफियांग में मार्किट का उन्नयन	1.90
7.	सकसजई से बिर्नीहाट तक 132 केवी डी/सी लाइन का निर्माण	9.78
8.	स्कूल भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कंप्यूटर कक्षाओं के निर्माण के लिए आर के मिशन चेरापूंजी की अतिरिक्त आवश्यकता	2.00
9.	खलीरिहयत से बदरपुर तक लिलो के साथ लमशंग में 132/33 के वी एस/एस का निर्माण	4.63
10.	खलीरिहयता एस/एस (पीजीसीआईएल) और खलीरिहयत (एम ई एस ई बी) को जोड़ने के लिए 132 के वी एस/सी लाइन का निर्माण	2.52
11.	मासीनरम सीमा क्षेत्र कालेज की अवस्थापना अपेक्षाएं	2.86
12.	थामस जोन्स सिनोद कालेज जबई की भवन अवस्थापना अपेक्षाएं	3.37
13.	मेघालय में माफलांग बलातरोड पर पहुंच मार्ग सहित 10 पुलों का निर्माण	9.01
14.	डबल लेन का उन्नयन और डखिया-साइपंग-मोल्से रोड (9 से 16 के), मेघालय को सुदृढ़ करना	4.46
	कुल	105.16

2002-03 से 30.11.2005 तक एन एल सी पी आर के तहत मिजोरम के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	बहिरंग रोगी विभाग ब्लाक, सिविल अस्पताल, आईजोल का निर्माण	3.71
2.	सिविल अस्पताल, आईजोल में छः बिस्तर वाला आई सी य	1.42
3.	थर्मल पावरप्लांट, बैराबी से विद्युत लेना	4.56
4.	उप संचारण और वितरण लाइन-लुगलेई शहर	8.30
5.	33 के वी डी/सी सेरलुई 'बी' कोलासिन स्विचयार्ड ऐट सेरलुई	3.15
6.	बांस प्लांटिशन तकलिंक रोड का निर्माण-प्लाट सं. ए डब्ल्यू सेरजाल साइफल/सेतला 18 कि.मी.	5.82
7.	बंकान से ह्रुतलैंड रोड को चौड़ा करना और उसका सुधार	6.81
8.	बांस प्लांटिशन तक लिंक रोड का निर्माण-प्लाट सं. बी दुर लुई सेरम और दुरलई मुआखंग	6.17

1	2	3
9.	चांगेट नदी पर पुल (पी से सी) (लाई और चकमा एडीसी)	2.55
10.	दिलतलांग से चांग्ते सड़क पर चांग्तेलुई नदी पर पुल (एल ए आई ए डी सी)	2.03
11.	वानवा नदी के ऊपर हावलंग-भुआलपुई छिफिर रोड पर पुल	1.46
12.	तुईपंग-जांलिग छेहलु रोड (मारा ए डी सी पर तुलिंग नदी पर पुल)	1.14
13.	चांगटे-बोरापौसुरी रोड चकमा स्वायत्त जिला परिषद के साथ	10.46
14.	लंगरियन-मामटे रोड द्वारा वार्टेक काई लाई एडीसी में	26.65
15.	मिजोरम विश्वविद्यालय का अवस्थापना विकास (अतिरिक्त)	23.26
16.	ग्रंटर ममिट जल आपूर्ति स्कीम	5.77
17.	राज्य राजधानी परियोजना आईजोल	5.18
	कुल	118.44

2002-03 से 30.11.05 तक एन एल सी पी आर के तहत नागालैंड के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	मोकाकचुंग में खेल हाल का निर्माण	1.94
2.	दीमापुर गनेश नगर रोड	12.12
3.	जिला मुख्यालय मार्ग का सुधार और उन्नयन	20.00
4.	पुराना बाजार एन एचउव बाईपास से कोहिमा बोकाजान (एन ई सी)-72 कि.मी. (लंबाई-22 कि.मी.) सड़क का निर्माण	22.18
5.	नागालैण्ड के तुएनसांग जिले में सड़कों का सुधार (पी एस घोषणा)	40.72
6.	नागालैण्ड के मोन जिले में सड़कों का सुधार (पी एम घोषणा)	23.74
7.	नागालैण्ड के वोखा जिले में सड़कों का सुधार (पी एम घोषणा)	4.35
8.	तोहोक चेनखाओं-वंगटी (31 कि.मी.)	9.89
9.	तोहोक चेनमुख्यालय-चेनलाइसो-वंगटी (49 कि.मी)	12.20
10.	लंपांग सिंगा से फोमहेंग द्वारा चंगयून ईएसी मुख्यालय (मोन सेमीनार रोड)	8.78
11.	डिकु-चारा रोड पर हैमिलटन पुल को बदलना	1.60

1	2	3
12.	मोकोचुंग में उप-संचारण सिस्टम	6.99
13.	23 मेवा एच एफ ओ थर्मल पावर प्लान दीमापुर (पी एम घोषणा)	32.00
14.	रिंजिट से मोन तक 66 केवीएस/सी संचारण लाइन का निर्माण	12.43
15.	सैनिक स्कूल पुंगलवा	14.07
16.	मोन और छुई ग्रामों के लिए जलापूर्ति स्कीम	3.92
17.	रैफरल अस्पताल दीमापुर का पुनरुद्धार	35.62
18.	जिला अस्पतालों का उन्नयन	14.40
	कुल	276.95

2002-03 से 30.11.05 तक एन एल सी पी आर के तहत सिक्किम के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	सतह सुधार: पेलिंग डेन्टमरोड और बी बी लाल सस्पेंशन पुल	12.51
2.	पूर्वी सिक्किम में रंका बरटक, गंगटोक रोड का उन्नयन	4.20
3.	पूर्वी सिक्किम में नारीपूल-पकयांग रोड (10 कि.मी.) का पथ परिवर्तन	2.37
4.	दक्षिणी सिक्किम में नामची राबोंगला सड़क पर कारपेंटिंग/सतह सुधार, सुरक्षा कार्य और नाली व्यवस्था (26 कि.मी.)	12.07
5.	दक्षिणी सिक्किम में राबोंगला-माखा सड़क पर उन्नयन (26 कि.मी.)	9.94
6.	दक्षिणी सिक्किम में मलबासी मार्ग से सोरंग बडुंग सड़क की कारपेंटिंग/सतह सुधार (10 कि.मी.)	3.39
7.	पश्चिमी सिक्किम में डेन्टम-अखेरोड की कारपेंटिंग/सतह सुधार (10 कि.मी.)	3.99
8.	लाबिंग लैंडस्लाइड कास्लोब स्टैबलाइजेशन (160 मी.) और चांगरंग लैंडस्लाइड (800 मी.)-पश्चिमी जिले में युकसम-लेगशिप रोड	1.28
9.	सिक्किम में पेलिंग-युकसम रोड पर दो सस्पेंशन पुलों को बदलना	3.28
10.	रानीपूल चकयांग रोड का डाइवर्जन	2.37
11.	सैंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर	8.49

1	2	3
12.	मयोंग से चुगथांग तक 66 केवी एस/सी तक संचार लाइन और चुंगथांग में ट्रांसफार्मर बे और मयोंग में फीडर बे का निर्माण	6.84
13.	गंगटोक शहर के संचारण और वितरण नेटवर्क की रिमोडलिंग	22.44
14.	सिक्किम के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में गयालशिंग, पेलिंग और राबोंगला तक व्याप्त 132 केवी प्रणाली का विस्तार	23.03
15.	रोंगली जलापूर्ति को बढ़ाना	1.68
16.	रंगीत से नामची नदी तक पेयजल के लिए बहुस्तरीय पंपिंग	9.01
17.	गंगटोक सीवरेज परियोजना चरण-2 का विस्तार	7.00
18.	अद्यतन विकसित पांगथंग/बोजोघरी टाउनशिप के लिए जलापूर्ति	5.86
19.	गयालशिंग जलापूर्ति स्कीम को बढ़ावा	7.52
20.	ग्रेटर गंगटोक चरण-2 के लिए जलापूर्ति स्कीम को बढ़ावा	24.34
21.	डेचिंग शमशान मैदान का नवीनीकरण/उन्नयन	1.09
	कुल	172.70

2002-03 से 30.11.05 तक एन एल सी पी आर के तहत त्रिपुरा के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1.	त्रिपुरा में अगरतला में राज्य स्तर का पैरामैडिकल संस्थान	14.07
2.	रोखियो में 1×21 मे.वा. गैस थर्मल परियोजना (यूनिट 8)	80.94
3.	एस टी एवं डी-वितरण कार्य	13.99
4.	एस टी एवं डी-मीटरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन	6.79
5.	एस टी एवं डी-प्रणाली सुधार	5.77
6.	धर्मनगर के लिए पेय जलापूर्ति स्कीम	5.49
7.	तेलियमूरा के लिए पेय जलापूर्ति स्कीम	6.21
8.	उत्तरी जिला अस्पताल	9.40
9.	दक्षिणी जिला अस्पताल	9.40
10.	अगरतला में सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पताल परियोजना	77.03
11.	जी.बी. पंत अस्पताल का विकास	11.52
	कुल	240.61

[हिन्दी]

मैरिन इंजीनियरों का गायब होना

3088. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री वीरचन्द्र पासवान:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी पर रहते समय मैरिन इंजीनियर गायब हो जाते हैं, जैसा कि दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उन कंपनियों के नाम पता हैं जिनके मैरिन इंजीनियर गायब हो चुके हैं अथवा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक मौत के शिकार हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय स्तर पर जांच करने के बाद इन शिपिंग कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कदम उठाया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। जैसी कि 20 अक्तूबर, 2005 के द नवभारत टाइम्स समाचार-पत्र में खबर दी गई है, निम्नलिखित समुद्री इंजीनियर, कार्य पर उपस्थित रहते समय लापता/गायब हो गए हैं:

1. श्री आशू मलिक
2. श्री आर. अली जाहदी
3. श्री इन्द्रजीत सिंह
4. श्री हसन जहीर
5. श्री गौतम मलिक।

(ग) और (घ) जी, हां। उन नौवहन कंपनियों के नाम निम्नानुसार हैं, जिनके समुद्री इंजीनियरों के वर्ष 2003 से 2005 की अवधि के दौरान गायब हो जाने की सूचना मिली है अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है:

वर्ष, 2003:

1. भारतीय नौवहन निगम
2. एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट लि., हांग-कांग

वर्ष, 2004:

1. प्रतिभा शिपिंग

वर्ष, 2005:

1. भारतीय नौवहन निगम
2. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी
3. जुपिटर शिप मैनेजमेंट इनकारपोरेटिड, माजुरो, मार्शल आईलैंड्स
4. एम एस सी शिप मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई
5. एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।

(ङ) से (छ) भारतीय जल-सीमा क्षेत्र में किन्हीं ऐसी दुर्घटनाओं के घटित हो जाने की सूचना मिलने पर, नौवहन-महानिदेशालय, मुम्बई, निरपवाद रूप से प्राथमिक जांच की कार्रवाई करता है, जिनमें भारतीय जलयानों को क्षति पहुंची हो। ऐसी जांच के दौरान जब ऐसा प्रतीत हो कि जहाज पर हुई मृत्यु, हिंसा अथवा किसी अन्य नाजायज तरीके से हुई है तो वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 452 के अनुसार दोषी पर मुकदमा चलाए जाने के कदम तुरन्त उठाए जाते हैं। फिर भी, भारतीय समुद्री प्रशासन को ऐसे मामलों में जांच/अंवेषण का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जिनमें मृत्यु, विदेशी जल-सीमा क्षेत्र में और किसी विदेशी पताका से युक्त जलयान पर हुई हो। ऐसे मामलों में भी, जब कभी कर्मीदल के किसी भारतीय मूल के सदस्य के गायब हो जाने अथवा विदेशी जल-सीमा क्षेत्र में किसी विदेशी पताका से युक्त जलयान पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना मिलती है तो ऐसे मामले को हमेशा संबंधित राष्ट्र से उठाया जाता है। भारतीय समुद्री प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय समुद्री प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों/ऐसी नौवहन कंपनियों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिनके समुद्री इंजीनियरों के गायब हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है:

भारतीय नौवहन-निगम

(1) इंजिन-कक्ष के एक पैटी आफिसर के जहाज एम टी हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र से 03.07.2003

को उस समय गायब हो जाने की सूचना मिली, जबकि उपर्युक्त जलयान, भारत के पूर्वी तट पर आर ए वी डी ए आयल फील्ड एन्करिज खड़ा था। शिपिंग मास्टर, कोलकाता द्वारा इस बारे में 07.07.2003 को जांच की गई। कर्मीदल के बयानों और लागबुक की प्रविष्टियों का भली-भांति विश्लेषण कर लेने के पश्चात्, जांच-अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि श्री ए. अरूण कुमार के गायब हो जाने के कारण का पता नहीं लगाया जा सकता।

(2) 27.05.2005 को एम टी बस्वेश्वरा पर बायलर में हुए धमाके के कारण एक थर्ड इंजीनियर की उस समय मत्यु हो गई जबकि उपर्युक्त जलयान नव मंगलूर में था। उपर्युक्त मामले की जांच की रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि उपर्युक्त इंजीनियर की मृत्यु, बायलर की बैक फायरिंग के कारण हुई जो कि खराब रख-रखाव की वजह से हुई। मास्टर, मुख्य इंजीनियर, सैकिंड इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर के खिलाफ, उनके प्रमाण-पत्र को इस्तेमाल नहीं करने देने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। पोत-स्वामियों को यह निदेश दे दिया गया है कि वे उपर्युक्त जलयान के रख-रखाव के उत्तरदायी संबंधित सुपरिंटैंडेंट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दें। यह सिफारिश भी की गई की उपर्युक्त पोत के प्रभारी, संबंधित उप महाप्रबंधक, को चेतावनी-पत्र जारी कर दिया जाए।

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी

एम टी जग लीला पोत पर फोर्थ इंजीनियर द्वारा सैकिंड इंजीनियर की हत्या कर दिए जाने के बारे में, उपर्युक्त पोत के स्वामी, मै. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लि. द्वारा उपर्युक्त निदेशालय के आदेशानुसार उपर्युक्त मामले को जांच के लिए पुलिस के प्राधिकारियों से उठाया गया है। यह सूचना प्राप्त हुई है कि उपर्युक्त फोर्थ इंजीनियर मुम्बई में न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

प्रतिभा शिपिंग

प्रतिभा शिपिंग के पोत एम टी कावेरी पर कार्यरत मुख्य इंजीनियर श्री एम. पटवर्धन के मामले की जांच की रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि श्री एम. पटवर्धन की मृत्यु, जहाज से समुद्र में गिर जाने के कारण उस समय हो गई जब कि वह पर्याप्त सुरक्षोपायों के बिना डैक पर काम कर रहे थे। इस घटना को महत्वपूर्ण बनाकर समुद्री उद्योग को एक वाणिज्यिक नौवहन नोटिस जारी कर दिया गया ताकि नाविकों को जागरूक बनाया जा सके और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हों।

एम एस सी मैनेजमेंट इंडिया प्रा.लि.

प्राप्त सूचना के अनुसार एक समुद्री इंजीनियर, श्री हसन जहीर 12 अक्तूबर, 2005 को उस समय जहाज से समुद्र में कूद गए थे जब कि पनामा की पताका से युक्त जलयान एम एस सी कारमैन मुंबासा की ओर अग्रसर था। भारतीय समुद्री प्रशासन द्वारा संबंधित पताका राष्ट्र के प्राधिकारियों से इस मृत्यु के मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था। पताका राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की गई जांच-रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जहाज पर एक चश्मदीद गवाह था जिसने श्री हसन जहीर को पत्तन की दिशा की तरफ के पिछले डैक (जलयान की बाईं ओर के पिछले भाग) से समुद्र में कूदते देखा था। एम एस सी शिप मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई, भारतीय मानव-शक्ति-प्रबंधन अभिकरण है। उपर्युक्त पताका राष्ट्र-प्राधिकारियों द्वारा श्री हसन जहीर के समुद्र में कूदने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट लि., हांग-कांग

हांग-कांग की पताका से युक्त एम वी फेडरल किवालिना पर 14.02.2003 को एक प्राणघातक दुर्घटना होने की सूचना मिली है, जिसमें श्री राजेश दिगंबर जामनिक, मुख्य इंजीनियर और श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई। हांग-कांग के समुद्री विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस दुर्घटना का सबसे अधिक संभावित कारण, कार्यक्षेत्र में स्थित जहरीली गैस को सूंघ लेना था।

जुपिटर शिप मैनेजमेंट इन्कारपोरेटिड, माजूरो, मार्शल आईलैंड्स

जुपिटर-6 ऊपर उल्लिखित कंपनी का जलयान था। यह जलयान, एम वी पाइंटिंग (मानवरहित) एक्स एम वी सतसंग को अफ्रीका के पश्चिमी तट से खींच कर भारत में अलंग की ओर ले जा रहा था। 5 सितम्बर, 2005 से इस जलयान से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इस जलयान के 35.52.06 दक्षिण 023.25.9 पूर्व स्थिति से गायब हो जाने की सूचना मिली है, जिसमें 10 भारतीय और 3 उक्रेनियन नागरिक हैं। पैलिकन शिपिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा.लि., मुम्बई, जुपिटर-6 के मानव-शक्ति-प्रबंधन अभिकरण है। इस मामले को एम आर सी सी केपटाऊन से उठाया गया था, जिन्होंने यह सूचित किया है कि एम वी सतसंग को एम वी पोसीडान द्वारा बहते हुए देखा गया था। दक्षिण अफ्रीका-सरकार के आदेश पर उसे 7 अक्तूबर, 2005 को स्मित अमांडला के साथ दोबारा जोड़ा गया। इसे खींच कर ले जाने के कार्य को 10 अक्तूबर, 2005 से स्मित अमांडला से हटा कर रूबी डिलीवटर नामक टग को सौंप दिया गया, जो अब 28 नवम्बर, 2005 को विध्वंस कार्य के लिए भारत पहुंचा है। जामनगर के वाणिज्यिक समुद्री विभाग के पर्यवेक्षक ने उस जलयान के कर्मीदल के तथ्यों का पता लगाने से संबंधित

जांच की है, जो कि आखिरकार एम वी सतसंग को खींच कर लाया था। उपर्युक्त जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट प्रा.लि.

पनामा की पताका से युक्त एम वी नार्थ चैलेंज पर कार्यरत, थर्ड आफिसर, श्री नितेश कुमार, 14.10.2005 को उस समय लापता हो गए, जबकि यह जलयान अकाजुटला (अल सल्वाडोर) से सेन फ्रांसिस्को, यू एस ए की ओर जा रहा था। भारतीय समुद्री प्रशासन के अनुरोध पर सेन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की जांच की है। अमरीकी अन्वेषण एजेंसी (होमलैंड सिक्योरिटी) भी 20 अक्तूबर, 2005 को उपर्युक्त जलयान पर गई थी। दोनों प्राधिकरणों से फिलहाल जांच की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आपके सूचनार्थ मैं संक्षेप में गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य की प्रमुख मदों को दुहराना चाहता हूं।

100 तारांकित गृहीत प्रश्नों में से मात्र 13 का मौखिक उत्तर दिया गया, शेष तारांकित प्रश्नों और 1007 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया था।

सभा ने तीन ध्यानाकर्षण संबंधी मामलों पर विचार किया: (एक) डा. चिन्ता मोहन द्वारा उठाया गया "तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से क्षति से उत्पन्न स्थिति" (दो) श्री पी. करूणाकरन द्वारा उठाया गया "कालीमिर्च, इलाइची, सुपारी और अन्य नकदी फसलों के मूल्यों में कमी के कारण इस क्षेत्र में लगे कामगारों के बीच भुखमरी और मृत्यु से उत्पन्न स्थिति" (तीन) बसुदेव आचार्य द्वारा उठाया गया "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा जांच के प्रभारों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति" का मामला।

इस अवधि के दौरान 33 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए गये। नियम 377 के अन्तर्गत 60 मामले भी उठाए गए।

विधायी कार्य के संबंध में, सभा ने प्रिवेंशन आफ इन्सल्ट टु नेशनल हानर (एमेंडमेंट) बिल, 2005 तथा स्टेट इंबलेम आफ इंडिया (प्रोहिबिशन) आफ इम्प्रौपर (यूज) बिल, 2004 पर संयुक्त रूप से चर्चा की। इन्हें पारित करने से पूर्व 1 घंटा और 25 मिनट तक चर्चा हुई।

सभा ने आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 (राज्य सभा द्वारा यथापारित) पर भी 1 घंटा 18 मिनट की चर्चा की, चर्चा अधूरी रही।

सभा ने नियम 193 के अन्तर्गत (एक) विश्व व्यापार संगठन में विशेष रूप से आगामी "हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन छठवें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में भारत की भूमिका पर चर्चा समाप्त होने से पूर्व लगभग 3 घंटे और 09 मिनट तक चर्चा की गई, (दो) 28 नवम्बर, 2005 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा (एक) दिल्ली में 29.10.2005 को बम विस्फोट श्रृंखला, (दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा, (तीन) बिहार में 13.11.2005 को जहानाबाद में नक्सली हमला (चार) दिनांक 11.11.2005 को होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, गिरडीह, झारखण्ड में नक्सली हमला संबंधी वक्तव्य लोक सभा पटल पर रखे गए। चर्चा 5 घंटे और 24 मिनट तक चलकर पूरी हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में 9 विधेयक पुर: स्थापित किए गए और श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तावित देश में प्रत्येक गांव में सभी चिकित्सा सुविधाओं सहित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से संविधान में संशोधन संबंधी संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर 2 घंटे 24 मिनट तक चर्चा हुई और चर्चा अधूरी रही।

इस अवधि के दौरान, 3 प्रतिवेदन, 4 की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन और विभागों संबंधी स्थायी समितियों के विधेयकों के बारे में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

सप्ताह के दौरान कुल 12 घंटे और 43 मिनट में से 11 घंटे और 38 मिनट 5.12.2005 और 6.12.2005 को वोल्कर समिति की रिपोर्ट पर किए गए खुलासे के कारण जबरदस्ती स्थगन और व्यवधान के कारण बर्बाद हुए। सभा ने 1 घंटा और 11 मिनट का अतिरिक्त समय आवश्यक कार्य को करने में किया।

एक बार फिर कार्यवाही के सुचारू संचालन हेतु मैं आपके सहयोग की कामना करता हूं।

अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिडेट, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3169/2005]

(2) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3170/2005]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 544 (अ) जो 29 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोर्मूगाव पत्तन कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 625 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विखाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3171/2005]

(2) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3172/2005]

(3) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3173/2005]

(4) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3174/2005]

(5) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3175/2005]

(6) (एक) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3176/2005]

(7) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3177/2005]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3175/2005]

(ख) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3178/2005]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3179/2005]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3180/2005]

(2) (एक) फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3181/2005]

(3) (एक) सेंटर फार दि डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार दि डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3182/2005]

(4) (एक) सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3183/2005]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3184/2005]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3185/2005]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1117 (अ) जो 10 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1170 (अ) जो 23 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 810 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1171 (अ) जो 23 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 661 (अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1025 (अ) जो 19 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1206 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 1026 (अ) जो 19 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1110 (अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1098 (अ) जो 5 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 234 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 1099 (अ) जो 5 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी

खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1100 (अ) जो 5 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर बाईपास सहित ग्वालियर-झांसी खंड के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) (मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा) हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1150 (अ) और 1151 (अ) जो 18 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपासों (लखनाडोन-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1190 (अ) से का.आ. 1193 (अ) जो 25 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 457 (अ) जो 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-रायपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1035 (अ) जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2005 को अधिसूचना संख्या का.आ. 234 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का.आ. 581 (अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1107 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 582 (अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपासों (झांसी-लखनाडोन खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 583 (अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 584 (अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपासों (झांसी-लखनाडोन खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1157 (अ) जो 20 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चार लेन या छह लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1040 (अ) जो 21 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1164 (अ) जो 22 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड) पर भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-अर्जन संयुक्त संगठन, मेरठ को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(बाइस) का.आ. 1039 (अ) जो 21 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1032 (अ) जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनाडोन–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1033 (अ) जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा–ग्वालियर खंड) पर धोलपुर बाईपास के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1036 (अ) जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर–झांसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1065 (अ) और का.आ. 1066 (अ) जो 28 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनाडोन–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताइस) का.आ. 1038 (अ) जो 21 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाइस) का.आ. 654 (अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1156 (अ) जो 20 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चार लेन अथवा छह लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1045 (अ) जो 25 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (हिम्मतनगर–चिलोडा खण्ड) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उदग्रहण के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1046 (अ) जो 25 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उदग्रहण के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1050 (आ) जो 26 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई से टाडा) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क के उदग्रहण के बारे में है।

(तैतीस) का.आ. 1057 (अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नंदीगांव से इच्छापुरम) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उदग्रहण के बारे में है।

(चौतीस) का.आ. 1089 (अ) जो 2 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़ से कोलकाता) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उदग्रहण के बारे में है।

(पैतीस) का.आ. 1034 (अ) जो 20 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 3 पर आगरा बाईपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 29 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 1426 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छत्तीस) का.आ. 1149 (अ) जो 18 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मानसेर–नागपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1166 (अ) और का.आ. 1167 (अ) जो 22 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर–धुले खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 543 (अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1152 (अ) जो 18 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर–नागपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1049 (अ) जो 26 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1058 (अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकासित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खण्ड) के निर्माण और चौड़ा बनाने के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1082 (अ) जो 1 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 645 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतालीस) का.आ. 1083 (अ) जो 1 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) में लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

चौवालीस) का.आ. 1041 (अ) जो 25 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1165 (अ) जो 22 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ–मुजफ्फरनगर खण्ड) पर भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, संयुक्त संगठन, सहारनपुर को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1208 (अ) जो 29 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 808 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का.आ. 1209 (अ) जो 29 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1278 (अ) से का.आ. 1281 (अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर–हैदराबाद खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1432 (अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 1464 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–एलुरू–विखाशापत्तनम खण्ड) पर विद्यमान टोल प्लाजा के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 1449 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 1489 (अ) जो 17 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(हैदराबाद–बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि अर्जन के बारे में।

(तिरपन) का.आ. 1537 (अ) से का.आ. 1539 (अ) जो 26 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 1389 (अ) जो 26 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कांचीपुरम–वलाजाहपेट खण्ड) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1514 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हिरेबागेवाड़ी–धारवाड़ खण्ड) के चार लेनों वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 1242 (अ) जो 7 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का.आ. 1506 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा)के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 1524 (अ) जो 21 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1554 (अ) जो 2 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (तालसरी–मनोर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 1485 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर बाईपास के निर्माण सहित उसे चौड़ा बनाने हेतु भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय उपायुक्त (दक्षिण), जिला दक्षिण दिल्ली को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 1384 (अ) जो 23 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 1241 (अ) जो 7 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चार लेन अथवा छह लेन वाले बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिसरठ) का.आ. 1505 (अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौसठ) का.आ. 1232 (अ) और का.आ. 1233 (अ) जो 5 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चार लेन अथवा छह लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 1276 (अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 115 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 1277 (अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(नागपुर–हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 1308 (अ) जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडापे–गौंडे खण्ड) पर भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, स्कैरसिटी संख्या 2, नासिक को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 1309 (अ) जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव–धुले खण्ड) पर भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, संख्या 2 और 3, धूले को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 1528 (अ) जो 22 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 1459 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कमाप्टी–कन्हान बाईपास) पर भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी साधारण नागपुर को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 1479 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चार लेन अथवा छह लेन वाला बनाने) हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 1571 (अ) जो 7 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर–अमृतसर खण्ड) पर भूमि के अर्जन अधिकारी, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर), जालंधर को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 1227 (अ) जो 2 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर

प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चार लेन अथवा छह लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का.आ. 1476 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर–होसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का.आ. 1427 (अ) जो 29 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 1525 (अ) और का.आ. 1526 (अ) जो 21 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु–केरल सीमा (वालयर) से त्रिसूर खण्ड] के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का.आ. 1329 (अ) और का.आ. 1330 (अ) जो 16 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 [तमिलनाडु–केरल सीमा (वलायर) से त्रिसूर खण्ड] के निर्माण (चौड़ा बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का.आ. 1497 (अ) और का.आ. 1498 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुथी–अलुवा खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनासी) का.आ. 1328 (अ) जो 16 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुथी–अलुवा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का.आ. 1584 (अ) जो 10 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकासी) का.आ. 1585 (अ) जो 10 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों को भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(2) उपर्युक्त (1) के एक से सत्ताईस में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सत्ताईस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3186/2005]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3187/2005]

(4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम, 2005, जो 16 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 31 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 652 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3188/2005]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) रिपैट्रिएट्स को-आपरेटिव फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स को-आपरेटिव फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3189/2005]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशंस लिमिटेड, पूनालुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशंस लिमिडेड, पूनालुर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3190/2005]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल जल विंग समूह "क" (तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 2005 जो 16 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल जल विंग (समूह "ख" योधक तकनीकी कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2005 जो 16 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3191/2005]

(2) (एक) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3192/2005]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3193/2005]

(3) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (कार्यकारी समिति को कृत्यों की सुपुर्दगी) विनियम, 2005 जो 30 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 34-2/2005/एनसीटीई/सीडीएन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ.सं. 9-5/2001/एनसीटीई/जो 30 अगस्त के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसमें एनसीटीई (एनसीटीई की स्थापना से पूर्व विद्यमान संस्थानों से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों को प्रक्रमित किए जाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया) विनियम, 2001 का निरसन किया गया है।

(तीन) एनसीटीई (मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का मान्यता हेतु मानदंड और मानक निर्धारित करने और नये पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने की अनुमति (5वां संशोधन) विनियम, 2005 जो 30 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 49-5/2005-एनसीटीई/एन एंड एस प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारण) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 30 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 91-1/2005 एनसीटीई/(एन एंड एस) में प्रकाशित हुए थे।

(4) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 20 (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 47-5/2003/एनसीटीई/सीडीएन जो 6 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर के लिए एक सदस्य का नामनिर्देश करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3194/2005]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3195/2005]

(3) (एक) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3196/2005]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3197/2005]

(ख) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3198/2005]

अपराह्न 12.06 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 12 दिसंबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 दिसंबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गए राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 दिसंबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 दिसंबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.06$^{1}/_{4}$ बजे

याचिका समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं याचिका समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रूखाबाद): महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06$^{3}/_{4}$ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

छब्बीसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 संबंधी 26वां प्रतिवेदन; और

(2) कराधान विधि संशोधन) विधेयक, 2005 संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07$^{1}/_{4}$ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

168वां और 169वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में एक सौ उनसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति का एक सौ अडसठवां प्रतिवेदन।

(2) युवक कार्य और खेलकूद मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में एक सौ तिरेसठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ उनत्तरवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

177वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं "खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005" के बारे में उद्योग संबंधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति का 177वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

अध्यक्ष महोदय: अब, कुमारी सैलजा। यदि लंबा विवरण है, तो आप इसे सभा पटल पर रख सकती हैं।

***शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा):** अध्यक्ष महोदय, मैं नए निदेश 73क के

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल टी-3199/2005

अनुसरण में, जिसका उल्लेख नीचे दिया गया है, यह विवरण सभा पटल पर रखती हूं:-

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में छः महीने में एक बार सभा में एक वक्तव्य देगा।"

मैं सभा के माननीय सदस्यों के लाभ के लिए यह सूचित करना चाहती हूं कि शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में चौदहवीं लोक सभा की स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में 38 सिफारिशें दी गईं, जिनमें से 27 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्यवाही की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के सामने दर्शाई गई हैं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने आसन से स्वयं कहा था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह ध्यानाकर्षण के पश्चात् आता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने 'शून्यकाल' में उठाने के लिए ध्यानाकर्षण का एक नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)* आपने 'शून्य काल' में मेरा मुद्दा उठाने की मुझे अनुमति देने का वादा किया था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, आपने ही कहा था *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील मामला है। *...(व्यवधान)* बिहार में नरसंहार हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैंने यह कहा है कि मैं आपको उचित समय पर अनुमति दूंगा। हमने हमारी प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। आप भी उसके हिस्सेदार हैं। अब ध्यानाकर्षण लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न काल के बाद हमें बोलने की इजाजत देने के लिए कहा था। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हमें आपका आदेश चाहिए। *...(व्यवधान)* आपकी अनुमति चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हमारा आदेश तो सुनते नहीं हैं, तो फिर आदेश क्या करे? हमारा जो आदेश है, उसे आपको मानना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): स्थगन नोटिस को अन्यों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)* आप हमें बोलने दीजिए क्योंकि इस सदन में पहले भी ऐसी परम्परा रही है। *...(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)* कार्य स्थगन प्रस्ताव में पहले भी ऐसी परम्परा रही है। *...(व्यवधान)* मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं *...(व्यवधान)* इस गंभीर मामले को उठाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे लिए यह बहुत ही दुख की बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल एक माननीय सदस्य ही ध्यानाकर्षण की मांग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर हम हाउस को एडजर्न कर दें तो किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, बिहार में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार में पांच अल्पसंख्यकों की गोली मारकर हत्या की गयी है। *...(व्यवधान)* गरीब अल्पसंख्यकों की नृशंस हत्या हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यह उठाने की अनुमति दूंगा। मैंने कह दिया है कि मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमारा निदेर्श है कि कालिंग अटैंशन रुल के मुताबिक उसी समय आएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके अनुसार अध्यक्ष को कार्यवाही विनियंत्रित करनी नहीं आती।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: तो आप कार्रवाई कीजिए। आप कृपया उस पर कार्रवाई कीजिए। आपको एक अनभिज्ञ अध्यक्ष मिला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं आपको बता चुका हूं कि केवल एक सदस्य है और मैं ध्यानाकर्षण पर किसी दूसरे सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा। मैं यह पहले ही कह चुका हूं। क्या आप 10 या 15 या 20 मिनट प्रतीक्षा नहीं कर सकते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव को मैंने स्वीकृत नहीं किया है। मैंने इसे स्वीकृत नहीं किया है कि रघुनाथ झा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, श्री प्रभुनाथ सिंह जी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम लोगों की छवि खराब हो रही है। आप लोग थोड़ी छवि ठीक करिये, हाउस की छवि ठीक करिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: को-आपरेशन का नमूना हमें देखने को मिल रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अध्यक्षपीठ के विरुद्ध कार्रवाई करें।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.14 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें।

''बिहार में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच किए जाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 969 पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी कुल लंबाई 2219 किलोमीटर एवं लागत 452 करोड़ रुपये है। इसके विरुद्ध कुल 359.90 करोड़ रुपये विमुक्त किये जा चुके हैं। अब तक 463 पथ, जिनकी लंबाई 1157.90 कि.मी. है, पूर्ण किये जा चुके हैं और 298.05 करोड रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 2004 में बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय एजेंसियों को दी गयी। तद्नुसार केन्द्रीय एजेंसियां यथा इरकान, एनबीसीसी, एनएचपीसी, एनपीसीसी एवं सीपीडब्ल्यूडी को कार्यान्वयन हेतु चिहिन्त कर राज्य के विभिन्न जिले संबद्ध किए गए।

केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् हैं:

अब तक 252 पथों का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी कुल लागत 723 करोड़ रुपये एवं लम्बाई 2391 कि.मी. है।

34.29 कि.मी. लंबाई के 4 पथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

1208.77 कि.मी. के 130 पथों का निर्माण कार्य जारी है।

521 कि.मी. लंबाई के 65 पथों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

515 कि.मी. लंबाई के 52 पथों की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है।

2827 कि.मी. लंबाई के 328 पत्रों की डीपीआर बनाने एवं संवीक्षा की कार्रवाई जारी है।

इन केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि प्रथम दो चरणों में लिए गए पथों की अवशेष लंबाई का पूरक प्रस्ताव भेजें।

राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि त्वरित गति से कोरनेटवर्क, सीएनसीपीएल एवं सीयूपीएल तैयार कर प्रस्तुत करें। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत निर्माण के अंतर्गत 9956 से अधिक आबादी वाली योग्य बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा 9295 कि.मी. पथों के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य योजना बनाकर समर्पित करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया हाथ खड़े मत कीजिए। यदि कोई हाथ खड़े करेगा तो मैं किसी दूसरे सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिनके नाम यहां है, केवल उन्हीं को अनुमति दी जाएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम जरूरत ध्यान रखेंगे। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना शतप्रतिशत केन्द्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रथम चरण में एक हजार की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से योजना तथा पहाड़ी इलाकों में 500 की आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ना है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के कुल 1907 गांवों का चयन किया गया है जिसमें 968 सड़कों की संख्या है तथा लंबाई 2220 किलोमीटर है। हम खंडवार पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 2222 कि.मी. सड़क में से अब तक बिहार में कितने कि.मी. सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है और उस पर कितनी राशि आबंटित की गई? जो जवाब माननीय मंत्री जी का आया है, जो आज का आपका

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3200/2005

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

जवाब है और जो पहले आपने किताब भेजी है, हमें लगता है कि आंकड़ों में थोड़ा अंतर पड़ रहा है। आप इन आंकड़ों को एक बार देख लें और देखकर स्पष्ट रूप से बताएं कि कितनी राशि अब तक आपने स्वीकृत की और कितनी राशि विमुक्त की? हम माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहेंगे कि यह योजना 2000-2001 से शुरू की गई है और बिहार में प्रथम फेज में 298 सड़कों का चयन किया गया जिसकी लम्बाई लगभग 811.66 कि.मी. है जिसमें 149.9 करोड़ रुपया विमुक्त किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर 2004 तक 143 सड़क यानी 413 कि.मी. सड़क का निर्माण हुआ जिसे लगभग 50 प्रतिशत की उपलब्धि माना जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसे 50 प्रतिशत की उपलब्धि कहा गया है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ दूसरी ही है।

माननीय मंत्री जी, हम आपकी सूचना के लिए यह बात बता रहे हैं। हम आप पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं कि प्रथम चरण में भी आपने जो राशि शुरू की थी, जो कार्य शुरू किये गये थे, जो निविदा निकली थी जिसमें पचास प्रतिशत की उपलब्धि का आपने ब्यौरा दिया है, उसमें से बहुत सारे काम अभी तक पूरा नहीं किये गये हैं और काफी सारा काम अभी अधूरा है। जब काम अधूरा है तब आप इसे उपलब्धता कैसे मान सकते हैं? जो आपने जांच टीम बनाई थी कि जो सेवानिवृत्त इंजीनियर थे, जो देश भर के लोगों को बुलाकर उसमें सम्मिलित किया था कि ये लोग जांच करेंगे और जांच करके क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रतिवेदन देंगे, जिसके आधार पर केन्द्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी लेकिन जो आपके इंजीनियर गये, माननीय मंत्री जी, इसे आप आरोप-प्रत्यारोप के रूप में नहीं लीजिएगा, जो रिटायर लोग थे, जो बेरोजगार हो गये थे, उनको आपने एक नयी नौकरी, एक नया रोजगार देने का काम किया। जो नौकरी में हैं, जिन्हें अपने निलम्बन का डर है, जिन्हें कार्रवाई का डर है, जब आप उनसे कोई काम नहीं करा सकते हैं तो जो लोग सेवानिवृत्त हो गये हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जो रोजी-रोटी के लिए आपके यहां आ गये हैं, उनसे आप कितना निष्पक्ष और सही काम की उम्मीद कर सकते हैं? हमारा यह मानना है कि जो लोग गये, उसकी जांच वे सही तरीके से नहीं कर पाए और जिसके कारण आपकी क्वालिटी में सुधार नहीं हो पाया है। दूसरे, हम यह कहना चाहेंगे कि आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और क्वालिटी के संबंध में अगर आप बिहार की सड़कों की जांच करने के लिए जो आपकी कमेटी गई है और जो क्वालिटी का प्रतिवेदन आया है, उस प्रतिवेदन के आधार पर आप यह बताइए कि किन-किन जगहों पर आपके प्राक्कलन के आधार पर क्वालिटी सही पाई गई है और आपके प्राक्कलन के आधार पर काम पाये गये हैं और कितनी जगहों पर आपके प्राक्कलन के अनुसार क्वालिटी के काम नहीं हुए हैं? जहां क्वालिटी के अनुसार काम नहीं हुए हैं, वहां संबंधित पदाधिकारियों या उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या राज्य सरकार से आपने कोई परामर्श किया है? क्या आपने उनको कोई दिशानिर्देश दिया है? अगर आपने दिशानिर्देश दिया है तो इस संबंध में बताइए कि अब तक उन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई है और 2002-03 में जो आपने राशि आबंटित की थी, उस राशि की उपलब्धि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 14 प्रतिशत बताई जाती है। हम यह जानना चाहते हैं कि सन् 2000-2001, 2002-2003 में कुल मिलाकर जो बिहार की सड़कें स्वीकृत थीं और जो स्वीकृति के बाद भी राशि विमुक्त नहीं की थी, क्या उस राशि को आप विमुक्त करना चाहेंगे? जो बाकी सड़क है, उसे क्या आप पूरा कराना चाहेंगे?

इसी के साथ में, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर ये आंकड़े सही हैं तो 2003-04 में बिहार की एक कि.मी. सड़क की भी आपने स्वीकृति नहीं की है। जब स्वीकृति आपने नहीं की है तो पैसा देने का कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि 2003-04 में जो बिहार का हिस्सा बना, जो सड़कें आप किस्तवाइज कर रहे हैं, कारण कि आपने कुल सड़कों की संख्या और लम्बाई का आपने आकलन कराया है, उसके आधार पर जो 2003-04 का जो बिहार का हिस्सा बनता है, उस राशि को क्या आप बिहार के लिए विमुक्त करेंगे? क्या आप बिहार में उन सड़कों का निर्माण कराने का काम करेंगे?

महोदय, जहां तक वर्ष 2004-05 और 2005-06 का सवाल है, यह बात सत्य है कि आपके कार्यालय में एक बैठक हुई थी जिसमें आपने हम लोगों को भी आमन्त्रित किया था। हम लोग लोक सभा के अन्दर और बाहर भी बराबर कहते रहे हैं कि बिहार की एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए आप केन्द्रीय एजेंसी से काम करवाइए और उसमें यह सहमति बनी थी कि केन्द्रीय एजेंसी से करवाया जाए। आपने जवाब में भी लिखा है कि हमने केन्द्रीय एजेंसी के जिम्मे ये काम दिये हुए हैं और उसके लिए आपने कहीं-कहीं पर निविदाएं भी आमन्त्रित की हैं। आपने एक पत्र का हवाला एक प्रश्न के उत्तर में देते हुए कहा था कि हम इनको पत्र भेजते हैं, वे पढ़ते नहीं हैं और जमीनी हकीकत को जानते नहीं हैं, इसलिए मैं उस पत्र का जिक्र करना चाहता हूं। हमने इस पत्र को पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय: अपनी बात को इतना लम्बा करने से कैसे काम चलेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं बिल्कुल प्वाइंटेड बात कर रहा हूं।

मंत्री महोदय, ने हमें जो पत्र भेजा है, उसमें केवल तीन जिलों की सूची भेजी गयी है, उसमें पूरे बिहार की सूची नहीं है। इन तीन जिलों को मिलाकर चार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, जिनमें से एक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से श्री साधु यादव जी आते हैं, तीसरे निर्वाचन क्षेत्र से शहाबुद्दीन साहब आते हैं और चौथा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। आप अपनी सूची देख लीजिए, इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह ठीक नहीं है और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें से पहले तीन निर्वाचन क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं, उनके लिए आपने निविदाएं आमन्त्रित की हैं, उन पर अद्यतन निर्माण की कार्यवाही की है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में आपने लिखा है कि फार्मल स्वीकृति के बाद ही इस पर कार्यवाही होगी और सर्वे प्रोग्रेस में है। आपकी नीयत क्या है? क्या आप इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से सड़कों का निर्माण कराएंगे कि जिन इलाकों में आपके दल के सांसद हों, उनमें सड़कों का निर्माण होना चाहिए और जहां आपके दल के सांसद नहीं हों, वहां सड़कों का निर्माण नहीं होना चाहिए?

अध्यक्ष जी, यह माननीय मंत्री जी की चिट्ठी है, मेरी नहीं और अगर आपका आदेश हो तो मैं उसे सदन के पटल पर रख दूंगा। चूंकि उन्होंने इस चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा था इन्होंने हमें चिट्ठी भेजी है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष तरीके से बिहार में सड़कों के विकास के लिए प्रयास कीजिए। चूंकि बिहार के विकास के बारे में आपने कहा था कि वर्ष 2009 तक बिहार की सड़कों का आप इस ढंग से विकास कराएंगे कि बिहार भी अगली पंक्ति में खड़ा होगा। लेकिन कैसे खड़ा होगा यदि आप इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से काम करेंगे? जो मीटिंग हुई थी उसमें यह सहमति बनी थी कि पीडब्ल्युडी की लम्बी सड़कों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 की आबादी वाले इलाके के लोगों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ेंगे। उस उद्देश्य को आप कैसे पूरा करेंगे?

दूसरी बात यह है कि अगर केन्द्रीय एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कराती है तो उस स्थिति में, चूंकि अब राज्य में काम करने वाली सरकार हो गयी है, क्या आप उस पैसे को राज्य सरकार को देंगे ताकि सही समय पर इन सड़कों का निर्माण किया जा सके। साथ ही इसकी मानीटरिंग और जांच के लिए आपने क्या-क्या तरीके निकाले हैं, इन तरीकों पर कृपया विस्तार से चर्चा कीजिए?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार मानता हूं कि आपने जनहित के सवाल पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देने की कृपा की है। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता के हित की उन्होंने चिन्ता की है और वह उत्सुक हैं कि लोगों की कठिनाई जल्दी से दूर हो एवं यातायात की समस्या हल हो, सड़कें वहां बनें। लेकिन महोदय, माननीय सदस्य ने अन्त में यह जो कहा कि भेदभाव हुआ है और हो रहा है, यह कहना निराधार और पूर्वाग्रहग्रस्त है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने तो आपकी ही चिट्ठी पढ़ी है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह चिट्ठी तो हमने आपको जानकारी देने के लिए लिखी थी और केवल आपको ही नहीं बिहार के सभी माननीय सदस्यों को इस चिट्ठी के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी हमने दी है।

महोदय, कोई भेदभाव नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपको भी पत्र दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसा मत करें कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपको भी पत्र दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसा मत करें। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने सभी माननीय सदस्यों को पत्र दिया है। हमारे पास सबूत है उनकी रिसीविंग का। अगर कोई माननीय सदस्य चुनौती देता है तो मैं वह चुनौती स्वीकार करता हूं। मैंने सभी सदस्यों को पत्र दिए हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना बोल रहे किसी भी माननीय सदस्य का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ऐसा मत करिए। किसी को भी व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: थोड़ी छवि ठीक करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सर्वप्रथम चीज है ट्रांसपरेंसी की, कि सब लोग जानें। इसीलिए हमने सभी माननीय सदस्यों के साथ लिखा-पढ़ी की और उन्हें अद्यतन स्थिति की जानकारी देते रहते हैं। मैंने तीन बार संसद सदस्यों के साथ बैठक की है और बिहार के माननीय सदस्यों के साथ भी की है। अब हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया राशि का कि पांच-छ: वर्षों से बिहार को उसका हिस्सा नहीं मिला। इस वर्ष बिहार का हिस्सा 1082 करोड़ रुपए था, जिसमें से अभी तक 1141 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। अभी तक एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट 294 करोड़ रुपए की है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस के हिसाब से यह स्थिति है। फिजीकल प्रोग्रेस के हिसाब से अभी तक हमने 4498 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय सदस्यों से व्यवधान न डालने का अनुरोध करना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यहां क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोक सभा के अध्यक्ष को सदस्यों से शांत रहने के लिए अनुरोध करना पड़ रहा है। आप सभी को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैंने अपने लिखित स्टेटमेंट में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। 2219 किलोमीटर सड़क की लागत 452 करोड़ रुपए है। उसके लिए 359 करोड़ रुपए विमुक्त किए जा चुके हैं। 463 पथों की लम्बाई 1197 किलोमीटर है, उसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

श्री लाल मुनी चौबे: मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं सदन से वाकआऊट करता हूं।

अपराह्न 12.28 बजे

(तत्पश्चात् श्री लाल मुनी चौबे सभा-भवन से बाहर चले गए)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उस पर 298 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। उसके बाद अब तक 252 पथों का कार्य निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसकी कुल लागत 723 करोड़ रुपए है और लम्बाई 2391 किलोमीटर है। 34.29 किलोमीटर लम्बे चार पथों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 1208 किलोमीटर के 130 पथों का निर्माण कार्य जारी है। 521 किलोमीटर लम्बाई के 65 पथों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। 515 किलोमीटर के 52 पथों की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है। 2827 किलोमीटर लम्बाई के 328 पथों की डीपीआर बनाने सम्बन्धी समीक्षा की कार्यवाही चल रही है और काम तेजी से चल रहा है। इसलिए अद्यतन यह स्थिति है।

माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र का सवाल उठाया है। हमने उन्हें यही कहा था कि देश के सभी जिलों में अच्छे ठेकेदारों की कमी है। इसलिए टेंडर कम आ रहे हैं। छपरा में दस-पन्द्रह दिन पहले एक भी टेंडर नहीं डाला गया, जबकि तीन-तीन बार एक्सटेंशन दिया गया। कल की रिपोर्ट है कि दो किस्तों में टेंडर डाला गया है और दो सड़कों का टेंडर अवार्ड किया जा चुका है। महोदय, इनका क्षेत्र दो जिलों में पड़ता है। सीवान जिले में अभी तक तीन-तीन बार एक्सटेंशन हुआ टेंडर का, लेकिन किसी का टेंडर नहीं डाला गया। इसीलिए हमने माननीय सदस्य से सहायता की अपेक्षा की थी कि टेंडर दिया जा रहा है, लेकिन किसी के द्वारा टेंडर नहीं डाला जा रहा है। इसलिए कृपा करके छानबीन की जाए कि क्या बात है और क्या बात होने से वहां टेंडर डाला जा सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बीच में न टोकें। मंत्री जी अच्छा भाषण दे रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जहां तक क्वालिटी की बात है , तो पहले तीन स्तर पर क्वालिटी की देखरेख होती थी। पहले राज्य सरकार द्वारा होती थी। दो स्तर पर सड़कों की क्वालिटी की जांच करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। तीसरे स्तर पर यहां सेंटर से नेशनल लेवल मानिटरिंग होती है। जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंजीनियर्स, आईएएस आफिसर्स हैं उनको इसमें रखा गया है। अगर कोई शिकायत होती है तो जांच कराई जाती है। हमने निर्देश दिया है कि जो सड़कें बन रही हैं उनकी शुरु में, मध्य में और अंत में, तीन बार जांच हो, जिससे अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जांच हो सके। इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले जो टेक-आफ नहीं लिया था, अब काम टेक-आफ ले रहा है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी सरकार आ गयी है। हमने कहा कि जो पहले की अधूरी सड़कें हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने कहा है कि काम करने वाली सरकार आई है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपको भरोसा है लेकिन तुरंत पता चल जाएगा कि कितना काम करने वाली सरकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने आपको बोलने का पूरा अवसर दिया तथा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर भी दे दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने कहा है कि पहले की जो सड़कें ली गयी हैं उनका मिसिंग लिंक बचा हुआ है उसकी तुरंत डीपीआर बनाएं और राज्य सरकार चाहे तो अपने से उन्हें पूरा करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ऐसा चलने की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा कहना है कि जो भारत निर्माण की योजनाएं हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की कि चार वर्षों में 48,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे यानी 12,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेंगे। पुरानी सरकार तो ढाई हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती थी। हमारा बजट 48,000 करोड़ रुपये का है। अगले साल 9 हजार करोड़ रुपये का बजट है। वह सरकार ढाई हजार करोड़ रुपया सालाना खर्च नहीं कर पाती थी वहीं हम 12,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेंगे यानी पांच गुना अधिक खर्च करेंगे। हमने देश के सभी राज्यों के सचिवों को दो बार बैठकें की हैं। हमने राज्यों सरकारों से कहा है कि वे अपनी खर्च करने की क्षमता बढ़ाएं क्योंकि चार वर्ष के अंदर हजार की आबादी वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। पहाड़ी और ट्राइबल्स एरिया की पांच सौ की आबादी तक गांव को चार वर्षों में आल वैदर रोड से जोड़ने की योजना है। हमें भारत निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करना है। महोदय, मैं आपसे और माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि जो डिस्टिंग्विश विजिलेंस एंड मानिटरिंग कमेटी है उसकी तीन महीने में एक बार जरुर बैठक करें और सभी कामों को मानिटरिंग करें और इस काम के लिए हमें प्रोत्साहित करें, जिससे माननीय सदस्यों, राज्य सरकारों और पंचायती राज के सहयोग से हम इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा कर सकें।

इसमें माननीय सदस्यों को पूरी अहमियत दी गयी है। माननीय सदस्यों को हमने कहा है कि उनकी पूरी सूची दी गयी है और कहा गया है कि आपको निर्देश मानना पड़ेगा। नहीं मानने पर बताना पड़ेगा कि वह कानून में है या नहीं। हमने कहा है कि माननीय सदस्य ही उस काम का शिलान्यास करें, शुरुआत करें, उसका उद्घाटन करें। इस तरह से माननीय सदस्यों को पूरी अहमियत दी गयी है। इस तरह से माननीय सदस्यों का सहयोग होगा और जनता का काम होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं चल सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमें कहने दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाइए। मैंने आपके मामले को सभा में उठाने की पहले ही अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे इस सभा की कार्यवाही को विनियंत्रित करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, हम आपसे अपील करते हैं कि आप सहयोग करें।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तान्त में इसे सम्मिलित मत कीजिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हो गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप दोनों को अपने कमरे में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत खेद है। कृपया मेरी सहायता कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे कमरे में आइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आपने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया था, परन्तु मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकोलिया थाना के चिलराव गांव में कल सोमवार 12 दिसम्बर को पांच गरीब अल्पसंख्यकों की खेत जोतने की अवस्था में गोली मार कर हत्या कर दी गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह अच्छी तरह जानते हैं। यह अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: भारत के संविधान ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर भी डाली है। यदि राज्य सरकार उनकी जान-माल की रक्षा करने में विफल हो जाती है तो भारतीय संविधान के अनुसार यह देखना केन्द्र सरकार का काम है। *...(व्यवधान)* उनके जान-माल की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के वक्तव्य को ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देवेन्द्र प्रसाद जी को बोलने दीजिए। आप स्वयं उनको इंटरप्ट करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर दूंगा। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें सभा की कार्यवाही को सही तरीके से चलानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब चुपचाप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत गम्भीर और संवेदनशील मामले की तरफ केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकोलिया थाना के चिलराव गांव में कल सोमवार 12 दिसम्बर, को गरीब अल्पसंख्यक लोग जो खेत जोत रहे थे, उस अवस्था में गोली मार कर पांच अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। सम्पूर्ण बिहार में अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के ऊपर नरसंहार करने का सिलसिला इस साल शुरू हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हैं कि यह मामला अत्यन्त गंभीर है। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह उनके जान-माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार से रिपोर्ट मंगा कर और तुरन्त एक कमेटी भेज कर, इसकी जांच करवाए। *...(व्यवधान)* इस मामले की जांच एक कमेटी करे। अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। उनकी जान-माल को खतरा है। उनके मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। *...(व्यवधान)* यह केवल एक जगह का मामला नहीं है। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। इससे एक गलत संदेश भी जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इसकी सूचना ग्रहण करे। इसकी गम्भीरता को समझते हुए तुरन्त रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई करे। दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री राम कृपाल यादव अपने आपको सम्बद्ध कर करेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई भी अपने आपको संबद्ध नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एसोसिएट करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। *...(व्यवधान)* जो लोग मारे गए हैं, वे अत्यंत गरीब वर्ग के हैं। मोहम्मद आथिग गरीब खेतिहर मजदूर है। मोहम्मद मोजाहिर, वसख्लहक और मोहम्मद उजायर गरीब खेतिहर मजदूर हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी का नाम मत लीजिए। बस और नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री रामकृपाल यादव का नाम संबद्ध करने वाले सदस्य के रूप में कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझ पर धौंस नहीं जमा सकते। मैं नियमों का पालन करूंगा मैं केवल उन्हीं को अवसर दूंगा जिन्होंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने क्षेत्र के लिए सोचते हैं लेकिन क्या नोटिस देने का समय नहीं मिलता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद जी ने पश्चिम चंपारन के त्रिकोलिया गांव के *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव आप अपने आपको उनके साथ संबद्ध कर सकते हैं। उन्होंने उसी विषय पर वक्तव्य दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। गरीबों की सरकार गई है और गरीबों की हत्या शुरू हो गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सुशासन की बात करने वाली सरकार है? किस तरह से गरीब समुदाय के गरीब लोगों की हत्या सामन्तों के माध्यम से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप राज्य सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: क्या बिहार में वहां से अल्पसंख्यक चले जाएं? दृष्टिकोण क्या है? ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। केवल सुशासन की बात *...(व्यवधान)* अल्पसंख्यक पूर्ण तौर पर असुरक्षित हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित करके यहां से चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं। अल्पसंख्यकों को वहां विशाल स्तर पर सुरक्षा दी जाए। वहां अल्पसंख्यक और गरीब दहशत में हैं। *...(व्यवधान)* सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनको सुरक्षा मिलेगी या नहीं? क्या सारे अल्पसंख्यक और गरीबों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही सरकार है। सुशासन की बात करने वाली यह सरकार तीन महीने में सुव्यवस्था कर देगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री प्रभुनाथ सिंह के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह जी केवल दो मिनट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, आपके नाम को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं वापिस चला जाऊंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं ऐसी अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं। मुझे क्षमा करें। श्री डी.पी. यादव यदि आप व्यवधान डालेंगे तो मैं कार्यवाही वृत्तांत से सभी कुछ हटवा दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यद्यपि इस विषय पर किसी अन्य सदस्य ने नोटिस दिया था लेकिन तब भी मैंने

आपको बोलने का अवसर दिया। आपने कभी भी नोटिस देने की जहमत नहीं की। परन्तु, फिर भी आपके नाम को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। आपको मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा द्वारा अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 से संबंधित मद संख्या 9 पर चर्चा की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): नियम 377 के अंतर्गत आने वाले मामलों का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: उसे इस मद के पश्चात् लिया जाएगा।

जनजातीय कार्य मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा रहा है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.आर. किन्डिया: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा द्वारा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(एक) दिल्ली-हरियाणा सीमा के निकट अरावली पहाड़ी पर अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान दिल्ली-हरियाणा राज्य से लगती अरावली पहाड़ी में चल रहे अवैध खनन की ओर दिलाना चाहता हूं। उच्चतम

*भारत के राजपत्र; असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 13.12.2005 में प्रकाशित।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अवतार सिंह भड़ाना]

न्यायालय ने इस क्षेत्र में खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर अभी भी अवैध खनन का काम सरायखोरी में बदस्तूर चल रहा है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना लगातार जारी है। इसके अलावा अवैध खनन और पेड़ों की कटाई से इस क्षेत्र का पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा के लिए सरकार की नीति है कि अवैध खनन का कार्य बंद किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा की जाए, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन खान माफिया द्वारा कानून की अवहेलना लगातार जारी है।

मेरा केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का शीघ्र पालन कर अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं, ताकि खान माफिया के चंगुल से पर्यावरण को बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में वही जायेगा जो आपने नोटिस आफिस में दिया है और आनरेबल स्पीकर साहब के आफिस से अप्रूव हुआ है।

(दो) पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समकक्ष लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालय, चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, वास्तुकला महाविद्यालय और कला महाविद्यालय, इंडियन इंस्टिट्यूट आफ माइक्रोव्वियल टेक्नोलाजी तथा सेन्ट्रल साइन्टिफ इन्स्ट्रूमेन्ट आर्गेनाइजेशन जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान है और आज यह शहर कई क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता का केन्द्र बन गया है। यहां पर राजीव गांधी टेक्नोलाजी पार्क के निर्माण के बाद आज यह शहर विश्व के सूचना-प्रौद्योगिकी मानचित्र पर आ गया है, जहां प्रतिभाशाली छात्र और युवा पेशेवर शिक्षा प्राप्त करने और काम करने के इच्छुक है। तथापि देश में मौजूद सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तरह के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अभाव में प्रतिष्ठा की यह तस्वीर अधूरी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने चंडीगढ़ शहर को उभरते हुए आधुनिक भारत के प्रतीक के रूप में देखा था। यहां पर ऐसी स्थितियां हैं जो इस शहर को विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुकूल है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान पंजाब इंजीनियरिंग कालेज जो पहले से ही मानद विश्वविद्यालय है, का दर्जा बढ़ाकर इसे आई.आई.टी. के समतुल्य कर देना चाहिए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के किसानों जिनसे मसूरी में गैस आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि अधिगृहीत की गई हैं, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद जिले में मसूरी के पास रिलायंस के गैस आधारित पावर प्रोजैक्ट के लिए किसानों की 2235 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। जमीन अधिग्रहण से सात गांवों के कुल 2700 किसान प्रभावित हुए हैं। इनमें से 2000 किसानों की सारी जमीन और 700 किसानों की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस पावर प्रोजैक्ट परियोजना का दुखदायी पहलू यह है कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसान 300 रुपये प्रति गज मुआवजे की मांग को लेकर कलैक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की इस मांग को कभी अनुचित ठहराया जा रहा है तो कभी कहते हैं कि राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और आवास नीति के तहत किसानों को इस मांग को और अन्य शर्तों को माना जा सकता है। कुल मिलाकर इस मामले में किसानों को सुस्पष्ट आश्वासन नहीं मिल पा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस पावर प्लांट के लिए किसानों के साथ किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण समझौते में सभी शर्तों को साफ तौर पर तय करके लिखा जाए और किसानों को आजकल के जमीन भाव को देखते हुए उचित मुआवजा दिया जाए तथा कंपनी द्वारा जो शर्तें पूर्व में तय की गई थीं, उन पर शीघ्र विचार किया जाए।

(चार) तमिलनाडु के वगैकुलम से हवाई सेवाओं का प्रचालन पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन (तिरुनेलवेली): महोदय टुटुकुडी तमिलनाडु का दक्षिण जिला है जिसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है। कई वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी जैसे वीरपाण्डेयकट्टभोम्मन, वेल्लई देवन, वीरन सुन्दरलिंगम, बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लै, तुकूमेडई राजगोपाल, के.टी. कोरूलजन, त्यागी बेंजमिन आदि टुटुकुडी जिले

की देन हैं। टुटुकुडी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नगरपालिका है तथा यहां का पत्तन भारत का एक प्रमुख पत्तन है। यह जिला औद्योगिक रूप से उन्नत है और एस पी आई सी, डी सी डब्ल्यू, स्टरलाइट, टी ए एक्स, हेवी गटर प्रोजेक्ट आदि जैसे मुख्य उद्योग लोगों को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रहे हैं।

वर्ष 1992 में नागर विमानन मंत्रालय ने टुटुकुडी के निकट वगैकुलम में एक विमानपत्तन का निर्माण किया और चैन्नई तथा अन्य नगरों को जोड़ने वाली सेवाएं शुरू की गई। दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय में विमान सेवा बन्द कर दी गई और अभी तक इस विमानपत्तन से कोई विमान सेवा नहीं दी जा रही है। टुटुकुडी के लिए विमान सेवा अत्यंत आवश्यक है जिससे वास्तव में इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। अब जन प्रतिनिधियों, उद्योगपत्तियों, व्यावसायियों, तकनीकीविदों, विमान यात्रियों, को अपनी फ्लाइट लेने के लिए मदुरई या त्रिवेन्द्रम जाना पड़ता है जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विमानपत्तन तक पहुंचने के लिए 200 कि.मी. की यात्रा करने के लिए समय और मेहनत दोनों जाया होते हैं।

अत: मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से वगैकुलम में विमान सेवा शीघ्रातिशीघ्र पुन: आरम्भ करने तथा बड़े विमानों के परिचालन हेतु विमानपत्तन का विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में खाद्य तेल की आयात संबंधी नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण आयात नीति के कारण श्रीलंका व नेपाल के जरिये भारी मात्रा में खाद्य तेल आयात किया जाता है। इस वजह से देश में उत्पन्न तिलहन, सरसों तथा तिल आदि की मिलें बंद होती जा रही हैं। इन स्वदेशी मिलों के बंद होने से किसानों द्वारा गत वर्ष की गई सरसों की संपूर्ण खरीद गोदामों में ही बंद पड़ी है।

इस वर्ष भी राजस्थान में सरसों की बम्पर फसल की संभावनाएं हैं। राजस्थान में ही गत वर्ष से लगभग चार लाख मीट्रिक टन अधिक सरसों पैदा होने की भविष्यवाणी है। भंडारण व्यवस्था न होने से मार्च-अप्रैल माह में सरसों की फसल निकलने पर सरकारी खरीद में बाधाएं उत्पन्न होंगी।

अत: मेरा खाद्य मंत्री जी से निवेदन है कि पुरानी सरसों को गोदामों से निकलवाकर मिलों से तेल निकलवाया जाए, गोदाम भावी फसल के लिए खाली करवाए जाएं तथा खाद्य तेलों की आयात नीति को बदला जाए ताकि स्थानीय किसानों को लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मनसुखभाई डी. वसावा-अनुपस्थित।

(छह) रीवा और जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने तथा रीवा रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र की रेल संबंधी कठिनाइयों तथा इस संबंध में पिछले काफी समय से जनता की चली आ रही मांग की ओर सदन तथा रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रीवा-जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी चलाएं, क्योंकि जबलपुर एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है और रीवा से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जबलपुर आते-जाते हैं। इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 2427/2428 के समय में परिवर्तन किया जाए। रीवा-सतना के यात्रियों के लिए मुंबई के लिए महानगरी एक्सप्रेस अथवा मुंबई-हावड़ा मेल में एक कोच लगाया जाए क्योंकि यहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग मुंबई आते-जाते हैं। इसी प्रकार रीवा-बिलासपुर चिरमिरी पैसेंजर को दुर्ग तक बढ़ाया जाए तथा एक 3 ए.सी. कोच इसमें लगाया जाए। रीवा रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाना नितांत आवश्यक है। दूसरा प्लेटफार्म न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रीवा, सतना, जबलपुर की जनता की लंबे समय से चली आ रही उक्त मार्गों के निराकरण करने हेतु योग्य निर्देश प्रदान करने का कष्ट करे।

(सात) पंजाब में विभिन्न जल परियोजनाओं से पैदा बिजली को राजस्थान के साथ बांटे जाने के बारे में करारों को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के साथ जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत के हिस्से का निर्धारण इण्डस जल संधि की शर्तों और सतलुज, व्यास और रावी नदियों के जल के हिस्से के संबंध में उत्तरवर्ती करारों के अनुसार राजस्थान ने पंजाब की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी के दावे दायर किये थे। जिनके अनुसार आनंदपुर साहिब, मुकेरियन, यूबीडीसी चरण द्वितीय थीन बांध एवं शाहपुर कांडी पांचों जल विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापित 1154 मेगावाट की क्षमता से राजस्थान ने 575.54 मेगावाट का दावा जताया।

[श्री कैलाश मेघवाल]

तदन्तर नांगल हाईडल चैनल से रोपड़ थर्मल विद्युत स्टेशन के लिए जल लेने की अनुमति देने के दृष्टिकोण से जायजा लेते समय दिनांक 10.5.1984 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार दो निर्णय लिए गए। पहला भारत सरकार इन पांचों जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के लिए राजस्थान का दावा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय हेतु भेजेगी तथा दूसरा भारत सरकार, राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों के अनआबंटित हिस्से में से आबंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आबंटित करने के दावों को भी ध्यान में रखेगी। इन दोनों ही निर्णयों की अनुपालना आज तक नहीं होने से राजस्थान को बिजली की कमी से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अत: अविलंब कार्यवाही की जाए।

(आठ) राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिन किसानों से भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सीमा पर रह रहे किसानों की भूमि केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण कर भारत-पाक सीमा पर कटीली तार लगाई थी। किसानों की एक एकड़ के करीब जमीन भी थी, परंतु आज तक किसानों को उस जमीन का मुआवजा नहीं मिला। किसान खेत में जा नहीं सकता, सिंचाई कर नहीं सकता, फसल बोना या फिर फसल काट नहीं सकता, क्योंकि बार्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से किसान को कटीली तार में आने-जाने नहीं देते। इससे किसानों का काफी नुकसान होता है। किसान की जमीन भी सरकार ने ले ली, परंतु अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। सीमांत क्षेत्र के हरियाणा, पंजाब राज्यों में किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में जिन लोगों की जमीनें अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा अविलम्ब दिया जाए।

(नौ) बोताड़ और अहमदाबाद के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बोटाद से अहमदाबाद तक जो मीटर गेज लाइन है उसे ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित कराने हेतु मैं वर्ष 1989 से लगातार मांग करता आ रहा हूं। इस रेल मार्ग में ब्रॉडगेज न होने के कारण सौराष्ट्र के लोगों को अहमदाबाद के लिए बोटाद से सुरेन्द्रनगर होकर आना पड़ता है। जिससे अधिक धन खर्च होने के साथ-साथ उनका समय भी व्यय होता है तथा इस रूट के मध्य पड़ने वाले स्टेशनों के लोगों को ब्रॉडगेज का लाभ न मिलने के कारण लोगों में बहुत रोष व्याप्त है।

माननीय रेल मंत्री जी से मेरी पुरजोर मांग है कि वे बोटाद से अहमदाबाद तक की मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित कराने के अविलम्ब आदेश प्रदान कराएं।

(दस) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में गैस की मांग को पूरा करने के लिए एक गैस ग्रिड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): औद्योगिक परिदृश्य में पूरे पूर्वी जोन तथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को एक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है। यह क्षेत्र लाभ में था जब कोयले का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में किया जाता था अब इसके स्थान पर प्राकृतिक गैस या एलएनजी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों-पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड में यूरिया का उत्पादन करने वाली कोई उर्वरक इकाई नहीं है क्योंकि फीडस्टॉक के रूप में गैस उपलब्ध नहीं है। बाम्बे हाई और एलएनजी टर्मिनलों सहित अन्य आगामी स्रोतों से प्राप्त गैस के उपयोग के संबंध में सारी योजनाएं देश के उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों तक केन्द्रित हैं। पूर्वी क्षेत्र में गैस की उपलब्धता को देश के बाहर के स्रोतों-बांग्लादेश अथवा म्यांमार से जोड़ा जा रहा है। यह अनुचित है कि देश में उपलब्ध गैस के समान वितरण से क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे का समाधान करने की बजाय पूर्वी क्षेत्र के लिए गैस की मांग को ऐसे स्रोतों पर छोड़ दिया गया है जिन्हें अभी मूर्त रूप भी नहीं दिया गया है। अत: यह आवश्यक है कि निम्नलिखित के लिए तत्काल योजना बनाई जाए:

1. गैस ग्रिड बनाने के आरम्भिक कदम के रूप में जगदीशपुर (एचबीजे पाइपलाइन का टर्मिनल पाइंट) से दुर्गापुर/हल्दिया तक गैस पाइपलाइन बिछाना।

2. हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तथा पारादीप (उड़ीसा) में ''री-गैसीफिकेशन'' संयंत्रों सहित एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाए और इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा झारखण्ड में गैस की मांग की पूर्ति हेतु गैस ग्रिड का निर्माण किया जाए।

(ग्यारह) पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान ग्राम कुडे, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान ग्राम कुड़े, मुगलसराय-उ.प्र. की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उनके जन्म स्थान को रेलवे ने अधिगृहीत कर लिया है। उनके जन्म स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहती है, लेकिन रेलवे द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण उक्त कार्य नहीं हो पा रहा है। मुगलसराय स्कूल में स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति लगी हुई है, परन्तु उसका समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि जनभावना को मद्देनजर रखते हुए वह स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक बनाने में सहयोग करे।

(बारह) उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू किये जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव संसदीय क्षेत्र, जनपद उन्नाव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तैयार की जाने वाली सड़कों के उद्घाटन और इस योजना के परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाने में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और सांसद से प्रस्ताव लिए बगैर सांसद की गैर मौजूदगी में राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये मानदंडों का उल्लंघन करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा इस योजना के अंतर्गत विशेषकर उन्नाव संसदीय क्षेत्र में सांसद से प्रस्ताव लिए बगैर क्षेत्रीय सासंद की गैर मौजूदगी में जो भी कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव निरस्त किये जाने और सासंद से प्रस्ताव लेकर क्षेत्रीय सासंद से ही सड़कों का उद्घाटन सुनिश्चित करवाया जाए।

(तेरह) तमिलनाडु में रेलवे के तिरूचेन्दूर खंड पर आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती वी. राधिका सेलवी (तिरूचेन्दूर): तिरुचेन्दूर तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। पूरे साल तीर्थयात्री इस मन्दिर में आते हैं तथा लोगों के आवागमन में रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में कई कला और व्यावसायिक कालेज स्थित हैं तथा पूरे तमिलनाडु तथा केरल के छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रेल परिवहन सबसे आकर्षित साधन है। वर्तमान मीटर आमान प्रणाली इन खण्डों के लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। तिरुनेलवेली जंक्शन पर गाड़ी बदलने में लोगों को परेशानी होती है। अत: विभाग द्वारा परिवर्तन के दौरान इस खण्ड को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया था। नब्बे प्रतिशत कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है। समस्त सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं तथा इस खण्ड को यातायात के लिए खोला जा सकता है यदि आवश्यक सामान इस खण्ड में भेज दिया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

(चौदह) एमटीएनएल कर्मचारियों के पेंशन मामले का निपटान किये जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): दूरसंचार क्षेत्र को निगमीकृत करने की सरकार की नीति के कारण 1.4.1986 को दूरसंचार विभाग से बाम्बे टेलीफोन तथा दिल्ली टेलीफोन बनाए गए और एमटीएनएल का गठन किया गया था। तत्कालीन बम्बई टेलीफोन और दिल्ली टेलीफोन के सभी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिए बगैर एमटीएनएल में प्रतिनियुक्त माना गया और शेष दूरसंचार सेवा विभाग का निगमों के रूप में गठन किये जाने जो वर्तमान में बीएसएनएल है, के साथ उन्हें समायोजित किये जाने के संबंध में सभा में आश्वासन दिया गया था।

वर्ष 1998 में सरकार ने एमटीएनएल में गठित प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को यह विकल्प देने का निर्णय लिया कि या तो वे एमटीएनएल में नियुक्ति ले ले या सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करते रहें और उन्हें पेंशन संबंधी लाभ के तीन विकल्प दिए नामत: (1) सरकारी नियमों के अनुसार पेंशन; (2) प्रो-राटा पेंशन; तथा (3) अंशदायी भविष्य निधि अर्थात पीएसयू पेंशन। अधिकांश कर्मचारियों ने सरकारी नियमों के अनुसार पेंशन का विकल्प चुना।

[श्री आनंदराव विठोबा अडसूल]

अक्तूबर, 2000 में सरकार ने बीएसएनएल बनाया और डीटीएस में कार्य करने वाले कर्मचारियों का बीएसएनएल में तबादला कर दिया गया। डीटीएस में कार्यरत कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी लाभ के मुद्दे पर आन्दोलन किया। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 37क संशोधन जारी किया और उप नियम 21 अंत:स्थापित किया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि डीओटी के बीएसएनएल में स्थानांतरित कर्मचारी पेंशन और पारिवारिक पेंशन सीधे सरकार से प्राप्त करेंगे।

महोदय, एमटीएनएल में केवल लगभग 40,000 कर्मचारी हैं जिन्हें नियम 37-क के उप नियम 21 में एमटीएनएल का नाम शामिल करने से लाभ मिलेगा।

मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन को पूरा करने तथा आवश्यक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध करूंगा जिससे मानित प्रतिनियुक्ति पर एमटीएनएल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एमटीएनएल का विकल्प चुनने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बार-बार आने वाली भयंकर बाढ़ का स्थायी हल ढूंढ़ने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त किये जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): महोदय, महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले को जुलाई और अगस्त, 2005 के माह में भयंकर बाढ़ की स्थिति के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। यद्यपि वर्ष 1953 और 1989 में बाढ़ की ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी, किंतु बाढ़ का पानी तुरंत ही उतर गया था और इसलिए पानी के रुकावट से होने वाला नुकसान कम था। यद्यपि, इस समय दो मौकों पर बाढ़ का पानी 20 दिन से अधिक समय तक नहीं उतरा जिससे खड़ी फसलों और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा। अकेले कोल्हापुर जिले में लगभग 1300 करोड़ रु. का कुल नुकसान हुआ।

उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि बाढ़ का पानी कृष्णा नदी के माध्यम से वांछित गति से नहीं निकल रहा था। इसका एकमात्र कारण कर्नाटक अनुप्रवाह पर स्थिति अलमात्ती बांध में बाढ़ के पानी का बढ़ा हुआ स्तर और इस बांध से बाढ़ के पानी का बहुत कम गति से प्रवाह होना था। इस बांध के अधिप्लव मार्ग की बाढ़ से निपटने की क्षमता का डिजाइन 11 लाख क्यूसेक का है जबकि उक्त बाढ़ अवधि के दौरान वास्तव में कर्नाटक सरकार द्वारा केवल 2.6 से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की अनुमति दी गई। इससे बांध से रोके गए जल का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में विशेषकर कर्नाटक की सीमा पर स्थित कोल्हापुर और सांगली जिलों में भारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। महोदय, आपके माध्यम से कर्नाटक सरकार को इस कारण की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए उपयुक्त और समय पर पूर्वोपाय करने के लिए कहा जाए।

महाराष्ट्र और कर्नाटक को छोड़कर शेष राज्यों के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करके ऐसी गंभीर बाढ़ स्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक स्थायी समाधान आवश्यक है और इस समिति के निष्कर्ष कर्नाटक राज्य पर बाध्यकारी हों, यह भी अनिवार्य है।

(सोलह) असम में बार-बार आने वाली बाढ़ और भू-क्षरण के कारण दिकरोंग नदी की डाउन स्ट्रीम को हो रही व्यापक पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान जल प्रदूषण और बार-बार आने वाली बाढ़ और भू-क्षरण के कारण असम की दिकरोंग नदी की डाउनस्ट्रीम को हो रही व्यापक पर्यावरणीय क्षति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिससे सारे वर्ष नदी घाटी प्रभावित होती है। नीपको की रंगनदी हाइड्रो इलेक्ट्रा परियोजना में इसके पूरी क्षमता में प्रचालित होने के समय रंगनदी पॉवर हाउस से 160 क्यूसेक सर्जनी कुल्या जल छोड़े जाने के कारण रंगनदी से रिकरोंग नदी में जल के अंतर-बेसिन अंतरण पर विचार किया गया है। यद्यपि केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे द्वारा किये गये मॉडल अध्ययन में यह पाया गया है कि इस छोड़े गए अतिरिक्त पानी से रिकरोंग नदी के निचले क्षेत्र को कोई खतरा नहीं जबकि जमीनी सच्चाई एकदम भिन्न है। इसके परिणामस्वरूप रिकरोंग नदी में उफान से सर्दियों के महीनों में भी सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त रहता है। न तो नीपको ने न ही असम सरकार के जल संसाधन विमान ने कोई भू-क्षरण नियंत्रण, प्रदूषणरोधी तथा नदी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ताकि सामान्य और अतिरिक्त जल छोड़ने के समय क्षेत्र का संरक्षण किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, जान और माल की हानि के साथ-साथ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में परिवारों को विस्थापित करके रहने योग्य और कृषि योग्य बड़ा क्षेत्र बह जाता है जिससे जल प्रदूषण के सहित पर्यावरणीय समस्याएं होती है।

अतएव, मैं सरकार से बार-बार होने वाले इस नुकसान के वास्तविक मूल्यांकन और भोजन और भू-क्षरण नियंत्रक उपायों को सुनिश्चित करने, मुआवजा सहायता और पुनर्वास के साथ नीपको और असम सरकार के सहयोग से अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रक के लिए इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदय, मैं स्वयं को डॉ. अरुण कुमार शर्मा और श्री वनलाल जावमा के विचारों से सम्बद्ध करता हूं।

(सत्रह) मिजोरम में तुइरियाल हाइडेल परियोजना का कार्य पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम): महोदय, मैं आपका ध्यान नीपको द्वारा मिजोरम में शुरू किये गये तुइरियाल हाइडेल परियोजना के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा।

यह परियोजना वर्ष 1999 में मिजोरम में शुरू की गई थी। मिजोरम में यह एकमात्र हाइडेल परियोजना होगी। नीपको ने निर्माण कार्य के लिए पहले ही 210 करोड़ रु. खर्च कर दिए हैं। किंतु यह परियोजना एक वर्ष से अधिक समय से रुकी हुई है। मैं इस परियोजना के कार्य को रोकने का कारण जानना चाहता हूं।

मैं सरकार से मिजोरम के लोगों के हित में इस परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं श्री वनलाल जावमा द्वारा अभी व्यक्त किये गये विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। हम इसकी अनुमति देंगे।

अपराह्न 2.36 बजे

कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचना देनी थी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2006 और कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005 को का निरनुमोदन प्राप्त करने के लिए सांविधिक संकल्प पर संयुक्त चर्चा आज नहीं की जाएगी। यदि सभा सहमत हो तो हम मद सं. 23 और 24 को कल एक साथ चर्चा हेतु लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा (सूरत): उपाध्यक्ष महोदय, कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यही बेहतर होगा *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): यह एक सामान्य प्रथा है कि विधेयकों को स्थायी समिति को भेजा जाता है। इस विधेयक को भी स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आर्डिनेंस लेकर आये हैं। *...(व्यवधान)* आर्डिनेंस के माध्यम से वे इस विधेयक को सीधा हाउस में लाना चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विधेयक को पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये। *...(व्यवधान)* सदन के अधिकारों की रक्षा करते हुए, सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये क्योंकि कराधान विधि विधेयक से काफी प्रभाव पड़ने वाले हैं। *...(व्यवधान)* इसलिए इस विधेयक को पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये ताकि सर्वसम्मति से यह पारित हो सके। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब यह बिल दुबारा हाउस में आयेगा, उस वक्त आप यह रेज करना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, यह विधेयक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है। कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर मैं इस पर कल चर्चा के लिए सहमत हुआ था। मैंने कुछ माननीय सदस्यों से बात की थी और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। वे इस बात पर सहमत थे कि वे मुझसे 5 बजे मिलेंगे और वे मेरे कार्यालय में मुझसे कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे। मैंने उन्हें अपने कार्यालय में आमंत्रित किया है। वे इस मुद्दे को कल उठाने पर सहमत हुए हैं। अब ये खड़े होकर मुझे यह कहकर हैरान नहीं कर सकते कि हम इस मुद्दे को कल नहीं उठाएंगे और इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक अनुरोध किया है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कुछ माननीय सदस्यों के विचारों को स्थान देने और उनके संदेहों को दूर करने के लिए कहा है और विधेयक पर कल चर्चा की जाएगी। अतः काशीराम राणा का यह मुद्दा उठाना उचित नहीं है। जिस पर वह मुझसे सहमत थे कि इसे कल उठाया जाए।

अपराह्न 2.39 बजे

मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 23 और 24 एक साथ लेगी।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 2005 को प्रख्यापित मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

"कि मणिपुर राज्य में अध्यापन और सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 2005 को प्रख्यापित मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि मणिपुर राज्य में अध्यापन और सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैं विधेयक की विषयवस्तु के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु मैं अध्यादेश के प्रख्यापन का जो तरीका अपनाया गया है उस प्रक्रिया के विरुद्ध हूं। जब संप्रग सरकार के नेता विपक्ष में थे तो वे अध्यादेश की प्रक्रिया का विरोध करते थे। अत: मेरे विचार से जब वे सत्ता में हैं तो उन्हें समान प्रक्रिया और समान विचार का अनुपालन करना चाहिए। विधेयक को पारित करने और अधिनियम हेतु अध्यादेश की एक मात्र तरीका नहीं है। मैं इस प्रक्रिया के विरुद्ध हूं और मेरे विचार से भविष्य में सरकार अध्यादेश प्रख्यापन का एकमात्र तरीका इस्तेमाल करने वाले कदम नहीं उठाएगी। मेरा यही कहना है।

इसके अलावा, इसे राज्य सभा में रखा गया है और इसे स्थायी समिति को भेजा गया है। स्थायी समिति की कुछ सिफारिशें हैं। यद्यपि अधिकांश सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुपालन किया गया है किन्तु अभी सत्र चल रहा है। जल्दी क्या है? उन्होंने सत्र की प्रतीक्षा नहीं की। अध्यादेश प्रख्यापन का तरीका अपनाने के स्थान पर इसे इस सत्र में रखना ही बेहतर होगा। इसीलिए मैं इस प्रक्रिया के विरुद्ध हूं। मेरा यही कहना है।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मुझे इस स्थान से बोलने दिया जाए क्योंकि मेरा स्थान असहज है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया जारी रखिए।

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, मैं मणिपुर राज्य के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु इस विधेयक को अपना समर्थन देता हूं। यह विशेषत: पूर्वोत्तर के लोगों और मणिपुर राज्य के लिए प्रशंसनीय है। बहुत लम्बे समय से ऐसा किए जाने की आवश्यकता थी। किंतु मैं सरकार को सचेत भी करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी खास राज्य में कतिपय अशांति है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। जब कुछ शोरगुल मचता है तो कुछ घोषणाएं की जाती हैं और लाभ दिये जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी छवि सब जगह विशेषत: मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में बनायी जा रही है और महसूस की जा रही है। मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन से बहुत अधिक प्रसन्न हूं और साथ ही मुझे बेहद दु:ख है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु लम्बे समय से चली आ रही मांग पर कुछ नहीं लाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में केवल एक विश्वविद्यालय है। अरुणाचल विश्वविद्यालय का नामकरण हाल ही में राजीव गांधी विश्वविद्यालय किया गया है। जब यह राज्य विधान सभा में पारित हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने इसका नामकरण राजीव गांधी विश्वविद्यालय इसलिए किया क्योंकि राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखने से हमें और अधिक धनराशि मिलेगी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा यदि पुन: नामकरण को और अधिक धनराशि या दर्जा प्रदान करने से जोड़ा जाने लगे तो यह अत्यंत दुखद है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

श्री कीरेन रिजीजू: मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो। मणिपुर के लोगों

द्वारा देश के लिए विशेषत: संस्कृति और खेलकूद के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान को देखते हुए मणिपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने का सर्वथा पात्र है। मैं माननीय मंत्री और सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई दूंगा।

यदि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं, भारत सरकार की ओर से और अधिक उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अधिकांश राज्य संसाधनहीन हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वे धनराशि की भारी कमी का सामना करते हैं जिससे अपने विश्वविद्यालयों का ध्यान रखने के लिए धनराशि नियत करने में बड़ी कठिनाई आती है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1984 में हुई थी। 21 वर्षों की लम्बी अवधि के बाद भी मात्र 12 परम्परागत विषय छात्रों को पढ़ाए जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि इन परम्परागत विषयों के साथ-साथ कम्प्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी जैसे रोजगारोन्मुखी विषय जो इक्कीसवीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यक है, को भी पढ़ाया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान संबंधी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ यदि त्रिपुरा और सिक्किम राज्य के विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।

माननीय मंत्री ने पहले कहा कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। सवाल यह है: धैर्य कब तक? मैं यहां किसी खास राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। किन्तु पिछले माननीय मानव संसाधन मंत्री ने भी मेरे राज्य के लिए कुछ नहीं किया। चाहे राजग हो या संप्रग, स्थिति समान है। हम केन्द्र सरकार की ओर से दृढ़ प्रतिबद्धता की भावना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा असंवेदनशीलता की कार्रवाई से पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के प्रयास में कुछ भी बढ़ोत्तरी नहीं होगी। इस बात को केन्द्र में जिसकी दल का शासन हो, उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है।

मैं वहां की उच्च शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे यहां एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1984 में जाकर हुई। वर्ष 1985 के बाद भी जब तक विश्वविद्यालय यूजीसी के अधीन नहीं आ गया, राज्य को केन्द्रीय योजना से कोई लाभ नहीं पहुंचा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में यूजीसी ने मात्र 75 लाख रु. का अनुदान दिया। नौवीं योजना में यूजीसी द्वारा दिया गया अनुदान मात्र 2.70 करोड़ रु. थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना में यूजीसी द्वारा आबंटित राशि चार करोड़ रु. थी। विश्वविद्यालय की स्थापना से वर्ष 1999-2000 तक राज्य से अनुदान सहायता मात्र 24.76 करोड़ रु. था। अतएव उच्च शिक्षा के विकास पर निवेश बहुत कम रहा है। यह केन्द्र सरकार की ओर से पूर्णत: ऐतिहासिक उपेक्षा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि इसका उचित ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि आप मेरे राज्य या पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी अन्य राज्य के संसाधन को देखें तो ये संसाधन अत्यल्प हैं। हम एक विश्वविद्यालय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हमारे पास केवल एक विश्वविद्यालय है और हम और अधिक के लिए लम्बे समय से अनुरोध कर रहे हैं। पिछले माननीय मंत्री दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय गए भी थे। वहां भी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने से मना कर दिया था। पिछले मंत्री मेरी पार्टी के सदस्य थे। किन्तु मैं घोर आलोचना करता हूं कि इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया जाए।

मुझे सभा में माननीय कैबिनेट मंत्री को देखकर प्रसन्नता होगी। चूंकि वे उपलब्ध नहीं है, अत: महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री से यह संदेश कहने को कहूंगा और माननीय मंत्री और सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस शीतकालीन सत्र में ही सिक्किम और त्रिपुरा राज्य के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक दूसरा विधान लाएं। इस चर्चा का उत्तर देते समय मैं माननीय मंत्री से एक दृढ़ प्रतिबद्धता सूचना चाहूंगा कि ऐसा किया जाएगा, अब हममें धैर्य नहीं बचा है। मैं इसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। काफी अर्से से हम धैर्य रखे हुए हैं किन्तु ऐसा कब तक? मैं बार-बार यह मांग करता रहा हूं। इस संबंध में विश्वविद्यालय छात्र शिष्टमंडलों, संसद सदस्य शिष्टमंडलों, राज्य सरकार के शिष्टमंडलों द्वारा कई मांगें की गयी हैं। अब हमारे धैर्य की सीमा हो गयी है। यही समय है। यदि राज्यों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो इसका पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच बहुत नकारात्मक और गलत संदेश जाएगा। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता किन्तु मेरी अंतिम अपील है कि कृपया इन राज्यों की भावनाओं को समझाने का प्रयत्न कीजिए जिनकी इतने लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। उस उपेक्षा को दूर करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेषत: मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध की गयी गलतियों को ठीक करने का यह सही समय है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचारार्थ इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूरे मन से इस

[डा. टोकचोम मैन्या]

विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पहले ही 30 नवम्बर, 2005 को पारित किया जा चुका है।

महोदय, 13 अक्तूबर 2005 को मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया और तत्काल प्रभाव से मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया। मैं मणिपुर की जनता, इसके सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रन्ट की सरकार विश्वविद्यालय परिवार तथा अपनी ओर से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार को अपना धन्यवाद व हार्दिक बधाई देता हूं। यह हमारी संप्रग सरकार करीब डेढ़ वर्ष के शासन के दौरान प्राप्त अनेक उपलब्धियों में से एक है इसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री और संप्रग की माननीय अध्यक्षा को जाता है।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि नवम्बर, 2004 मणिपुर के इतिहास में एक यादगार महीना होगा। माननीय प्रधान मंत्री ने इस महीने में राज्य का दौरा किया और राष्ट्रीय रेल परियोजना जिरिबम-तुपुल (इम्फाल) रेल लाइन हेतु जिरिबम में रेल मार्ग का शिलान्यास किया। इसे वर्ष 2010 तक पूरा किया जाना है। वास्तव में यह मणिपुर की जनता के लिए एक मील का पत्थर है जिनकी धरती पर अभी तक कोई रेलगाड़ी नहीं चली थी।

महोदय, इसी समय माननीय प्रधान मंत्री ने मणिपुर की जनता को कांगला फोर्ट सौंपा जो 1891 में अंग्रेजों द्वारा मणिपुर पर विजय प्राप्त करने के दौरान मणिपुर राष्ट्र की सत्ता का केन्द्र था। 20 नवम्बर, 2004 को माननीय प्रधान मंत्री ने मणिपुर विश्वविद्यालय के नौवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि मणिपुर विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अगले दिन मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 के प्रख्यापन को आवश्यक बताने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने वाले विवरण को सभा पटल पर रखा। इसलिए माननीय मित्रों श्री प्रबोध पाण्डा, श्री गिरिधारी लाल भार्गव, प्रो. रासा सिंह रावत और श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तावित सांविधिक प्रस्ताव का इस समय कोई आधार नहीं है।

पिछले वर्ष नवम्बर में माननीय प्रधान मंत्री के अपने दौरे के दौरान की गई घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इस अध्यादेश को मणिपुर की जनता की आकांक्षा को पूरा करने की उम्मीद से प्रख्यापित किया गया है।

महोदय, मणिपुर राज्य में उच्च शिक्षा का और इस प्रकार मणिपुर विश्वविद्यालय का लम्बा दयनीय इतिहास रहा है। मैं आपकी अनुमति से इस बात को संक्षेप में इस सम्माननीय सभा में रखना चाहूंगा। राज्य में महाविद्यालय शिक्षा की शुरुआत वर्ष 1946 में मणिपुर की राजधानी, इम्फाल में धनमंजुरी कालेज (डी.एम. कॉलेज) नामक डिग्री कॉलेज की स्थापना से हुई थी। यह महाविद्यालय कलकत्ता (कोलकाता) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। वर्ष 1948 में गौहाटी (गुवाहाटी) विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा इस महाविद्यालय को गौहाटी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया। इसके पश्चात् कुछ और महाविद्यालय स्थापित किए गए। तथापि यह राज्य साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत से ऊपर बनाए हुए हैं।

साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में गौहाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत डी.एम. कॉलेज में मेरे विषय गणित सहित कुछ अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की गयी। वर्ष 1972 में, इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) के स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी और डी.एम. कॉलेज की स्नातकोत्तर कक्षाओं का भी इसमें विलय कर दिया गया। इस प्रकार जे.एन.यू. केन्द्र मणिपुर के विद्यार्थियों के स्नातकोत्तर स्तर की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है जबकि मणिपुर में कुछ व्यावसायिक महाविद्यालयों सहित स्नातक महाविद्यालय अभी भी गौहाटी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

महोदय, मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर विधान सभा (1980 के मणिपुर अधिनियम 8) द्वारा अधिनियमित मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जून, 1980 में इम्फाल में हुई थी। मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1980 के लागू होने के पश्चात् गुवाहाटी विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार मणिपुर राज्य से समाप्त हो गया तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले वाले स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र का नव स्थापित मणिपुर विश्वविद्यालय के साथ विलय कर दिया गया।

वर्तमान में मणिपुर विश्वविद्यालय के पास तीन स्कूल्स ऑफ स्टडीज के तहत 23 स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग हैं। इसके पास एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, तीन विधि महाविद्यालयों, छह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, तीन तकनीकी/इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा एक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद महाविद्यालय सहित 73 सम्बद्ध महाविद्यालय भी है। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों और सम्बद्ध महाविद्यालयों में, वर्तमान में, दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 2,000 और 30,000 है। इसके अलावा देश के लगभग सभी शहरों में हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत है जिसमें राजधानी दिल्ली में पढ़ रहे करीब 7,000 विद्यार्थी शामिल है।

महोदय, चूंकि मणिपुर विश्वविद्यालय की शुरुआत बिना किसी संस्थापन अनुदान के हुई थी और अनुवर्ती वर्षों में इसे राज्य

सरकार से पर्याप्त योजना सहायता प्राप्त नहीं हुई थी, यह अपेक्षित अवसंरचना के निर्माण और अपने पाठ्यक्रमों का अपेक्षानुरूप वैविध्यकरण करने में अब तक सफल नहीं रहा है। इसके साथ ही, यह कोहिमा, सिल्चर, तेजपुर, ऐजावल और शिलांग स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं में काफी असमानता रही है और इसके परिणामस्वरूप बेहतर अवसंरचनात्मक और अकादमिक सुविधाओं की खोज में भारी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी एवं अनुसंधानकर्त्ता अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में तथा इस तथ्य के आलोक में कि अपने सीमित संसाधनों के साथ राज्य सरकार मणिपुर विश्वविद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदलने की लगातार मांग होती रही है। राज्य सरकार द्वारा इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदलने हेतु किये गये बार-बार अनुरोधों के अलावा, मणिपुर विधान सभा ने 9 जुलाई, 1999 तथा बिल्कुल हाल में 13 मार्च, 2003 को इस संबंध में सर्वसम्मति से एक संकल्प भी पारित किया था।

महोदय, मैं यह तथ्य बताना चाहता हूं कि वर्ष 2003-04 के दौरान जब मैं मणिपुर की वर्तमान एस.पी.एफ. सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा का प्रभारी मंत्री था तब हमने मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदलने हेतु केन्द्र में सत्तासीन तत्कालीन राजग सरकार से बार-बार अनुरोध किया था परन्तु सब बेकार रहा।

अपराह्न 3.00 बजे

स्पष्ट रूप से कहा जाये तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्वयं अपने विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने को इच्छुक नहीं थे और हमारी वर्तमान संप्रग सरकार ने यह कार्य किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह विधेयक एक बहुत ही बढ़िया विधान है। परन्तु हमारे पास कहने योग्य कतिपय बातें हैं। संविधि 17 के वर्त्तमान खण्ड (1) पर, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मणिपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्फाल को विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित किया जाएगा, विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है क्योंकि यह संस्थान शुरू में एक सरकारी कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था तथा धन की कमी की वजह से विकास करने में असमर्थ था। उच्च और तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान इस कॉलेज को सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल कर मुख्य मंत्री के नेतृत्व वाली एक राज्य स्तरीय सोसायटी को सौंप दिया गया और उस समय इसे इसका वर्तमान नामकरण 'दि मणिपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी'' प्रदान किया गया और इस प्रकार इस संस्थान को इसके वर्तमान दर्जे को प्राप्त करने योग्य बनाया गया।

इस विधेयक के खण्ड 11 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रॉक्टर और डीन ऑफ स्टुडेन्ट्स वेलफेयर सूचीकृत नहीं हैं। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे राज्य के विद्यार्थी हमेशा से सक्रिय व समझदार रहे हैं।

वे मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की मांग सहित राज्य के सभी मुद्दों से अपने को हमेशा सम्बद्ध रखते हैं। इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 के प्रख्यापन के पश्चात् मणिपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान स्टुडेन्ट्स यूनियन यह जानना चाह रहा है कि क्या संविधि 40 के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद मणिपुर स्टुडेन्ट्स यूनियन के निर्वाचित छात्र निकाय को हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करें ताकि छात्र निकाय, मणिपुर स्टुडेन्ट्स यूनियन का निर्वाचन की निरंतरता बनी रहे जैसाकि संविधि 40 के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद के अतिरिक्त देश के अन्य विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है।

मेरे विचार से इन सभी संशोधनों को विधेयक के विभिन्न खंडों 11(9), 29(आर) और 31(1) के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से रखा जा सकता है। अतएव, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार से उनके द्वारा नोटिस लाए जाने पर उक्त संशोधनों को स्थान देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, हो सकता है मैंने काफी लंबा निवेदन किया है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अंततः मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक एवं सादर अनुरोध करता हूं कि मुझे समर्थन दें और इस मणिपुर विश्वविद्यालय, 2005 को सर्वसम्मति से पारित कराएं।

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं आज मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक 2005 का समर्थन करता हूं और मणिपुर राज्य के लोगों की शिक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए सभा के माननीय सदस्यों से उक्त का समर्थन करने और इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं कुछ प्रावधानों का बड़े ही संक्षिप्त रूप से उल्लेख करूंगा। परन्तु मैं पृष्ठभूमि का वर्णन करने के लिए थोड़ा समय लेना चाहता हूं। जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी डा. मैन्या द्वारा उल्लेख किया गया है, मणिपुर राज्य के लोग राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

[प्रो. बसुदेव बर्मन]

के लिए कुछ समय से मांग करते रहे हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 1980 में स्थापित मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए। मेरे विचार से, सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु ठीक काम किया है।

मणिपुर राज्य लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और यहां की जनसंख्या लगभग 23 लाख है। भौगोलिक रूप से यह राज्य दो भागों में बंटा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र में पांच जिले हैं और मैदानी क्षेत्र में चार जिलें हैं। यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम तथा दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम से घिरा हुआ है। कुल वन क्षेत्र 17,000 वर्ग किलोमीटर है जोकि राज्य के कुल क्षेत्र का 75 प्रतिशत है। लोगों का मुख्य पेशा कृषि है जबकि इनमें से काफी लोग जीवन-यापन के लिए वनों पर निर्भर है। राज्य की भाषा मणिपुरी है और टंगहुल, पइटि, लुशाई, थाडाऊ और कुकी जैसे अन्य 29 बोलियां हैं। जैसाकि हम सभी जानते हैं, महोदय, मणिपुरी लोगों की उच्च सांस्कृतिक परंपरा है, और खेलकूद के क्षेत्र में, उन्होंने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। साक्षरता की दर काफी उच्च है। यह लगभग 70 प्रतिशत है। यहां 3,600 से ज्यादा विद्यालय, 73 महाविद्यालय और एक विश्वविद्यालय है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 8,750 रुपए है।

उस पृष्ठभूमि में, मैं विधेयक के कुछ प्रावधानों की चर्चा करूंगा और इसमें शामिल कुछ खण्डों पर सुझाव दूंगा। एक बार पुन: मैं यह दोहराता हूं कि मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं और इसका समर्थन करते हुए मैं अपने सुझावों को उचित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करता हूं।

संक्षिप्तत:, मैं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित विधेयक के खंड 5 की बात करता हूं। यहां, मेरा सुझाव यह है कि इसमें अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी प्रबंध, चिकित्सा एवं विधि के संकाय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय विधेयक के उद्देश्यों में यह बताया गया है कि इसका उद्देश्य मणिपुर राज्य के विकास हेतु श्रमबल को शिक्षित और कुशल बनाना है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं जो कि केवल मणिपुर राज्य के लिए ही नहीं है। इस भाषा को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है: "भारत संघ और विशेषकर मणिपुर राज्य।" ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए है और राज्य विश्वविद्यालय को केवल स्थान भर दे रहा है।

अब, मैं खंड 21 की बात करता हूं, जोकि विश्वविद्यालयों की अधिकारिता के बारे में है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मणिपुर राज्य खेलकूद संबंधी कार्यकलापों में काफी आगे है, और मणिपुर विश्वविद्यालय के प्राधिकार में छह प्राधिकरण है। यह प्रावधान है कि यहां अन्य प्राधिकरण हो सकते हैं, परन्तु राज्य के खेलकूद कार्यकलापों को देखते हुए मैं सुझाव देता हूं कि प्राधिकरण, वित्त समिति के बाद खंड 21 में प्राधिकरण, खेल बोर्ड सम्मिलित किया जाए/कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। कुलपति के पास कार्यकारी परिषद, अकादमी परिषद और वित्त समिति जैसे अधिकरणों की बैठक आयोजित करने का अधिकार है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कुलाधिपाति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है यद्यपि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह विश्वविद्यालय का प्रमुख है। वह उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों और न्यायालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इसलिए, मैं यह सुझाव दूंगा कि न्यायालय की बैठक आयोजित करने के संबंध में कुलपति के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए और कुलाधिपाति के परामर्श से दीक्षांत समारोह आयोजित करने की भी शक्तियां होनी चाहिए जैसाकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है।

अब मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कृपया मुझे इसे कहने की अनुमति दें। वर्तमान में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी परिषद के 11 सदस्य हैं और 7 सदस्य से गणपूर्ति होगी। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि 11 में से 7 सदस्यों की उपस्थिति यानि गणपूर्ति का होना बहुत ही कठिन है और क्या होगा? यह कल्पना की जा सकती है कि गणपूर्ति के अभाव में विधिवत आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक विफल हो सकती है और कुलपति को विधेयक के खंड 13, उपखंड (3) के अंतर्गत अपनी आपातकालीन शक्तियों का सहारा लेना होगा। मेरे विचार से किसी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बार-बार आपातकालीन शक्तियों का सहारा लेना विश्वविद्यालय के लिए ठीक नहीं है।

अतएव, आगामी दिवसों में, जब कुछ संशोधन किये जाएंगे। सात सदस्यों की गणपूर्ति के इस प्रावधान को संशोधित किया जाए।

दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रमुख प्राधिकरण महाविद्यालय विकास परिषद है जोकि महाविद्यालयों पर अपना नियंत्रण रखेगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों को यह मार्गनिर्देश देगा। महाविद्यालयों की संख्या 73 है। अब विधेयक के खंड 21 और 25 में, तथा विधेयक की प्रथम अनुसूची में विश्वविद्यालय के कानून 32 में यह प्रावधान किया गया है कि महाविद्यालय विकास परिषद कार्यकारी परिषद के साथ काम करेगा। इसका अर्थ है, जहां तक संबद्ध महाविद्यालयों के दिशानिर्देशन और नियंत्रण का संबंध है, महाविद्यालय विकास परिषद और कार्यकारी

परिषद साथ-साथ कार्य करेंगे। मेरे विचार से यह संयोग ठीक नहीं है। महाविद्यालय विकास परिषद जो भी सिफारिश करेगी। उसे अंतिम निर्णय हेतु कार्यकारी परिषद में जाना होगा। यह प्रक्रिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। एक बात यह है कि पहले कुलाधिपति और पहले कुलपति को विजीटर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह अच्छी बात है। उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। मेरी राय में यह भी एक अच्छी बात है। परंतु प्रथम न्यायालय, प्रथम कार्यकारिणी परिषद, प्रथम महाविद्यालय विकास परिषद और प्रथम विद्युत परिषद में प्रत्येक का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। बड़े आश्चर्यजनक रूप से इन प्राधिकरणों नामत: न्यायालय, कार्यकारिणी परिषद, महाविद्यालय विकास परिषद और विद्युत परिषद के गठन के संबंध में यह उपबंध किया गया है कि न्यायालय में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, प्रथम कार्यकारिणी परिषद में 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, प्रथम महाविद्यालय विकास परिषद में 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, और प्रथम विद्युत परिषद में 21 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सभी सदस्यों को विजीटर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

परंतु विधेयक में इन प्राधिकरणों के गठन के बारे में कुछ उपबंध होने चाहिए थे। विधेयक में इन प्राधिकरणों के गठन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यदि हमें याद हो तो इस सम्माननीय सभा ने केवल कुछ महीनों पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार करके इसे पारित किया था। हमें याद है कि इस विधेयक में विभिन्न प्राधिकरणों के गठन, शक्तियों और कार्यों के बारे में ये सभी उपबंध थे ...*(व्यवधान)* क्षमा कीजिए मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। परंतु यहां ये उपबंध नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि प्रथम कार्यकारिणी परिषद और उसके बाद मणिपुर विश्वविद्यालय की फर्स्ट कोर्ट इन प्राधिकरणों के गठन हेतु समुचित नई और अतिरिक्त संविधियां बनाने और साथ ही विश्वविद्यालय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लोकतांत्रिक तरीकों से उनके निर्माण संबंधी प्रक्रिया के लिए कदम उठाएगी।

यहां मैं एक बात का उल्लेख कर सकता हूं-और यह सबसे रोचक बात है कि इन सभी प्राधिकरणों के गठन हेतु उपबंध नहीं किया गया है। परंतु वित्त आयोग के गठन हेतु उपबंध किए गए हैं। किसी प्रकार, यह उसी तरह आया है। छात्र परिषद के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मैंने यह संविधि 39 में देखा है परंतु पूर्व छात्र संघ के कार्यों के बारे में उपबंध नहीं किए गए हैं परन्तु केवल पूर्व छात्र संघ का उल्लेख है। परंतु संविधि 40 में छात्र परिषद के कार्यों का उल्लेख किया गया है। यह अच्छी बात है परंतु पूर्व छात्र संघ के बारे में कुछ भूलचूक हुई है।

अंत में, मैं केवल एक बात जो कहना चाहूंगा वह यह है कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक को पारित करने हेतु सभी सदस्यों से अनुरोध और अपील करूंगा। मैं सरकार से भी यह अनुरोध करूंगा कि वह आने वाले दिनों में मेरे द्वारा दिए सुझावों अथवा यहां की गई टिप्पणियों पर विधित: विचार करे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पूर्वोत्तर राज्यों में पढ़ाई-लिखाई के लिए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की खास जरूरत है। जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड के तमाम विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। बाद में उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में उन राज्यों का नेतृत्व भी किया। लेकिन जब वर्ष 1966 में जवाहर लाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थापित हुई, इसके कुछ कैम्पस पूर्वोत्तर राज्यों और लेह में खोले गये तो उधर के लड़कों का शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद और दिल्ली आना रुका। पूर्वोत्तर में कई राज्यों असम, मेघालय, आइजोल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे, लेकिन मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देने का कोई औचित्य नहीं था। इस काम को भारत सरकार को पहले ही करना चाहिए था। जबकि 1980 से विश्वविद्यालय वहां काम कर रहा था। सात लाख से लेकर 22-23 लाख की आबादी के छोटे-छोटे राज्य हैं, उनके संसाधन ऐसे नहीं हैं कि विश्वविद्यालय स्तर की किसी संस्था का अपने संसाधनों से वे समुचित ढंग से उपयोग कर सकें और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी भी जो समझदारी है, उस पर भी अनेक प्रश्नचिन्ह लगते हैं, क्योंकि उसकी ओर से दिये जाने जो अनुदान हैं, उनका ज्यादातर आधार वहां की गुणत्ता, विश्वविद्यालयों की उच्चता को देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक आधार पर है। ऐसी हालत में केन्द्रीय सरकार का विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कूदना सबसे बड़ी आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति भारत सरकार ने की है। इसके लिए हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। जब मैंने सांगोपांग इस विश्वविद्यालय के विधेयक का अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले सत्र में हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम पारित

[श्री मोहन सिंह]

किया था। जो विश्वविद्यालय सवा सौ वर्षों से काम कर रहा था, उसे भारत सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। हम लोगों ने उस समय भी भारत सरकार को धन्यवाद दिया था। यह विधेयक करीब-करीब कुछ क्लाजेज को छोड़कर हुबहू उसकी प्रति लग रहा है। उसमें उस समय जो कमियां नजर आई, वे कहीं नहीं गई, उनका बाद में मूल्यांकन हुआ और कमियां ये सामने आई कि अब जो केन्द्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इनके संचालन का पूरा दायित्व अफसरशाही के सुपुर्द हो रहा है। जो वहां से निकले हुए ग्रेजुएट्स हैं, उनकी सलैक्शन एकेडेमिक काउंसिल में न कोर्ट्स में और न एक्जिक्यूटिव काउंसिल में हो पा रहा है। उसमें ऐसा प्रावधान था और इसमें भी प्रावधान है। कोर्ट्स के लिए जो वहां के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होंगे, उनमें से भी कुछ को मनोनीत किया जायेगा। लेकिन पहले प्रथा थी कि जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स थे, उनके चुने हुए प्रतिनिधि ऐसी संस्थाओं में आते थे और कोर्ट के मैम्बरान ही एक्जिक्यूटिव का चयन करते थे। लेकिन धीरे-धीरे विश्वविद्यालय के प्रशासन से चुने हुए जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। उनका भी मनोनयन करने का प्रावधान किया जा रहा है। इस हिसाब से हम आग्रह करना चाहते हैं कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का इलैक्शन के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि जितनी भी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उनमें एकेडेमिक काउंसिल से लेकर कोर्ट्स और एक्जिक्यूटिव काउंसिल तीनों में होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन का अध्यक्ष था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिन्दुस्तान भर के विश्वविद्यालयों के छात्र यूनियनों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन सेन्ट स्टीफन कालेज में बुलाया था। उस जमाने में कुल 82 विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में होते थे। आज इनकी संख्या दो सौ के ऊपर पहुंच रही हैं। तब इनकी संख्या सीमित थी। लेकिन पूरे देश में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था। डा. बी.के.आर.वी. राव जी उस समय देश के शिक्षा मंत्री थे। तब मानव संसाधन विभाग नहीं था। तब इसका नाम शिक्षा विभाग होता था। डा. दौलत सिंह कोठारी, जैसे महान वैज्ञानिक यू.जी.सी. के चेयरमैन भी उस सम्मेलन में उपस्थित थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हम लोगों की तकलीफों और कठिनाइयों को सुना। हमने उनसे आग्रह किया कि विश्वविद्यालय में हमारी जो अपनी ग्रीवान्सेज हैं, उन्हें हाईलाइट करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए जितनी भी प्रशासकीय संस्थाएं हैं, उनमें विद्यार्थियों और छात्र संघों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उस समय यह राय बनी थी कि एकेडेमिक काउंसिल से लेकर एक्जीक्यूटिव काउंसिल तक स्टूडैन्ट्स रिप्रेजेन्टेशन ही दिया जायेगा और एक आदेश यहां से निर्गत हुआ था कि जो कक्षा के टॉपर लड़के हैं, ऐसे लड़कों को एकेडेमिक काउंसिल, में छात्र संघों के प्रतिनिधियों को कोर्ट और एक्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। अब उसे समाप्त किया जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में बहुत अफसोस हो रहा है कि भारत सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, वहां परंपरागत ढंग से जो छात्रसंघ थे, उनको समाप्त किया जा रहा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक अरसे से चुनाव ही नहीं कराया जा रहा है। इसलिए जब हम विधेयक पास कर रहे हैं तो छात्रसंघों का प्रावधान भी इस विधेयक के साथ होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब छात्रसंघों में वह स्थिति नहीं रही जो पहले थी। अब इसमें माफिया किस्म के लोग आने लगे हैं, इसलिए राजनीति में भी आने लगे हैं। गुंडा किस्म के लोग, ठेकेदार किस्म के लोग छात्रसंघों में चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम विधान सभाओं और लोक सभा में भी ऐसे लोगों को देख रहे हैं। इसके माने ये नहीं हैं कि ऐसे ही होता रहेगा। लोकतंत्र की परिपाटी है और लोकतंत्र में गंगाजल की तरह अपने प्रवाह से अपनी गंदगी को साफ करने की क्षमता होती है। लोकतंत्र की धारा इतनी मजबूत है कि जो इस तरह के असामाजिक तत्व इसमें प्रवेश कर रहे हैं, यह धारा उनको किनारे करके अपनी स्वच्छता को बरकरार रखेगी। इसलिए किसी बहाने से छात्रसंघों को समाप्त करना मेरी नजर में ठीक नहीं है। छात्रसंघ लोकतांत्रिक राजनीति की प्रथम पाठशालाएं हैं और मैं समझता हूं कि उन पाठशालाओं को बंद कर हम इस देश की रियासत को असामाजिक तत्वों के हाथों में ढकेलना चाहते हैं। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि छात्रसंघों की अनिवार्यता को बरकरार रखा जाना चाहिए। अभी यह बात इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी आई। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से इस पर राय मांगी है कि छात्रसंघों का स्वरूप क्या हो। जैसे हम इलैक्शन कमीशन के जरिये सुझाव लेते हैं कि हम अपनी चुनाव प्रक्रिया में किस तरह का परिवर्तन करें, उसी प्रकार भारत सरकार विधिवेत्ताओं, बुद्धिजीवियों और राजनीति में लगे हुए लोगों की एक कमेटी बनाए जो अपने सुझाव दे कि छात्रसंघों की चुनाव पद्धति को, उसकी प्रक्रिया को किस तरह से निर्मल बनाने का काम किया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से जो सुझाव मांगे हैं, उस दिशा में भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का सहयोग करना चाहिए और पूरे देश में छात्रसंघों की अनिवार्यता के संबंध में एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।

इसी आग्रह के साथ आपने जो विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए विश्वास करता हूं कि सभी सदस्य इसको पास करने में सहयोग करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं

परन्तु जिस प्रकार से इसे पारित किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

यह विधेयक एक अध्यादेश का स्थान लेगा परंतु मैं इस आधार को अब नियम 72 के अंतर्गत नहीं लेना चाहता हूं। यदि इस विधेयक को इस सभा में पुर:स्थापित किया जाता तो मैं ये सब आपत्तियां उठाता परंतु यह अवसर इस मामले में नहीं मिल सकता क्योंकि यह विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था और उस सभा में ही पारित किया गया था। इस सभा में विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता। अत:, इस समय में जो आपत्तियां और संवैधानिक आपत्तियां उठाना चाहता हूं उन्हें नियम 72 के अनुसार नहीं उठा सकता हूं। मैं चाहूंगा कि सभी आपत्तियों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए। यद्यपि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कोई विधिक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

चौदहवीं लोक सभा ने तब कार्य करना आरंभ किया जब राष्ट्रपति ने प्रत्यायन जारी किया और इसका कार्य करना इसके भंग होने पर बंद हो जाएगा। यह सभा दो प्रकार से कार्य करती है: एक, समितियों के माध्यम से, दूसरे, एक विस्तृत समिति द्वारा अर्थात, पूरी सभा की बैठक, अर्थात सत्र द्वारा। अत:, सत्र और समितियों के माध्यम से कार्य करना वह प्रक्रिया है। जिसके द्वारा संसद कार्य कर रही है।

संविधान का अनुच्छेद 123 बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल आपात स्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है और वह भी केवल अस्थायी रहेगा जैसे ही सभा की बैठक होती है अथवा जैसे ही सत्र आरंभ होता है तो छह सप्ताहों के भीतर इसे बदलना होगा। यह विधेयक सभा के समक्ष इसी आधार पर आया है। मैं यहां पर बता सकता हूं कि माननीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक को दिनांक 4 मई, 2005 में राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था।

यह कहा गया है कि राज्य सभा के माननीय सभापति ने विधेयक संसदीय स्थायी समिति को भेजा था। अत: सभा में विधेयक पर विचार चल रहा था। संसद ने विधेयक का संज्ञान किया है। अब, विधेयक सभा के पास सुरक्षित है। इस आधार पर समिति ने साक्ष्य लिया और मानसून सत्र में सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्य की प्राथमिकता का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार को समय निकालना चाहिए था और सभा के कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए था कि विधेयक मानसून सत्र में पारित हो जाता। यदि यह उस समय पारित नहीं हुआ था तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। समिति की रिपोर्ट भी सभा के समक्ष आ गई है। समस्त प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। अत: सभा की कार्यमंत्रणा समिति को इसे पारित कराने के लिए समय निकालना चाहिए था क्योंकि यह एक आपात स्थिति थी, क्योंकि यह एक अध्यादेश है और यह व्यपगत हो जाएगा। अत:, सभा के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को उसी समय और वहीं पारित किया जाना जरूरी था। सरकार ने उस समय कार्रवाई नहीं की। क्या यह हमारा दोष है? उन्हें ऐसा कहने दीजिए। प्रत्येक सदस्य जानता है कि यह एक अध्यादेश के स्थान पर आने वाला विधेयक है और इसे समिति को भेजा जा चुका है और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कोई भी बुद्धिमान इस मामले में विलंब नहीं करेगा।

सरकार को संवैधानिक उपबंधों का पालन करते हुए इसे पिछले सत्र में लाना चाहिए था। सरकार ने ऐसा नहीं किया सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने के बाद उसी दिन एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था जिस समय सभा में इस मामले पर विचार चल रहा था। कानूनी भाषा में यह न्यायाधीन होगा। जब कोई किसी अदालत में कोई मामला चल रहा हो तो कोई प्राधिकरण उस मामले को नहीं उठा सकता है। यहां, कानून के मामले में संसद उच्चतम प्रधिकरण है। कानून बनाए बिना संसद का कोई अर्थ नहीं है।

यहां एक मामला है जहां संसद ने विधेयक का संज्ञान लिया है। इसने इस संबंध में कार्य करना आरंभ किया है और इसे समिति को भेज दिया तथा समिति की रिपोर्ट सभा के साथ लंबित है। उस समय सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और वे एक अध्यादेश लेकर आए। क्या यह उचित है? क्या यह संवैधानिक है? यदि सरकार सत्र के दौरान भी अल्प समय में अध्यादेश जारी करेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यकीन है कि सरकार निकट भविष्य में सत्र के दौरान भी अध्यादेश जारी करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया विधेयक पर आइए। प्रश्न अध्यादेश का नहीं है। हम मणिपुर विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी, हां। महोदय इसका एक अन्य पहलू भी है। संविधान में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अध्यादेश केवल आपात स्थिति में ही जारी किया जा सकता है। आपात स्थिति का अर्थ है कि सामान्यत: हम ऐसी स्थिति की आशा नहीं कर पाते हैं। इस प्रयोजनार्थ संविधान निर्माताओं का सामना करने से देश में उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए अनुच्छेद 123 की व्यवस्था की थी। यही कारण है कि कार्यपालिका को आपातकालीन विधायी शक्ति प्रदान की गई है। इस अर्थ में तो यह सही है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

किन्तु यहां मामला मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का है। मैं माननीय मंत्री जी का वक्तव्य उद्धृत कर रहा हूं। यह मेरा अपना वक्तव्य नही है। इसके अनुसार: "मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की मांग काफी समय से रही है।" वह कहते हैं कि यह राज्य की काफी समय से मांग रही है। इस प्रकार, इसका यह अर्थ निकलता है कि उन्होंने बिना वाद विवाद के यह स्वीकार किया है कि बिना कोई आपात स्थिति के यह काफी समय से लम्बित मामला है। क्या काफी समय से लम्बित मामले में कोई आपात स्थिति हो सकती है? आप कृपया मुझे बताएं। इसीलिए मैंने आरम्भ में कहा था कि कोई भी कानूनी उत्तर मुझे नहीं दिया जा सकता है। मैं इन बातों को तत्काल ही बन्द कर दूंगा यदि वे मुझे अपने उत्तर से संतुष्ट कर सकें।

यदि ये लोग मुझे अपने उत्तर से संतुष्ट कर देते हैं तो मैं इनके समक्ष नतमस्तक हो जाऊंगा। क्या काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े मामले में आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। इसीलिए, मैं यह कहता हूं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि ये लोग जब सभा का सत्र चल रहा हो तब ये अध्यादेश जारी कर दें क्योंकि इन्होंने काफी समय से लम्बित मामले में अध्यादेश जारी किया है। न केवल यही, यह विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया गया और स्थायी समिति को सौंपा गया है। तब, यह सभा स्थगित हो गई और उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। यह बहुत ही अनुचित प्रक्रिया है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र पर एक कलंक है ...*(व्यवधान)* कृपया इसे यहां दोबारा न दोहराये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें न कि व्यक्तियों को।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या कोई मुझे उत्तर दे सकता है? ऐसी बात नहीं है कि ऐसा यही एक दृष्टांत है, ऐसे ही कई सारे दृष्टांत है और इस समय उनकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के प्रति मैं अत्यंत खेद व्यक्त करता हूं।

कोई भी कानून मंत्री जी के कार्यकलाप में नहीं बनाया जाना चाहिए। कानून यहीं बनाया जाना चाहिए न कि मंत्रालय में। किसी भी कानून को अपना अंतिम स्वरूप मंत्रालय के बजाय यहीं ग्रहण करना चाहिए। केवल तभी इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कानून बनाना हमारा अधिकार है। इसलिए, अब से हमारे अधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उन्हें करने दीजिए, खैर, हम तो केवल कह सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही, मैं सरकार द्वारा प्रख्यापित इस अध्यादेश का निरनुमोदन करता हूं। इस अध्यादेश को जारी करने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं अपने माननीय मित्र का एक सौ एक प्रतिशत समर्थन करता हूं जिन्होंने यह कहा कि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता नहीं होने की वजह से इस अध्यादेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज की कार्यसूची में हम दो अध्यादेश देख रहे हैं। यह सरकार स्थायी समितियों को नजरअंदाज कर रही है और अध्यादेश का मार्ग अपना रही है जैसे कि कल ही चुनाव हो और सरकार इनकी तैयारी में व्यस्त हो। इसीलिए, उन्हें अध्यादेश जारी करने पड़ रहे हैं। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की कोई जल्दी नहीं थी।

पूरी सभा इस अध्यादेश के पक्ष में है। इसलिए, इस विधेयक को पारित करने में कोई कठिनाई है। इसीलिए, इस अध्यादेश को जारी करने की सरकार की मंशा बहुत गलत है। यह सरकार हमेशा ही संसदीय प्रणाली और लोक सभा को नजरअंदाज कर रही है और अध्यादेश का मार्ग अपना रही है। यह गलत तरीका है, मैं इसका समर्थन नहीं करता किन्तु इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मणिपुर हमारे देश का बहुत सुंदर भूभाग है। मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 में मणिपुर राज्य में एक शैक्षिक और मान्यता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमित करने का प्रावधान है। हम इसका समर्थन करते हैं। यह इस राज्य और पूर्वोत्तर की काफी समय से मांग थी। मैं उन माननीय सदस्यों का भी समर्थन करता हूं कि जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुरोध किया है। यह भी बहुत आवश्यक है। पूर्वोत्तर के छात्रों को बहुत ही परेशान होना पड़ रहा है। उन्हें अध्ययन के लिए अब राज्य से बाहर जाना पड़ता है। उन्हें अपनी उच्च शिक्षा देश के अन्य भागों से ग्रहण करनी पड़ रही है क्योंकि उनके संस्थान राज्यों से बाहर सम्बद्ध है और इसीलिए उन्हें अपने राज्यों से बाहर देश के अन्य भागों में जाना पड़ता है। इसीलिए, इस प्रकार के

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी। सरकार ने यह सही कदम उठाया है। उन्हें देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही विश्वविद्यालयों की स्थापना पर विचार करना चाहिए।

मैं अपने राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। मेरे राज्य की जनसंख्या चार करोड़ है किन्तु वहां कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे यहां कोई केन्द्रीय संस्थान भी नहीं है। हमारे राज्य में केवल मात्र एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका निर्णय भूतपूर्व सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भुवनेश्वर में स्थापित करने का लिया था किन्तु यह सरकार इसे कोलकाता में स्थानांतरित करने का निर्णय ले रही है। यह भी सही बात नहीं है। उन्हें सम्पूर्ण देश और सभी राज्यों को एक समान रूप से देखना चाहिए। उन्हें इसका निर्धारण राजनैतिक आधार पर नहीं करना चाहिए कि कौन से राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए और कौन से हिस्से में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं होनी चाहिए। यह सरकार की विचार प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, सरकार को अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को भुवनेश्वर में ही रखने के अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखना चाहिए। यह मेरा सरकार से एक अनुरोध है।

इसके अलावा, ''इस विश्वविद्यालय के उद्देश्यों ....अधिगम की ऐसी शाखाओं में अनुदेशात्मक और अनुसंधानात्मक सुविधाएं प्रदान करके जो भी यह उचित समझे, ज्ञान का प्रचार-प्रसार और उन्नयन करेगी,....''

इस समय छात्र परेशान हो रहे हैं। इस विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय कला, सामाजिक विज्ञान आदि में पाठ्यक्रम उपलब्ध करवायेगा किन्तु इस विश्वविद्यालय की पाठ्य चर्चा में चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं। इन विषयों में शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्र क्या करेंगे? छात्रों को देश के अन्य भागों में जाना पड़ेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि यह सुविधा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि छात्र चिकित्सा विज्ञान, अभियांत्रिकी आदि में शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार को पूर्वोत्तर के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तरह ही एक तकनीकी संस्थान पर विचार करना जिससे कि पूर्वोत्तर के छात्र अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान आदि जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश और उच्च शिक्षा पूर्ण कर सकें।

मैं इस मुद्दे पर श्री मोहन सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का भी समर्थन करता हूं। उन्होंने उल्लेख किया था कि कॉलेज विकास परिषद् में विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व की कोई गुंजाइश नहीं है। विद्यार्थी संघ जैसे निर्वाचित निकायों को और विद्यार्थियों में से कुछेक निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और कॉलेज विकास परिषद् में प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन विद्यार्थियों को यहां अपनी समस्याओं और विश्वविद्यालय के विकास के बारे में चर्चा करने के लिए परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। अन्य निर्वाचित निकायों के परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के प्रावधान हैं, लेकिन इस विधेयक में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व होने के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इसमें ऐसा एक प्रावधान करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और कॉलेज विकास परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके।

महोदय, मैं उस राज्य से हूं, जहां राज्य की चार करोड़ की कुल जनसंख्या में से 39 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की है। भारत सरकार को उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान करने का निर्णय लेना चाहिए। वह जनजातियों और अनुसूचित जातियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को उड़ीसा में विशेष रूप से, के.बी.के. जिलों में जहां ज्यादातर जनजातियां और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या आदि रहती है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। सरकार को इस प्रकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में विचार करना चाहिए, जो कि वर्तमान में मेरे राज्य में मौजूद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि उन सभी अनुरोधों पर, जो मैंने यहां किए हैं, समुचित ध्यान दिया जाएगा।

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं यहां मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्य सभा ने पहले ही 30 नवंबर, 2005 को यह विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। यह एक लम्बे समय से की जा रही आकांक्षा थी, जिसे यूपीए सरकार ने अब पूरा किया है।

जैसाकि आप जानते हैं, मणिपुर कला, संगीत, नृत्य, नाटक और खेलकूद का उद्गम स्थान रहा है। इसकी एक सुनिश्चित संस्कृति है और राज्यों के स्वरूप में इसका अनुपम स्थान है, जो कि इस देश की एकता का प्रतीक है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, मणिपुर विधेयक के संबंध में ही अपनी बात रखें।

श्री फ्रांसिस फैन्जम: इसलिए, मैं समझता हूं कि मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक उन महान योगदानों की समुचित पहचान है। जो मणिपुर ने एक राज्य के रूप में, भारतीय संघ के लिए किये हैं।

जैसाकि आप जानते हैं कि कोहिमा, तेजपुर, एजवाल और शिलांग में पहले से ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं। अब मणिपुर विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा से भी अनुरोध आया है कि उन्हें भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान किए जाएं। एक बार ऐसा हो जाने पर संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक अवसर प्रदान कर सकेगा, जो कि यह राष्ट्र देश के इस अनूठे क्षेत्र में उत्पन्न करना चाहता है।

मणिपुर विश्वविद्यालय कांचिपुर में स्थित है, जो कि इम्फाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह लगभग 300 एकड़ के भूखंड पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर स्थित है, जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर विश्वविद्यालय की यह अनूठी स्थिति उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के संदर्भ में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में, इसके लिए एक सुनिश्चित अवसर प्रदान करती है।

वर्तमान में, यह विश्वविद्यालय मानव विज्ञान, भू और कम्प्यूटर विज्ञान, मानविकी, कला और विज्ञान में शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने पर एकीकृत वानिकी और अंतर्संकायी विज्ञान जैसे अध्ययन के विषय भी शुरू किए जाएंगे। इससे इस विश्वविद्यालय के अवसर भी बढ़ेंगे। यह, इस राज्य द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को परिभाषित करने के संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और प्रधानमंत्री को इस संबंध में बधाई देना चाहता हूं।

नवंबर, 2004 में अपने मणिपुर दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्र की शेष मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक अति विशिष्ट प्रतिबद्धता जताई थी। इस मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक के पारित होने पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जताई गई उस प्रतिबद्धता को एक अत्यन्त विशिष्ट पहचान मिलेगी।

इस विधेयक की कुछेक सूक्ष्म बारीकियों के संबंध में इस सभा में कतिपय सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। हमारे द्वारा इस विधेयक पर विचार करते वक्त, एक मुद्दा जिसका मैं विशेष उल्लेख किये जाने की आवश्यकता समझता हूं, वह यह प्रावधान है कि विद्यार्थी परिषद में नामनिर्दिष्ट सदस्य और कुछेक ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय की पुरस्कार सूची में होने के कारण विशेष योगदान किये हैं। हालांकि, विश्वविद्यालय में कतिपय चिंता वाले मुद्दों को दूर करने के लिए यह ढांचा उपयुक्त है, तथापि एक ऐसी परिषद का प्रावधान किये जाने की भी आवश्यकता है जोकि विश्वविद्यालय के छात्रों की लोकतांत्रिक समझ और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए, कदाचित, विश्वविद्यालय के लिए एक निर्वाचित निकाय की भी आवश्यकता होगी।

एक बार पुन:, उस प्रावधान के साथ, जिसका मैंने उल्लेख किया है, मैं इस विधेयक को लाने के लिए मंत्रालय की प्रशंसा करना चाहता हूं। इसमें विलंब नहीं किया गया है। इसे लगभग पन्द्रह दिन पहले राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है। इसलिए, यह विधेयक एक समुचित विधान है, जिसे सभा में लाया गया है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, जिसे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य में स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए लाया गया है। मैं मणिपुर की जनता और मणिपुर की भावी पीढ़ियों को इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्राप्ति पर अग्रिम रूप से बधाई देता हूं।

मणिपुर की पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अपनी ही अनूठी, समृद्ध और गतिशील संस्कृति है। इससे थोड़ा सा आगे जाकर मैं कह सकता हूं कि वास्तविक भारतीय संस्कृति के दर्शन मणिपुर में किये जा सकते हैं। हम मणिपुर विधेयक पर चर्चा कर चुके हैं और विश्वास करते हैं कि इन खंडों में अधिक कुछ भी जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, माननीय मंत्रीजी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रमों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषयों को अधिक महत्व दिया जाए।

मणिपुर के अपने ही खेलकूद, संस्कृति और नाटक हैं और यह इस देश से कुछेक मायनों में आगे है। दूसरी ओर मैं इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण है किंतु इसके केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील होने पर, इसमें 7.5 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजातियों और 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है। मणिपुर में नक्सलवादी समस्याओं को देखते हुए, इस आशय का एक खंड अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए कि इसको अखिल भारतीय स्तर तक नहीं बढ़ाया जाएगा बल्कि मौजूदा 33 प्रतिशत को न्यूनतम किया जाए अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु ऐसा ही कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मुझे भारत सरकार के प्रति खेद है। मैं अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमें इस देश के प्रति बहुत खेद है। सर्वप्रथम, मुजीबुर्रहमान और जिन्ना के समय में, यदि डा. गोपीनाथ बोरदोलोई वहां नहीं होते, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किया जा सकता था। अभी भी भारत सरकार, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगण और कांग्रेस दल, चीनी आक्रमण के दौरान 1962 में नेहरू द्वारा कहे गए शब्दों से त्रस्त हैं, जिसने संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को चीन के रहमोकरम पर छोड़ दिया। पूर्वोत्तर के साथ हमेशा ही भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है?

माननीय कैबिनेट मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वी भाग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शोर-शराबे की प्रतीक्षा क्यों कर रही है?

पूर्वोत्तर के हमारे छात्रों को देश के महानगरों में प्रवेश हेतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अलग पहचान है। इसके अतिरिक्त, हर वर्ष पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को दिल्ली विश्वविद्यालय तथा देश के अन्य महानगरों में विश्वविद्यालयों में पूर्वोत्तर के छात्रों को प्रवेश दिलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यूपीए सरकार विशेषकर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि मणिपुर विधेयक के साथ, अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक तथा त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक क्यों नहीं लिये जा रहे। यह बहुत ही खेद का विषय है।

मेरे सहयोगी ने बताया है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हमें संयम रखना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वी भाग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए भारत सरकार को किस प्रकार के संशय की अपेक्षा है? मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से स्पष्ट अनुरोध करूंगा कि अपना उत्तर देते समय इस सभा में एक वक्तव्य रखा जाए कि विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा त्रिपुरा में तीन और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

अपराह्न 3.49 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन* हुए]

हमारे यहां बहुत से कॉलेज हैं। इस सम्माननीय सभा में मुझे यह बताते हुए बहुत शर्म आती है कि अरुणाचल प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो कॉलेज हैं, जिनके भवन बांस और जंगली पत्तों से बने सामान्य/अस्थायी भवन हैं। क्या 21वीं शताब्दी की यह स्थिति है? क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की यही आवश्यकता है?

हमें और शिक्षा तथा अधिक शिक्षित लोगों की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के बावजूद हम देश के उस भाग में अच्छे शिक्षित नागरिकों को तैयार करने में पीछे चल रहे हैं। इसके स्थान पर हम भूमिगत गतिविधियों वाले और लोगों को तैयार कर रहे हैं। देश के उस भाग में कानून और व्यवस्था की स्थिति एक वास्तविक समस्या है। इसलिए, बेहतर शिक्षा ही एकमात्र दवा है। अनुशासित नागरिकों, अच्छे राजनीतिज्ञों और शिक्षाविदों और टेक्नोक्रेटों तथा और नौकरशाहों को तैयार करने के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा ही समाज में एक दवा है। इसलिए मैं इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह बात कहना चाहता हूं।

मैं अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का गौरव हूं। आज मैं इस संसद में पहुंच चुका हूं। परन्तु अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थिति को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि माननीय मंत्री महोदय अरुणाचल विश्वविद्यालय जाकर वहां की स्थिति का निरीक्षण करें तो, भविष्य के लिए यह सबसे अच्छी बात होगी। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में और विश्वविद्यालय को तत्काल स्वीकृति दी जाए। हम विशेषकर मणिपुर राज्य के बारे में आपके वक्तव्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मणिपुर तथा संपूर्ण पूर्वोत्तर की ओर से मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि मणिपुर को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल रहा है। इसका अर्थ है कि अब और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम और साक्षरता, और टेक्नोक्रेट तथा नौकरशाह होंगे। मैं मणिपुर के लोगों को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): सभापति महोदय, मैं मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में वे सुविधाएं नहीं हैं जो देश के मैदानी इलाकों में उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सहायता देने का भी वायदा किया था। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसे केवल मणिपुर में ही प्रदान नहीं करना चाहिए बल्कि, अन्य राज्यों में भी प्रदान करना चाहिए जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, पांचवां अनुसूचित क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे दूरस्थ क्षेत्र हैं। अत: यह न्यायोचित है। इसे न्यायोचित ठहराते हुए भारत सरकार को अब देश के अन्य भागों में अन्य गंतव्यों में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने पर विचार करना होगा। मैं देश के पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों का हवाला देता हूं। पांचवां अनुसूचित क्षेत्र, अनुच्छेद 244 के

[श्री गिरिधर गमांग]

अंतर्गत एक संवैधानिक सीमा है। पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों के अधिकतर क्षेत्र आते हैं। हमारे यहां आठ राज्य हैं जो पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है तो देश के पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में अब तक इस प्रकार का विश्वविद्यालय नहीं है।

हालांकि, मैं यहां इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मेरा कहना है कि पांचवें अनुसूचित क्षेत्र विशेषकर उड़ीसा में हम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना सकते। जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री था तो मैंने तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी।

एक विश्वविद्यालय मयूरभंज के अनुसूचित क्षेत्र में था, दूसरा बालासोर में तथा तीसरा संस्कृति विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में था। मैंने कोरापुट में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी। परन्तु चुनावों की घोषणा के कारण मैं उस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सका था। परन्तु बाद में, वर्तमान राज्य सरकार कोरापुट में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकी।

राज्य सरकार अब निर्णय ले सकती है। परन्तु भारत सरकार के समक्ष मेरा प्रस्ताव है कि उड़ीसा सरकार के प्रस्तावों के आधार पर कोरापुट में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता तथा कोरापुट में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का मामला भारत सरकार के साथ क्यों नहीं उठाया जा सकता? बुनियादी ढांचे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरापुट में एक विश्वविद्यालय को उचित ठहराने के लिए सभी चीजें उपलब्ध हैं।

महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण मांगने के बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा। उड़ीसा राज्य सरकार एक विज्ञान संस्थान बनवाने के लिए भारत सरकार से बहस कर रही है। इसमें विलंब हो रहा है। इसे शीघ्र किया जाना चाहिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्थान के बारे में विलंब राज्य सरकार की ओर से हो रहा है अथवा भारत सरकार की ओर से। यहां भ्रम की स्थिति है, जिसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव था। वह यूजीसी के विचाराधीन था। यूजीसी अधिनियम इस प्रकार के संस्थान की अनुमति नहीं देता जैसाकि भारत सरकार ने उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि यह यूजीसी के कार्यक्षेत्र में आता है या नहीं। मैं समझता हूं कि हमें भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार का दृष्टिकोण पता होना चाहिए। यह पता लगाया जाना चाहिए कि पुणे तथा कोलकाता में प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत है अथवा नहीं। यदि वह यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत आता है तो क्या उड़ीसा सरकार के अनुरोध के अनुसार यह संस्थान भी इसके अंतर्गत नहीं आ सकता? यदि यह यूजीसी अधिनियम के कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो सरकार द्वारा ऐसा निर्णय क्यों लिया गया?

परन्तु, उड़ीसा इस राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का हकदार है, जब दो स्थानों पर इसकी स्थापना का निर्णय किया गया था ...*(व्यवधान)* इसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। यह प्रमुख बिंदु नहीं है, जिसका हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था तथा उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया था। मुख्य बिंदु यह है कि क्या भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान अथवा राष्ट्रीय विज्ञान एवं शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बारे में निर्णय ले लिया है। ये दो बातें हैं। इसे स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरे राज्य को इस राष्ट्रीय संस्थान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विकास की मांग सदा रहती है। परन्तु आपको अपनी बात को उचित सिद्ध करना चाहिए और यहां हमारा तर्क बिलकुल वैध है। इसलिए भारत सरकार को इन दो मुद्दों पर विचार करना चाहिए ताकि मेरा राज्य उड़ीसा इस संस्थान से वंचित न हो सके तथा लोग सरकार के निर्णय से संतुष्ट हो सकें।

[हिन्दी]

श्री धावरचंद गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। वास्तव में यह विधेयक समर्थन योग्य है। मेरी अपनी मान्यता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में और ऐसे राज्यों में, जहां विदेशी सीमाएं लगती हैं अर्थात हमारी देश की सीमा पर जो राज्य हैं जहां जातिवाद, भाषावाद और अलगाववाद की स्थिति है, वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 4.00 बजे

मणिपुर में अभी जो विश्वविद्यालय है, वह सन् 1980 से राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति केन्द्र सरकार के बराबर नहीं हो सकती, अत्यधिक जर्जर है। ऐसी स्थिति के कारण उस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जो शिक्षा सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वह विश्वविद्यालय अस्त-व्यस्त स्थिति में था। इस कारण मणिपुर के छात्र कहीं दिल्ली, चेन्नई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुम्बई, कोलकाता आदि स्थानों पर जाकर पढ़ाई करते थे। परंतु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बहुत सारे छात्र उच्च शिक्षा के लिए इधर-उधर नहीं जा सकते थे। वे अगर पढ़ना चाहते थे तो आधुनिकतम साधनों का अभाव था। मैं समझता हूं केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने से केन्द्र

सरकार उनके लिए अर्थ की व्यवस्था करेगी और जो आधुनिकतम साधन और उपकरण शिक्षा के लिए होने चाहिए, वे सब उपलब्ध हो सकेंगे। इस कारण वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा सुलभ होगी और सस्ती भी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें बाहर आने-जाने में जो कठिनाई होती थी, वह नहीं हो सकेगी। इसलिए यह विधेयक समर्थन योग्य है।

मैं इसके साथ-साथ सरकार से एक मांग करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य विदेशी सीमा से लगे हुए हैं। त्रिपुरा बंग्लादेश से लगा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी और अगरतला में ज्यादा दूरी नहीं है। इस कारण वहां घुसपैठिए आते रहते हैं और देश के खिलाफ वातावरण बनाने का काम करते हैं। त्रिपुरा में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। त्रिपुरा में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए।

ठीक इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है। वहां का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिलचर और तेजपुर में हैं। ऐसी स्थिति में अरुणाचल प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह भी चीन से लगा हुआ है और म्यांमार से भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वहां विदेशी घुसपैठ की आशंका लगी रहती है। वहां की भावी पीढ़ी, जो नवयुवक पढ़ने-लिखने की स्थिति में नहीं हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये लोग भ्रमित करते हैं और देश के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको और हम सबको अनुभव हो रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें रोकने के लिए उच्च शिक्षा का होना अरुणाचल प्रदेश के लिए जरूरी है। इसलिए वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। मैं उसके लिए सरकार से मांग करता हूं।

ठीक इसी प्रकार से सिक्किम में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं और लोगों को ज्यादा दूर आने-जाने में दिक्कत होती है। मणिपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 पर स्थापित हो रहा है। इस मार्ग पर 60 दिन तक आर्थिक अवरोध पैदा किये गये थे। नागालैंड और अन्य राज्यों से वहां सामग्री आती थी, जो कि पूरी तरह से बंद हो गई। जब केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया, तब हवाई जहाज द्वारा दैनंदिनी की आवश्यक वस्तुएं वहां पहुंचाई गई। इसलिए यह राष्ट्रीय राजमार्ग इनसर्जेंसी से त्रस्त है। इसके आसपास के तीन-चार जिले भी इससे प्रभावित हैं। वहां पर यह इनसर्जेंसी पैदा क्यों हुई, क्यों युवक आतंकवादी और अलगाववादी बनाए गए, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से प्रमुख कारण यह प्रकाश में आया कि वहां की सरकार इनसर्जेंसी से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इतना ही नहीं, अभी इलैक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा यह बताया गया कि वहां की सरकार खुद इन लोगों को लाखों-करोड़ों रुपया दे रही थी, जिसके कारण वहां यह सब गड़बड़ हुई। यह विश्वविद्यालय उसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-39 की भूमि पर बनने वाला है। कहीं यह भी आतंकवाद के कारण अस्त-व्यस्त न हो जाए, इसे देखने की व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे ध्यान में रखकर, सुरक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से भी उपाय करें और जो स्ट्रक्चर आप वहां बना रहे हैं, उसमें इन सभी बातों की व्यवस्था करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आने वाले समय में कठिनाई होगी। राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धनराशि की मांग करती थीं लेकिन वह धनराशि उन्हें मिलती नहीं थी। अब चूंकि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, तो उन्हें पैसे का लाभ मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से भी उनको तंगी नहीं होगी, जिससे यह विश्वविद्यालय ठीक से संचालित हो सकेगा। इस विश्वविद्यालय में मैम्बर्स होंगे, सदस्य होंगे, प्राधिकरण होंगे, जिसके कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो अभी विश्वविद्यालय है, उसका ढांचा सुदृढ़ हो जाएगा और पूर्वोत्तर राज्यों को उसका लाभ भी मिलेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि सीमावर्ती राज्यों में भाषावाद और प्रांतवाद बढ़ता जा रहा है और वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय होंगे तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर का वातावरण निर्मित हो सकेगा। इसलिए इन तमाम सीमावर्ती राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह मेरी मांग है और सरकार अगर इस बिन्दु पर ध्यान देगी तो जो समस्याएं वहां पैदा हो रही हैं उनसे हमें निजात मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सभा में होना चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि वे सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं।

सभापति महोदय: मुझे बताया गया है कि उन्होंने अनुमति ली है। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय जी यहां पर हैं। वे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): यह जो मणिपुर यूनिवर्सिटी बिल, 2005 लाया गया है इस पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल की सराहना की है और इसकी उपयोगिता को महसूस करते हुए सभी ने सहयोग दिया है, इसके लिए भी मैं

[श्रीमती कांति सिंह]

उनका आभार व्यक्त करती हूं। जिन माननीय सदस्यों ने यहां उपस्थित होकर इस बिल का मौन समर्थन किया है, उन तमाम साथियों का भी आभार व्यक्त करती हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं।

सभापति जी, जो अध्यादेश लाया गया है, जिसके चलते माननीय पांडा जी ने, माननीय राधाकृष्णन जी ने विरोध जताया है, मैं उनकी भावना की कद्र करती हूं क्योंकि मैं भी पहले सांसद हूं और बाद में मिनिस्टर हूं। इस अध्यादेश को लाने का जो मकसद था, वह यह था कि राज्य सभा में जब यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्य सभा द्वारा इसे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर कर दिया गया। वहां से जो सुझाव आए उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया। उन्होंने जो 18 रिकमेंडेशन किये थे, उनमें से 14 सिफारिशों को समायोजित करके इस बिल को राज्य सभा में लाने का काम हुआ। अध्यादेश लाने का कारण यह था कि एकाडेमिक सैशन जो शुरू होता है, उस समय बच्चों में कोई कमियां न रह जाए, यह देखना पड़ता है। जो बच्चों के एकाडेमिक सैशन का गैप होता है, उसमें बच्चों के हित को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस अध्यादेश को लाने का काम किया। चूंकि किसी को भी केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए एप्वॉन्टमैंट ऑफ दी फर्स्ट वाइस चांसलर, प्रथम कार्यकारी परिषद और शैक्षिक परिषद के गठन के साथ-साथ प्रथम रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी की नियुक्ति—इन सभी प्रक्रियाओं को कवर करना होता है जिसमें काफी विलम्ब हो जाता है। एकाडेमिक सैशन शुरू होता है लेकिन समय पर उसका प्रयोग नहीं होता है। इसकी वजह से हमने इसे अध्यादेश के रूप में लाने का काम किया था। स्टैंडिंग कमेटी में माननीय सदस्यों के जो सुझाव थे, उनको सम्मिलित करके इसे राज्य सभा ने सहमति देकर पास किया है। यहां के सभी माननीय सदस्यों ने भी इस पर सहमति दी है। चूंकि इस बिल की क्या उपयोगिता है, किसलिए इस बिल को लाया गया है, सभी सदस्यों ने इस पर प्रकाश भी डाला है इसलिए उन बिन्दुओं के विस्तार में न जाते हुए खास तौर पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने कुछ बिन्दुओं की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनका जिक्र करना चाहती हूं।

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा के बहुत से माननीय सदस्यों ने मांग की है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विश्वविद्यालयों को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। उन राज्यों की जो आर्थिक अवस्था है, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। मैं यहां किसी तरह का आश्वासन नहीं देना चाहती हूं लेकिन उनकी मांगें बहुत जायज हैं। सरकार का भी इस ओर विशेष रूप से ध्यान है। उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेष परिस्थितियों से हम लोग परिचित हैं और आशा करते हैं कि उन राज्यों में शिक्षा की समस्याएं शीघ्र हल होंगी।

श्री कीरेन रिजीजू: मंत्री महोदया को आश्वासन देने में क्या तकलीफ है?

श्रीमती कांति सिंह: हमारी मंशा अच्छी है। हम पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति से वाकिफ हैं।

श्री कीरेन रिजीजू: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री महोदया ने कहा कि वह हमारी समस्या को समझती हैं लेकिन उन्हें आश्वासन देने में क्या दिक्कत है। हमें आश्वासन चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): चार्ज आपके पास ही रहने वाला है। आप निश्चिंत होकर आश्वासन दे दो।

श्रीमती कांति सिंह: आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया पहले उनकी बात सुनें।

श्री कीरेन रिजीजू: मैंने उनकी बात सुन ली है। उसके बाद ही मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: उत्तर पूर्वी राज्यों की जो स्थिति है, उससे तमाम सदन और सभी लोग वाकिफ हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्हें अपना उत्तर देने दीजिए।

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, यह हमारे राज्य की भावनाओं के विपरीत है।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: सैंट्रल यूनिवर्सिटी की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने आपसे कहा है कि कृपया पहले उनकी बात सुन लें। उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उन्होंने जो कहा है वह पहले ही रिकार्ड में हैं। उन्होंने कहा है कि वह माननीय सदस्यों से पूरी तरह से सहमत है और यह रिकार्ड में है। वे यह कह चुकी हैं कि अन्य राज्यों की तरह वहां पर भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता है।

श्री तापिर गाव: अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किंतु अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लोग एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए कितनी देर तक इंतजार करते रहेंगे? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: मणिपुर यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए अभी बिल आया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, मैं सभा से बाहर जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर आश्वासन देने से इंकार कर दिया है। यह बहुत बुरी बात है।

अपराह्न 4.16 बजे

(इस समय, श्री कीरेन रिजीजू सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: वहां संसाधनों की कमी है, इस बात की तरफ आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। राज्यों के विश्वविद्यालयों को वित्तीय मदद राज्य सरकार मुहैया कराती है और यू.जी.सी. द्वारा विकास के लिए सहायता दी जाती है। *...(व्यवधान)* हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं। यू.पी.ए. सरकार कार्य करने में विश्वास रखती है आश्वासन देने में विश्वास नहीं रखती। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: इसके बाद, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री तापिर गाव: चूंकि वे इस मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं दे रही हैं। इसके विरोध में, मैं भी सभा से बहिर्गमन कर रहा हूं।

अपराह्न 4.17 बजे

(इस समय, श्री तापिर गाव सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: हम वहां की स्थिति से वाकिफ हैं। वहां की परिस्थिति के अनुसार वित्तीय सहायता देते हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढारपुर): महोदय, मैं अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के सदस्यों के विचारों का समर्थन कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं। किंतु अब आप बैठ जाइए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): हमारे सदस्यों को बोलने का पूरा मौका देना चाहिए और दूसरी तरफ के सदस्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्रीमती कान्ति सिंह: राज्य के विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता राज्य सरकार मुहैया कराती है। यू.जी.सी. द्वारा भी सहायता दी जाती है। राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जो अलग-अलग राज्यों में हैं, वहां की शिक्षा की क्वालिटी में कमी आ जाती है, हमने योजना आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया है। इससे चाहे राज्य के विश्वविद्यालय हों या केन्द्र के विश्वविद्यालय हों, उन्हें समुचित मदद दे सकेंगे, इस संबंध में भी हमने योजना आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया है।

अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों की ओर भी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि जिन

[श्रीमती कांति सिंह]

समस्याओं के बारे में कहा गया है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आज सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके लिए तमाम उन लोगों ने समर्थन दिया है जो ऐसे क्षेत्र से हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। उत्तर-पूर्व के ऐसे राज्यों में जहां इस तरह की मदद की जरूरत है वहां शीघ्र सहायता कर सकें, इस बात पर भी विचार करेंगे।

माननीय सदस्य ने स्टूडेंट काउंसिल का जिक्र किया है। यह प्रावधान है कि उसे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्राधिकारी महामहिम राष्ट्रपति जी जो विजिटर हैं, के अनुमोदन से इसे संशोधित कर सकते हैं। स्टेट की सैंट्रल यूनिवर्सिटी नार्मस को छोड़कर एज पर रिक्वायरमेंट स्टेट में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और उसमें कुछ करना चाहते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो विजिटर हैं, उनकी अनुमति लेकर शिक्षा को और भी बढ़ाया जा सकता है।

माननीय सदस्य श्री बसुदेव बर्मन ने चिकित्सा, शिक्षा और विधि संकाय को विश्वविद्यालय से जोड़ने की बात कही है। अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय इन सब और अन्य संकायों को अपने स्टैट्यूट में जोड़ सकेंगे, विधेयक में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है।

सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य की शंका थी कि एस.सी. एस.टी. के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी या नहीं? मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मणिपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उस राज्य में एस.सी. एस.टी. का बाहुल्य है। मैं उनका और सदन का ध्यान विधेयक के खंड (8) की ओर दिलाना चाहती हूं। चूंकि लोगों को शंका हो रही है कि इसमें कमी आ सकती है, इसलिए विधेयक की खंड (8) के परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद सभी कमजोर वर्गों के लोगों के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय उचित व्यवस्था कर सकेगा।

सभापति जी, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, उन सबको विधेयक के खंड (8) में समायोजित कर लिया गया है। इसको शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए इन सब प्रावधानों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार माननीय सदस्यों ने जो रिकमैंडेशन्स दी थीं, हम लोगों ने अधिकांश को समायोजित कर लिया है। विधेयक में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जहां जैसी जिसकी जरूरत होगी, उसके अनुसार उसकी पूर्ति कर दी जायेगी।

सभापति जी, माननीय श्री पांडा जी ने आर्डिनेंस के द्वारा जो बात उठायी है, मैं समझती हूं कि मेरी बात से वह सहमत होंगे और अपने संकल्प को विदड्रा कर सहयोग प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सामान्यतया केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का गठन एक विशेष विषय पर केन्द्रित होता है। उदाहरण के लिए, मैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का उदाहरण दे सकता हूं। ओस्मानिया विश्वविद्यालय का ध्यान भारतीय भाषाओं पर केन्द्रित है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में, अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालय विशेष क्षेत्रों, विषयों, प्रदेशों और विशेष लोगों पर केन्द्रित है।

हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्य ने उड़ीसा के बारे में जानकारी चाही है जबकि यह विधेयक, मणिपुर विश्वविद्यालय के बारे में है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह मैं उन्हें अवगत करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: महताब जी, आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं। मैं विधेयक का समर्थन और उसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय: पाण्डा जी, क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट हूं। मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मणिपुर राज्य में अध्यापन और सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्रीमती कान्ति सिंह: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.27 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मद सं. 25—नियम 193 के अधीन चर्चा।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, हमें खुशी है कि सभा में आज कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी 60% जनता कृषि पर निर्भर है। हमारी मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज, जब हम कृषि की ओर देखते हैं, तो हम मुख्यत: मानसून पर निर्भर हैं। अगर मानसून अच्छा है तो कृषि अच्छी है। अगर मानसून अच्छा नहीं है, तो हमारा सारा कृषि क्षेत्र विफल हो जाता है। इससे यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के बावजूद, हम इस कृषि में मुख्यत: इन्द्रदेव पर निर्भर हैं।

अपराह्न 4.28 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* हुए]

हमें किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों की मुख्य समस्या यह है कि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। हमारे पास एक ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) है। हमारे पास आईसीएआर में 20,000 वैज्ञानिक उपलब्ध हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं। प्रयोगशालाओं में होने वाला विज्ञान का विकास खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। हमारे किसानों के पास वही 30 या 40 वर्ष पुरानी परिपाटियां हैं जैसे कि बीज जो वह बोता था, वही बीज आज भी वह अपने खेतों में बोता है और वह अधिक उत्पादन नहीं कर पा रहा है। हमने विज्ञान में जैव-प्रौद्योगिकी और ट्रांसजैनिक बीज जैसे विकास किए हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देश बीजों की ऊंची किस्में-जैसे कि संकर बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग उन्हें बेहतर बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं ताकि इन्हें और अधिक आय हो।

अब, जब मवेशियों की बात करते हैं तो आज मुख्यत: साठ प्रतिशत किसान गाय, भेड़ या भैंस जैस मवेशियों पर निर्भर है। उन्हें उनसे कुछ दूध प्राप्त होता है और इससे उन्हें कुछ आय हो जाती है। ये वही पुराने पशु हैं जो उन्हें आय नहीं दे सकते हैं। वैज्ञानिक कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लाए हैं और इसमें लगभग 800 रु. लागत आती है। यदि वैज्ञानिक इन किसानों के पास पहुंच सके तो उन्हें बेहतर किस्म की नस्ल प्राप्त हो सकती हैं और इससे वे बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक निकर्षण का संबंध है, हमारे किसान निकर्षण के उन्हीं पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों, ट्रैक्टर आदि का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। अत: कृषि संबंधी अनेक उपकरण आए हैं किंतु वे कृषि के लिए उन्हें प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हैं।

वापस मुख्य मुद्दे पर आते हैं, आज उन्हें अपने आगतों के लिए धन की, ऋण की आवश्यकता है। जब एक किसान फसल ऋण के लिए बैंक जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

बैंकर हर समय किसानों का अपमान करने का प्रयास करते हैं। किसान दस बार बैंक जाते हैं और परिणाम शून्य रहता है। योजना आयोग ने कहा था कि वर्ष 2002-07 के पांच वर्ष में पचहत्तर लाख करोड़ रु. की राशि दी जाएगी। जब हम रिकार्ड देखते हैं तो पाते हैं कि अभी तक उन्होंने ऋण के रूप में केवल सत्ताईस लाख करोड़ रु. ही दिए हैं। योजना आयोग के निदेशों के

[डा. चिन्ता मोहन]

बावजूद हमारे बैंकर किसानों को ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को यहां पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

महोदय, हमारे पास बहुत से बैंक है और कोई भी बैंकर किसानों तक नहीं जा रहा है। बल्कि किसान बैंकों तक जाते हैं। हमें यह करना है कि हमें बैंकरों को किसानों के पास भेजना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि जिस ऋण की उन्हें जरूरत हो, दिया जाए। किसानों को बड़ी मुश्किल से ऋण मिलता है। वे ब्याज का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। वे अपना ऋण वापस लौटाने में समर्थ नहीं हैं। हाल ही में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सौ दिनों में चार बार बाढ़ आई थी। किसानों ने फसल बोई। फसल चार बार पूरी तरह नष्ट हो गई। किसानों ने सहकारी, ग्रामीण बैंकों और निजी ऋणदाताओं से थोड़ा-बहुत ऋण लिया है। उन्होंने ऋण लिया, उन्होंने धान और अन्य चीजें बोई। विशेषकर मेरे क्षेत्र त्रिचूर और नेल्लोर जिलों में और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। किसान अब घोर विपत्ति में हैं। सरकार किसानों तक पहुंच पाने और उनकी मदद करने में समर्थ नहीं है। किसानों की आज यही स्थिति है।

बीमे पर आते हैं। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसी तरह किसानों को फसल बीमा भी दिया जाना चाहिए। हम मंडल को एक इकाई मानते हैं। उससे सहायता नहीं मिलेगी। हमें एक गांव को भी नहीं, अपितु एक व्यक्ति को एक इकाई के तौर पर लेना चाहिए। यदि फसल नष्ट हो जाए तो हमें उन्हें मुआवजा देने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस तरह की बीमा योजना शुरू करनी चाहिए। आज हम आठ राज्यों में 18 जिलों में नमूने के तौर पर फसल बीमा शुरू करने जा रहे हैं। इससे उन्हें मदद नहीं मिलेगी। हमें यह देखने के लिए बाहर जाना होगा कि किसानों को पूरा मुआवजा मिले। सिर्फ इसी तरह से हम किसानों और अपनी अर्थव्यवस्था की सहायता कर सकते हैं।

विपणन पर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि विपणन एक बड़ी चीज है। मैं कहना चाहता था कि समूचे विश्व के आमों का पचास प्रतिशत भारत में पैदा होता है। भारत में होने वाले 50 प्रतिशत आमों के पैदावार में से मेरे अपने जिले में इसकी आधी पैदावार होती है। अच्छी किस्म का आम पैदा करने के बाद उत्पादक केवल तीन रु. किलो आम बेच रहे हैं और वही आम जब मुंबई जाता है और दुबई निर्यात होता है तो 100 रु. किलो बेचा जाता है। यहां सरकार को आगे आना चाहिए और आम उत्पादकों की मदद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें लाभकारी कीमत मिले और उन्हें अच्छी विपणन सुविधाएं मिले।

हमारे पास 'एपीईडीए' है। मुझे नहीं पता कि 'एपीईडीए' क्या कर रहा है। सरकार को 'एपीईडीए' पर दबाव बनाए रखना चाहिए। उन्हें जनता तक जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया भाषण पर ध्यान दीजिए। कृषि एक गंभीर विषय है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है।

डा. चिन्ता मोहन: मैं कृषि संवर्धन के मुद्दे पर आता हूं। आम उत्पादकों को विपणन सुविधा दी जानी चाहिए। गांवों में जो गरीब जनजातियां इमली का उत्पादन करती हैं, उन्हें अच्छी विपणन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वे घोर विपत्ति में हैं। मेरे अपने चित्तूर जिले में, जनजातियों द्वारा इमली का काफी उत्पादन किया जाता है किंतु वे इसे बाजार में बेचने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें सरकार से कुछ सहायता की आवश्यकता है। 'एपीईडीए' को उन तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इमली की खरीद हो और यह भी देखना चाहिए कि किसानों को लाभकारी कीमत मिले।

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादक भी हैं जोकि मुख्यत: गुंटूर और ओंगोल जिलों में हैं। वे अच्छी किस्म के तम्बाकू का उत्पादन कर रहे हैं किंतु उनके पास निर्यात करने की अच्छी क्षमता नहीं है। सरकार को देखना चाहिए कि उन्हें अच्छी निर्यात क्षमताएं प्राप्त हों।

वापस कपास पर आते हैं। इसका उत्पादन भारत में होता है किंतु दुर्भाग्य से हम इसका अमरीका से आयात कर रहे हैं। यह दुखद बात है। आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादक विपत्ति में हैं। वे अच्छी विपणन सक्षमताओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। कृपया देखें कि वे दूसरे देशों को कुछ निर्यात करें और सुनिश्चित करें कि आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों को कुछ लाभ मिले। टमाटर उत्पादक भी हैं। आंध्र प्रदेश में अच्छी किस्म की सब्जियों का उत्पादन होता है। उन्हें भी अच्छी विपणन सुविधाएं मिलनी चाहिए।

धान की बात करते हैं। किसी किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य महत्त्वपूर्ण चीज है। हम गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हम गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। यही न्यूनतम समर्थन मूल्य धान उत्पादकों को भी दिया जाना चाहिए। हमारे पास जन वितरण प्रणाली है। हमें आय आम आदमी के हित का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें किसानों के हित

का भी ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य और पीडीएस मूल्यों के बीच कुछ अंतर हो सकता है। हमें देखना चाहिए कि बजट से कुछ सहायता देकर इसकी क्षतिपूर्ति की जाए।

अब मैं फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करता हूं। इसको आप काफी अधिक बजटीय समर्थन दे रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वार्षिक रूप से 2,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लगभग 20,000 वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में बैठें हैं। किसानों को यह पता कि वे अपनी प्रयोगशालाओं में क्या कर रहे हैं। भारत में किसानों की मानसिकता में पूरी तरह बदलाव लाया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों को गांवों में जाना चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का समर्थन मिले।

आपके यहां राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रावधान है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए आयोग बनाया। पूरे आयोग में एक भी किसान नहीं है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि पूरे आयोग में एक भी किसान नहीं है। आप इसे राष्ट्रीय किसान आयोग कहते हैं। आप इसे राष्ट्रीय किसान आयोग क्यों कहते हैं जब आयोग में कोई किसान नहीं है? आपने इसमें सेवानिवृत्त नौकरशाहों, तकनीकीविदों और वैज्ञानिकों को क्यों रखा है? आप इस आयोग में किसानों को भी अवसर दे सकते थे जिससे कि वे अपनी बात आपको बता सकें।

आपन इलायची बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड एवं ऐसे कई बोर्ड हैं। इन सभी बोर्डों में एक भी किसान अध्यक्ष नहीं है। आप इनमें किसानों को क्यों नहीं रख सकते जोकि वास्तविक रूप से इन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं? आप इन्हें इन बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में क्यों नियुक्त नहीं कर सकते जिससे कि वे सेवानिवृत्त नौकरशाहों से बेहतर योगदान दें सकें?

गत वर्ष के बजट में, सरकार ने यह वचन दिया था कि एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र के बराबर नई भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। बजट में इसका उल्लेख किया गया है। अब तक मैंने 1,000 एकड़ नई भूमि में भी खेती नहीं देखी है। आपने बजट में यह कहा है कि आप इसका ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष एक करोड़ हेक्टेयर नई भूमि में खेती हो। अब तक, इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सामाजिक न्याय मंत्री भी यहां मौजूद हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि बजट में उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु जल निकायों और सिंचाई सुविधाओं हेतु 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा बजट में कहा गया है। मैं नहीं जानता कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु नियत 8,000 करोड़ रुपए के बारे में योजना आयोग में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस धन को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सिंचाई सुविधाओं के लिए धन प्रदान करेगी। मेरे विचार से, इस पर 1 करोड़ रुपए भी व्यय नहीं किए गए हैं। आपने बजट में यह वचन दिया है कि आप इसे निर्धन लोगों, दलित लोगों एवं वंचित लोगों पर व्यय करेंगे परन्तु अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। आज रेलवे द्वारा विशेष बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि के लिए भी विशेष बजट होना चाहिए। उक्त बजट को रेल बजट की तरह संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए और जो भी कृषि मंत्री हो उसे कृषि के लिए विशेष बजट प्रस्तुत करना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र को समर्थन मिल सके। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है।

महोदय, हमारी जनसंख्या का 60 प्रतिशत से अधिक कृषि पर निर्भर है। इसलिए, सरकार को कृषि क्षेत्र हेतु विशेष बजट प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार को किसानों की समस्या को समझना चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

अब, मैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे राज्य में यूरिया की कमी की समस्या है। मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री, जो कि यहां मौजूद हैं, से रसायन और उर्वरक मंत्री से वार्त्ता करने और यह देखने का अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य में यूरिया की कमी की समस्या को तत्काल दूर किया जाए।

नई सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ करने के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास काफी धन उपलब्ध है और इसलिए सरकार को खेती करने के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत करने वाली हैं और उन्हें भारत सरकार से कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं भारत सरकार से इन नई सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं। पुन:, जब सरकार कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ करती है, तो किसान प्रभावित होते हैं और इसलिए उन्हें समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

[डा. चिन्ता मोहन]

मैं किसानों पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के प्रभावों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गत 14 वर्षों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने के बाद से दो वर्गों के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक वर्ग किसानों का है और दूसरा वर्ग निर्धन लोगों का है। किसानों के हितों का ध्यान सरकार द्वारा रखा जाना चाहिए। हम हांग-कांग जा रहे हैं और कई समझौतों पर वार्त्ता और उन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। परन्तु किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सरकार को किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।

अंततः, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि के लिए सरकार से और अधिक बजटीय समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है ताकि कृषि मंत्रालय किसानों के लिए और अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। अतएव, मैं एक बार फिर सरकार से कृषि के लिए विशेष बजट रखने और किसानों के हितों की रक्षा करने का आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति जी, आपने मुझे किसानों की समस्याओं के बारे में अपनी बात सदन में रखने की अनुमति प्रदान की। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान की खुशहाली दो "जी" पर डिपेंड करती है। एक जी-गॉड और दूसरी जी-गवर्नमेंट। आज किसान न गॉड से खुश है और न गवर्नमेंट से। यदि अच्छी बारिश हो जाए, तो किसान खुश होता है और गवर्नमेंट की पालिसी अच्छी बनें, किसानों के हित की बनें, तो किसान खुश होता है। हमारी इकनौमी किसान की खुशहाली से सीधी और पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अगर बाजार में मंदा है, तो एक ही बात चलती है कि आज किसान बुवाई में लगा हुआ है और आज किसान कटाई में लगा हुआ है। बाजार की इकनौमिक कंडीशन और राज्य की खुशहाली वहां के किसान पर निर्भर करती है।

सभापति महोदय, आज किसान इतना दुखी क्यों है, इस तरफ हमें गौर से देखना पड़ेगा। किसान को फसल बोने से लेकर फसल काटने तक और फसल काटने से बाजार में मार्केटिंग तक, प्राब्लम ही प्राब्लम फेस करनी पड़ती हैं। किसानों को बीज अच्छा नहीं मिलता, उन्हें खाद समय पर नहीं मिलती और उन्हें पानी भी नहीं मिलता। इन समस्याओं से किसान हमेशा जूझता रहता है। किसान के घर-परिवार का जितना भी बोझ है, फिर चाहे वह एजूकेशन की बात हो, सोश्यल इंगेजमेंट की बात हो और चाहे हैल्थ की बात हो, उसे हर बात के लिए खेती पर निर्भर करना पड़ता है। आज किसान की खेती पर इतना बड़ा बोझ हो गया है कि वह सहन नहीं कर पा रहा है। किसान को अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो उसे जमीन मार्टगेज करनी पड़ती है। बच्चे को पढ़ाना है, तो जमीन मार्टगेज करनी पड़ती है। अगर कोई बीमार हो गया, तो इलाज के लिए जमीन मार्टगेज करनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है। किसान को हर बात के लिए अपनी जमीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

मैं खास तौर पर पंजाब की बात करूंगा, एक सोशल प्राब्लम भी वहां आ गई है। एक इंस्टांस मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक किसान को अपने बेटे की शादी करनी थी। लड़की वाले देखने आये तो उन्होंने देखा कि जमीन है, सब कुछ है, लेकिन रिश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर नहीं है। उस किसान ने जब सोचा कि बेटे का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है तो उसने लैंड मार्टगेज करके ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर को अपनी हवेली में खड़ा किया तो ट्रैक्टर देखकर शादी हो गई। उसके बाद उसने उस ट्रैक्टर को बेच दिया, लेकिन चूंकि जमीन पर लोन है, इसलिए कम रेट में ट्रैक्टर बिका और लोन पे करने के लिए वह फिर वही चक्कर चला, जो आप सुनते हैं।

पंजाब में सुसाइडल ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। कारण कि किसानियत इतनी लाभप्रद नहीं रही तो बहुत सी समयाएं हैं, तो किसान फेस करता है। अगर पंजाब के किसान को देखा जाये तो जब भी जरूरत पड़ी है, उसने ज्यादा मेहनत करके केन्द्र के भंडार में मैक्सीमम अनाज दिया है। मेरे पास कुछ डाटा है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं उन समस्याओं की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और उनका हल क्या है, वह भी बताने की कोशिस करूंगा। पंजाब में दो एन.जी.ओज. ने सर्वे किये हैं। एक इंस्टीट्यूट फार डवलपमेंट एण्ड कम्युनिकेशन (आई.डी.सी.) और दूसरा एसोसिएशन फार डैमोक्रेटिक राइट्स है। वहां दो तरह के किसान दुखी हैं, एक तो वे हैं जो स्माल फार्मर्स हैं और दूसरे लैंडलैस लेबरर्स हैं, जिन्होंने रेंट के ऊपर जमीन ले रखी है या वे टेनेंट हैं। सर्वे में उन्होंने बताया कि जो सुसाइड करने का ट्रेंड है, उसके 20 परसेंट विकटिम वे किसान हैं, जो व्हीट और काटन बीजते हैं और 65 परसेंट किसान वे हैं, जो व्हीट एण्ड पैडी बीजते हैं। इस सुसाइडल ट्रेंड के जो चार कामन फैक्टर्स आये, उनकी स्टडी के मुताबिक जिन किसानों ने सुसाइड किया, वे सिर्फ जमीन पर

ही डिपेंडेंट थे, उनके परिवार का कोई भी मैम्बर सरकारी नौकरी में नहीं था। दूसरा फैक्टर था कि उनके पास जमीन के अलावा तीसरे कोई सोर्स आफ इनकम नहीं था। चौथे कामन फैक्टर में सुसाइड करने वालों में ज्यादातर मेल मैम्बर थे, एक इन्सटांस उन्होंने फीमेल मैम्बर का भी बताया है। सुसाइडल ट्रेंड के रेश्यो में 30 परसेंट फार्मर्स वे थे, जो अनपढ़ थे। 26 परसेंट फार्मर्स ने प्राइमरी तक अपनी एजुकेशन ली थी और 21 परसेंट फार्मर्स मिडिल पास थे। सुसाइड कैसे की, इनमें कुल 77 परसेंट किसानों ने दवाई खाकर सुसाइड की और बाकी में एक बर्निंग का केस है और एक डोनिंग का केस है।

पंजाब में तीन तरह का रिवोल्यूशन आया। पहला ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जब किसानों के पास नई टैक्नोलोजी दी गई तो वहां के किसानों ने 6.63 परसेंट एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से पैदावार बढ़ाई, लेकिन जो सैकिण्ड डिकेड आया, उसमें नये बीज, खाद, व्हीट और राइस की नई वैरायटीज के कारण 4.74 परसेंट ग्रोथ हुई। थर्ड डिकेड में सिर्फ 3.87 परसेंट ग्रोथ रेट रही। जैसे-जैसे टैक्नोलोजी बढ़ी, ग्रोथ रेट कम हुई। कारण कि जो किसान का खेती करने का ढंग था, जो उपज थी, उसकी शक्ति कम हुई है और ज्यादा हार पंजाब में किसान की खाद के कारण है। करीब ढाई लाख नौजवान हर वर्ष एम्पलायमेंट के लिए पैदा होते हैं, एम्पलायमेंट पूल में जाते हैं, लेकिन किसान के पास इतनी जमीन नहीं है कि वह अपने सभी बच्चों को, जिनको एम्पलायमेंट चाहिए, वह उनको एम्पलायमेंट दे सके।

किसान अनएम्पलायमैंट के कारण दबता है और अपनी खेती को बेचने की कोशिश करता है।

एक सर्वे के मुताबिक किसान ने 68 प्रतिशत लोन अनप्रोडक्टिव कारणों से लिया। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को सोशली और लीगली कुछ स्टैप्स उठाने पड़ेंगे। किसान की समस्याओं को देखते हुए, एनजीओज ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे फैमिली काउंसलिंग—उनके पास जाकर उन्हें समझाना, एम्पलायमैंट जनरेट करना और उन्हें फाइनैंशियल असिसटैंस देना। अगर किसान को पैसे से सहायता नहीं की जाएगी, तो वह बोझ तले दबा रहेगा, उससे ऊपर नहीं उठ सकेगा। मेरे ख्याल से किसानों की समस्याओं को डा. चिन्ता मोहन ने बहुत अच्छी तरह रखा।

मैं पंजाब का एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जो हिस्ट्री में कमी नहीं हुआ। कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के निराला गांव के 50 वर्षीय गुरुदेव सिंह अपनी फसल लेकर मंडी में यह सोचकर एक हफ्ते तक बैठा रहा कि उसकी फसल आज बिकेगी, आज बिकेगी। उसके घर से उसके लिए रोज रोटी जाती रही, लेकिन समाचार पत्रों में निकलता रहा कि सरकार परचेज नार्म्स को चेंज करने वाली नहीं है, 4 प्रतिशत डैमेज से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। सात दिन तक मंडी में बैठने के बाद किसान ने अपनी फसल के पास ही अपने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। किसान अपनी फसल बेचने मंडी में गया हो और वहीं पर उसने आत्महत्या कर ली हो, मेरे ख्याल से मेरे इंस्टांस पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई मदद नहीं दी गई।

मैं सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। कार खरीदने के लिए जीरो परसैंट इंटरेस्ट पर लोन के बोर्ड बहुत पढ़ने को मिलते हैं, बड़े-बड़े एड लगाए जाते हैं, लेकिन यदि किसी किसान ने अपना घर खरीदने के लिए, ट्रैक्टर या कोई और चीज खरीदने के लिए लोन लेना हो तो उसके लिए रेट आफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। किसान के लिए रेट आप इंटरेस्ट कम करना होगा।

मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। जब एनडीए सरकार थी, तब किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड दिए गए थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अविनाश राय खन्ना: सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के हिसाब से आपको समय दिया गया है।

श्री अविनाश राय खन्ना: मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पंजाब में किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड ईशू किए गए। जब उन्होंने क्रैडिट कार्ड लिए तो उनकी जमीन मार्टगेज करनी थी, लेकिन उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी। अब पंजाब सरकार ने उन किसानों को नोटिस देना शुरू कर दिया है कि आप स्टैम्प ड्यूटी दें, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर किसान को 5,000-6,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़े, तो वह एक बार फिर बोझ तले दब जाएगा। मंत्री जी, आप सरकार से पूछें, वह एज लैंड रिवैन्यू स्टैम्प ड्यूटी क्यों चार्ज कर रही है?

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जो लोग स्टैन्डर्ड रेट आफ इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे साहूकार, आढ़ती आदि, उनके खिलाफ कागनीजेबल आफैंस बने ताकि अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया है तो किसान उसके खिलाफ कम्पलेंट कर सके। यदि ऐसा होगा, तो किसानों को बहुत राहत मिल सकती है। किसान बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपकी थोड़ी मदद से उनका बहुत भला हो सकता है।

श्री महबूब जाहेदी (कटवा): माननीय सभापति महोदय, आज ही हांगकांग में वह मीटिंग हो रही है। आज असली चर्चा का विषय किसान है। हमने टीवी में दो फ्लैकार्ट देखे, जिनमें से एक में लिखा था—डब्ल्यूटीओ को डुबा दो, विश्व व्यापार संगठन को समाप्त करो।

एक बात और है कि किसी को डब्ल्यूटीओ एग्रीमैंट पर साइन नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ लागू नहीं होगा और न ही करना चाहिए। वहां पर हजारों किसान खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, यह हमने टी.वी. में देखा है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पहले सिएटल, कानकून और अब हांगकांग में इसकी बैठक हो रही है। हमें बोलना चाहिए कि हम लोग इस पर कभी भी राजी नहीं हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेकर अपने देश के हिसाब से अपनी प्रगति करेंगे, मगर इस डब्ल्यूटीओ एग्रीमैंट के हिसाब से नहीं करेंगे। सरकार को स्पष्ट रूप से यह कहकर वापस आना चाहिए और किसान के सामने खड़ा होकर बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं इसलिए आप काम करो, और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलाजिकल डेवलपमैंट करो। और हम तुम्हें उन्नत बीज देंगे, खेत देंगे, जमीन देंगे सिंचाई के साधन देंगे और आपके साथ खड़े होंगे। यह मेरी आपसे पहली अर्ज है।

सभापति महोदय, ग्लोबलाइजेशन हुए दस साल गुजर गये हैं। अगर हम इन दस सालों के हिसाब से देखें दो इस क्षेत्र के लिए जो बजटरी पैसा है, वह वर्ष 1970-80 में 16.4 परसेंट था लेकिन 1980 के बाद वह घटकर वर्ष 2004 में 6 परसेंट रह गया है। अभी यह बजट थोड़ा बढ़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जीडीपी ग्रोथ का 30 परसेंट किसानों द्वारा ही प्राप्त होता है, लेकिन हम उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि 60 परसेंट लोगों की जीविका कृषि पर ही चलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम उन पर क्यों नहीं सरकारी इन्वेस्ट करते? हर बाहर के आदमी पर निर्भर करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। सरकार इस संबंध में कोई योजना नहीं बनाती। जब तक योजना नहीं बनेगी तब तक किसान की कैसे तरक्की होगी? हमें इसे भी देखना होगा।

सबसे अफसोस की बात खेती के बारे में है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हाउस से चले गये हैं। खेती की हालत बहुत खराब है। हम भारत में सिंचाई क्षेत्र हेतु वास्तविक कार्य योजना के बगैर बहुत बातें कर रहे हैं। खेती केवल थोड़ी सी जगह पर ही होती है। बिहार का एक हिस्सा सैलाब से भरा हुआ है और दूसरे हिस्से में, यानी करीब 20 हाथ की दूरी पर सूखा पड़ा हुआ है। हमने खुद जाकर इसे देखा है। जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। अब इरीगेशन और इलैक्ट्रीसिटी की क्या हालत है? इसी तरह बीज कहां है? हम बीज बनाते नहीं हैं बल्कि उसे बाहर से लाते हैं। हम बीज को जेनेटिक सिस्टम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से लागू करना चाहते हैं लेकिन वे बहुत खराब निकलते हैं, फिर भी हमें उनको उपयोग में लाना पड़ता है। इसी तरह फर्टिलाइजर के बारे में है। हमारे देश में फर्टिलाइजर के पांच कारखाने हैं, जिनमें से तीन कारखाने बंद हो चुके हैं और एक बंद होने के कगार पर है। हमारे देश में फर्टिलाइजर की बहुत कमी है, इसलिए हमें इसे बाहर से मंगाना पड़ता है। उसे हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इसके लिए हमें पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है।

अपराह्न 5.00 बजे

आप एग्रीकल्चर का खर्च देखिए। हमारे किसान जब एग्रीकल्चर का खर्च करते हैं, उनका खर्च चार प्रतिशत होता है और जब इंकम करते हैं, तो 1.5 प्रतिशत इंकम होती है, यानी नुकसान होता है। इस बारे में नेशनल सर्वे किया गया है। आप देखिए कि पचास प्रतिशत जो किसान हैं, वे कर्जे में डूबे हुए हैं और हर घर 12,525 रुपये के कर्ज में है। बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उन्हें जो पैसे देते हैं, वह 12 से 14 प्रतिशत होता है और बाकी पैसा उन्हें महाजन से लेना पड़ता है और वहां से ही उनका कर्जा बढ़ता है। उसके बाद आत्महत्या बढ़ती है। आंध्र प्रदेश, केरल और चेन्नई में 4000 किसानों ने आत्महत्याएं की। उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नेशनल एंड एग्रीकल्चर पालिसी का क्या मतलब है? असलियत यह है कि किसान को बचाने का उपाय करो, किसान की जमीन से अन्न उगाने की ताकत बढ़ाओ, वही असली नेशनल पालिसी होगी। नहीं तो नेशनल पालिसी होगी—कर्जा बढ़ता जाए, आत्महत्या बढ़ती जाएं, यही नेशनल पालिसी होगी। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। डब्ल्यू.टी.ओ. की दो मीटिंग फेल हो गई। अभी हांगकांग में हो रही है। हमारे यहां के दो-चार प्रतिनिधि भी हांगकांग में गये हैं। वे क्या कर रहे हैं? ग्यारह देश के आदमी वहां हाजिर हैं। जापान के हैं और भी सब हैं। मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि हम सब जो गये हैं, कम से कम विकासशील देशों के साथ मिलकर, साम्राज्यवादी देश जैसे अमरीका, ब्रिटेन और जापान और भी जो देश हैं, उनकी कोशिश को रोका जाए। जो उत्पादन 64 मिलियन टन बढ़ा था, वह घटकर कम हो गया है। अभी मैं केरल का उदाहरण दूंगा। केरल राज्य के सदस्य यहां हैं। वे इसे गंभीरता से महसूस कर सकते हैं। हम यह मानते हैं कि काली मिर्च का निर्यात 1999-2000 में 42806 टन होता था, उसके मुकाबले 2004-05 में अब घटकर 14150 टन हो गया है और भाव गिर गया है। आत्महत्याएं हो रही हैं।

इलायची की हालत यह है कि 6500 से 7500 थोड़ा सा बढ़ा है और बादाम का दाम दिन पर दिन घट रहा है। क्या अमरीका

और डब्ल्यूटीओ के लिए मार्केटिंग लॉ है? हमारा जो गांवों और शहरों में मार्केटिंग सिस्टम था, वह सब मार्केटिंग लॉ करके खत्म हो जाएगा। हम स्वयं स्टैडिंग कमेटी आफ एग्रीकल्चर में हैं, हम आईसीएआर में हैं। हम बाद में यह नहीं बोल सकते कि मार्केटिंग लॉ अगर होगा तो मार्केटिंग लॉ के बारे में सब किसानों को मालूम हो जाएगा। मेरे अभी एक मित्र यहां बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज डा. स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट है। नेशनल कमीशन, नेशनल बोर्ड के बारे में भी यहां चर्चा हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कि आई.सी.ए.आर. में हजारों पद खाली हैं। वही हम पूरा नहीं कर सके और नेशनल बोर्ड और नेशनल कमीशन, हजारों कमेटी बनाने की क्या जरूरत है उसके लिए आदमी कहां से मिलेंगे, पैसा कहां से मिलेगा क्योंकि हमारा बजट ज्यादा नहीं है।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और इसे आप जानते भी हैं कि आज बर्ड फ्लू जापान, चीन सहित पूरी दुनिया में फैल रहा है अभी तक इस वायरस की पहचान नहीं हो सकी है। अगर यह रोग आदमियों में फैलने लगा तो आज जैसे चिड़ियों की जान जा रही है, वैसे ही आदमी की भी जान जाएगी। इसलिए इसके बारे में रिसर्च और सब प्रकार से कोशिश करके इस बीमारी को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए, इसको बजटरी सपोर्ट दिया जाए। हम बाहरी ताकतों के सहयोग की बजाय अपने देश के किसान का हाथ पकड़कर अपनी इकोनोमी को बनाएंगे और मेरा हिन्दुस्तान अपनी आजादी के हिसाब से चलेगा। इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन डा. चिंता मोहन और श्री संतोष गंगवार द्वारा प्रस्तावित की गयी चर्चा—कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं–में भाग लेने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, जैसा कि सभी को मालूम है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज भारतीय कृषि बाजार की वैल्यू की चेन बहुत लम्बी है। यदि देखा जाए तो कृषि उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत किसानों की झोली में जाता है, बाकी 70 प्रतिशत हिस्सा बिचौलियों, आढ़तियों या एजेंट्स की जेब में जाता है। लगातार पिछले ढाई वर्षों में कृषि उपज 3 प्रतिशत के हिसाब से घटी है और इस वर्ष खाद्यान्न जमा भण्डारों में 40 मिलियन टन की कमी रही है। उत्पादकता के क्षेत्र में कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र मानकर उसमें पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करके ही हम किसानों का भला कर सकते हैं और किसानों को आसान किश्तों पर सर्वाधिक ऋण दिया जाना चाहिए। यह सुझाव कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी दिया है। हमने एक बात बार–बार सदन में कही है जिस पर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि कृषि और किसान को कर्ज की चक्की में पीसकर हम कृषि और किसानों का भला नहीं कर सकते हैं। हमें उनके हित के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कही गयी है। हमने देखा है कि ज्यादातर विदर्भ, महाराष्ट्र या खानदेश के इलाकों में पिछले तीन वर्षों में लगभग 646 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं हुई हैं। आज किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज किसानों का जीवन पूरी तरह से कर्ज पर निर्भर हो गया है। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। कर्ज के ऊपर आधारित उनकी उपज में 50 प्रतिशत की कमी आ गयी है जिससे आज हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि खेती के क्षेत्र में राज्य सहायता की अहम भूमिका होनी चाहिए, राज्यों को प्राथमिकता दी जाने चाहिए तभी हम किसानों को उचित सुविधा दे सकते हैं। कृषि और किसान के लिए चाहे वह उर्वरक की बात हो, कीटनाशक दवाओं की बात हो, उन्नतशील बीजों की बात हो, सिंचाई और बिजली की व्यवस्था करने की बात हो, हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी जब शनिवार और रविवार को सदन नहीं चल रहा था, हम अपने क्षेत्र में गए, हमें पता लगा कि किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है और उसे न तो डीएपी खाद मिल रही है, न यूरिया मिल रही है। हमें पता लगा कि हमारे यहां इलाहाबाद स्थित इफ्को फैक्टरी ने पता नहीं किस कारण से खाद की सप्लाई देना बन्द कर दिया है। यहां तक कि मजबूर होकर जिला को–आपरेटिव बैंक को यह प्रस्ताव पास करके भेजना पड़ा कि अगर आप खाद नहीं देंगे तो हम अन्यत्र किसी एजेंसी से खाद लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब किसान खेती कर रहा है, उस समय ज्यादातर गेहूं की बुआई का समय है और गेहूं की खेती हो रही है। उचित समय पर उसे पानी, खाद नहीं मिलेगी तो मेरे ख्याल से किसान तबाह हो जाएगा। इसलिए हमें इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि किसानों को डीएपी या उर्वरक समय पर मिल रहा है या नहीं और क्या उसे उचित सब्सिडी मिल रही है या नहीं।

दूसरी बात मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। सम्पूर्ण भारत में कृषि की सिंचाई की कुल व्यवस्था 40 प्रतिशत है। आज भी देश में 60 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। फिर भी हम यह कहते हैं कि किसान और खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत को यह मजबूत बनाएंगे। आप स्वयं सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक किसानों को पानी न मिले। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज नदियों के पानी के बंटवारे के प्रश्न पर कई राज्यों में झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय जल आयोग बनाया जाना नितांत

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

आवश्यक है। इसके द्वारा राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक जल मुहैया कराकर किसानों के खेतों को पानी देकर हम उनकी सुदृढ़ व्यवस्था कर सकते हैं। तब हम आगे बढ़ सकते हैं।

अपराह्न 5.11 बजे

[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार ने दो नदियों को जोड़ने का समझौता किया है। लेकिन राज्य के ऊपर इतना आर्थिक बोझ है कि वह कितना करेगा। उसके लिए केन्द्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि नदियों को गहरा किया जाए और उनकी पैमाइश कराकर हमारी झीलों, पोखरों में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाए। इस पानी से सिंचाई हो सकती है।

जहां तक किसानों को मुक्त बिजली देने की बात है। अभी पंजाब में घोषणा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और पंजाब सरकार ने कहा कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, रियायती दर पर दे सकते हैं। इसी तरह से कभी-कभी प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि हम किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे पाएंगे। किसानों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन वहां भी रोक लगा दी गई। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन किसानों के पास 700 से 800 हार्स पावर के पम्प्स हैं, उन्हें सालाना 900 रुपया बिजली का बिल देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य सरकार के पास बिजली उत्पादन की इतनी क्षमता है कि वह किसानों को मुफ्त बिजली दे सके, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार न हो, सबको बराबर का हिस्सा मिले।

अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में योजना आयोग की बैठक हुई थी। बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी देश में 40 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो खेती से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि न तो उन्हें उर्वरक मिल पा रहा है, न बिजली और बीज समय पर उपलब्ध हो पा रहे हैं। करीब आठ प्रतिशत किसानों का मानना है कि खेती जोखिम का धंधा बन कर रह गया है और 27 प्रतिशत किसान उसे लाभकारी धंधा नहीं मान रहे हैं। इस पर हमें सोचना पड़ेगा।

आज किसानों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। इस कारण यह गैर-वित्तीय संस्थागत स्रोतों से, साहूकार और महाजनों से मजबूर होकर सूद पर पैसा लेते हैं। बैंकों की ऋण देने की इतनी औपचारिकताएं हैं कि किसान को वहां से लोन नहीं मिल पाता। कुछ बड़े किसान हैं जो कि बैंकों से ऋण ले पाते हैं। इसलिए इस पर भी हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। हमने इसी सदन में खेतीहर मजदूरों के बारे में चर्चा की थी। वे लोग कौन हैं, वे गांव में बसने वाले किसान हैं। ये वह किसान हैं जिनके पास छोटी-छोटी डेढ़ बीघा, दो या पांच बिस्वा खेती है। वे मजबूर होकर गांव से शहर की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं।

मेरे पास बोलने के लिए काफी पाइंट्स थे, जिनकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता। लेकिन समयाभाव के कारण ज्यादा नहीं कहूंगा। यह एक गम्भीर विषय है, जिसे डा. चिंता मोहन और संतोष गंगवार जी ने नियम 193 के अधीन चर्चा के द्वारा यहां पेश किया है। यह एक सामयिक विषय है, क्योंकि आज हम किसानों के बारे में चर्चा करके उनकी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसानों को फायदा हो सके। जो नकदी फसल है, उसके उचित मूल्य का निर्धारण होना चाहिए, ताकि किसान खुशहाल हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य चिंता मोहन जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कृषि क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में ध्यान आकर्षित कराने का अवसर प्रदान कराया है।

सभापति जी, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। भारत की 70 से 75 प्रतिशत आबादी खेत, खलिहान और किसान पर निर्भर करती है। जब हम यह मानते हैं तो हमें किसान की हालात को सुधारने का उपाय करने चाहिए। जब तक किसान, खेत और खलिहान में काम करने वाले मजदूरों की हालत ठीक नहीं होगी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती है। इतने सालों की आजादी के बाद भी किसान गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन कर रहा है। आज अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई व्यक्ति है तो वह किसान है। दिन भर खेत और खलिहान में काम करने के बाद भी, किसान अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भरपेट खाना वह अपने बच्चों को नहीं दे पाता है और हम कहते हैं कि भारत आजाद हो गया है। यह कैसी आजादी है कि किसानों तक उसका लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए भारत सरकार को किसानों के बारे में, निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक भारत सरकार का ध्यान किसानों की ओर नहीं जाएगा, तब तक देश सुदृढ़ नहीं हो सकता है।

कई माननीय सदस्यों ने किसानों की समस्याओं के संबंध में बहुत से उदाहरण दिये हैं। आज किसानों की रुचि खेत और खलिहान में कम हो रही है और वह शहर की ओर भाग रहा है, सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है। आज करीब 40 प्रतिशत किसान खेती करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लाभ की बात तो दूर, खेती से उसकी लागत भी पूरी नहीं होती है। खाद, बीज और डीजल महंगा हो गया है और किसान को बिजली भी नहीं मिलती है तथा खेत में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी भी ज्यादा देनी पड़ती है। यही कारण है कि आज वह खेती करना नहीं चाहता है। देश के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था जब खेती पर निर्भर करती है और किसान उसमें रुचि नहीं लेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए भारत सरकार को निश्चित तौर पर किसान को अधिक से अधिक सपोर्ट प्राइस देना चाहिए।

आज सब्सिडी घटाने की बात हो रही है। डब्ल्यूटीओ में चर्चा हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी मीटिंग में हांगकांग गये हैं। इस बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी-भावनाएं रखी हैं कि आप सब्सिडी मत घटाइयेगा। हमें उम्मीद है कि वे भारतवर्ष की भावना को हांगकांग के सम्मेलन में रखेंगे और विकसित देशों के आगे भारत का सिर झुकाने का काम नहीं करेंगे और अपने किसानों के हित का काम करेंगे।

किसानों को बैंक से जो कर्जा मिलता है वह 12 से 18 प्रतिशत की ब्याज दर से मिलता है जबकि कार, मकान और बड़े-बड़े लोगों को 6 प्रतिशत के हिसाब से कर्ज मिल जाता है। किसान को कर्जा लेने के लिए भी अपनी प्रापर्टी को मोर्टगेज करना पड़ता है। इतने बड़े पैमाने में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। देश में इसकी चर्चा हो रही है। कई राज्यों में किसान आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं। वह कर्जा लेकर उसे वापस नहीं कर पाते हैं। जो उन्हें कर्ज देते हैं वे उनके सिर पर चढ़ जाते हैं। उन्हें मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ रही है। विशेषकर प्रधानमंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने इसकी व्यवस्था भी की है। जहां 80 हजार करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने के लिए मुहैय्या कराया जाता था, वहां अब वह राशि काफी अधिक बढ़ा दी गई है। यह एक सकारात्मक कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। वर्षों से नहरों की खुदाई नहीं हो रही है। इसकी कोई योजना नहीं है। बहुत सी पुरानी नहरें हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैंने अभी शुरू ही किया है और आप घंटी बजा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, इस मुद्दे पर आपको बोलने के लिए आबंटित समय पूरा हो चुका है। इस चर्चा के दौरान बोलने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक सदस्य को केवल छह मिनट दिए जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं वहां से आता हूं जहां किसानों की हालत बहुत खराब है। मुझे समय दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मित्र, प्रत्येक सदस्य को केवल छह मिनट आबंटित किए गए हैं और इसमें मेरा दोष नहीं है। यह निर्णय लिया जा चुका है और आपको भी इस निर्णय का अनुपालन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: बिहार की समस्याओं के बारे में देश के सभी लोग जानते हैं। वहां एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है। हर साल हजारों-हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहां की हालत बहुत खराब हो गई है। वहां गरीबी और फटेहाली इस कारण से हो गई है। वहां बाढ़ से सड़कें खराब हो जाती हैं। ऊपर वाले की कृपा है। क्या कर सकते हैं? बिहार के दूसरे भाग में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें बाढ़ और सूखे से निपटना पड़ता है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां इस तरह की स्थिति है। राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए राशि मुहैय्या कराने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में कदम उठाया जाए। मजदूर वर्ग के लोग इतनी क्षमता रखते हैं कि दुगना उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने दुगना उत्पादन भी किया है लेकिन उनके लिए बिजली और तेल की व्यवस्था कर दी जाए तो स्थिति सुधर सकती है। वहां की सड़कों को ठीक किया जाए। किसानों को सब तरह की सुविधाएं मुहैय्या करायी जाएं। मैं समझता हूं कि किसान आज भी दुगना उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। सरकार को इस विषय में ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। किसानों की वर्षों से यह मांग रही है। सरकार इसमें सहयोग करने का काम करे। सरकार किसानों को समुचित राहत देने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करे। उन्हें कम कीमत पर ब्याज उपलब्ध कराए और बिजली की व्यवस्था करे। किसानों की मांग सही है। अगर सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और बिजली मुफ्त नहीं दी जा सकती हैं तो रियायती दर

[श्री राम कृपाल यादव]

पर बिजली मुहैय्या कराए ताकि किसानों को राहत मिल सके और वह अपने परिवार और देश को विकसित करने का काम कर सके। सदन के माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, वह देश की आवश्यकता है। करोड़ों किसानों की आवश्यकता को देखते हुए इस दिशा में कदम उठाए जाएं। यह जो ट्रैंड चल रहा है जिस में लोग देहात छोड़ कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, यह खतरनाक संकेत है। अगर आप गांव के लोगों को गांव में ही रोकने का काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में खेत और खलिहान खाली पड़े रहेंगे, वहां कोई काम नहीं करेगा। आप उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रहे हैं। वे घाटे का सौदा नहीं करेंगे। आज किसान घाटे का सौदा करने पर मजबूर है। इसलिए वे आत्महत्या भी कर रहे हैं।

आप उस तरफ भी ध्यान देने का काम कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी, आप भारत के किसानों को राहत दीजिए ताकि वे उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें, गरीबी रेखा से ऊपर ऊठा सकें और देश की सेवा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना कम समय होते हुए भी आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मुझे विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री जी ठोस उपाय के साथ जवाब देकर घोषणा करेंगे क्योंकि वे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और आप भी किसान हैं। आप इस बार किसानों की भावनाओं को देखते हुए निश्चित तौर पर नियम 193 के तहत चर्चा के जवाब में किसानों को राहत देने का काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरि): माननीय सभापति, इस समय यह सभा किसानों के सामने आने वाली समस्याओं और कृषि समुदाय के कष्टों पर विचार-विमर्श कर रही है। एक किसान परिवार से संबंध रखने के नाते मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया।

कृषि एक मूलभूत आर्थिक कार्मिक लाभ है तथा यह हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनाती है? गुफा में रहने वाले मनुष्य भोजन के लिए शिकार किया करते थे और उन्होंने अपने पेशे के तौर पर खेती आरंभ की और यहीं से सभ्यता की कहानी आरंभ हुई। पूरे विश्व में करोड़ों लोगों का पेट विश्व भर में फैले जमीन से जुड़े इन किसानों द्वारा भरा जाता है। कृषि मानवता के लिए अनिवार्य आवश्यकता भोजन उपलब्ध कराने के लिए सबसे पुराना पेशा है। इसीलिए महान तमिल कवि अय्यन तिरूवल्लुवर ने अपने "तिरूनकुरल" में कहा था:

सुलंद्रम येरपिनथु उलगम अधनल
उझनदम उझावे थलल

(हल घूमती हुई दुनिया का अक्ष है और इस प्रकार कृषि सभी कार्यकलापों का मूल-स्रोत है)

उझुवोर उलगथव्वर इनाहाथु अत्तारथु
एझुबराई इल्लम पोरूथु

(किसान इस दुनिया के लोगों के दिल में सबसे ऊपर रहते हैं)

खेत में कड़ी मेहनत करने वाले इन समर्पित किसानों की दुर्दशा से उत्साह टूटता है। हमारे एक लोकप्रिय पटुकोट्टई कल्याण सुंदरम ने गाया था

काडु विलयन चेन्ना मचन-नमक्कु
कैयम कालुमथेन नितचम

(हम अपनी कड़ी मेहनत से अपने खेतों में भरपूर फसल उगाते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं सिर्फ हमारे औजार और हाथ-पैर)

यदि वे हमारी भरपूर फसल को काटते हैं तो भी कृषि श्रमिकों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। कृषि की मूलभूत आवश्यकता जल है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और मानसून का समय पर न आने के परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उससे सबसे अधिक नुकसान किसानों को होता है। कई बार लगातार होने वाली वर्षा के रूप में बहुत अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है और वह लोगों के जीवन को अंकित करती है जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ है। खड़ी फसलें बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। किसान असहाय स्थिति में है क्योंकि वे अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि उन्हें भारी घाटे की स्थिति से गुजरना पड़ता है। जब अनुकूल वातावरण और जलवायु स्थितियां उन्हें अच्छी फसल देती हैं तब भी किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं होते। जब बाजार मूल्यों की पर्याप्त रूप से अनुकूल होने की आशा होती है तब भी अचानक उन्हें अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। भोले-भाले किसान अपनी कृषि उपज के मूल्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। वे अपनी उपज को औने-पौने मूल्यों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नए प्रकार के कीट-पतंगे और कीटों की नई प्रजातियां खेती को प्रभावित करती

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

हैं। तमिलनाडु में कृष्णागिरि, धर्मपुरी और कोयम्बटूर तथा केरल और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में नारियल के हजारों वृक्ष मुरझा गए हैं। यूरियोफाइलस कीट या पतंगों ने इन वृक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिन वृक्षों की आयु कई वर्ष हुआ करती है। यह दयनीय स्थिति है कि करोड़ों रुपये के नुकसान ने नारियल उत्पादकों पर कड़ी चोट पहुंचायी है। हमारे क्षेत्र में कृष्णागिरि, धर्मपुरी, सेलम और डिंडीगुल तथा पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अनेक भागों में आम की खेती और पैदावार काफी अधिक है। परंतु उसका लाभ किसानों की अपेक्षा व्यापारियों और बिचौलियों को काफी ज्यादा जाता है। मैं केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र में आम गूदा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का आग्रह करता हूं जिससे आम उत्पादकों को अपने खेती को बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलेगी। निर्यातोन्मुखी प्रसंस्करण इकाइयां एक बड़ा वरदान होंगी। जिन्हें यह केंद्र प्रदान कर सकता है।

हमारे प्रिय नेता कलईगनार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष बाजार स्थापित किए थे जहां पर किसान अपनी सब्जियों और अन्य कृषि उपज को बेच सकते हैं जिन्हें वे उगाते हैं। उम्नावर सन्थाई नगरों में किसानों के लिए कुरिया ने, किसानों के प्रत्यक्ष विपणन सुविधा का सृजन किया। शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों को काटने के बाद जल्द से जल्द फुटकर बिक्री केंद्रों में ले जाए जाने की आवश्यकता होती है। अन्यथा उनकी मेहनत बेकार जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर, हमारे नेता डा. कलईगनर ने उझावकर सन्थाई योजना को भारत में पहली बार एक अद्वितीय और अग्रणी योजना के रूप में आरंभ किया। दूर-दराज के गांवों के किसान भी अपनी उपज को आदर्श रूप से स्थापित स्थानीय बाजारों में ले जा सकते हैं। उन्हें अपनी उपज को रखने तथा व्यक्तियों को बेचने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया गया था। किसानों को अपनी सब्जियों और अन्य उपज को बस द्वारा नि:शुल्क तड़के सुबह 3 और 4 बजे लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उन्हें करों और किराए का भुगतान नहीं करना पड़ता था और उनके लिए सब कुछ नि:शुल्क किया गया था। किसानों को उससे अधिक मूल्य मिल जाता था जो उन्हें व्यापारियों से मिलता था। जनता और छोटे फुटकर विक्रेताओं के लिए यह फायदे का सौदा था। इतना अच्छा कार्य जो भारत में पहले कभी नहीं किया गया। उसको बंद करने की स्थिति आ गई थी। ऐसी परियोजना जो कि अनेक राज्यों के लिए आदर्श हो सकती है उसे जारी रखे जाने की आवश्यकता है। परंतु तमिलनाडु में वर्तमान प्रकृति ऐसी है कि किसी लोकप्रिय परियोजना को ईर्ष्या के कारण ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। इस समय किसानों और जनता को नुकसान हो रहा है। खेती के लिए नि: शुल्क बिजली हमारे प्रिय नेता कलईगनर द्वारा किया गया एक अन्य लोकप्रिय कार्य है। इसे पूरे भारत में उन किसानों के लाभ के लिए अवश्य लागू यिा जाना चाहिए। जो पशोपेश में हैं और जिनके लिए गुजर-बसर करना कठिन है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को किसानों को बचाने के लिए आगे अवश्य आना चाहिए। जब खेती से उनके कर्ज और लगातार होते हुए घाटे में वृद्धि होती है तो उन्हें नगरों और शहरी केंद्रों को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हम खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। अब तक हमारे कृषक समुदाय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें हमें विदेशियों की दया की ओर आस लगाने को बाध्य होना पड़ सकता है। अत: मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कृषि ऋणों को माफ किया जाए।

सभापति महोदय: *(तमिल भाषा में)* आपका समय समाप्त हो गया है। अन्य अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री ई.जी. सुगावनम: किसानों को कई प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। उनके पास सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवर होना आवश्यक है। हमें फसल बीमा और अन्य बीमा योजनाओं को सुचारू बनाना होगा। किसानों को बीज और उर्वरक जैसी चीजें खरीदने के लिए राजसहायता मिलनी चाहिए। हाल ही की बाढ़ में अपनी फसलों को गवां चुके किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए। जिन किसानों को राष्ट्रीय आपदा द्वारा ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल राहत दिया जाना आवश्यक है। मैं केन्द्र सरकार से जल संरक्षण करने के लिए सूखे के दौरान कुंडों से गाद निकालने और नहरों के तटबंधों को मजबूत बनाने हेतु व्यवहार्य उपाय करने का आग्रह करता हूं। इस समय मैं भी केंद्र सरकार से सभी दक्षिणी नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना आरंभ करने का आग्रह करता हूं।

इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे (अमरावती): सभापति महोदय, किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। किसानों के सामने कई समस्यायें हैं जैसे, बीज, कम बिजली, सूखा, बाढ़। इसके अलावा सरकारी स्कीमें उन तक नहीं पहुंच पातीं। देश में बाहर से जो सामान आयात होता है, उसकी समस्या है। गरीब किसानों को जो संरक्षण मिलना चाहिये, वह उन्हें नहीं मिलता है। इस प्रकार हम कितनी समस्यायें गिनाते रहेंगे? सही बात तो यह है कि हम लोग हर सत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अगर सही मायने में किसानों को सरकार ने सपोर्ट करना है या सरकार को उनकी फिक्र है तो देश के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिये एक नेशनल पालिसी बनाने की जरूरत है।

[श्री अनंत गुढ़े]

किसानों के बारे में एक बड़ा निर्णय इस देश में लेने की जरूरत है। जैसे बीज है, बीज की कई कंपनियां हैं, कई प्रकार का बीज आता है। हमने बी.टी. काटन को मंजूरी दी। बी.टी. काटन की कंपनियों ने जैसे कोई माल भेजा और वह बेकार निकल गया। लेकिन उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कौन सी कंपनी का बीज अच्छा है और कौन सी कंपनी झूठी है, सरकार की तरफ से कुछ डिक्लेयर नहीं होता है। किसानों की समझ में नहीं आता है कि कौन सा बीज अच्छा है और जब किसान नुकसान में आ जाता है, जब उसके द्वारा बोये हुए बीज में से फसल नहीं निकलती है तो उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं होता, न कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती है और न सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता मिलने के पहले हम 'आणेवारी' (कृषि कार्य) करते आ रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त होने के 58 सालों के बाद भी जो अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। जो सरकारी अधिकारी हैं, वे वही पुराने आधार लेकर क्या फसल हुई और क्या नहीं हुई, उसका अंदाजा लगाते हैं। इस तरह से किसानों को जो सही तरीके से मदद मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है।

बिजली की समस्या आज सारे देश में है। हमारे महाराष्ट्र में बिजली की ऐसी समस्या है, जब से वहां कांग्रेस की सरकार आई हैं, महाराष्ट्र से बिजली गायब हो गई है। पहले चार-चार घंटे बिजली नहीं आती थी, अब 8 से 12 घंटे तक बिजली नहीं आती है। जब भी किसान अपने खेत में जाता है तो बिजली गुल हो जाती है। उसने अपने खेत में गन्ना बोया है, संतरा बोया है, उसने सब्जियां लगाई हैं। लेकिन बिजली न होने के कारण वह उसमें पानी नहीं दे पाता है। 8-8, 12-12 घंटे तक बिजली नहीं आती है। इस तरह से किसान कैसे अपने खेतों को पानी देगा, कैसे फसल होगी। इस बारे में सही मायनों में एक नेशनल पालिसी होनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में खूब बिजली आती है, लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिलती है। अगर किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं मिली तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। सरकार की कई स्कीम्स हैं जैसे ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकल है, लेकिन अगर सरकार से अनुदान लेकर वह लगाते हैं तो जो काम पचास हजार रुपये में होता है, उसमें एक लाख रुपये लग जाते हैं। सरकार उसमें पचास टके सब्सिडी देती है। जिन कंपनियों के साथ हमारा कांट्रैक्ट हुआ है, जो कंपनियां इस प्रकार की स्कीमें चलाती हैं, ड्रिप इरीगेशन लगाती हैं या स्प्रिंकलर लगाती हैं, वे कंपनियां इन चीजों को किस भाव में दे रही हैं, सरकार का अनुदान कहां जा रहा है, उससे किसानों को सही मात्रा में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। आज ऐसी परिस्थिति है कि सरकार की सारी योजनाएं होने के बाद भी व्यापारियों और कारखानेदारों की तरफ पैसा जाता है, लेकिन किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, अभी इस बारे में कहा गया कि हांगकांग में जो डब्ल्यू.टी.ओ. की मीटिंग हो रही है, कई बार सदन में इस बारे में बात हुई है। पिछली बार भी हमने विरोध किया था कि जो देशी कपास है, उस देशी कपास के होने के बाद भी हम बाहर से बड़ी मात्रा में काटन इम्पोर्ट करते हैं। हमने कई बार कहा है कि यहां के कपास को अगर संरक्षण मिले तो जो बाहर से आने वाला कपास है, उस पर बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की जरूरत है। लेकिन बड़ी मुश्किल से उस पर दस परसेन्ट ड्यूटी लगती है। जब सदन में यह प्रश्न उठाया गया तो सरकार ने जवाब दिया कि डब्ल्यू.टी.ओ. से हमारे ऐसे एग्रीमैन्ट हुए हैं कि हम कपास के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते। जब गैट के करार हुए, तब डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ एग्रीमैन्ट हुए, तब सारे देश में आश्वासन दिया गया कि देश के किसानों को गैट की वजह से बड़ी मात्रा में संरक्षण मिलेगा। गैट की वजह से देश के किसानों की आर्थिक उन्नति होगी, उन्हें आर्थिक स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ? आज यह स्थिति है कि सारा देश गैट और वैट के बीच में फंस गया है। किसानों को आज जो संरक्षण मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है।

दूसरी बात यह है कि पुराने जमाने से किसान और किसानों के बच्चे वही खेती करते चले आ रहे हैं। किसानों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन किसानों की हालत बहुत बेकार है। किसानों की खेती की ही हालत बेकार नहीं हैं, उनके परिवार की हालत भी बहुत खराब है। गांवों में स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो टीचर नहीं है और टीचर हैं तो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। किसानों के बच्चे बड़ी मुश्किल से दसवीं या बारहवीं तक पढ़ पाते हैं। यदि वे नहीं पढ़ पाते तो फिर से खेती में घुस जाते हैं। दस एकड़ का एक खेत यदि एक आदमी के पास है और उसके चार बच्चे हैं तो वह खेत चारों में ढाई एकड़ के हिसाब से बंट जाता है। उनके फिर यदि चार बच्चे होते हैं तो यह सिलसिला चलता रहता है और किसान की समस्याएं इससे बढ़ती जा रही हैं।

किसानों को साहूकारों से जो कर्जा मिलता है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे साहूकारों के खिलाफ एक आदेश निकाला और अनेक पर फौजदारी के मुकदमे भी चल रहे हैं। बैंकों का ब्याज इतना ज्यादा है कि अगर आप घर बनाने जाएं तो सात-साठ प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है, आप कार लेने जाएं तो सात-आठ प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है, लेकिन किसान अगर कर्जा लेने जाएं तो 17-18 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा मिलता है। ब्याज की राशि भी दो-तीन साल में दोगुनी से ज्यादा

हो जाती है और ऐसा लगता है कि बैंक भी किसानों के साथ साहूकारों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए हमें बैंक को आदेश देना चाहिए कि किसानों को ब्याजमुक्त कर्जा मिले। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। अभी और 33 वक्ताओं को बोलना है और उन्हें भी समय देना है।

श्री अनन्त गुढ़े: महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, हमारे विदर्भ में संतरा बहुत बड़ी मात्रा में होता है और विदर्भ का संतरा सारी दुनिया में अनेक स्थानों पर जाता है। आज वहां संत्रे की हालत यह है कि उसके झाड़ सूखते जा रहे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय हैं और वहां इस बात पर अनुसंधान भी होते हैं कि संतरे क्यों सूख रहे हैं, लेकिन जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो 15 सालों से इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, जब उनकी रिसर्च पूरी हो रही होती है तो हम उनका ट्रांसफर कर किसी को हरियाणा और किसी को उत्तर प्रदेश भेज देते हैं। जो अच्छे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी सरकार संरक्षण नहीं दे पाती। इस प्रकार किसानों को भी संरक्षण नहीं मिल पाता।

महोदय, कई सालों से बात हो रही है कि नागपुर में एक एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे। लगभग चार-पांच चालों से यह बात चल रही है, लेकिन आज तक उसका अता-पता नहीं है। किसानों का माल जब तक हम बाहर नहीं भेजेंगे, तब तक किसान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। जब तक हम किसानों के लिए सही नीति नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश में किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक सकतीं, तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम शहरों को सुधारेंगे, शहरों को पैसा देंगे। मेरा शहरों में विरोध नहीं है। शहरों को पैसा देना चाहिए, शहर बड़े होने चाहिए, लेकिन शहरों के साथ-साथ गांवों को भी बड़ा करने की जरूरत है, उनमें भी सुधार लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हम गांवों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन गांवों के अंदर जो रास्ते हैं, वहां भी सुधार होना चाहिए, किसानों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसान की तरक्की सही मायनों में नहीं हो सकती।

यहां पर किसानों द्वारा आत्महत्याओं की बात कही गई। भारत में करीब ढाई हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं लेकिन उसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं लिये गये। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान की एक लड़की ने यह लिखकर आत्महत्या की कि मेरे पिता के पास काम नहीं है, मेरी मां के पास काम नहीं है, मेरे भाई-बहिन पढ़ने वाले हैं, वे पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देते और किसानों को सपोर्ट करने के लिए जब तक नेशनल पालिसी नहीं बनाते तब तक किसान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। इसलिए उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: सभापति महोदय, धन्यवाद।

अक्सर यह कहा जाता है कि सभी संस्कृतियां कृषि से उत्पन्न हुई हैं। देश की और कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आज अल्पकालिक उपाय की आवश्यकता नहीं है अपितु दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। आज कृषकों की समस्याओं का समाधान करने में सिंचाई मुख्य भूमिका निभाती है।

भारत में यह कहा जाता है कि लगभग 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जाती है। ये आंकड़े हैं। कोई चाहे इससे सहमत न हो। उड़ीसा में लगभग 32 प्रतिशत की सिंचाई की जाती है और यह सरकारी आंकड़ा है। यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि देश के कुल जल संसाधन का 13 प्रतिशत उड़ीसा में स्थित है और फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्षों के पश्चात् भी केवल 30 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की ही सिंचाई हो पाती है। अब समय आ गया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा है कि हम प्रत्येक सत्र में कृषि और कृषकों से संबंधित समस्याओं आदि के बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए, अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा की जाए, विचार-विमर्श किया जाए और एक निर्णय लिया जाए जिसमें सिंचाई विषय को केन्द्र सूची में शामिल किया जाना हो। आज भी सिंचाई राज्य का विषय है, कृषि राज्य का विषय है। केवल 35-40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की आज सिंचाई की जा रही है, अब समय आ गया है जब अधिकतर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जाए और अधिक कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाए।

मैं एक उदाहरण दूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उत्तरी प्रदेशों, हरियाणा और पंजाब यहीं कहलाते थे, में प्रति व्यक्ति आय बंगाल और मद्रास जिसमें वर्तमान आंध्र प्रदेश भी शामिल था, से कम थी और यह महाराष्ट्र और बंगाल से बहुत कम थी। उस

[श्री भर्तृहरि महताब]

समय उड़ीसा भी वर्षा सिंचित राज्य देश के अन्न भण्डार थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई सुविधाओं पर बहुत जोर दिया गया और बड़े बांध अस्तित्व में आए; अधिक क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ गया। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, इसका ध्यान उद्योग पर केन्द्रित हो गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना से सिंचाई अथवा कृषि केन्द्र में नहीं थे और केन्द्र सरकार अभी भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यही मुख्य कारण है कि क्यों हम आज भी—पश्च दृष्टि में—अधिकतर जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है, परेशानी उठा रही है। यद्यपि सांख्यिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन दुगुना अथवा तिगुना तक बढ़ गया है। 50 अथवा 60 के दशक में जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की खपत थी वह 90 के दशक में अथवा 21वीं सदी के प्रथम दशक में और भी कम हो गई है। इसका क्या कारण है? क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्यों प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है, जबकि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है? यही समस्या है जिसकी छानबीन की जानी चाहिए और मैं सोचता हूं कि केन्द्र सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। जब मैं सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने के बारे में कह रहा हूं और केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि न केवल बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अपितु मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी चाहिए। तभी केवल संबंधित राज्य अपनी सिंचाई क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं और कृषकों को अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा बार-बार सूखे की स्थिति का सामना करता है। कई बड़े क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी होती है। उड़ीसा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अन्य राज्यों में भी यही समस्या है। मैं अन्य स्थितियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां प्रवाह के साथ सिंचाई होती है। हमारी आयोजना के पिछले 45 वर्षों में निकासी व्यवस्था के अभाव में अधिकतर क्षेत्र डूबा हुआ रहता है। जलमग्न क्षेत्र में खेती करना सम्भव नहीं है। इसलिए, मेरा अनुरोध यही है कि सिंचाई विशेषकर बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी तरह केन्द्र द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए और निकासी में भी सुधार किया जाना चाहिए।

हम देश के बारे में एक समान रूप से बात करते हैं। अधिकतर राज्यों में भूमि सुधारों को बड़े स्तर पर लागू नहीं किया गया है। वास्तव में भूमि सुधार इन क्षेत्रों में विफल हो गए हैं। जब तक भूमि सुधार बड़े स्तर पर लागू नहीं किये जाते तब तक कृषि में सुधार नहीं हो सकता और हम कृषकों की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं।

मैं अन्य पहलू अर्थात् बैंकिंग पर भी आता हूं। कई माननीय सदस्यों ने बैंककारी प्रणाली में कृषकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का उल्लेख किया है। विभिन्न राज्यों का दौरा करके, बैंकरों के साथ बातचीत करके यह देखने में आया है, जैसा कि अधिकतर माननीय सदस्य जानते हैं, कि अब बैंकर काश्तकारों, फसल अंशधारकों जिनके पास कोई भूमि नहीं है, को 50,000 रुपये तक धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। इस प्रकार, बैंकों को यह कार्य सौंपा गया है किन्तु कतिपय बैंक इसे सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ब्याज घटक भी एक समस्या है। एक कृषक को और क्या चाहिए?

सभापति महोदय: मैं आपकी वजह से दस मिनट देने के लिए तैयार हुआ था और अब दस मिनट पूरे हो गए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: कृषकों को खेती के समय धनराशि की जरूरत होती है। कृषक फसल काटने के बाद यदि वहां बाजार विद्यमान हो तो वे ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। कृषक हमेशा जोखिम में रहता है और यही कारण है कि इस कारण अधिकतर कृषकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों और विशेषकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि जहां भी कृषक धान की खेती करते हैं वहां गरीबी है, न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी यही स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि धान और गरीबी एक साथ चलते हैं। मैं सोचता हूं कि भारत इस विवादास्पद प्रश्न को गलत सिद्ध कर सकता है। मैं सोचता हूं कि आज वह समय आ गया है जब हमें इस प्रश्न को गलत सिद्ध करना चाहिए।

आत्महत्याओं पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। हम इस पर पिछले तीन वर्षों से चर्चा कर रहे हैं। मुझे इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु मैं केवल यही उल्लेख करना चाहूंगा कि अमीर अथवा तुलनात्मक रूप से अधिक धन सम्पदा वाले कृषक और खेतिहर जो ऋण लेते हैं वे इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं और वे इस प्रकार के दबाव के आगे टूट जाते हैं। नकदी फसल के उत्पादक इस समस्या से पीड़ित होते हैं।

मैं यहां केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् सहकारी ऋण को दुगुना करना एक नारा था जो उन्होंने दिया है। निस्संदेह धन का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है किन्तु कृषकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। मैं अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई उर्वरकों अथवा कीटनाशकों की समस्याओं को यहां नहीं उठाऊंगा।

मैं केवल बाजार के बारे में ही उल्लेख करना चाहूंगा। जब तक बाजार के हालातों में सुधार नहीं होता तब तक कृषकों को वांछनीय धनराशि नहीं मिल सकती जो वे अपनी खेती में निवेश कर सकते हैं।

निष्कर्ष रूप से, मैं यही उल्लेख करूंगा कि खेती के क्षेत्र में पिछले चार दशकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है। मैं सरकार से ऐसा होने के कारणों की जांच करने का अनुरोध करता हूं। रसोई गैस सिंड्रोम, उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण के समय में जब डब्ल्यू टी ओ हांगकांग में प्रगति पर है, तब यही उचित होगा कि हम कृषकों की इस समस्या पर विचार-विमर्श करें। इसके साथ ही हमें आगामी पांच से दस वर्षों के समय अथवा 2015 तक होने वाली समस्याओं पर भी विचार-विमर्श करना चाहिए। क्या हम तैयार हैं?

हमें बीमा पर भी जोर देना चाहिए। आज, फसल बीमा केवल धान, गेहूं और कुछ अनाजों तक ही सीमित है किन्तु नकदी फसलों का बीमा नहीं किया जाता है। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और थोड़ा बहुत उड़ीसा में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए नकदी फसल समस्या है। गन्ना फसल बीमा में शामिल नहीं है और कई अन्य नकदी फसल, फसल बीमा प्रणाली में शामिल नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं—मंत्री जी यहां हैं—कि फसल बीमा में नकदी फसल को शामिल करने पर विचार-विमर्श किया जाए। इससे आपदाग्रस्त बहुत से कृषकों की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं यही कहूंगा कि केन्द्र सरकार को कृषि के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब समय आ गया है जब कृषि पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के स्तर पर चर्चा की जाए। इसके साथ ही, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, हमारे पास 31 सदस्यों की एक लंबी सूची है। सभा को 6 बजे अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख को लेना है। इसलिए यदि सभा सहमत हो तो चर्चा कल जारी रहेगी।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: अब 6 बजे तक चौधरी विजेन्द्र सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): सभापति जी, आपने मुझे कृषि जैसी महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह कृषि प्रधान देश है, 80 परसेंट लोग यहां गांवों में निवास करते हैं। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। सबसे बड़ी विडम्बना इस बात की है कि इस देश में 80 प्रतिशत लोग जो गांवों में निवास करते हैं, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसान ही कहे जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह भी केवल कृषि पर ही निर्भर करता है। विडम्बना इस बात की है कि देश की इतने लम्बे समय की आजादी के बाद जो किसान उत्पादन बढ़ा रहा है, अन्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर तो उसने बना दिया, लेकिन अन्न पैदा करने वाला किसान आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। विडम्बना इस बात की है कि देश की आजादी के वक्त इस देश की कृषि चन्द व्यक्तियों के हाथों में थी। स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने आजादी के बाद सन् 1951 के बाद जब वहां की जमीन को चन्द व्यक्तियों को बांट दिया, उस समय कृषि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पड़ी। किसानों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए कृषि प्रदर्शनियां लगीं, उत्तम श्रेणी के बीज दिये गये, खाद के लिए प्रोत्साहन दिया गया, सिंचाई के साधन बढ़ाये गये। इतने लम्बे अर्से के बाद इस देश के किसानों ने कड़ी मेहनत करके 70 प्रतिशत जनता के लिए जो किसान पैदावार करता है, उसने 100 प्रतिशत जनता के लिए अन्न का उत्पादन किया। 100 प्रतिशत लोगों के लिए अन्न को पैदा करने वाले लोग आज आत्मनिर्भर नहीं हैं, जबकि 10-20 परसेंट जो लोग कृषि के अलावा दूसरे उद्योग-धन्धे में हैं, वे आज आत्मनिर्भर हैं। निश्चित ही हमारी पालिसी में कहीं न कहीं कोई चूक है। मैं उन बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सायं 6.00 बजे

कृषि में केवल कृषि उत्पादन ही नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे धंधे हैं जैसे फिशरीज, डेयरी, एनीमल हस्बैंड्री और हार्टीकल्चर आदि। यदि सरकार ने कृषि के साथ इन तमाम क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया होता, तो निश्चित ही कृषि उत्पादन पर जो भार है, वह कम होता और किसानों की आर्थिक उन्नति में मदद मिलती। जहां तक कृषि का सवाल है, आए दिन इस गरिमामयी सदन में उसके बारे में चर्चा होती रहती है। यह सब माननीय सदस्यों की चिन्ता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, इस देश के बजट का कितना हिस्सा कृषि पर खर्च किया जाता है। बजट का जितना हिस्सा कृषि पर खर्च होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चौधरी विजेन्द्र सिंह, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा अब विशेष उल्लेख को लेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, विशेष उल्लेखों के बारे में मेरे पास लगभग 40 नोटिस हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। परन्तु, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपमें से प्रत्येक को बोलने का अवसर दूंगा बशर्ते कि आप संक्षेप में बोलें तथा हम उन सभी माननीय सदस्यों को अवसर दे सकें, जिन्होंने नोटिस दिए हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार, संक्षेप में बोलें ताकि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल सके।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपने मुझे स्पैशल मैंशन में अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। इस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने समय-समय पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कही है। मैं आज पुरजोर तरीके से बल देते हुए सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण कानून बने और आरक्षण कानून को बहाल किया जाए, तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फायदा मिल पाएगा। शताब्दियों की पीड़ा के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1932 में महात्मा गांधी और डा. भीमराव अम्बेडकर के पूना पैक्ट के तहत कुछ अधिकार मिले हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 58 वर्षों बाद भी जो 15 प्रतिशत आरक्षित रिक्त पद हैं, उन्हें हम भर नहीं पाए हैं। 1 जनवरी, 1998 तक ग्रुप 'ए' में 10.38 प्रतिशत स्थान भरे गए, ग्रुप 'बी' में 11.73 प्रतिशत स्थान भरे गए, जबकि हमें 15 प्रतिशत रिक्त पदों को भरना है। *...(व्यवधान)* यूपीए सरकार ने अनुसूचित जाति के सांसदों से वायदा किया था कि सन् 2005 में 80 प्रतिशत जो रिक्त अनुसूचित जाति के पद हैं, उन्हें भरने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वे पद नहीं भरे गए हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अमरीका के डायवर्सिटी नियम के अनुसार अनुसूचित जाति की भागीदारी, चाहे उच्च न्यायालय हो, न्यायपालिका या शासन, प्रशासन में तय हो, जो भी सरकार आई, हमेशा अनुसूचित जाति के बारे में रोती रही है, वह पूरा हो पाएगा। मैं मांग करता हूं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण कानून बने, तभी हम सबकी मनोभावना को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं भूतल परिवहन मंत्री की जानकारी में एक महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम के बीच चार लेन वाली सड़क का कार्य तीन वर्ष पहले रोक दिया गया था, जिस कारण बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं। इस कार्य के बंद होने के कारण लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ठेका लेने के समय, ठेकेदारों ने सरकार को जाली बैंक प्रमाण-पत्र दिए थे। सरकार ने इसीलिए उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और ठेके को रद्द कर दिया। परन्तु कार्य अभी तक आरंभ नहीं हो सका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए निविदाएं तत्काल आमंत्रित की जाएं तथा कार्य को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। चेन्नई से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ी परियोजना चल रही है। केन्द्र सरकार से यह मेरा अनुरोध है।

महोदय, कोई मंत्री इस बात को नोट कर संबंधित मंत्री को सूचित कर सकते हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय ने इसे नोट कर लिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, स्पेशल मैंशन में सम्मानित सदस्यों द्वारा जो विषय उठाया जाता है, कम से कम उस संबंध में सरकार की तरफ से उनको आश्वासन मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)* मंत्री जी का उस पर जवाब आना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों को कोई जवाब नहीं मिलता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं संबंधित मंत्री को इस बारे में सूचित कर दूंगा। इसका उत्तर दे दिया जाएगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: चौधरी विजेन्द्र सिंह—उपस्थित नहीं; श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता—उपस्थित नहीं; श्री बसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं; श्री हन्नान मोल्लाह—उपस्थित नहीं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): मैं इस सभा का ध्यान एयर इंडिया द्वारा उड़ानों के किराए में अचानाक वृद्धि तथा हज यात्रा के लिए निर्धारित उड़ानों की अव्यवस्था की ओर दिला रही हूं। इस बार हजारों श्रद्धालु हज पर जा रहे हैं। यह पता ही है कि केरल से इस वर्ष लगभग 11,835 लोग पहले ही अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। हज यात्रियों को ले जाने वाली पहली उड़ान 3 दिसंबर, 2005 को गई थी। इससे एक दिन पहले ही एयर इंडिया ने उड़ान के किराए में वृद्धि को घोषणा कर दी। इस बारे में निर्णय 29 नवंबर, 2005 को लिया गया। उक्त वृद्धि के बारे में पहले से लोगों को जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर इससे हज यात्रियों के लिए और कठिनाइयां पैदा हुईं।

उड़ान के किराए में वृद्धि की दर 5,800 रु. थी। अब, हज यात्रियों को कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अपनी यात्रा के लिए 41,800 रु. की धनराशि का भुगतान करना होगा। इस समय एयर इंडिया द्वारा उड़ानों का किराया बढ़ाने के निर्णय से यह संदेश गया है कि एयर इंडिया वस्तुत: हज यात्रियों को निचोड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त एयर इंडिया द्वारा हज उड़ानों की समय-सारणी नहीं रखी जाती है। अत्यधिक विलंब के कारण हज यात्रियों के लिए बहुत सी कठिनाइयां हो गई हैं। इस अत्यधिक विलंब के कारण वृद्ध महिलाओं सहित सैकड़ों हज यात्री कालीकट विमानपत्तन पर फंसे हुए हैं। पिछले सप्ताह के दौरान प्राधिकारियों द्वारा उन्हें लगभग 36 घंटे तक भोजन तथा आवास स्थल तक उपलब्ध नहीं कराए गए।

अत: मैं नागर विमानन मंत्रालय से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने और उड़ानों के बढ़े किराए को वापस लेने का निर्देश देने तथा हज उड़ानों की सही समय-सारणी रखने का भी आग्रह करती हूं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): मैं सरकार का ध्यान हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को पेश आ रही गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारी स्वतंत्रता के लगभग 60 वर्ष के बाद भी हमें इस मुद्दे पर सभा में बार-बार चर्चा करनी पड़ती है। विभिन्न राज्यों में कई संघर्ष हुए थे। संबंधित राज्य हज संघर्षों को स्वतंत्रता संघर्ष का भाग मानते हैं। पुन्नप्रा, वायलर कच्चूर, करीवल्लूर मोराजा जैसे संघर्षों को राज्यों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष का भाग ही माना जाता है। गोवा संघर्ष को भी स्वतंत्रता संघर्ष का भाग माना जाता है। यह राज्य इन संघर्षों में भाग ले चुके सेनानियों को राज्य की ओर से पेंशन देते हैं। जब राज्य इस बारे में निर्णय लेते हैं, तो वे जिला स्तर पर निगरानी समिति नियुक्त करते हैं। राज्य स्तर पर भी एक निगरानी समिति होती है। इस जांच प्रक्रिया के बाद ही राज्य अंतिम निर्णय लेते हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने केन्द्रीय पेंशन के लिए आवेदन किया है। कुछ को यह मिल भी चुकी है। परन्तु बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को यह अभी तक नहीं मिली है। बहुत से अभ्यावेदन तकनीकी आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए। जब राज्य ने निर्णय ले लिया है तो वह निर्णय केन्द्र सरकार पर भी लागू होता है। इसलिए कुछ लोगों ने केरल तथा अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केरल उच्च न्यायालय तथा अन्य राज्यों से यह फैसला आया है कि यदि संघर्षों में भाग लेने वाले लोगों को राज्य से पेंशन प्राप्त हो रही है तो केन्द्र की पेंशन के लिए भी यही मानदंड होने चाहिएं।

उन्हें इससे वंचित रखने का कोई कारण नहीं है। न्याय में विलंब, न्याय न करने के समान ही है। महोदय, आप जानते हैं कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानी अब नहीं रहे, उनमें से बहुत से बीमार हैं तथा उनमें से केवल कुछ ही अनुरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अब कोई अन्य आवेदन नहीं आने वाला है। मैं सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने तथा उन्हें पेंशन देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल 'एम्स' की व्यवस्था और चिकित्सकों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस अस्पताल में देश के हर हिस्से से हजारों लोग चलकर आते हैं और महीनों चक्कर लगाने के बाद फिर कहीं जाकर उन्हें चिकित्सकों द्वारा देखा जाता है। चिकित्सकों के ठीक व्यवहार न होने की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं जिससे देश में लोगों की 'एम्स' अस्पताल के प्रति भावनाएं बदल रही हैं। जब देश के इस प्रथम शासकीय अस्पताल की यह हालत है तो बाकी अस्पतालों में क्या हो रहा होगा, इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक दिसम्बर को मैं स्वयं अपना इलाज कराने के लिए एम्स के अधीक्षक डा. शर्मा जी के सुझाव पर ईएनटी के डा. बहादुर को दिखाने गया। घंटों इंतजार करने के बाद उन्होंने बुलाया और फिर रुकने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह नौ बजे से यहां पर हूं, साढ़े दस हो चुके हैं और संसद की कार्यवाही में मुझे भाग लेना है, तब उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। यहां पर हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैं वहां से उठकर चला आया। मैं कोई पहला

[श्री गणेश सिंह]

उदाहरण नहीं दे रहा हूं। एम्स में सांसद अपने अथवा अपने संबंधी या अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को जब स्वयं लेकर जाते हैं, तब भी कोई प्राथमिकता नहीं मिलती और रोज अपमानित होना पड़ता है। ...*(व्यवधान)* क्या कोई प्राथमिकता दिया जाना उचित नहीं होगा? मैं इस अस्पताल की व्यवस्था में सुधार चाहता हूं और साथ ही गलत व्यवहार करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, देश में बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और बहुत ही भयानक स्थिति आज हमारे सामने है। पिछले सर्वेक्षण के अनुसार देश में 13.8 मिलियन बेरोजगारों से बढ़कर लगभग 44 मिलियन बेरोजगार हो चुके हैं। जब सर्वेक्षण कराया जा रहा था तो उसमें से 600 ऐसे बेरोजगार निकले जो तकरीबन ग्रेजुएट्स थे और जो भीख मांगते देखे गये हैं। यह इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने देश में बेरोजगारी रोकने के लिए हम कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करें तो बहुत हद तक हम बेरोजगारी रोक सकते हैं। लेकिन कृषि वस्तुओं का प्रसंस्करण हम केवल दो प्रतिशत ही कर रहे हैं जबकि अन्य देशों में सौ प्रतिशत या लगभग 70-80 प्रतिशत होता है। अगर हम कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाएं और हम दो प्रतिशत से दस प्रतिशत तक ले जाएं तो हम तीस मिलियन लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जो 2015 का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है, वह डाक्यूमेंट अभी तक पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विजन डाक्यूमेंट को प्राथमिकता देकर क्रियान्वित करते हैं, तो आज बहुत हद तक हम बेरोजगारी को रोक सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं। मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। यदि आप कह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं। परन्तु मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

सभापति महोदय: परन्तु आप लंबा भाषण नहीं दे सकते क्योंकि समय बहुत ही सीमित है। यह विशेष उल्लेख है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, दूध से हम बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन प्रसंस्करण करके बढ़ा सकते हैं लेकिन आज 55-56 वर्ष में केवल अमूल जैसा संस्थान गुजरात में बना सके हैं और कोई संस्थान भी अगर हम देश में बनाएं तो बहुत हद तक किसानों की मदद कर सकते हैं। कृषि राज्य मंत्री बैठे हैं, मेरे प्रदेश से आते हैं और मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां मक्के का उत्पादन होता है। एक्सीलरेटेड मैज डैवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है, उसमें एएमडीपी पूरी तरह मदद करता है, पूरा पैसा देता है और मक्के से आप गैसोहोल बना सकते हैं, उससे गाड़ी चला सकते हैं, विदेशों में चलायी जा रही हैं। इस प्रोग्राम को आप इन छः जिलों से बढ़ाकर और ज्यादा जिलों में चलाइए, जैसे आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी परती भूमि पड़ी हुई है, अगर वहां मक्के की खेती को प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं तो हम बहुत हद तक बेरोजगारी को रोक सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और बेरोजगारी को रोका जाए।

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): महोदय, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) का विलयन स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) में हो गया है। इस्को के अंतर्गत मुख्यतः तीन कोयला खदानें—चासनाला, जितपुर एवं रामनगर हैं, जिनमें लगभग चार हजार कोयला श्रमिक कार्य कर रहे हैं। देश के कोयला खान श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं.-7 इस वर्ष के जून माह में सम्पन्न हो चुका है, जिसका लाभ कोल इण्डिया के समस्त मजदूरों को मिल रहा है, परन्तु इस्को में कार्यरत कोयलाकर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि देश के कोयला श्रमिकों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए इस्को कोयला कर्मियों के लिए, जिसका विलयन सेल में हो चुका है, अविलम्ब राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं.-7 लागू कराया जाए, जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सुविधा श्रमिकों को प्राप्त हो सके। यह बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दा है।

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मुगलसराय रेलवे यार्ड के समीप बसे गांवों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुगलसराय रेलवे यार्ड एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। यहां से देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनें जाती हैं, परन्तु यहां से जाने वाली रेलवे की विभिन्न लाइनों के बीच बहुत से गांव बसे हैं, जैसे तारनपुर, इस्लामपुर, परशुरामपुर, कुढ़े, धरनेक, गोवरिया आदि दर्जनों गांव हैं, लेकिन रेलवे की आपत्ति के कारण इन गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार इन गांवों का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, लेकिन रेलवे की आपत्ति के कारण चाहते हुए भी वह ऐसा नहीं कर पा रही है। अतः मेरी मांग है कि उपरोक्त गांवों

के विकास के लिए सरकार रेलवे को उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोग करने का आदेश दे।

[अनुवाद]

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं केरल सरकार के साथ-साथ वहां के निर्धन लाटरी एजेन्टों और केरल के लाटरी टिकट विक्रेताओं की समस्याओं को सभा के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

केरल सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को दिनांक 23 अगस्त, 2004 को केन्द्रीय लाटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करने वाले कतिपय राज्य सरकारों की लाटरियों को प्रतिबंधित करने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

तथापि, 15 महीने बीत जाने के बाद भी गृह मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के उपर्युक्त ज्ञापन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लाटरियों की लगातार बिक्री के कारण विद्यमान विनियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है और इससे तीन लाख निर्धन लाटरी एजेन्टों के स्वरोजगार पर तथा निर्धन लाटरी विक्रेताओं की दैनिक आमदनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से अधिकतर लोग विकलांग हैं।

इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से 23 अगस्त, 2004 को केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वह मेरी बात को ध्यान से सुनें। 24 भारतीयों को कुवैत में बंधक बनाकर रखा गया है। ये लोग चार राज्यों पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से हैं। ये 24 लोग कुवैत में उस एजेंट के द्वारा बंधक बनाए गए हैं, जो इन्हें वहां रोजगार दिलाने के बहाने लेकर गया था। ये लोग वहां पर भारतीय दूतावास के सामने धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों में से 17 पंजाब से हैं। उन 17 में से तीन लोग मेरे संसदीय क्षेत्र से हैं। ये लोग वहां कैसे गए, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। कश्मीरी रजोवाल, होशियारपुर से एक आदमी है। उसके पांच बेटिया हैं और उसके मां-बाप की आयु क्रमशः 80 बरस और 82 बरस है। उसने डेढ़-दो लाख रुपए कर्ज लेकर कुवैत जाने का इंतजाम किया। उसका एजेंट के साथ कांट्रेक्ट था कि कुवैत में वह उसे नौकरी दिलाएगा। लेकिन एजेंट इन लोगों को कुवैत के बजाय इराक भेज देते हैं, जहां ये लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उस एजेंट के पास इन लोगों के पैसे और पासपोर्ट भी हैं। इसलिए यह इन 24 जिंदगियों के साथ-साथ 24 परिवारों का भी सवाल है, जो कि यहां रह रहे हैं। उनके परिवार के लोग यहां तंग हैं और वे लोग वहां तंग हो रहे हैं। इसलिए सरकार को इंटरवीन करके कुवैत में हमारे दूतावास को कहकर इन्हें अपने देश में लाने की व्यवस्था की जाए। नहीं तो इनका भी वही हाल होगा, जो पाकिस्तान में बंदी बनाए गए हमारे लोगों का हो रहा है, क्योंकि उन्हें वहां से निकलने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसलिए समय रहते इन भारतीयों को यहां लाने की सरकार व्यवस्था करे।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मैं विद्यालयों में रैगिंग की समस्या से संबंधित समस्या पहले भी यहां उठा चुका हूं और आज फिर उठाना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस तरफ प्रभावी कदम उठाए। मेरे क्षेत्र के एक हवलदार त्रिवेणी सहाय के बेटे ने जालंधर में डा. भीम राव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में दाखिला लिया था। जुलाई में, जब से उसे प्रवेश मिला है, नए छात्रों के साथ वहां रैगिंग हो रही थी, जिसका जिक्र उसने अपने पिता को घर पर किया। उसके पिता ने कहा कि सहन कर लो, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ और अक्तूबर माह में उस लड़के ने अपना सुइसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। जब उसके पिता वहां पता करने गए तो न प्रशासन ने और न ही पुलिस ने उनकी कोई मदद की और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई की।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उनके लड़के ने आत्महत्या की, इसकी जांच हो। दूसरी बात यह है कि वहां के विद्यालय के प्रशासन ने और पुलिस ने सहयोग नहीं किया, वह चिंता का विषय है, उस पर भी ध्यान देकर सरकार प्रभावी कदम उठाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हों।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, इस देश की नक्सलवादी समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में एक राज्य में नहीं, बल्कि कई राज्यों में नक्सलवाद की समस्या उभर कर आई है। उनकी हिंसक घटनाओं से अनेक पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी और सामान्य लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी और रक्षा बल तैनात होते हैं, ऐसे लोगों को इन नक्सलवादियों द्वारा मारा जाता है। इसके साथ ही वहां रहने वाले जो सामान्य नागरिक हैं, जो गरीब किसान हैं, वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी हैं, उन्हें भी मुखबिर कहकर उनकी हत्या की जा रही है। मैं महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर 265 पुलिसकर्मियों व नागरिकों की हत्या हुई है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे

[श्री हंसराज जी. अहीर]

लोगों के आश्रितों को जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि यह समस्या राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसलिए केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे। राज्य सरकार द्वारा जो मुआवजे की राशि दी जाती है, उसके साथ ही केन्द्र सरकार को भी उनके परिजनों को अपनी ओर से एक-एक लाख रुपया मुआवजे के रूप में देना चाहिए। इसके अलावा उनके परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वह परिवार उसी कमाने वाले पर निर्भर होता है, जो कि इन हिंसक वारदातों में मारा जाता है।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य के 21 जिलों के लगभग 16 हजार से अधिक ग्राम भीषण अकाल की चपेट में हैं। देर से कराई गई गिरदावरी रिपोर्ट से पता चला है कि अलवर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर समेत 21 जिलों में सूखे की स्थिति है। इन अकालग्रस्त 16 हजार गांवों में आधे से अधिक गांवों में शतप्रतिशत फसल खराब हो चुकी है तथा शेष ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत तक का खराब है।

राजस्थान में जहां अकाल एक नियमित दुर्भाग्य है, पिछली कांग्रेस सरकार राहत के कार्य अगस्त माह से ही प्रारम्भ कर देती थी, किंतु वहां की वर्तमान सरकार किसानों की इस समस्या से विमुख है। लोगों के पास रोजगार नहीं है तथा भूख की स्थिति पनप रही है। राज्य सरकार के पास प्राकृतिक आपदा कोष में केन्द्र द्वारा आवंटित लगभग 500 करोड़ रुपये जमा होने के बावजूद भी अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं।

मेरा माननीय गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री से निवेदन है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति का जायजा लेने केन्द्रीय पर्यवेक्षक टीम भेजें तथा राजस्थान सरकार को निर्देशित करें कि अकाल राहत कार्य शीघ्र शुरू करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति जी, सन् 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जो लोग जम्मू-कश्मीर में बस गये थे। वहां उनकी ज़मीन, कारोबार और घर था लेकिन वे शरणार्थी बनकर आये और जम्मू-कश्मीर में बस गये। इन्हें भारत की नागरिकता तो मिल गयी, परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य की नागरिकता अभी तक भी प्राप्त नहीं हो पायी है। इन परिवारों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति होने के कारण आर्टिकल 370 के अधीन उनको वहां विधान सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। वहां पर उन्हें केन्द्र सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में, शिक्षा, इंजीनियरिंग, मैडीकल आदि की नौकरियों में नहीं रखा जाता है और वे इस प्रकार की सारी सुविधाओं से वंचित हैं। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से आये हुए ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें कश्मीर की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार पर दबाव डाला जाए, जिससे वे लोग भी वहां पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान औने-पौने दामों पर बिक्री के कारण किसानों की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने इस वर्ष धान के लिए 570 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है और धान के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। जबकि मुद्रा स्फीति में 5 प्रतिशत की और कई बार 10 प्रतिशत या इससे अधिक की वृद्धि हुई है और उसकी तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 1-4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार का किसानों के प्रति यह रवैया रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त आज की तारीख तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा विशेषकर पश्चिम बंगाल में अभी तक धान की खरीद नहीं की गई है। इसलिए गरीब किसानों विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को अपनी फसलों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वे अपनी फसल को 500 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर बेच रहे हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से भारतीय खाद्य निगम की खरीद प्रक्रिया को तत्काल और बिना विलम्ब के शुरू करने का आदेश देने का अनुरोध करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से कम से कम धान के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, आजादी के पहले और बाद में दो तरह के कानून बने थे - एक एनिमल क्रूअल्टी एक्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट। आज भी कई जगह इन कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि नेपाल में पांच जानवरों की बलि कमखाया माता के मंदिर में चढ़ाई गई। दो दिन पहले मैं देख रहा था कि* की रक्षा के लिए दो भैंसों की बलि चढ़ायी गई। ये मूक जानवर हैं लेकिन इनमें भी जान है। उनकी जब हत्या होती है तो उन्हें कितनी पीड़ा होती है? आप इसे महसूस कर सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: व्यक्ति के नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): किसी को वाइल्ड लाइफ की हत्या करने का अधिकार इस धरती पर नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह की खुलेआम हत्याएं धर्म के नाम पर हो रही हैं। सरकार ऐसी बलियों पर प्रतिबंध लगाए। मंदिरों में भैंस, कबूतर, बकरे की बलि चढ़ायी जाती है। इस तरह की बलि देकर मूक जानवरों को लोग मार रहे हैं। वे ऐसा करके प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ इसलिए सुरक्षित है कि राजस्थान में बिश्नोई कौम के लोग पशुओं को बचाने के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की बलि देते हैं। ...*(व्यवधान)* वे अपने प्राणों को न्योछावर करके वन्य प्राणियों को बचाते हैं। 13 तारीख को श्री गंगाराम बिश्नोई ने हंसते-हंसते जानवर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। जानवरों को भी इस धरती पर रहने का अधिकार है। उन्हें मारने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कानून भी सख्त बनाया जाए।

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में एचसीएल, आईसीसी मैनेजमैंट द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए श्रमिक संघ से एग्रीमैंट कर प्रोप्राइटरी स्कूल 1932 से 1992 तक समय-समय पर स्थापित किए गए जिन में शिक्षक और अन्य कर्मचारी वर्षों से स्थायी पद पर कार्यरत हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को सरकारी शिक्षकों के बराबर पे-स्केल एवं अन्य सुविधाएं समय-समय पर देने के लिए एचसीएल के मैनेजिंग डायरैक्टर द्वारा फाइनैंशियल अंडरटेकिंग की गई और उस आधार पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मैनेजमैंट के स्कूलों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है लेकिन सितम्बर 2002 से कम्पनी द्वारा वेतन रोक दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारी बकाया रकम का भी भुगतान नहीं किया गया और न ही पे-स्केल रिविजन की सुविधा प्रदान की गई। 1973 एवं 1980 में राज्य सरकार द्वारा कम्पनी स्कूलों को सरकार को हैंड ओवर कर देने के कई लिखित निर्देशों को भी ठुकरा दिया गया। वे उन्हें कम्पनी के मैनेजमैंट द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से चलाने के लिए राजी हुए। वर्तमान में मैनेजमैंट द्वारा इन स्कूलों को बंद करने की धमकी दी जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप यहां पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: सभापति महोदय, 25 शिक्षकों के जीवन-मरण का सवाल है। मुझे ज्ञात हुआ है कि खदानों के बंदी के चलते एचसीएल के मैनेजिंग डायरैक्टर द्वारा कम्पनी के विद्यालयों के कर्मचारियों को वीआरएस का लाभ देने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, हेतु खान मंत्रालय के पास जुलाई, 2004 में ही प्रस्ताव भेजा गया था जो कि लंबित है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे 6 विद्यालयों के शिक्षकों का बकाया लंबित वेतन एवं अन्य बकाया रकम का भुगतान किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको पूरा वक्तव्य नहीं पढ़ना चाहिए। यह केवल विशेष उल्लेख करने का काल है।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: वहां अध्यापक मरने के कगार पर हैं। इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला है। आमरण अनशन करके लोग मर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है। आज ये लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन इनका बकाया सरकार नहीं दे रही है।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): महाराष्ट्र में मुंबई के जे.जे. मेडिकल कालेज में पूरे हिन्दुस्तान के अनेक छात्र पढ़ते हैं और मेडिकल की शिक्षा लेते हैं। पिछले सप्ताह वहां कुछ लड़कों में आपसी तनाव पैदा हुआ और एक गुट द्वारा दूसरे गुट के लड़कों को डराने और धमकाने का काम किया गया। यह बात तब और आगे बढ़ गई जब लड़कों में आपसी झगड़ा हुआ और लड़के छात्रावास छोड़कर अलग जगह, लोकल गार्जियन के घर रहने लगे तब उनके अंदर डर और आतंक का वातावरण व्याप्त था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने बम्बई में यह बयान दिया कि जो*... जबकि यह लड़के सारे उत्तर भारत के हैं सिर्फ बिहार के नहीं हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): यह गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने इसका खंडन किया है और यह अखबारों में भी आ गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उन्होंने बिहार का नाम तक नहीं लिया। ...*(व्यवधान)*

डा. राजेश मिश्रा: मैं सुरक्षा की बात कह रहा हूं। मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: विवादास्पद मामलों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा केवल विशेष उल्लेख की अनुमति है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: इसे विलोपित कीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस शब्द को निकाल दें।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: वहां पूरे उत्तर भारत के लड़के पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के डेढ़ सौ लड़के हैं और हमारे निर्वाचन क्षेत्र से चार लड़के वहां पढ़ते हैं।

आज से वहां परीक्षा प्रारंभ हो रही है और लड़कों के अंदर डर और आतंक का वातावरण है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसे नोटिस में ले और जिन लड़कों की परीक्षा वहां पर हो रही है उन्हें आज से सुरक्षा प्रदान की जाए। वहां भय का वातावरण खत्म किया जाए ताकि जो लड़के इतनी दूर से वहां मेडिकल की परीक्षा लेने के लिए गए हैं, उन्हें शिक्षा मिल सके और वे सही माहौल में पढ़ सकें।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों द्वारा सामना किए जा रहे अन्याय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज एयरलाइन्स उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है। कोच्चि विमानपत्तन सहित भारत के अधिकतर विमानपत्तन भारी लाभ कमा रहे हैं। इन सभी विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग कार्यों को नैमित्तिक मजदूरों हटा दिया जाता है। इन्हें यात्री सहायक, सुरक्षा सहायक, कार्गो सहायक, लोडिंग एंड अन लोडिंग तथा उड़ानों में सामान लादने, कार्यालय सहायक, हैल्पर्स इत्यादि जैसे संबंधित कार्यों में लगाया जाता है और इन नैमित्तिक मजदूरों को ऐसे काम भी दिए जाते हैं जो स्थायी प्रकृति के होते हैं।

कोच्चि विमानपत्तन पर 165 नैमित्तिक कार्यकारी हैं। ये सभी कर्मचारी या तो कोच्चि विमानपत्तन परियोजना के विस्थापित भू-स्वामी हैं या एयर इंडिया के कर्मचारियों के बच्चे हैं। इनमें से कुछ लोगों की नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भी गई है। इनमें से अधिकतर कामगार कोच्चि विमानपत्तन पर 1999 से अर्थात् इसकी स्थापना के समय से कार्य कर रहे हैं। इन कामगारों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इन्हें अभी तक नैमित्तिक कर्मचारी माना जाता है। इन्हें साप्ताहिक अवकाश, ओवर टाइम, मजदूरी, अवकाश लाभ, भविष्य निधि, बोनस, इत्यादि सहित सांविधिक लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। इस मामले को इनकी एसोसिएशन के माध्यम से प्रबंधन के समक्ष लाया गया था। प्रबंधन ने इस मुद्दे के समाधान की परवाह नहीं है और तो और प्रबंधन इस मुद्दे के समाधान के लिए श्रम प्राधिकारी के समक्ष भी उपस्थित नहीं होता। इस मामले पर खुले दिमाग से विचार करने के स्थान पर प्रबंधन इस मामले में बदले की कार्रवाई करते हुए श्रम संगठनों के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और कामगारों की उचित मांगों का समाधान करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने तथा इन नैमित्तिक मजदूरों को न्याय दिलाने का अनुरोध करता हूं।

सायं 6.40 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

"जूपिटर-6" मालवाहक पोत के 6.9.2005 से कथित रूप से गायब होने के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, ज्यूपिटर-6 नामक एक जहाज जोकि गहरे समुद्र में चल रहा था और तेल से भरा हुआ था दिनांक 5 सितम्बर से दक्षिण अफ्रीका के समुद्र में लापता है। इस जहाज में क्रू के 13 सदस्य थे जिसमें से 10 भारतीय हैं। इन क्रू सदस्यों की जान खतरे में हो सकती है। हमें इस बात की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ है। पोत परिवहन मंत्रालय अथवा पोत परिवहन महानिदेशक से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे भी किसी अन्तिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसमें कई चीजें बहुत ही संदिग्ध हैं।

इस बात में सन्देह है कि क्या जहाज डूब गया है अथवा नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि जहाज डूबा नहीं है क्योंकि ऐसी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किसी भी घटना की जानकारी देने के लिए जिस एस ओ एस मैसेज मशीन को लगाया गया था उस मशीन से जहाज के लापता होने की तिथि से अर्थात् 5 सितम्बर के एक महीने से अधिक समय व्यतीत होने के बाद इस एस ओ एस मशीन से एक संदेश प्राप्त हुआ था। इसलिए इसमें संदेह है। यह एक पूर्व नियोजित संदेश भी हो सकता है। इस बात में संदेह है कि क्या इस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया है अथवा क्या जहाज का वास्तविक मालिक किसी चीज के लिए सौदेबाजी कर रहा है अथवा शायद कोई और जैसाकि मनीयप्पन के मामले में हुआ था जोकि एक भारतीय था और विदेश में काम कर रहा था। इसलिए यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसलिए भारत सरकार को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यदि वे किसी और के हाथों में है तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। इसलिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

यद्यपि, मलयालम के सभी अखबारों और अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इन लोगों के परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। वे काफी परेशानी में हैं। अत: जल्द ही कुछ किया जाना चाहिए। मैं सरकार से तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालय को इन चालक दल के सदस्यों, जो कि मुख्य रूप से भारत से हैं, के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

यह पोत तेल से भरा होता है। यदि यह डूबा होता तो कोई संदेह की जगह भी नहीं है, जहां यह समझा जाए कि यह डूब गया है। बाहर भी तेल कम ही बहा है। यह पोत तेल से भरा हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य संदेह भी हैं। अत: मैं सरकार से इसकी तत्काल जांच करवाने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इन कार्मिकों की यदि वे जिन्दा हैं, जान बचाई जाए।

डा. के.एस. मनोज: मैं अपने आपको इनसे संबद्ध करता हूं।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन: महोदय, मैं भी स्वयं को इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं भी स्वयं को इनसे संबद्ध करती हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपने को इनके साथ संबद्ध कर सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह एक प्रमुख मुद्दा है। अत: हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले को तत्काल प्रधान मंत्री सहित पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा विदेश मंत्री के सामने लाने का अनुरोध करते हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं इसे उनके सामने लाऊंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह इस पर सहमत हैं।

अब श्री असादूद्दीन ओवेसी।

...(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): चालक दल का एक सदस्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री असादूद्दीन ओवेसी, आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उनके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आपको काफी समय मिला था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको एक लम्बा वक्तव्य पढ़ने तथा इसमें और बातें जोड़ने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

...(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज: मैं अन्य मामले पर बात कर रहा हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद, इसके गिराए जाने के पूर्व के वास्तविक तथ्यों पर विचार करने और इसके लिए जिम्मेदार बलों के बारे में पता लगाने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। 13 साल से अधिक समय से लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की जांच कर रहा है। यू पी ए सरकार के सत्ता में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

आने के बाद 18 माह से अधिक का समय बीत चुका है। लिब्राहन आयोग की अवधि 30 दिसम्बर को समाप्त हो रही है। अभी तक वर्तमान सरकार ने कोई शपथ-पत्र दायर नहीं किया है। लिब्राहन आयोग ने इस सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है। यूपीए सरकार का पक्ष क्या है क्या भाजपा या शिव सेना या आरएसएस जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने अभी तक शपथ-पत्र दायर नहीं किया है।

साथ ही सत्ता में आने के बाद वर्तमान यूपीए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे पिछली एनडीए सरकार द्वारा दायर किए गए शपथ-पत्र से सहमत नहीं है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि सरकार का अपने दायित्वों को समझने तथा 30 दिसम्बर को लिब्राहन आयोग के कार्यकाल के पूरा होने से पहले एक शपथ-पत्र दायर करने के लिए यह सही समय है।

यह एक अविलम्बनीय राष्ट्रीय महत्व का मामला है। देश को सच्चाई जानने का अधिकार है। जब बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के संबंध में एक आयोग गठित किया गया, मुझे आशा है कि सरकार 30 दिसम्बर से पहले शपथ-पत्र दायर करेगी ताकि सच्चाई बाहर आ सके। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और वास्तव में क्या हुआ था।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस राज्य में परिसीमन किया जा रहा है जो वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। इस परिसीमन में अनुसूचित जातियों की जन्मदर कम बतायी गई है और सामान्य दर भी कम बताई गई है। 350 गांवों को वीरान बताया गया है। जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी हुई है, इसके कारण लोक सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की एक सीट की कमी हुई है और विधान सभा में अनुसूचित जाति की पांच सीटों की कमी हुई है। इस तरह से सीटों की कमी होने के कारण वहां की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। सरकार संवेदनशील है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन हुआ तथा दो अन्य राज्य उत्तरांचल और झारखंड का पुनर्गठन हुआ। जब वर्ष 2000 में इन तीनों राज्यों का पुनर्गठन हुआ और सीमांकन का कार्य वर्ष 2005 में हुआ, जबकि सीमांकन का कार्य दस वर्षों में होना था, लेकिन वह पांच वर्षों में हो गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले: मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा की 90 सीटें हैं और उन 90 सीटों में से 34 सीटें आदिवासियों की हैं। उसमें से पांच सीटें विधान सभा की कम हो गईं। लोक सभा में अनुसूचित जाति की दो सीटें थी, उसमें से एक सीट कम हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में या तो परिसीमन को रोका जाए या परिसीमन पांच वर्षों के बाद यानी पूरे दस वर्षों में किया जाए। हमने प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, उप-प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री को इसकी जांच करने का आदेश देने के लिए निवेदन किया है और कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी और धांधली की गई है, इसकी जांच करने का आदेश दिया जाए या जांच पूरी होने तक इसे रोका जाए। छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, उसमें जितनी सीटें अनुसूचित जाति को मिली थीं, उन्हें यथावत रखते हुए परिसीमन किया जाए। यह मांग हम केन्द्र सरकार से करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वह हमारी मांग पर ध्यान दे, केन्द्र सरकार परिसीमन को रोके या यथावत परिसीमन कराये।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र सोनीपत की एक अत्यंत गंभीर समस्या आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में दिल्ली का बाउन्ड्री के बिल्कुल साथ लगते हुए 9-10 गांवों में किसानों की 2200 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव पर एक्वायर की जा रही है। वहां राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के नाम पर, एक्सप्रैस हाईवे के नाम पर और इंडस्ट्रीज के नाम पर किसानों की जमीनें एक्वायर की जा रही हैं और इसका भाव 15-16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब सरकार दे रही है। जबकि वहां प्रति एकड़ का भाव एक करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहां बिल्डर्स गये हुए हैं और एक-एक करोड़ रुपये के हिसाब से जमीन खरीद रहे हैं और सरकार 15 लाख रुपये के हिसाब से जमीन खरीद रही है। उसी गांव की बाउन्ड्री के साथ लगते हुए एक तरफ एक करोड़ रुपये का भाव दिया जा रहा है और दूसरी तरफ 15 लाख रुपये का भाव सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपको उन गांवों के नाम बताता हूं। बड़खालसा गांव में 299 एकड़ *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी मांग उचित मुआवजे के लिए है।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): जी हां। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने इसी का उल्लेख किया है और इतना काफी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: आप मेरी पूरी बात आने दें। वहां एक्सप्रैस हाईवे भी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): यह केन्द्र का मामला है।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: सर, यह केवल स्टेट मैटर नहीं है, वहां हाईवे भी है। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। मुझे एक मिनट बोलने दें। बड़खालसा गांव की 299 एकड़, फिरोजपुर की 135 एकड़, पतला की 333 एकड़, सेवली की 662 एकड़, असावरपुर की 533 एकड़, खेवड़ा की 8 एकड़, बहालगढ़ की 4 एकड़, बढ़मलिक की 6 एकड़ और जखौली की 54 एकड़ जमीन है। इस तरह से कुल मिलाकर 2200 एकड़ जमीन है। बड़खालसा ऐसा गांव है जिसने सात सौ एकड़ जमीन मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के लिए दान में दी थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कृपया अपनी बात पूरी करें। उन्होंने कहा है कि यह एक केन्द्र का मामला है। जिस पर ध्यान दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: वहां के किसानों में इस बात को लेकर बहुत रोष है। इसलिए उनकी जमीन को एक्वायर होने से रोका जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्होंने कहा है कि वह इस मामले पर ध्यान देंगे। आप जोर क्यों डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: वहां मार्केट में एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ का भाव है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब मंत्री जी ने जवाब दे दिया है फिर भी आप इसे क्यों उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: मेरी सरकार से मांग है कि वहां के किसान इस बात से बहुत एजिटेटिड हैं, वे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। यही मेरी आपसे मांग है।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान इस सम्माननीय सभा के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

संस्थान कोटा ताजे पानी की झील रामरूर कन्वेन्शन में रामरूर वेटलैण्ड श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित भारत में ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही यह योजना देश की पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। इस झील की गहराई 35.4 मीटर थी; अब यह केवल 14.5 मीटर है। इस तालाब से क्विलोन कार्पोरेशन क्षेत्र तथा स्थानीय पंचायतों को 350 लाख लीटर पानी पहुंचाया जाता है। अब इस झील को सभी ओर से गम्भीर खतरा है कि झील में अन्ततः पेयजल समाप्त हो सकता है। राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण झील का संरक्षण करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से देश के इस महत्वपूर्ण पेयजल संसाधन, संस्थान कोटा ताजे पानी की झील को बचाने तथा इसका संरक्षण करने के लिए तत्काल उचित सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय: अब यह सभा कल 14 दिसम्बर, 2005 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005/ 23 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एन.एन. कृष्णदास	282
2.	कुंवर मानवेन्द्र सिंह श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	283
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	284
4.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री सर्वानन्द सोनोवाल	285
5.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	286
6.	श्री भर्तृहरि महताब	287
7.	श्री तथागत सत्पथी श्री एम. अप्पादुरई	288
8.	श्री रामदास आठवले	289
9.	श्री आलोक कुमार मेहता श्री प्रबोध पाण्डा	290
10.	श्री वी.के. ठुम्मर	291
11.	श्री अविनाश राय खन्ना श्री अशोक कुमार रावत	292
12.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री राजेन गोहेन	293
13.	डा. वल्लभभाई कथीरिया श्री सीताराम सिंह	294
14.	श्री ब्रजेश पाठक	295
15.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री बीर सिंह महतो	296
16.	श्री अजय चक्रवर्ती	297
17.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	298
18	श्री रशीद मसूद	299
19.	श्री बालासाहिब विखे पाटील	300
20.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	301

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2916
2.	आदित्यनाथ, योगी	2939, 3010
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2945, 3005, 3064, 3084
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2990
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3016
6.	अजय कुमार, श्री एस.	2972, 3040
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	2954
8.	अनंत कुमार, श्री	2974, 3018
9.	अप्पादुरई, श्री एम.	3007
10.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	2934
11.	आठवले, श्री रामदास	3014
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2898, 2995, 3050, 3075, 3085
13.	बर्मन, श्री हितेन	2913, 2973
14.	बर्मन, श्री रनेन	2953
15.	बखला, श्री जोवाकिम	2953, 3015
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2901
17.	भगोरा, श्री महावीर	2888, 3038
18.	भक्त, श्री मनोरंजन	2919, 3004
19.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2889, 2970, 3001, 3052
20.	बोस, श्री सुव्रत	2958, 2973
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2961
22.	चन्देल, श्री सुरेश	2907
23.	चौरे, श्री बापू हरी	3018
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2952, 3030, 3058

1	2	3
25.	चिन्ता मोहन, डा.	2933
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2933, 3020
27.	धनराजू, डा. के.	3015, 3017
28.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	2954
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2933
30.	गांधी, श्री राहुल	2982
31.	गणेशन, श्री एल.	2971
32.	गंगवार, श्री संतोष	2957, 3055
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2949, 3028
34.	गोहेन, श्री राजेन	3019
35.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2960, 3035
36.	जगन्नाथ, डा. एम.	2931
37.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3020
38.	झा, श्री रघुनाथ	2979
39.	जिन्दल, श्री नवीन	2905
40.	कस्वां, श्री राम सिंह	3010
41.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3009
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2892, 3032
43.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2910
44.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2902, 2945, 2997, 3051, 3082
45.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2888
46.	कोया, डा. पी.पी.	2975, 3041, 3070, 3083
47.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3010, 3055
48.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2965, 2969, 2988, 3026, 3039
49.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2933
50.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2980
51.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2918
52.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2893
53.	महाजन, श्री वाई.जी.	2936
54.	महतो, श्री बीर सिंह	2917, 2932, 3058
55.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2929
56.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2936, 3016
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	3013, 3020, 3072
58.	माझी, श्री परसुराम	2978, 3046
59.	मंडल, श्री सनत कुमार	2969
60.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2984, 3043
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	2933
62.	मनोज, डा. के.एस.	2951, 3029
63.	मसूद, श्री रशीद	2916, 3003, 3066
64.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2941
65.	मिडियम, डा. बाबू राव	2942
66.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3015, 3016, 3059, 3076
67.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2936
68.	मैन्या, डा. टोकचोम	2964
69.	मिश्रा, डा. राजेश	2916
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2897, 2994, 3026
71.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2914, 3010, 3018, 3060, 3077
72.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2891
73.	मोहन, श्री पी.	2948
74.	मो. ताहिर, श्री	2969, 3039, 3071
75.	मोहिते, श्री सुबोध	2944
76.	मूर्ति, श्री ए.के.	2908, 2999

1	2	3
77.	मुंशी राम, श्री	2965, 2969, 3026, 3039, 3071
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3019, 3078
79.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2938
80.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3032
81.	निखिल कुमार, श्री	2918
82.	ओराम, श्री जुएल	2894, 3006, 3054
83.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	2989
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2903, 3034, 3046, 3068
85.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2912, 2945, 3056
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2932, 3021, 3057, 3061
87.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3016
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2968
89.	पासवान, श्री सुकदेव	2928
90.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	2923, 3088
91.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2990, 3058
92.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2909, 2937, 2945, 3073
93.	पाठक, श्री ब्रजेश	3002, 3018, 3053, 3088
94.	पाटील, श्री डी.बी.	2946
95.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3006, 3054
96.	पटले, श्री शिशुपाल	2965, 2969, 3026, 3039, 3071
97.	पिंगले, श्री देविदास	2925
98.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2927
99.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2929, 3008, 3058
100.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2941, 3016, 3025, 3063
101.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2911
102.	रामदास, प्रो. एम.	2904, 3000
103.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2985, 3048
104.	राणा, श्री काशीराम	2966
105.	राणा, श्री रविन्दर कुमार	3016, 3025, 3059
106.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2924, 3027, 3065, 3080, 3086
107.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3018
108.	रावत, श्री अशोक कुमार	2965, 2969, 3026, 3039
109.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2926
110.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2895, 2992
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2970
112.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2900, 2952, 3030
113.	साई प्रताप, श्री ए.	2955, 3044
114.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2922, 2952, 3045, 3047, 3074
115.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	2915, 3031, 3067, 3081, 3087
116.	सरोज, श्री तूफानी	2940, 3024
117.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2950
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2921, 3037, 3069
119.	सेनथिल, डा. आर.	2959
120.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3055
121.	शाहिद, मोहम्मद	2969, 3039
122.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2935
123.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2976, 2978, 3012, 3057
124.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2965, 2969, 2988, 3039, 3071

1	2	3
125.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2977, 3020
126.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3034, 3055
127.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2932
128.	सिंह, श्री रामसेवक	3010
129.	सिंह, श्री दुष्यंत	2974, 2987
130.	सिंह, श्री गणेश	2981
131.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2933, 2983
132.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3011, 3056
133.	सिंह, श्री मोहन	2930, 2971
134.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2943
135.	सिंह, श्री राकेश	2929
136.	सिंह, श्री रेवती रमन	2920, 3022
137.	सिंह, श्री सुग्रीव	2937, 3023, 3062, 3079
138.	सिंह, श्री उदय	2961
139.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2896, 2993, 3018
140.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3015, 3089
141.	सुब्बा, श्री एम.के.	2899, 2973, 2996, 3020
142.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2906, 3014, 3057
143.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2967
144.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2962
145.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2950, 3033
146.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2890, 2991, 3049
147.	थामस, श्री पी.सी.	2947, 3010, 3076
148.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3017
149.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2938, 3016
150.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2985, 3017, 3048
151.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2963, 3036
152.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2968, 2986
153.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2945, 2976, 2978, 3004, 3042
154.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2998, 3011, 3056
155.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	3008
156.	यादव, श्री गिरिधारी	2917
157.	यादव, श्री मित्रसेन	2956
158.	यादव, श्री सीता राम	2936
159.	यास्खी, श्री मधु गौड	2945
160.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2973, 3047

499

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	291, 296
वाणिज्य और उद्योग	:	282, 286, 290, 294, 297
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	283, 295, 298, 299
मानव संसाधन विकास	:	284, 285, 288, 292
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	289, 301
लघु उद्योग	:	293
जनजातीय कार्य	:	300
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	287

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	3050, 3079
वाणिज्य और उद्योग	:	2893, 2894, 2896, 2900, 2916, 2920, 2923, 2931, 2940, 2944, 2947, 2950, 2956, 2961, 2962, 2964, 2967, 2969, 2979, 2980, 2983, 2993, 3008, 3009, 3011, 3014, 3017, 3019, 3022, 3033, 3035, 3037, 3044, 3057, 3063, 3065, 3067, 3068, 3069, 3071, 3076, 3081
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2899, 2915, 3087
गृह	:	2891, 2905, 2913, 2914, 2917, 2918, 2919, 2927, 2929, 2930, 2935, 2941, 2951, 2952, 2953, 2954, 2957, 2959, 2971, 2973, 2974, 2975, 2990, 2995, 2996, 3005, 3006, 3021, 3027, 3032, 3052, 3054, 3055, 3075
मानव संसाधन विकास	:	2897, 2903, 2906, 2907, 2908, 2909, 2921, 2922, 2926, 2932, 2933, 2934, 2936, 2943, 2948, 2949, 2963, 2968, 2970, 2976, 2977, 2978, 2982, 2985, 2987, 2992, 2997, 2998, 3002, 3004, 3015, 3016, 3018, 3020, 3023, 3025, 3026, 3030, 3034, 3036, 3039, 3042, 3045, 3048, 3053, 3056, 3058, 3061, 3062, 3064, 3073, 3082, 3084
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2888, 2890, 2901, 2902, 2910, 2911, 2928, 2937, 2938, 2939, 2945, 2955, 2960, 2965, 2966, 2972, 2981, 2984, 2988, 2989, 2991, 2994, 2999, 3000, 3001, 3003, 3007, 3010, 3012, 3013, 3028, 3029, 3031, 3041, 3043, 3046, 3049, 3051, 3059, 3060, 3066, 3070, 3072, 3074, 3077, 3080, 3083, 3086, 3088
लघु उद्योग	:	2898, 2912, 2958, 3078
जनजातीय कार्य	:	2942, 2946, 2986, 3024, 3038, 3040, 3047
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	2889, 2892, 2895, 2904, 2924, 2925, 3085.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/15/15/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।